विषय सूची

सत्र-01 (भाग-4) मंगलवार, 30 जून, 2015/आषाढ़ 09, 1937 (शक) अंक-12

क्र. सं.	विषय	पृष्ठ सं.
1.	सदन में उपस्थित सदस्यों की सूची	1-2
2.	तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर (प्रश्न 21-27)	3-57
3.	तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर (प्रश्न 28-40)	57-110
4.	अतारांकित प्रश्न सं. 19 का लिखित उत्तर	110-118
5.	नियम-280 के अंतर्गत विशेष उल्लेख	118-142
6.	सदन पटल पर प्रस्तुत पत्र	142-144
7.	विधेयकों का पारण	144-160
8.	नियम-107 के अंतर्गत प्रस्ताव	161-191
9.	बजट 2015-16 पर आगे चर्चा	191-260
10.	अनुदान मांगों का प्रस्तुतीकरण एवं पारण	260-268
11.	विनियोजन (सं. 2) विधेयक, 2015 का पुर:स्थापन एवं पारण	268-270
12.	माननीय अध्यक्ष द्वारा घोषणा	270-271

दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही

सत्र-01 मंगलवार, 30 जून, 2015/आषाढ़ 09, 1937 (शक) अंक-12

दिल्ली विधान सभा

सदन अपराह्न 2:00 बजे आरंभ हुआ

माननीय अध्यक्ष महोदय (श्री राम निवास गोयल) पीठासीन हुए।

निम्नलिखित सदस्य सदन में उपस्थित हुए:

1. श्री शरद कुमार
2. श्री संजीव झा
3. श्री पंकज पुष्कर
4. श्री पवन कुमार शर्मा
5. श्री अजेश यादव
6. श्री मोहेन्द्र गोयल
7. श्री वेद प्रकाश
8. श्री सुखवीर सिंह दलाल
9. श्री ऋतुराज गोविन्द
10. श्री रघुवेन्द्र शौकीन
11. सुश्री राखी बिड़ला
12. श्री विजेन्द्र गुप्ता
13. श्री राजेश गुप्ता
14. श्री अखिलेश पति त्रिपाठी
15. श्री सोमदत्त
16. सुश्री अलका लाम्बा

17. श्री इमरान हुसैन
18. श्री विशेष रवि
19. श्री हजारी लाल चौहान
20. श्री शिव चरण गोयल
21. श्री गिरीश सोनी
22. श्री जरनैल सिंह
23. श्री जगदीप सिंह (रा.गा.)
24. श्री जरनैल सिंह (ति.न.)
25. श्री राजेश ऋषि
26. श्री महेन्द्र यादव
27. श्री आदर्श शास्त्री
28. श्री गुलाब सिंह
29. श्री कैलाश गहलोत
30. कर्नल देवेन्द्र सहरावत
31. सुश्री भावना गौड़
32. श्री सुरेन्द्र सिंह
33. श्री प्रवीण कुमार
34. श्री मदन लाल
35. श्री सोमनाथ भारती
36. श्रीमती प्रमिला टोकस
37. श्री नरेश यादव
38. श्री करतार सिंह तंवर
39. श्री प्रकाश
40. श्री अजय दत्त
41. श्री दिनेश मोहनिया
42. श्री सौरभ भारद्वाज
43. सरदार अवतार सिंह कालकाजी
44. श्री सही राम
45. श्री नारायण दत्त शर्मा
46. श्री अमानतुल्लाह खान
47. श्री राजू धिंगान
48. श्री मनोज कुमार
49. श्री नितिन त्यागी
50. श्री ओम प्रकाश शर्मा
51. श्री एस.के. बग्गा
52. श्री अनिल कुमार बाजपेयी
53. श्री राजेन्द्र पाल गौतम
54. सुश्री सरिता सिंह
55. श्री हाजी इशराक
56. श्री श्रीदत्त शर्मा
57. चौ. फतेह सिंह
58. श्री जगदीश प्रधान

दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही

सत्र-01 (भाग-4) मंगलवार, 30 जून, 2015/आषाढ़ 09, 1937 (शक) अंक-12

दिल्ली विधान सभा

सदन अपराह्न 2:00 बजे आरंभ हुआ।

माननीय अध्यक्ष महोदय (श्री राम निवास गोयल) पीठासीन हुए।

तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर

अध्यक्ष महोदय : बजट सत्र के अंतिम दिन आप सबका हार्दिक अभिनन्दन, आपका स्वागत है। स्टार्ड क्वेशचन, क्वेशचन संख्या 21 ।

श्री ओमप्रकाश शर्मा : माननीय अध्यक्ष जी आज ये जो अखबार में आया है...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : ओमप्रकाश जी, एक सेकेंड मेरी बात सुनिये। किसी नियम के तहत उठाएंगे या बिना नियम के उठाएंगे कोई नियम तो आप लिखकर दें। नहीं, ये कोई चर्चा का विषय नहीं है।

श्री ओमप्रकाश शर्मा : चर्चा का विषय क्यों नहीं है?...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : ऐसे नहीं चलेगा। श्री जरनैल सिंह जी ...**(व्यवधान)**

श्री विजेन्द्र गुप्ता : जब आम आदमी पार्टी...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : विजेन्द्र जी आप मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात समझ लीजिए। एक बार कोई नियम के अंतर्गत आप उठाएं। अभी किसी नियम के अन्तर्गत उठाएं। ऐसे नहीं चलेगा। श्री जरनैल सिंह जी।

श्री जरनैल सिंह (राजौरी गार्डन) **:** अध्यक्ष जी, आपकी अनुमति से प्रश्न नम्बर 21 प्रस्तुत है–

क्या **समाज कल्याण मंत्री** जी यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सत्य है कि सरकार द्वारा वृद्धावस्था पेंशन के नए आवेदनों पर विचार नहीं किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो उक्त निर्णय कब लिया गया तथा नए आवेदन कब आमंत्रित किए जाएंगे;

(ग) दिल्ली सरकार द्वारा 1984 के सिख विरोधी दंगा पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) मुआवजा देने के लिए क्या मापदंड निर्धारित किया गया है?

अध्यक्ष महोदय : महिला एवं बाल विकास मंत्री।

समाज कल्याण एवं महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्री संदीप कुमार) : अध्यक्ष महोदय आपकी अनुमति से प्रश्न संख्या 21 का उत्तर प्रस्तुत है:

(क) जी हां, वृद्धावस्था पेंशन योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों की संख्या की क्षमता-सीमा (capping limit) 4.30 लाख निर्धारित है। वर्तमान में लाभार्थियों की निर्धारित संख्या की क्षमता-सीमा (capping limit) पूर्ण हो जाने के कारण वृद्धावस्था पेंशन योजना हेतु आवेदन जमा नहीं किये जा रहे हैं।

(ख) वृद्धावस्था पेंशन योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों की जांच प्रक्रिया से वर्तमान में 20,000 रिक्तियां उपलब्ध हुई हैं जिन्हें जल्द ही 70 विधानसभा क्षेत्रों में अनुपातानुसार बॉट दिया जायेगा। जिससे कि नये आवेदन स्वीकार किये जा सकेंगे।

दिल्ली सरकार ने 2015-16 में जब फरवरी के महीने में आम आदमी पार्टी की सरकार, अरविन्द जी सीएम बने और पिछले साल 2014-15 में सोची-समझी रणनीति के तहत जो सेन्टर के आदेशानुसार एलजी के माध्यम से दिल्ली में सरकार चल रही थी, उन्होंने जानबूझकर दिल्ली के लोगों की, जो वृद्ध है जिनके पास खाने के लिए पैसे नहीं हैं, दवाइयों के लिए पैसे नहीं हैं भाजपा की सरकार के माध्यम से उनकी पेंशन, जानबूझकर रोकी गई और जब आम आदमी पार्टी की सरकार आई तो भाजपा ने एक लाख दस हजार पेंशनें रोकी हुई थीं। उसमें से हमने घर-घर जाकर जनता से संपर्क करके कैंप्स लगाकर डिपार्टमेंट्स के माध्यम से ऑफिसर्स

ने बड़ी actively participate किया और लोगों के बीच में जाकर के ऐसी 90 हजार पेंशनें रिलीज की हैं जिसमें की एक साल से जानबूझकर के पेंशनें रोकी गई थीं जिससे कि आम आदमी पार्टी की सरकार को बदनाम किया जा सके।

अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं एक और बात बताना चाहता हूं एमसीडी में बैठे, उन दिल्ली के, दीमक कहूंगा मैं, दिल्ली की जनता के लिए दीमक हैं। जानबूझकर एमसीडी की पेंशन रोकी जा रही हैं और कहा जा रहा है कि दिल्ली सरकार रोक रही है। तो ये सरासर ये मैं चाहता हूं जो हमारे विपक्ष के तीन साथी यहां पर बैठे हैं अगर ये चार होते तो पत्ते भी खेल लेते, अच्छा लगता चुपचाप बैठते। लेकिन इनका काम यही है कि लोगों को गुमराह करना, लोगों को बदनाम करना ये दिल्ली की सारी जनता को पता है आज के एमसीडी क्या कर रही है आज। कैसे पेंशनें रोक रही है। कैसे लोगों को आज दवाइयों के लिए तड़पना पड़ रहा है, बुजुर्गों को जो इनको काउंसलर्स ने पेंशन देनी होती थी जानबूझकर... और अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं हमने तीनों कमीशनरों को चिट्ठी लिखी थी कि हम अपनी पेंशन की तो जांच कर ही रहे हैं। अध्यक्ष महोदय हमने **...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : वो जो कह रहे हैं, उसको सुन लीजिए आप।

महिला एवं बाल विकास मंत्री : अध्यक्ष महोदय हम इनका काम भी आसान कर रहे थे। हमने तीनों कमीशनरों को चिट्ठी लिखी थी की आप अपनी पेंशन का डाटा दीजिए हम अपनी वेरीफिकेशन कर रहे हैं, आपकी साथ में कर देंगे। लेकिन उनके पास कोई मैनेजमेंट ही नहीं है, कुछ है ही नहीं। दिल्ली में आज सबसे भ्रष्ट कोई डिपार्टमेंट है तो अध्यक्ष महोदय, वो एमसीडी है और एमसीडी के द्वारा दिल्ली

में इतना गदर मचाया जा रहा है लोगों को परेशान किया जा रहा है। तो अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है मेरे यहां जो तीन साथी बैठे हैं, वो कह रहे थे गांधी के पता नहीं तीन...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : चलिए हो गया।

महिला एवं बाल विकास मंत्री : मेरा उनसे निवेदन है कि आगे से आप भी मिलके आपकी पेंशनें भी वैरीफिकेशन करवा देंगे। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय।

अध्यक्ष महोदय : पूछिए।

श्री जरनैल सिंह : अध्यक्ष जी, मैं पहले तो बधाई देता हूं कि जो एक लाख दस हजार पेंशनें बंद कर दी गई थीं पूर्ववर्ती, जब भाजपा की सरकार थी और नब्बे हजार जो दोबारा से शुरू की गई हैं इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। लेकिन फिर भी जैसे मंत्री जी ने कहा है कि एमसीडी में जिन लोगों को वृद्धावस्था पेंशन मिल रही थी, वो लोग भी हैं और कई लोग हमारे पास और आ रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : जरनैल जी, प्रश्न पूछिये।

श्री जरनैल सिंह : क्या पेंशन्स की इस लिमिट को बढ़ाने के लिए कोई विचार चल रहा है?

अध्यक्ष महोदय : हां, मंत्री जी।

महिला एवं बाल विकास मंत्री : एमसीडी के बारे में पूछा या हमारी दिल्ली सरकार के बारे में?

श्री जरनैल सिंह : वो कह रहे थे कि वो भी दिल्ली के निवासी हैं और कई और लोग हैं जो हमारे पास आ रहे हैं, पेंशन लगवाना चाहते हैं।

महिला एवं बाल विकास मंत्री : नहीं इसमें हमने बीस हजार पेंशन्स का भी अलॉटमेंट किया है और बीस हजार नई पेंशनें हर विधानसभा में अनुपातानुसार बांट दी जाएंगी। आप नए आवेदन ले सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 22 श्री राजेश गुप्ता।

श्री जरनैल सिंह : अध्यक्ष जी, जो अगला पार्ट है 'ग' 'घ' है उसका जवाब?

अध्यक्ष महोदय : नहीं ये इसमें आप 'ग' की बात कर रहे हैं न। हां 'ग' भाग इसमें नहीं हो पायेगा ये 'क' और 'ख' दोनों का उत्तर उन्होंने दे दिया।

श्री जरनैल सिंह : अध्यक्ष जी, मैं इसमें जो जवाब मेरे पास आया है उसमें कहा गया है कि केन्द्र सरकार से कई दफा जो मुआवजा अनाउंसमेंट किया था केन्द्र सरकार ने 17 चेक बांटे थे उसके बाद वो चुप कर गई और दिल्ली सरकार उससे बार-बार पैसा मांग रही है, अनुरोध कर रही है तो केन्द्र सरकार क्यों नहीं दे रही है और इस बारे में आप क्या कार्यवाही कर रहे हैं मैं ये जानना चाहता था।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी।

महिला एवं बाल विकास मंत्री : अध्यक्ष महोदय, इसमें दिल्ली सरकार ने अपने बजट से 174 लाभार्थियों को मुआवजा दिया है।

...(व्यवधान)

महिला एवं बाल विकास मंत्री : केन्द्र सरकार को लिखते रहते हैं, वे कुछ नहीं देते।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न सं. 22 श्री राजेश गुप्ता जी।

श्री राजेश गुप्ता : अध्यक्ष महोदय प्रश्न सं. 22 प्रस्तुत है:

क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में श्रम विभाग के कुल कितने कार्यालय, कहां कहां स्थित हैं,

(ख) श्रम विभाग द्वारा मजदूरों के कल्याण के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं,

(ग) गत पांच वर्षों के दौरान श्रम विभाग ने कुल कितनी शिकायतों का निपटान किया, कितनी शिकायतें लम्बित हैं, और

(घ) मजदूरों का शोषण करने वाले कितने व्यक्तियों/संस्थानों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है?

अध्यक्ष महोदय : परिवहन मंत्री।

परिवहन मंत्री (श्री गोपाल राय) : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न सं. 22 का उत्तर प्रस्तुत है:

(क) श्रम विभाग के पास 10 कार्यालय हैं, जिसमें से एक मुख्य कार्यालय शामनाथ मार्ग पर स्थित है और इसके अलावा 9 जिला कार्यालय हैं। इसके अलावा एक बोर्ड का कार्यालय है जहां से निर्माण मजदूर कल्याण बोर्ड का संचालन होता है।

(ख) श्रम कार्यालय द्वारा भिन्न भिन्न श्रम प्रावधानों को लागू किया जाता है। जिसमें श्रमिकों से संबंधित कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत अंकित लाभ जैसे कि बोनस, छुट्टी का पैसा, पी.एफ. ईएसआई, छंटनी मुआवजा, क्षतिपूर्ति राशि इत्यादि उपलब्ध कराया जाता है। इसके अतिरिक्त निर्माण श्रमिकों के कल्याण के लिए पहले से श्रमिक कल्याण बोर्ड गठित है। जिसके पास 1720 करोड़ रुपए आज की तारीख में बोर्ड के पास है। उसी में बहुत सारी समस्याएं मजदूरों की थी। इस सरकार के आने के बाद से उनको काफी तेजी से बढ़ाने का फैसला किया और 1 मई को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिल्ली में श्रमिक विकास मिशन शुरू किया गया है। जिसके तहत तीन प्रमुख योजनाओं को हाथ में लिया गया है। पहला जो श्रमिक कल्याण बोर्ड के तहत श्रमिक/मजदूरों के लिए जो योजनाएं अब तक चल रही थी, उसमें काफी बड़े पैमाने पर पहलकदमी लेकर के उनकी

जिन्दगी को बेहतर करने का फैसला हुआ है। पहले शिक्षा के लिए 100 से 5000 रुपए दिए जाते थे, उसको बढ़ाकर 500 से दस हजार रुपए प्रतिमाह देने का फैसला/प्रस्ताव लेकर सरकार आ रही है। विवाह के लिए पहले दस हजार रुपए दिए जाते थे। अब 51 हजार रुपए सरकार की तरफ से देने का फैसला हुआ है। निर्माण मजदूरों के प्रसूती के लिए पहले दस हजार रुपए दिए जाते थे। अब उसे सरकार 30 हजार करने जा रही है। पेंशन में 1000 रुपए मिलते थे, अब उसको 3 हजार रुपए प्रतिमाह करने जा रही है। अगर कोई स्थायी तौर पर विकलांग हो गया, उसे पहले 25 हजार रुपए मिलते थे। उसे बढ़ाकर सरकार 1 लाख करने जा रही है। उनके मकान के लिए पहले डेढ़ लाख रुपए लोन मिलता था। उसे डबल करके तीन लाख सरकार करने जा रही है। विकलांगता पेंशन पहले 1 हजार रुपए प्रतिमाह मिलती थी। उसे तीन हजार रुपए प्रतिमाह सरकार करने जा रही है। आजारों को खरीदने के लिए पहले दस हजार रुपए मिलते थे, उन निर्माण मजदूरों के लिए अब 20 हजार रुपए करने जा रही है। पहले उन्हें अनुदान के रूप में सरकार की तरफ से 1 हजार रुपए मिलते थे, अब उसे बढ़ाकर 5 हजार रुपए सरकार करने जा रही है। उनके एक्सीडैन्ट से मृत्यु होने पर, दाह संस्कार के लिए 5 हजार रुपए मिलते थे, उसे दुगुना करके दस हजार सरकार करने जा रही है। अगर किसी की प्राकृतिक तौर पर डेथ हो गयी तो 50 हजार रुपए पहले मुआवजा देने का प्रावधान था। उसे सरकार डबल करके एक लाख रुपए देने जा रही है। अगर दुर्घटना में कोई मृत्यु हो गयी

काम करते समय, तो एक लाख रुपए का पहले प्रावधान था। सरकार दुगुना करके दो लाख रुपए देने जा रही है और इसी तरह से कई सारी योजनाएं निर्माण श्रमिक मजदूरों के लिए सरकार ने करने का प्रावधान बना लिया है। दूसरी सबसे बड़ी समस्या दिल्ली के अंदर जो थी, वह है कंट्रैक्ट वर्कर की जो भी मजदूर काम करते थे, दिल्ली के अंदर एक समस्या पैदा हो गयी। एक तो उनकी न्यूनतम मजदूरी कम थी। इस सरकार ने 1 अप्रैल, 2015 से न्यूनतम मजदूरी बढ़ायी है। अकुशल मजदूर के लिए पहले 8632 रुपए मिलते थे। उसे बढ़ाकर 9048 रुपए कर दिया है। अर्द्धकुशल मजदूरों को पहले 9542 रुपए मिलते थे, अब सरकार ने उसे 10010 रुपए कर दिया है। कुशल मजदूरों के लिए पहले 10478 रुपए मिलते थे, अब सरकार ने उसे 10998 रुपए कर दिया है।

अध्यक्ष महोदय, इसमें सबसे बड़ी जो दिक्कत आती थी कि निर्माण मजदूर हों, या कांट्रेक्ट मजदूर हों, उनको न्यूनतम मजदूरी नहीं दी जाती थी। ठेकेदार पैसा 9048 रुपए पर हस्ताक्षर करवाता था। लेकिन ठेकेदार वह पैसा उनको देता नहीं था। किसी को 6 हजार रुपए मिलता था तो किसी को 7 हजार मिलता है। सरकार ने इसके लिए स्पेशल प्लान बनाया है और दिल्ली के अंदर निर्माण/जो कंट्रेक्ट मजदूर हैं, उनके लिए कानून में प्रावधान जल्दी ही हम लोग लेकर आने जा रहे हैं। दिल्ली के अंदर श्रमिक विकास मिशन के तहत हम दिल्ली के अंदर ये गारन्टी करने जा रहे हैं, ऐसा कानून लाने जा रहे हैं कि दिल्ली में अगर किसी कंट्रेक्ट वर्कर का अगर कोई

कट्रेक्टर न्यूनतम मजदूरी नहीं देता है तो उसे हम जेल के अंदर बंद करेंगे और किसी की मजदूरी नहीं मारने देंगे। ये पहल भी सरकार करने जा रही है। इसके अलावा पूरी दिल्ली के अंदर किसी भी मजदूर को कोई दुख दर्द है, कोई समस्या है, इसके लिए दिल्ली सरकार श्रम विभाग में एक नई हेल्प लाइन शुरू की है। 155214 अगर किसी को किसी तरह की कोई परेशानी है, इस हेल्प लाइन पर वह शिकायत कर सकता है। इसके लिए हमने श्रम विभाग की तरफ से स्पेशल सेल बनाया हुआ है और उस पर कार्रवाई करने की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। इसके अलावा अभी पूरी दिल्ली के अंदर घरों में महिलाएं काम करती हैं। घरेलू मजदूर कामगार काम करते हैं। लेकिन उनका कोई माई बाप नहीं है दिल्ली के अंदर। दिल्ली सरकार ने इसके लिए एक्ट बनाने के लिए अभी एक कमेटी का गठन किया है और वह कमेटी 2 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी और वह प्रस्ताव लेकर हम आपके सदन में आयेंगे। जिससे कि घरों के अंदर जो महिलाएं काम करती हैं, उनकी भी जिन्दगी को, उनकी सुरक्षा हम कर सकें और उनके मिनिमम वेजिज को भी निर्धारित कर सकें। उसके लिए भी सरकार प्रयास कर रही है। तो इस तरह से तमाम जो सरकारी योजनाएं हैं, सरकार पहली बार दिल्ली के मजदूरों के लिए इस तरह की पहलकदमी करके सरकार आगे बढ़ रही है।

(ग) श्रम विभाग द्वारा गत 5 वर्षों के दौरान निपटाई गई शिकायतों की सूची संलग्न है।

(घ) श्रम विभाग द्वारा शिकायत आधारित निरीक्षण कराया जाता है, प्रबंधकों द्वारा उल्लंघन किये जाने की परिस्थितियों में उनको नियमानुसार सलाह दी जाती है, एवं पर्याप्त समय भी दिया जाता है ताकि वह उल्लंघनों/अनियमितताओं को नियमानुसार ठीक कर सकें। यदि वह ऐसा नहीं करते हैं तो उनके विरुद्ध भिन्न-भिन्न प्रावधानों के अंतर्गत कानूनी कार्यवाही/चालान मैट्रोपोलिटिन मजिस्ट्रेट के न्यायालयों में दाखिल किए जाते हैं। श्रम कार्यालय द्वारा गत वर्षों में किये गये चालानों की सूची संलग्न हैं।

संलग्नक-क

मुख्य कार्यालयः श्रमायुक्त कार्यालय, 5, शामनाथ मार्ग, दिल्ली-110054

जिला कार्यालय

1. **पूर्वी जिलाः**

   श्रम कल्याण केन्द्र, (विश्वकर्मा नगर), झिलमिल, शाहदरा, दिल्ली। फोनः 2145486

2. **उत्तर पूर्व जिलाः**

   श्रम कल्याण केन्द्र, (विश्वकर्मा नगर), झिलमिल, शाहदरा, दिल्ली। फोनः 2252001

3. **उत्तर जिलाः**

   श्रम कल्याण केन्द्र, (नीमड़ी कॉलोनी), अशोक विहार, दिल्ली। फोनः 27305935

4. **उत्तर पश्चिम जिलाः**

   श्रम कल्याण केन्द्र, (नीमड़ी कॉलोनी), अशोक विहार, दिल्ली। फोनः 27308082

5. पश्चिम जिला:

श्रम कल्याण केन्द्र, (कर्मपुरा), नई दिल्ली। फोन:

6. दक्षिण पश्चिम जिला:

श्रम कल्याण केन्द्र, (प्रताप नगर), नजदीक हरि नगर डी.टी.सी. बस डिपो, नई दिल्ली। फोन: 25492133

7. दक्षिण जिला:

कमरा सं. 122-123, (विंग), दूसरी मंजिल, पुष्पा भवन, पुष्प विहार नई दिल्ली। फोन: 26055394

8. केन्द्रीय जिला:

रोजगार नियोजनालय भवन, पूसा कैम्पस, नई दिल्ली। फोन: 25846245

9. नई दिल्ली जिला:

रोजगार नियोजनालय (भवन), पहली मंजिल, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली। फोन: 23383740

बोर्ड का पता:- 'ए' (विंग), 7वीं मंजिल, विकास भवन-II, सिविल लाईन्स, दिल्ली- 110054

दूरभाष : 23813845, 23813773

श्रमिक हेल्पलाईन नं. 155214

संलग्नक-ख

पंजीकृत निर्माण कर्मचारी को बोर्ड से मिलने वाले लाभ

1. मकान खरीदने एवं निर्माण के लिए ऋण (पात्रता-एक वर्ष की सदस्यता)।
2. चिकित्सा सहायता (पात्रता-पंजीकरण की तिथि से)।
3. बच्चों एवं स्वयं के विवाह के लिए वित्तीय सहायता (केवल दो बच्चों तक) (पात्रता- तीन वर्ष की सदस्यता)।
4. 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर पेंशन प्रति माह (पात्रता-एक वर्ष की सदस्यता)।
5. पारिवारिक पेंशन (पात्रता-एक वर्ष की सदस्यता)।
6. अक्षमता पेंशन प्रति माह (पात्रता-पंजीकरण की तिथि से)।
7. अपंग हो जाने की अनुग्रह राशि (पात्रता-पंजीकरण की तिथि से)।
8. मातृत्व लाभ (केवल दो बच्चों तक) (पात्रता-पंजीकरण की तिथि से)।
9. श्रमिक की कार्य के दौरान मृत्यु होने पर नामांकित/आश्रितों का मुआवजा/अनुग्रह राशि (पात्रता-पंजीकरण की तिथि से)।
10. श्रमिक की प्राकृतिक मृत्यु होने पर नामांकित/आश्रित सदस्य को मृत्यु मुआवजा/अनुग्रह राशि (पात्रता-पंजीकरण की तिथि से)।
11. श्रमिक की मृत्यु पर अन्त्येष्टि के लिए वित्तीय सहायता (पात्रता-पंजीकरण की तिथि से)।

12. औजार खरीदने के लिए ऋण (पात्रता–पंजीकरण की तिथि से)।

13. औजार खरीदने के लिए अनुदान (5 वर्ष में एक बार) (पात्रता–एक वर्ष की सदस्यता)।

14. शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता (पात्रता–(i) से (iii) पंजीकरण की तिथि से एवं (iv) से (vii) तक एक वर्ष से अधिक की सदस्यता।

(i) कक्षा–1 से 8 तक 100/– रु. प्रति माह (रुपए 1200/– वार्षिक)।

(ii) कक्षा–9 से 10 तक 200/– रु. प्रति माह (रुपए 2400/– वार्षिक)।

(iii) कक्षा–11 से 12 तक 500/– रु. प्रति माह (रुपए 6000/– वार्षिक)।

(iv) स्नातक स्तर 1500/– रु. प्रति माह (रुपए 18000/– वार्षिक)।

(v) आई टी आई पाठ्यक्रम 1500/– प्रति माह (रुपए 18000/– वार्षिक)।

(vi) पालिटैकनिक डिप्लोमा (तीन वर्ष) पाठ्यक्रम 2500/– प्रति माह (रुपए 30000/– वार्षिक)।

(vii) टैकनिकल पाठयक्रम जैसे इंजीनियरिंग, (मेडिसन), एम.बी.ए. 5000/– प्रति माह (रुपए 60000/– वार्षिक)।

15. राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के लाभ (पात्रता– पंजीकरण की तिथि से)।

16. पंजीकृत श्रमिकों व उनके परिवार के सदस्यों को व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना नियम 283 (पात्रता– पंजीकरण की तिथि से)।

17. पंजीकत श्रमिकों व उनके परिवार के सदस्यों के कौशल विकास के लिए निर्माण अकादमी की स्थापना करना।

18. पंजीकत श्रमिकों को उपयोगिता की वस्तुएं उपलब्ध कराना।

संलग्नक-ग

औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947

क. प्राप्त की गई शिकायतों की संख्या - 9189

ख. विवाद जो श्रम न्यायालयों को भेजे गये - 9975

ग. 13,80,72,859 राशि कर्मचारियों को वैधानिक देय के रूप में दिलाई गई।

घ. 5447 कर्मचारी लाभन्वित हुए।

ङ लम्बित शिकायतों की संख्या-2313 है।

दिल्ली दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम-1954

क. प्राप्त कर गई शिकायतों की संख्या - 7377

ख. 1,94,56,582 राशि कर्मचारियों को वैधानिक देय के रूप में दिलाई गई।

ग. 1123 कर्मचारी लाभन्वित हुए।

घ. लम्बित शिकायतों की संख्या-3029 है।

न्यूनतम वेतन अधिनियम-1948

क. प्राप्त की गई शिकायतों की संख्या-26,738

ख. 2,50,00,641 राशि कर्मचारियों को वैधानिक देय के रूप में दिलाई गई।

ग. 21,979 कर्मचारी लाभन्वित हुए।

घ. लम्बित शिकायतों की संख्या-773 है।

बोनस अधिनियम-1965

क. प्राप्त की गई शिकायतों की संख्या-1145

ख. 88,07,672 राशि कर्मचारियों को वैधानिक देय के रूप में दिलाई गई।

ग. 1150 कर्मचारी लाभन्वित हुए।

घ. लम्बित शिकायतों की संख्या-34

संलग्नक-घ

श्रम अधिनियमों के अंतर्गत किये गये चालानों का विवरण

	अधिनियम	**चालान/अभियोजन**
क	न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948	852
ख	कारखाना अधिनियम-1948	635
ग	बाल श्रम अधिनियम-1986	(i) 449 (श्रमविभाग) (ii) 1283 दिल्ली पुलिस के द्वारा (iii) 457 गिरफ्तारियां और संस्थान भी सील किये गये।

श्री राजेश गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने बड़े विस्तार से उत्तर दिया। मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि अगर मंत्री जी यह बता पायें कि दिल्ली में इस वक्त कितने ईएसआई अस्पताल हैं और उनमें मजदूरों के जो बिस्तर हैं, उसका क्या अनुपात है और इसके अलावा क्या निकट भविष्य में क्या सरकार की केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ मिलकर क्या कोई ईएसआई अस्पताल खोलने की कोई योजना है?

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी।

परिवहन मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि यह डिटेल हम लिखित में आपको पहुंचा देंगे। तक ये है, इसमें हम लोगों का जरूर प्रावधान है कि जो कांट्रेक्ट वर्कर हैं, उनके लिए भी हम लोग सोच रहे हैं कि उनके लिए विशेष तौर पर क्योंकि गरीब खास तौर से जब अस्पतालों में जाते हैं, तो उनके लिए बेड मुहैया होना बहुत कठिन काम होता है। तो हम लोग ये प्रावधान सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं कि आगामी दिनों में जो हमारे पास फण्ड है, उसके द्वारा भी कुछ स्पेशल खास तौर से मजदूरों के लिए डेडिकेटिड इस तरह के अस्पताल बनें, जहां उनका इलाज हो सके, केन्द्र सरकार और स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ भी मिलकर, उनके स्वास्थ्य के लिए जिन योजनाओं की जरूरत पड़ेगी, उस पर हम पहल कदमी करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : धन्यवाद।

श्री सौरभ भारद्वाज : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से मंत्री जी से एक पूरक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि लेबर कमिश्नर के लेबल पर तो मजदूरों को रिलीफ मिल जाता है, मगर जो ऑर्गनाइजेशन्स होते हैं, तो अधिकतर मामलों में ज्यादातर अपील में हाई कोर्ट चली जाती हैं, और उस वक्त जो मजदूर होते हैं, वो काफी ज्यादा असहाय हो जाते हैं क्योंकि हाई कोर्ट के लेबल की न तो वे वकील कर पाते हैं, न फीस कर पाते हैं। तो मेरी ये गुजारिश है कि सरकार इस दिशा में भी कुछ सोचे और इस दिशा में कुछ प्रावधान बनाये।

परिवहन मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की तरफ से अच्छा सुझाव आया है। अभी भी क्या है कि हाई कोर्ट के स्तर की बात छोडिए, निचले लेबल पर भी दिल्ली के अंदर कुछ अदालतों में ही श्रम विभाग के मामले सुने जाते हैं। पिछले दिनों हमने मुख्यमंत्री जी से इस बात पर चर्चा की है कि एक इस तरह का प्रावधान किया जाये कि दिल्ली के सभी न्यायालयों में श्रम विभाग से संबंधित जो समस्याएं आती हैं, उनका निपटारा हो सके जिससे मजदूर को सहूलियत मिल सके। क्योंकि नजफगढ़ से, नरेला से एक मजदूर को न्यायालय में आकर अपनी पैरवी करने में काफी दिक्कतें होती हैं। उसके साथ-साथ हम लोग जरूर इस पर विचार करेंगे कि जो मजदूर अपनी पैरवी नहीं कर पाते हैं, उनके लिए पैरवी करने के लिए निशुल्क वकील मुहैया हो सकें, आगामी समय में निश्चित रूप से हम इस पर विचार करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : धन्यवाद।

श्री राजेन्द्र पाल गौतम : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से एक पूरक प्रश्न पूछना चाहता हूं..

अध्यक्ष महोदय : यह अंतिम पूरक प्रश्न होगा।

श्री राजेन्द्र पाल गौतम : जितने भी सरकारी होस्पिटल्स हैं, वहां ठेकेदार के थ्रू एन.ओ. और स्क्यिूरिटी गार्ड वगैरह रखे हुए हैं, सफाई कर्मचारी रखे हुए हैं, लेकिन ऐसा काफी मात्रा में देखने में आया है कि कॉन्ट्रक्टर उनको पूरे पैसे तो छोड़िये, आधे पैसे भी नहीं देता और साईन पूरे पैसे पर कराता है। तो इसके बारे में उनको कोई सजा का प्रावधान क्या मंत्री जी इस पर सरकार विचार कर रहे है?

परिवहन मंत्री : अध्यक्ष महोदय, यह दिल्ली के अन्दर यह एक बहुत विकराल समस्या पैदा हो चुकी है। अध्यक्ष महोदय, अभी जो कानून है। उस कानून के तहत जो डिस्ट्रिक्ट लेबर कमिश्नर है, डी.एलसी. जो है उनके पास जो अधिकार हैं, वो अगर कोई कान्ट्रेक्टर की अगर इस तरह की शिकायत आती है और अगर वो उनको न्यूनतम मजदूरी नहीं दे रहा है। मान लीजिए कि अगर 8000/- रुपए उनकी तनख्वाह बनती है और वो 6000/- रुपए उनको देता है तो डिस्ट्रिक्ट लेबर कमिश्नर के पास प्रूफ होने पर यह अधिकार है कि उसे 10 गुणा ज्यादा पेनेल्टी लगायेगा। यानि की 2000/- रुपए उसने नहीं दिया है तो उसे 20 हजार रुपए पेनेल्टी के रूप में देना पड़ेगा। लेकिन उसके आगे उसके पास अधिकार नहीं है। उसे फिर आगे की कोर्ट में ले जाना पड़ता है, उस केस को भेजना पड़ता है। और अभी तक

का जो कानून है। उसके अनुसार अगर वो दोषी पाया गया तो उसे सिर्फ 500/- रुपए जुर्माना और छह महीने की सजा का प्रावधान है। हमारी सरकार की तरफ से जो प्रस्ताव बन रहा है कि इस जो सजा का प्रावधान है और जुर्माने का प्रावधान है इसे काफी हम सख्त करके आगामी दिनों में हम इस सदन के अन्दर प्रस्ताव लेकर के आयेंगे और ऐसा कड़ा कानून हम बनाना चाहते हैं कि दिल्ली के अन्दर किसी मजदूर का एक रुपया जब्त करने की हिम्मत किसी ठेकेदार की न हो। ये हम काननू लेकर जल्दी ही आएंगे आपके पास।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 23 एस.के. बग्गा जी।

श्री एस.के. बग्गा : प्रश्न संख्या 23 प्रस्तुत है।

क्या **विधि एवं न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

(क) दिल्ली जल बोर्ड को वर्ष 2014-15 एवं 10.06.2015 तक के दौरान पानी के बिलों के बारे में कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं।

(ख) क्या यह भी सत्य है कि पानी के बिलों की राशि अत्यधिक है; और

(ग) कुल कितनी शिकायतों का निपटान किया गया, तथा कितनी शिकायतें लम्बित है, इसका पूर्ण ब्यौरा क्या है;

अध्यक्ष महोदय : कानून मंत्री जी;

विधि एवं न्याय मंत्री (श्री कपिल मिश्रा) : प्रश्न संख्या 23 का उत्तर प्रस्तुत है:-

(क) वर्ष 2014-15 के दौरान 6997 शिकायतें व 01.04.2015 से 10.06.2015 के दौरान 6162 शिकायतें दिल्ली जल बोर्ड के राजस्व विभाग में पंजीकृत हुई हैं। इनमें वे शिकायतें भी है जो राजस्व विभाग द्वारा 02.05.2015 से 31.05.2015 तक विभिन्न श्रेत्रीय राजस्व कार्यालयों में आयोजित विशेष कैम्पों में पंजीकृत हुईं।

(ख) ऐसा नहीं है। पानी के बिल रिडिंग या औसत के अनुसार तय दरों के अनुरूप ही भेजे जाते हैं।

(ग) 12197 शिकायतो ंका निपटान किया गया है और 962 शिकायतें लम्बित हैं जिन पर कार्रवाई की जा रही है व इन्हें भी जल्द ही निपटाने का प्रयत्न किया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय : सप्लीमैंटरी कोई।

श्री एस.के. बग्गा : मैं मुख्य मंत्री जी व उप-मुख्य मंत्री श्री मनीष सिसोदिया जी का और कपिल मिश्रा जी और पूरी दिल्ली सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि हाल ही में पीछे जनता को बिलों में छूट प्रदान की है। इससे पूरी दिल्ली की जनता को राहत मिली है। supplementary question no.1 क्या ये सच है कि पानी के मीटर रीडर physically meter check करने नहीं आते और अनुमानित रिडिंग भरकर बिल भेज देते है, सरकार इस पर क्या कदम उठा रही है?

विधि एवं न्याय मंत्री : कई जगहों पर देखा गया है कि औसत से अगर मीटर लॉक अप है, घर में कोई नहीं है या कुछ लोग मिलते नहीं है तो औसत से रीडिंग दी जाती है बिल दिया जाता है। उसके अलावा भी जरूर कई सदस्यों

से शिकायत आई है कि बिल औसत से आ रहे हैं। जहां पर मीटर रीडर जा सकते थे, वहां पर भी। इसके ऊपर कार्रवाई कर रहे है और शीघ्र ही नए तरीके से रीडिंग की शुरूआत करने से जा रहे हैं। जिसमें ये भी है कि उपभोक्ता खुद ही अपने मीटर की रिडिंग लेकर खुद ही अपना ऑन लाईन बिल जमा करा दे। उस प्रकार की एक योजना लाने के लिए सरकार आगे बढ़ रही है।

श्री एस.के. बग्गा : क्या यह सच है कि झुग्गी क्लस्टर व resettlement कॉलोनी में रहने वाले गरीब अपने रोजगार के लिए कुछ छोटी चाय पानी की दुकानें कर ली हैं। उनके बिल comercial आ रहे हैं। ये सच है तो सरकार इन बिलों को commercial न आएं, इसके लिए क्या विचार कर रही है?

विधि एवं न्याय मंत्री: commercial की जो हमारी categories हैं, उन पर पुर्नविचार किया जा रहा है और आने वाले कुछ दिनों में मेरे ही कार्यालय में इसके बारे में एक मिटिंग बुलाई गई है। जिसमें हम commercial की अलग-अलग category को दोबार रिव्यू करेंगे।

श्री एस.के. बग्गा : अन्य कॉलोनियों में भी lower middle और मिडिल क्लास के लोग छोटी मोटी दुकानें कर ली है उनके पानी के बिल commercial भेजे जा रहे हैं। जबकि पानी का इस्तेमाल इन दुकानों में नहीं होता। इसके लिए सरकार क्या विचार कर रही है?

विधि एवं न्याय मंत्री : इसका जवाब भी पहले वाले जवाब में ही शामिल है।

अध्यक्ष महोदय : धन्यवाद। सोमनाथ जी।

श्री सोमनाथ भारती : पूरी दिल्ली के अन्दर एक बहुत बड़ी मुसीबत है कि जिन-जिन बिल्डिंग के अन्दर छह से ज्यादा फ्लेट्स है उनको independent connection नहीं दिया जा रहा है। एम.सी.डी. के करप्शन के चक्कर में लोग बहुत ही इस से आहत है। बिल्डिग तो बन जाती है, फ्लैट्स बन जाते हैं। कई फ्लैट्स बन गए और पानी के कनेक्शन उनको नहीं मिल पा रहा है। तो ये जो सामन्जस्य बिठाने की जरूरत है, उसके ऊपर क्या चल रहा है? मंत्री जी बताने की कृपा करें।

विधि एवं न्याय मंत्री : दो प्रकार के policy matter है इसमें। एक तो commercial meter वाला था उसके अलावा भी दो प्रकार के पॉलिसी मैटर है जो Group Housing Society से सम्बन्धित है और जो बिल्डर अपार्टमेंट जहां एक ही प्लाट में छह से ज्यादा फ्लैट बना के बिल्डर बेचते हैं। उसमें एक तो पानी की लाइन के ऊपर एक लाइन में कितने ज्यादा होल करके कितने ज्यादा कनेक्शन दिये जा सकते है, उसकी क्या सीमा है। और उसके अलावा भी बिलिंग के ऊपर भी, उसके ऊपर भी विचार किया जा रहा है इन सभी पॉलिसी के मुद्दों पर मेरे कार्यालय में मीटिंग बुलाई गई है और अगले बोर्ड की मीटिंग से इसमें कुछ परिवर्तन जरूर देख पाएंगे।

अध्यक्ष महोदय : विशेष रवि जी।

श्री विशेष रवि : अध्यक्ष महोदय, पिछले दिनों जो एक rebate की स्कीम निकली थी, दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से उसमें सिर्फ जो ब्याज था उस पर छूट दी गई थी। अभी ऐसी बहुत बड़ी संख्या है, दिल्ली के अन्दर जिनके पास बकाया राशि बहुत ज्यादा है। 60-60, 70-70 हजार रुपए है। और वो लोग चाहते है इसको

एक बार खत्म करके सरकार की तरफ से कोई स्कीम निकले, उसे खत्म करके जो सरकार ने ये सुविधा दी है 20 हजार लीटर मुफ्त पानी की वो चाहते है कि उसे खत्म करके वो भी mainstream में आ जाएं। और अपना इस सुविधा का लाभ उठाएं। प्रश्न है कि क्या सरकार ऐसी कोई स्कीम जल्द हाल ही में निकालने वाली है।

विधि एवं न्याय मंत्री: Late payment surcharge अध्यक्ष महोदय, अभी कम किया गया था एक महीने के लिए और इसमें काफी बड़ी संख्या में लोगों ने अपने पुराने बिल कराए है। इस वक्त जल बोर्ड के द्वारा पानी के कनेक्शन और सीवर के कनेक्शन पर बहुत बड़ी छूट दी गई है। ऐतिहासिक छूट दी गई है। जिसके लिए अभी कैम्प लगेंगे जगह-जगह। एक बार जब यह पूरी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो बिल को लेकर एक बार दोबारा नई नीति होनी चाहिए, योजना होनी चाहिए तो उसके ऊपर भी विचार किया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय : जगदीश प्रधान जी।

श्री जगदीश प्रधान : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से दिल्ली जल बोर्ड के अध्यक्ष और मंत्री से जानना चाहूंगा कि जिन कॉलोनी के अन्दर या जो residents ने पानी के कनेक्शन ले रखे हैं और वहां पानी एक बूंद आता नहीं है। और उनके बिल भेजे जा रहे है क्या उन पर कोई संज्ञान लिया है। दूसरा...

अध्यक्ष महोदय : बस एक ही question।

श्री जगदीश प्रधान : सर इसी में जोड़ देता हूं। एक शिकायत की बात इसमें आई है। शिकायत का क्या निपटान हुआ। अभी एक महीने पहले जब हमारी शिकायत न सुनी और जल बोर्ड के सी.ई.ओ. साहब से फोन करवाया हमने कि एक टेंकर पानी।

अध्यक्ष महोदय : वो बात आपने पहले रख दी थी प्लीज।

श्री जगदीश प्रधान : जल बोर्ड के सी.ई.ओ. साहब ने फोन किया इमरजेंसी में कि मुझे एक टैंकर पानी चाहिए। तो मेरी शिकायत का अलाट नं. देखा क्या है। तो उन्होंने कहा 90 शिकायत यहां आ चुकी हैं और आपका नं. 67वां है।

अध्यक्ष महोदय : question क्या है question पूछिए।

श्री जगदीश प्रधान : सर, वो पूछ रहा हूं कि वो पानी का टैंकर आज तक नहीं आया।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी।

विधि एवं न्याय मंत्री : पहला वाला सवाल क्या था सर का

अध्यक्ष महोदय : पहला उन्होंने पूछा था कि जिन कॉलोनियों पानी के कनेक्शन है, उनमें पानी नहीं आ रहा है।

विधि एवं न्याय मंत्री : तो इसमें तीन चीजें है, एक तो बिना पानी के बिल उसमें बिल में से जो बेसिक चार्जेज होते है मीटर के और अब जो माननीय उच्चतम न्यायालय की तरफ से भी एक एनजीटी की तरफ से जो चार्ज है वे तो उसमें जुड़ेंगे ही। वो तो उच्चतम न्यायालय का आदेश है और हम सभी बाध्यकारी है। उतना तो आएगा। लेकिन उसके अलावा तो 20 हजार लीटर तक वैसे भी पानी का कोई बिल नहीं आ रहा है। तो सदन में यह जानकारी रखना चाहता हूं। और दूसरा जो इनका सवाल था मुझे लगता है यह सवाल से सम्बन्धित नहीं है। तो उसके बारे में हम अलग से बात कर सकते है।

अध्यक्ष महोदय : श्री जगदीश प्रधान जी।

अध्यक्ष महोदय : श्री जगदीश प्रधान जी, प्रश्न संख्या 24

श्री जगदीश प्रधान : सर, प्रश्न संख्या 24 प्रस्तुत है,

क्या **स्वास्थ्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सत्य है कि वजीराबाद रोड, भजनपुरा रेडलाइट पर एक फ्लाइ ओवर बनाने की कोई योजना थी;

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना अब तक क्रियान्वित न होने के क्या कारण है;

(ग) क्या उक्त योजना का क्रियान्वयन प्रारंभ होगा; और

(घ) यदि हां, तो कब तक?

अध्यक्ष महोदय : स्वास्थ्य मंत्री जी।

स्वास्थ्य मंत्री (श्री सत्येन्द्र जैन) : अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से प्रश्न संख्या 24 का जवाब प्रस्तुत है–

(क) जी हां, लोक निर्माण विभाग ने मंगल पांडे मार्ग पर खजूरी खास से भोपुरा बार्डर तक एक ओर के गलियारे के निर्माण के लिए व्यापक योजना बनाई है जिसमें भजनपुरा लाल बत्ती पर भी फ्लाइओवर का निर्माण प्रस्तावित है,

(ख) पीडब्लूडी के द्वारा बनाई गई योजना को यूटीटीआईपीइसी, डीडीए की जो संस्था है उसमें पास कराने के लिए भेजा जा चुका है,

(ग) और (घ) यूटीटीआईपीइसी से सैशन होने के पश्चात डीयूएसी से सैशन

ली जाएगी और इन अनिवार्य मंजूरियों की प्राप्ति के बाद एस्टीमेटस बनाकर और एडमिनिसटेटिव अपरूवल लेकर इस काम को शुरू किया जाएगा। इसको पूरा करने में शुरू होने के बाद लगभग दो वर्ष का समय लगेगा।

अध्यक्ष महोदय : हां, जी जगदीश जी।

श्री जगदीश प्रधान : ठीक है, सर।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है धन्यवाद। प्रश्न संख्या 25 नितिन त्यागी जी।

श्री नितिन त्यागी : अध्यक्ष जी, आपकी अनुमति से प्रश्न संख्या 25 सदन के पटल पर रखता हूं।

क्या **उपमुख्यमंत्री** जी यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) यमुनापार क्षेत्र में कितने कॉलेज कहां-कहां पर स्थित हैं तथा उनके नाम क्या हैं;

(ख) क्या लक्ष्मी नगर विधान सभा क्षेत्र सहित यमुनापार की वर्तमान जनसंख्या के अनुपात में उक्त कॉलेजों की संख्या पर्याप्त है;

(ग) क्या बढ़ती जनसंख्या तथा बेहतर उच्च शिक्षा के दृष्टिगत उक्त क्षेत्र में नए कॉलेज खोलने की कोई योजना है; और

(घ) यदि हां, तो उक्त योजना का विवरण क्या है?

अध्यक्ष महोदय : माननीय उपमुख्यमंत्री जी।

उपमुख्यमंत्री (श्री मनीष सिसोदिया) : अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से

प्रश्न संख्या–25 का जवाब प्रस्तुत है–

(क) यमुनापार क्षेत्र में 17 कॉलेज और 7 अन्य संस्थान है शिक्षण संस्थान। इसके अतिरिक्त एक बहुकला व्यवसायिक स्नातक संस्थान भी है, इनकी पूरी सूची संलग्न है,

क. दिल्ली विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले कॉलेज:–

1. श्याम लाल कॉलेज, शाहदरा, दिल्ली–32

2. विवेकानन्द कॉलेज, विवेक विहार, दिल्ली–95

3. बी.आर. अम्बेडकर कॉलेज, मैन वजीराबाद रोड यमुना विहार, दिल्ली–53

4. महाराजा अग्रसेन कॉलेज, वसुन्धरा एन्कलेव, दिल्ली–96

5. महर्षि वाल्मिकी कॉलेज ऑफ एजूकेशन, गीताकॉलोनी, दिल्ली–31

6. शहीद राजगुरू कॉलेज ऑफ अप्लाईड साइंस फॉरवूमेन, वसुन्धरा (निकट) चिल्ला स्पोर्ट्स, कॉम्पलैक्स, नई दिल्ली–96

7. शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनैस स्ट्डीज, झिलमिल कॉलोनी, विवेक विहार, दिल्ली–95

8. यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस एंड जी.टी.बी. अस्पताल, शाहदरा दिल्ली–32

ख यमुनापार में गुरू गोबिन्द सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले कॉलेज निम्नलिखित है:–

1. अम्बेडकर इंस्टीटयूट ऑफ टेकनॉलोनी दिल्ली-31

2. भाई परमानन्द इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस स्ट्डीज, शकरपुर दिल्ली-92

3. गुरू राम दास कॉलेज ऑफ एजुकेशन, ज्योति नगर, शाहदरा, दिल्ली-32

4. आईडियल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेकनोलोजी, कड़कड़डूमा इंडस्ट्रियल एरिया, दिल्ली-92

5. मदर टेरेसा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, प्रीत विहार दिल्ली-92

6. नोर्दन इंडिया इंजीनियरिंग कॉलेज, शास्त्री पार्क नियर पुस्ता, दिल्ली-32

7. सेंट लॉरेंस कॉलेज ऑफ हायर एजूकेशन, गीता कॉलोनी दिल्ली-32

8. अमर ज्योति रिहेबीलिटेशन एंड रिसर्च सैन्टर कड़कड़डूमा दिल्ली-92

9. अम्बेडकर इंटीग्रेटिड इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेकनोलोजी, शकरपुर दिल्ली-92

ग. अन्य संस्थान:—

1. डायट, बाबू राम स्कूल कॉम्पलैक्स, भोलानाथ नगर, शाहदरा, दिल्ली

2. डायट, दिलशाद गार्डन, दिल्ली

3. डायट, कड़कड़डूमा दिल्ली

4. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग, दिल्ली

5. लवली टीचर टेनिंग डंस्टीट्यूट प्रियदर्शनी विहार दिल्ली

6. ऋषभ इंस्टीट्यूट मयूर विहार दिल्ली

7. सांई इंस्टीट्यूट फॉर गर्ल्स गीता कॉलोनी दिल्ली

घ बहुकला संस्थान:—

1. अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेकनॉलोजी, शहरपुर, दिल्ली (जो पहले अम्बेडकर पॉलीटेकनिक के नाम से जाना जाता था)

(घ) वर्तमान मं आई.पी. यूनिवर्सिटी का पूर्वी परिसर 18.75 एकड़ में सूरजमल विहार में बनाया जा रहा है। इस परिसर में आर्किटेक्चर स्कूल ऑफ डिजायन स्थापित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त उत्तर पूर्व में एक नई बहुकला संस्थान का अनुमोदन हुआ है, जिसके लिए जमीन चिन्हित करने की प्रक्रिया आरंभ की गई है।

अध्यक्ष महोदय : हां, सप्लीमेंटरी नितिन जी।

श्री नितिन त्यागी : पहले सप्लीमेंटरी तो सर ये पूछना चाहूंगा कि पूर्वी दिल्ली में आखिरी डिग्री कॉलेज कब खुला था?

उपमुख्यमंत्री : इसकी सूचना उपलब्ध करा दी जाएगी, माननीय सदस्य को।

श्री नितिन त्यागी : अगला पूछता हूं। 17 साल में पूर्वी दिल्ली में एक भी नया डिग्री कॉलेज जबकि उसके अनुपात में हमारी जनसंख्या पूरी दिल्ली में बहुत बढ़ी है, वर्टिकली पूरी दिल्ली खड़ा हो रहा है। एक भी नया डिग्री कॉलेज न खुलने के पीछे क्या कारण है। कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा और क्या हमारी प्रजेंट सरकार इसके लिए कुछ करेगी?

उपमुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, पूर्वी दिल्ली में जनसंख्या काफी हैं और हायर एजुकेशन की जरूरतें हैं, इसीलिए आईपी यूनिवर्सिटी का जो ईस्ट दिल्ली सेंटर बन रहा है और उसके अलावा भी जहां-जहां क्योंकि वहां जमीन की बहुत समस्या है। जमीन जैसे-जैसे उपलब्ध होगी वहां सरकार नए कॉलेज खोलने का विचार कर रही है। उसमें स्किल कॉलेज खोलने का भी विचार कर रही है। उनको भी इसमें शामिल किया जाएगा।**...(व्यवधान)**

श्री नितिन त्यागी : आईपी यूनिवर्सिटी का जो कैम्पस ईस्ट दिल्ली में बन रहा है, पिछले साल वहां पर बड़ा फोटो शूट हुआ था कि नींव रख दी गई है, सब कुछ हुआ है। उसमें आज तक कितने पैसे अप्रूव किए गए थे और कब किए गए थे और कितने दिए गए हैं, आज तक उसमें क्या खर्चा हुआ है और फिलहाल उस यूनिवर्सिटी को लेकर हमारी सरकार का क्या स्टैंड है और कितना पैसा वो दे रहे हैं इस बजट में उसके बारे में बताएं?

उपमुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, बजट प्रस्तावों में इसके लिए 271 करोड़ रुपए का प्रावधान है। आपकी सूचना के लिए मैं बताना चाहता हूं कि कल ओम प्रकाश जी ने बताया था। फोटो खुद वो लेकर ही आए है। फोटो खिंचवाने का तो इनकी पार्टी को वैसे ही शौक है। वो झाड़ू लगाते हुए भी फोटो खिचवा लेते है इतना प्रेम है झाड़ू लगाने से इनको।**...(व्यवधान)**

श्री ओम प्रकाश शर्मा : माननीय अध्यक्ष जी,**...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : एक सैकेंड, भाई साहब आप सप्लीमेंटरी के लिए हाथ खड़ा कीजिए।

उपमुख्यमंत्री : फोटो खिचवाने का तो इनको शौक इतना है अध्यक्ष जी, कि

अगर इनको कूड़ा साफ करते हुए फोटो खिचवाना है तो इनकी पार्टी के नेता पहले कूड़ा बिखर देते है बाद में फोटो खिचवा के चले जाते है तो फोटो शूट तो आराम से हो सकता है। फोटो तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन कुछ factual चीजें हैं। इस फोटो के पीछे का सच भी मैं बता देता हूं कि 2010 मार्च में...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : ओम प्रकश जी ये *** का शब्द निकाल दीजिए। नहीं, आप गलत शब्द बोल लीजिए।

श्री ओम प्रकाश शर्मा : गलत बोल रहे है...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : हां गलत शब्द बोल लीजिए लेकिन आप *** शब्द बोलते है *** शब्द असंसदीय है और मैं कई बार आपको टोक चुका हूं।

उपमुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, अभी तक पूर्वी परिसर के लिए मात्र पिछली सरकारों ने कुल छह करोड़ छियासी लाख रुपए दिए हैं और उसमें से मार्च 2000 में दिए गए थे और जिसका ये फोटो शूट लेकर घूम रहे हैं जिस साल का, उस साल केंद्र का शासन था दिल्ली में और जो राशि दी गई थी पूर्वी परिसर के लिए उसका आंकड़ा है शून्य, जीरो। अगर समझ में आता है तो। 2014-15 में president's Rule के दौरान पूर्वी परिसर को बनाने के लिए शून्य राशि दी गई वहां पर और देखिए अध्यक्ष महोदय,...**(व्यवधान)**... आपकी और सदन की सूचना के लिए मैं बता दूं कि अब डीडीए जो पूर्वी परिसर की जमीन है, उसकी कीमत भी बढ़ाकर मांगने लगा है। बोले, वो तो पहले डील हुई थी अब तो और नए रेल पर दो तो एक करोड़ चालीस लाख रुपए एकस्ट्रा मांगे जा रहे हैं पर एकड़ के हिसाब से तो ये इनका commitment है...**(व्यवधान)** हमारे premises में इसमें 271 से करोड़ से...**(व्यवधान)**

*** चिह्नित शब्द अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार सदन की कार्यवाही से निकाले गए।

अध्यक्ष महोदय : विजेंद्र जी, आप supplementary के लिए हाथ खड़ा करिए ना। एक सैकेंड़ रुक जाइये। जरा उनको जवाब पूरा कर लेने दीजिए।

उपमुख्यमंत्री : अध्यक्ष जी, हो गया।

अध्यक्ष महोदय : नितिन जी any supplementary that's all thank you नहीं मौका ओम प्रकाश जी को दूँ या आपको ओम प्रकाश जी का हाथ पहले खड़ा है।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : चलिए ओम प्रकाश जी को दे दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : श्री ओम प्रकश शर्मा।

श्री ओम प्रकाश शर्मा : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, पिछला जो बजट पार्लियामेंट में पेश हुआ उसका जो नंबर है 23, twenty three। गुरू गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय द्वारा पूर्वी दिल्ली में 285 करोड़ रुपए इसके लिए दिए गए और 14 दिसंबर 2014 इसका इन्युमरेश्न हुआ इसके अलावा लगातार जो पत्र व्यवहार यूनिवर्सिटी से हो रहा है, उसमें क्या-क्या चीज हो गई हैं, नक्शे उसके पास हो गए है, कब तक वो बनेगा, किसको उसका ठेका दिया जा रहा है तो ये असत्य भाषण जो सदन को गुमराह करने वाला माननीय उपमुख्यमंत्री जी कर रहे है, मेरा आपसे ये निवेदन है कि कृपया सदन को गुमराह ना करें और यदि आपको उससे वो है तो ये सरकारी कागज है, मेरा कागज नहीं है। ये दिल्ली सरकार, दिल्ली यूनिवर्सिटी का इंवीटेशन है और ये उस प्रोग्राम का फोटो है और यदि आप इनको भी सही नहीं मानते तो इसका मतलब ये है कि आपका जो डिपार्टमेंट है, वो आपको गलत सूचना दे रहा है और किसी मंत्री को उसका डिपार्टमेंट यदि गलत सूचना दे रहा है तो या तो...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : ओम प्रकाश जी आपका प्रश्न क्या है। आप भाषण दे रहे है। आप प्रश्न पूछिए ना।

श्री ओम प्रकाश शर्मा : प्रश्न क्या पूछूं? आप *** बोल रहे है।

अध्यक्ष महोदय : नहीं-नहीं। फिर आप *** का शब्द इस्तेमाल कर रहे है। मैं वार्निंग दे रहा हूं आपको।

श्री ओम प्रकाश शर्मा : नहीं वार्निंग क्यों दे रहे है।

अध्यक्ष महोदय : *** असंसदीय शब्द है।

श्री ओम प्रकाश शर्मा : तो असत्य बोल रहे है।

अध्यक्ष महोदय : हां, आप 'असत्य' बोलिए।

श्री ओम प्रकाश शर्मा : तो ये लीजिए फिर इसको।

अध्यक्ष महोदय : हां, आपने प्रश्न क्या पूछा। आपका प्रश्न क्या है ये बताइये।

श्री ओम प्रकाश शर्मा : आप असत्य भाषण कर रहे है, गुमराह कर रहे है सदन को।

अध्यक्ष महोदय : हो गया।

श्री ओम प्रकाश शर्मा : हो गया मतलब।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न हो गया आपका? प्रश्न क्या है, मैं ये पूछ रहा हूं।

*** चिह्नित शब्द अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार सदन की कार्यवाही से निकाले गए।

श्री ओम प्रकाश शर्मा : अध्यक्ष जी, ये बजट की कापी मेरे पास है। 285 करोड़ रुपए इसमें एलोकेशन किया गया है। आप लगातार असत्य भाषण कर रहे है और उपमुख्यमंत्री होकर सदन को गुमराह कर रहे है। ये कौन सा तरीका है **...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : एक सैकेंड माननीय उपमुख्यमंत्री जी। हो गया खत्म हो गया

श्री ओम प्रकाश शर्मा : खत्म कहां, अभी तो चालू हुआ है**...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : ओम प्रकाश जी एक जानकारी मैं देना चाह रहा हूं।

श्री ओम प्रकाश शर्मा : हां जी, इनको दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : देखा हुआ है, मैंने पढ़कर देखा है इसको। आप तो कल कह रहे थे मेरा भी फोटो है इसमें।

श्री ओम प्रकाश शर्मा : ये सरकारी इंवीटेशन, आपका भी फोटो है। ये भी ले लीजिए आप बजट की कापी। प्लीज पढ़ लीजिए आप, पढ़कर वापस दे देना। असत्य भाषण करते हैं और गुमराह करते है सदन को**...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय उपमुख्यमंत्री जी से, हालांकि मुझे इस चेयर से पूछने का अधिकार है या नहीं, मैं नहीं जानता। लेकिन मुझे, एक चीज जरूर जाननी है अपनी जानकारी के लिए। क्या वर्क आर्डर होने से पहले किसी भी संस्थान का, किसी बिल्डिंग का शिलान्यास किया जा सकता है?

उपमुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, अगर कूड़ा फैलाकर खिचवाए जा सकते हैं

तो कुछ भी किया जा सकता है। अगर कूड़ा ना होने पर, कूड़ा साफ करने के फोटो खिंचवाए जा सकते हैं तो कुछ भी हो सकता है ये फोटो छाप पार्टी वाले हैं ये कुछ भी कर सकते हैं।...**(व्यवधान)** मैं सदन की सूचना के लिए बता देता हूं अध्यक्ष महोदय, कि बजट में कुछ भी राशि रखवा लीजिए। फोटो में कुछ भी ...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : ओम प्रकाश जी बैठिए दो मिनट। अब सुन लीजिए। उत्तर दे रहे है। मैंने आपना प्रश्न पूछा उन्होंने उत्तर दिया। अब सुन लीजिए।

उपमुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं एक स्पष्टीकरण दे देता हूं क्योंकि बजट में क्या रखा गया है। फोटो कैसे खिचवाए गए, उद्घाटन हुआ, इंवीटेशन पर क्या लिखा गया। ये तो बहुत सारी चीजें हो सकती है। जो हकीकत है वो ये है कि पिछले साल पूर्वी परिसर को दिल्ली सरकार द्वारा जो केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही थी, शून्य राशि दी गई थी ये आंकड़ें हैं इनको झुठला नहीं सकते।

अध्यक्ष महोदय : राजेंद्र पाल जी।

श्री राजेंद्र पाल जी गौतम : अध्यक्ष जी,...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आपसे पहले, आप बाहर थे उस वक्त, मेरी बात सुन लो विजेंद्र जी। एक सैकेंड सुन लो ओम प्रकाश जी का हाथ उठा था पहले नंबर पर, उसके बाद राजेंद्र पाल जी का उठा था, अब उसके बाद आपका उठा हुआ है। मैं आपको दूंगा इस पर, ये लास्ट आपका रहेगा। बस बैठिए। एक सैकेंड, फोटो कापी नहीं है आपके पास।

श्री ओम प्रकाश शर्मा : मैं लाया हूं ना...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : ये लीजिए।

श्री राजेंद्र पाल जी गौतम : अध्यक्ष जी, शाहदरा डिस्ट्रिक में गगन सिनेमा के पास डीयूएसआईबी एक काफी बड़ी लैंड है जहां कॉलेज का निर्माण हो सकता है। कृपया उपमुख्यमंत्री जी जवाब दें कि क्या वो भी प्रायोजित है उसमें यूनिवर्सिटी का कोई कॉलेज खोलने का, या टैक्निकल कॉलेज खोलने का?

उपमुख्यमंत्री : इस प्रश्न से संबंधित नहीं है। इस पर अलग से विचार किया जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय : हां जी, विजेंद्र जी। अंतिम है ये इस विषय पर...**(व्यवधान)**

श्री विजेन्द्र गुप्ता : अध्यक्ष जी मुझे इस बात का खेद है कि मंत्री जी बजट में जो योजनायें हैं...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : विजेन्द्र जी इस विषय पर मेरा Request है आपसे। आप प्रश्न पूछिये।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : इसी विषय पर प्रश्न पूछ रहा हूं जी क्योंकि यह बजट के अंदर जो योजनायें आल रेडी सरफेस पर हैं, जिनपर काम हो रहा है, या जिन योजनाओं की घोषणा हो चुकी है। नये सिरे से इस बजट में जनता के समक्ष ये पेश करना कि हम 6 वर्किंग होस्टल्स बना रहे हैं। छह वर्किंग होस्टल्स की योजना तो 2014-15 के बजट की है।

अध्यक्ष महोदय : विजेन्द्र जी, मेरी बात सुनिये। विजेन्द्र जी ऐसा नहीं। कल जब बजट भाषण दे रहे थे आप। उसमें यह विषय रख चुके हैं आप।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : मैंने रखा तभी तो...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : वो देंगे, शाम को जवाब देंगे।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : शाम को जवाब देते न अभी जवाब दे रहे हैं। आपने अभी कहा न फोटो खिंचवाई। यह आपका बजट है कि नहीं है। यह 2014-2015 का दिल्ली सरकार का बजट है कि नहीं है। अगर यह 2014-2015 का दिल्ली सरकार का बजट है तो...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप कॉलेज और यूनिवसिर्टी ...**(व्यवधान)** विजेन्द्र जी। विजेन्द्र जी, ऐसे नहीं चलेगा।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : आपने 2015-16 में यह कहते कि यह योजना पर पिछले वर्ष काम शुरू हुआ...**(व्यवधान)**

सुश्री अलीका लाम्बा : अध्यक्ष महोदय, समस्या यह है कि योजनाएं तो, उनके उद्घाटन तो 20-20 साल से चल रहे थे यहां पर। हर साल बजट में बहुत सारी चीजें आती हैं। लेकिन पिछले साल जीरो रुपया दिया जाना इस बात का सबूत है कि इनकी मंशा क्या है और इनकी नीयत क्या है।

अध्यक्ष महोदय : विजेन्द्र जी, मैं किसी की बात सुनूं? आपकी सुनूं या ओम प्रकाश जी की। पहले तो डिसाइड कर लीजिये आप। अगर दोनों बोलेंगे तो माईक बन्द होगा।

...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : नहीं, ये कोई क्वैश्चन नहीं है। आप क्वैश्चन करने के बाद...**(व्यवधान)** आपकी इच्छा है। मैं जो आपसे कह रहा हूं।

...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : अब आप सुनेंगे मेरी बात। आपने प्रश्न किया, आप नीचे बैठ गये।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : जी।

अध्यक्ष महोदय : या नहीं बैठे, बता दीजिये।

...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : नहीं ऐसे नहीं चलेगा। बैठ गये न। उसके बाद माननीय मंत्री जी खड़े हुए, उत्तर देने के लिये। फिर आप खड़े हो गये, आप खड़े हुए, साथ में ओम प्रकाश जी। नहीं, नहीं। बैठिये आप। ऐसे नहीं चलेगा सदन। ऐसे सदन नहीं चल पायेगा। नहीं मैं यह थोड़ी कह रहा हूं। माननीय मंत्री जी, ऐसे नहीं चल पायेगा। माननीय मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं।

...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको पूरा मौका दिया। ओम प्रकाश जी को भी मौका दिया।

...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : मैंने पूरी व्यवस्था दे दी।

श्री ओम प्रकाश गुप्ता : क्या व्यवस्था दे दी

अध्यक्ष महोदय : सारी व्यवस्था मिल गई। चलिये। माननीय मंत्री जी।

उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष जी, हमको तो दिल्ली की जनता लाई इसलिये है क्योंकि यह 20 साल से, 25 से घोषणाओं पर घोषणायें कर जाते थे। हर बजट

में कुछ लिख देते थे जुमला पार्टी बन गई थी यह। तो जुमला पार्टी से, फोटोछाप पार्टी से मुक्ति दलाने के लिये दिल्ली की जनता हमको यहां लेकर आई है और दिल्ली की जनता पूरा जानती है कि इन्होंने पिछले 20 साल में बजटों में जो लिखा, एनाउंसमेंट्स में जो किया, उसको पूरा करके सिर्फ हम दिखा सकते हैं। 20 साल से यह लोग कह रहे थे कि नेताजी सुभाष इंस्टीट्यूट को यूनिवसिर्टी बनायेंगे, यूनिवसिर्टी बनायेंगे, नहीं बनाया। हमने आकर बना दिया। हम बजट में भी लिखेंगे। इन्होंने कहा कि हम 285 करोड़ देंगे, इन्होंने 285 करोड़ छोड़ दीजिये, 285 पैसे तक नहीं दिये। उसके लिये। 285 पैसा उन्होंने नहीं दिया, हम पैसा दे रहे हैं। हम पैसा दे रहे हैं, हम लिखेंगे। हम पैसा दे रहे हैं, हम लिखेंगे। अध्यक्ष महोदय। यह 20 पैसा तक नहीं देते हैं उसके लिये।...**(व्यवधान)** पिछले साल उसके लिये... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : ओम प्रकाश जी क्या हो रहा है यह। क्या हो रहा है यह ...**(व्यवधान)** ओम प्रकाश जी, मैं आपको प्रार्थना कर रहा हूं। बैठ जाइये। अगर आपको यह लगता है कि यह असत्य है...**(व्यवधान)**

श्री ओम प्रकाश शर्मा : बिल्कुल असत्य है ये...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आपके पास और तरीके हैं, आप कमेटी में लगाइये। ओम प्रकाश जी, मेरी बात सुनिये। मेरी बात सुनिये एक बार। एक सैकेंड। नितिन जी ...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : ओम प्रकाश जी आप इधर मुझसे बात करिये प्लीज। आपने कहा माननीय मंत्री जी सदन को गुमराह कर रहे हैं। असत्य बोल रहे हैं। अगर मंत्री कोई स्टेटमेंट विधान सभा में देता है, मेरी बात को समझ लीजिये। वो

एक तथ्य पर आधारित होती है। मेरी बात सुन लीजिये एक बार। ओम प्रकाश जी मेरी बात सुन लीजिये एक बार। मैं खड़ा हूं। मैं खड़ा हूं यहां पर। उप मुख्यमंत्री जी का स्टेटमेंट जो आया है उसमें यह माना जाता है कि सदन की परम्परा और नियम है खाली परम्परा नहीं कि वो असत्य नहीं हो सकता और आपने दस बार बोला है और अगर आपको लगता है कि असत्य है तो इसके बहुत रास्ते हैं। आप कमेटी में रखिये, धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : चौधरी फतेह सिंह जी।

चौधरी फतेह सिंह : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 26 प्रस्तुत है:—

क्या **विधि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) यमुनापार में सिग्नेचर ब्रिज बनाने के लिये गत सरकारों के कार्यकाल के दौरान प्रारंभ में कितनी धनराशि का प्रावधान किया गया था;

(ख) वर्तमान में कितनी धनराशि खर्च होने का अनुमान है;

(ग) उक्त पुल को पूरा करने के लिये आरंभ में कितनी समय अवधि तय की गई थी;

(घ) यह कब तक बनकर तैयार हो जायेगा तथा जनता के लिये खोल दिया जायेगा; और

(ङ) अब तक कुल कितनी धनराशि इस पुल के निर्माण कार्य पर खर्च हो चुकी है?

अध्यक्ष महोदय : माननीय विधि मंत्री जी। अब कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा।

विधि एवं न्याय मंत्री : अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से प्रश्न संख्या 26 प्रस्तुत है:–

(क) गत सरकार द्वारा पुल व एप्रोच के लिये रुपये 1131 करोड़ धनराशि का प्रावधान किया गया था।

(ख) कार्य की समाप्ति जून, 2016 तक रुपये 1594 करोड़ धनराशि खर्च होने का अनुमान है।

(ग) उक्त पुल को पूरा करने के लिये 45 माह निर्धारित किये गये थे।

(घ) ये ब्रिज जून, 2016 तक बनकर तैयार होने की संभावना है।

(ङ) और आखिरी हिस्सा मई, 2015 तक एप्रोच व पुल पर रुपये 950 करोड़ खर्च हो चुके हैं।

अध्यक्ष महोदय : चौधरी फतेह सिंह जी, सप्लीमेन्ट्री।

चौधरी फतेह सिंह : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय से मैं पूछना चाहता हूं जो 45 माह की जो निर्धारित अवधि तय की गई थी क्या वह समय अवधि पूरी हो चुकी है, अगर हो चुकी है तो कब।

वित्त मंत्री : अध्यक्ष महोदय, इसको प्रारंभ करने की निर्धारित तिथि मार्च, 2010 व समापन तिथि दिसंबर, 2013 तक हो जानी चाहिये थी। पूरा समय से आगे निकल चुका है इसके लिये रिव्यू मीटिंग भी की थी। अभी जून, 2016 अगले साल तक पूरा होने की संभावना है।

चौधरी फतेह सिंह : निकालने के बाद जो धनराशि का अपव्यय है सिग्नेचर ब्रिज पर होना वाला है, क्या यह धनराशि दिल्ली की जनता की मेहनत की कमाई

नहीं थी। तो एक्सट्रा पैसा जो लग रहा है, वह कितना इस अवधि के दौरान लग रहा है।

विधि मंत्री : अध्यक्ष महोदय, परियोजना में देरी के प्रमुख कारण दो रहे । एक तो पेड़ को काटने की जो अनुमति थी वह 21 महीने के बाद मिली थी और दूसरा जो पी 23 नीव है उसको दोबरा डिजाइन करना पड़ा था। कुछ वहां पर अलग प्रकार की संरचना पाई गई थी, तो इसके कारण ये देर हुई है इसमें। कार्य की समाप्ति तक शुरू में जो बजट 1131 करोड़ रखा गया था, कार्य पूरा होने तक ऐसा अनुमान है कि 1594 करोड़ रुपये कुल मिलाकर खर्च होंगे।

चौधरी फतेह सिंह : 1594 करोड़ की जो राशि है क्या इसी में यह कार्य पूरा हो जायेगा।

विधि मंत्री : अध्यक्ष महोदय, इस वक्त जो लास्ट मीटिंग हुई थी अधिकारियों के साथ उसमें यह माना जा रहा है कि दो जून, 2016 तक इसी में यह कार्य पूरा हो जायेगा।

अध्यक्ष महोदय : इस पर कोई सप्लीमेंट्री है तो पूछ सकता है। हां जगदीश जी।

श्री जगदीश प्रधान : अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं मंत्री महोदय से कि जो सिग्नेचर ब्रिज बनाया जा रहा है जिस पर काफी पैसा खर्च हुआ उसी का एक पोर्ट खजूरी चौक के ऊपर बनाया गया है और जाम से निजात दिलाने के लिए वो फ्लाई ओवर बनाया गया था। मंत्री महोदय भी उसी क्षेत्र से निकलकर आते हैं और मैं भी वहीं से आता हूं रोजाना। और अभी पीछे उप मुख्यमंत्री जी को मैंने प्रार्थना करके वहां राउंड रखवाया था के यहां फ्लाई ओवर बनने के बावजूद भी जो जाम की स्थिति है वह दो-दो किलोमीटर लंबी लाइन लग जाती है क्या उसके नीचे अंडरपास बनाने की कोई योजना है।

विधि मंत्री : अध्यक्ष महोदय, यह इसी क्षेत्र का माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय ने दौरा भी किया था और इसके बारे में अध्ययन किया जा रहा है संबंधित एजेंसी द्वारा। लेकिन एक प्रश्न सिग्नेचर ब्रिज की परियोजना से संबंधित नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : सोमनाथ भारती जी। यह अंतिम है इस क्वैश्चन पर।

श्री सोमनाथ भारती : अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहता हूं मंत्री जी से कि ये बड़ा ही उम्दा प्रोजेक्ट है। इसमें जब मैं मंत्री था उस वक्त इलेक्ट्रीफिकेशन इसकी पूरी हमने सोलर एनर्जी से करी थी। तो क्या अभी भी वो सोलर एनर्जी से कर रहे हैं इलेक्ट्रीफिकेशन इसकी क्योंकि टूरिज्म हॉट स्पाट बनाने का इसका प्रयास चल रहा था।

विधि मंत्री : अध्यक्ष महोदय, इसमें टूरिज्म के लिये हॉट स्पाट बनाने के लिये एक बड़ा कार्य की परियोजना तैयार है लेकिन अभी वह धरातल पर आनी बाकी है और माननीय सदस्य की जो राय है जो शुरूआत उनके कार्यकाल में की गई थी, उसके बारे में जरूर एक बार दोबारा विचार किया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 27 सुश्री अलका लम्बा जी।

श्री अलका लाम्बा : धन्यवाद अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से प्रश्न नं. 27 सदन के पटल पर रखना चाहती हूं। धन्यवाद।

क्या **महिला एवं बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:-

(क) दिल्ली में कुल कितने वृद्धाश्रम हैं, उनकी कितनी क्षमता है और उनमें क्या-क्या सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं;

(ख) कितने नये वृद्धाश्रम बनाये जा रहे हैं तथा उनकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) सरकार द्वारा बाल भिक्षुओं के पुर्नवास एवं बाल शोषण को रोकने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं;

(घ) नये आंगनवाड़ी केन्द्र खोलने, उनमें दिये जा रहे भोजन की गुणवत्ता को सुधारने तथा आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ताओं के मानदेय में बढ़ोत्तरी के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं;

(ङ) वृद्धावस्था पेंशन का भुगतान समय पर किये जाने के संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी।

महिला एवं बाल विकास मंत्री : अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से प्रश्न संख्या 27 का उत्तर प्रस्तुत है:—

(क) दिल्ली सरकार द्वारा दो वृद्धाश्रम चलाये जा रहे हैं:—

1. बिंदापुर पॉकेट-4, द्वारका स्थित वृद्धाश्रम। बिंदापुर स्थित वृद्धाश्रम में सहवासी की कुल संख्या 59 है।

2. लामपुर स्थित वृद्धाश्रम, जिले गैर-सरकरी संस्था साझेदारी के तहत चला रही है। संस्था को वित्तीय सहायता दी जाती है। इन वृद्धाश्रमों में रहने, खाने-पीने, मनोरंजन व स्वास्थ्य संबंधी सभी सुविधायें नि:शुल्क दी जाती हैं। यहां कुल 50 सहवासियों के निवास की व्यवस्था है।

(ख) कुल 10 नये वृद्धाश्रम/ओल्ड एज होम बनाये जा रहे हैं। इनकी सूची, वर्तमान स्थिति सहित, संलग्न है।

Status of Proposed Old Age Homes of Department of Social Welfare

Sl. No.	Project, Area and Date of possession	Status	Estimate for construction as submitted by PWD	Date of completion/ delay
1	2	3	4	5
1.	Old Age Home Kanti Nagar 1550 Sqm. 14.07.2003	Duly approved Conceptual plan was provided to PWD on 07.023.2013. **PWD is to obtain statutory clearance from Local Authorities.**	Rs. 5,78,83,000	Construction will be started after getting necessary approvals of local authorities.
2.	Old Age Home Chitranjan Park 1239 Sqm. 27.07.2012	Duly approved Conceptual plan was provided to PWD on 27.07.2012. **PWD is to obtain statutory clearance from Local Authorities.**	Rs. 4,83,58,000	Construction will be started after getting necessary approvals of local authorities.
3.	Old Age Home Rohini Sec-4, 3575.67 Sqm. 18.03.1997	Duly approved Conceptual plan was provided to PWD on 03.09.2012. **MCD has approved the building plan. However, Minister for PWD has asked for new building plan. A D.O. letter from Minister for DSW and WCD has been sert to Minister for PWD with the request to get the construction started as per the already approved plan.**	Rs. 12,00,00,000	Construction will be started after getting necessary approvals local authorities.

1	2	3	4	5
4.	Old Age Home at Paschim Vihar 2265 Sqm. 10.07.2013	Duly approved conceptual plan provided to PWD on 28.11.2014. **PWD is to obtain statutory clearance from Local Authorities.**	No estimate received	Construction will be started after getting necessary approvals of local authorities.
5.	Old Age Home at Chhatarpur 2 Bigha 10 Biswa 23.07.2013	Duly approved conceptual plan provided to PWD on 28.11.2014. **PWD is to obtain statutory clearance from Local Authorities.**	No estimate received	Construction will be started after getting necessary approvals of local authorities.
6.	Old Age Home at Village-Wazirpur, Ashok Vihar 66 Sqm. 24.12.2013	Duly approved conceptual plan provided to PWD on 28.11.2014. **PWD is to obtain statutory clearance from Local Authorities.**	Rs. 2,85,00,000	Construction will be started after getting necessary approvals of local authorities.
7.	Old Age Home Geeta Colony 1027 Sqm. 24.11.2014	Possession taken from DDA on 24.11.2014. **PWD has already been requested to ask the Architect to prepare the building drawings in consultation with the department.** Estimate for project is not received from PWD yet.	No estimate received	Design has not been prepared/finalized yet.

1	2	3	4	5
8.	Old Age Home Janakpuri 1800 Sqm. 17.11.2014	Possession taken from DDA on 17.11.2014. **PWD has already been requested to ask the Architect to prepare the building drawings in consultation with the department.** Estimate for project is not received from PWD yet.	No estimate received	Design has not been prepared/finalized yet.
9.	Old Age Home Sarita Vihar 771 Sqm. 17.11.2014	Possession taken from DDA on 17.11.2014. **PWD has already been requested to ask the Architect to prepare the building drawings in consultation with the department.**	No estimate received	Design has not been prepared/finalized yet.
10.	Old Age Home Shakur Basti 2100 Sqm. Possession not taken yet	Since the plot is under litigation, on 26.11.2014 a joint visit of officials of DDA and SW Department was conducted to identify alternate site. DDA has to hand over the possession of land after ensuring that the same is free from litigation and encroachment.	NA	NA

(ग) सरकार द्वारा बाल भिक्षुओं के पुर्नवास एवं बाल शोषण को रोकने के लिये उठाये गये कदमों का विवरण निम्नानुसार है:- सरकार द्वारा 16 बाल गृह कार्यरत है जिसमें कि निराश्रित, अनाथ बालभिक्षु, अपरिपक्व, विपदाग्रस्त व विशेष संरक्षण की जरूरत वाले बच्चों को रखा जाता है। जिससे कि उनकी शिक्षा, मनोरंजन, आवास, चिकित्सा, भोजन आदि की सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।

इसके अतिरिक्त स्वयंसंवी संस्थाओं द्वारा 51 होम, 8 शेल्टर होम, एवं 10 ओपन शेल्टर होम संचालित हैं जिसके अंतर्गत बच्चों को शिक्षा मनोरंजन, आवास, चिकित्सा भोजन आदि की सुविधाएं दी जाती हैं।

तथा 8 बाल कल्याण समितियां भी कार्यरत हैं जो कि इन बच्चों के विषय में निर्णय लेने के लिये अंतिम प्राधिकारी नियुक्त हैं।

वर्ष 2015-16 में इसके अतिरिक्त शेल्टर होम स्थापित करने की योजना है, जिसके लिये स्टेट बजट में प्रावधान रखा गया है।

महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा Protection of children from sexual offences (POCSO) अधिनियम को भी लागू किया जा रहा है। जिसके अंतर्गत पुलिस अधिकारी, बाल कल्याण समितियों के सदस्यों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है कि इस अधिनियम के अंतर्गत आने वाले बच्चों को किस प्रकार संभला जाये।

इसके अतिरिक्त महिला एवं बाल विकास के द्वारा Child Protection Policy को भी लागू किया जा रहा हैं। जिससे की बच्चें की सुरक्षा एवं विकास को सुनिश्चित किया जा सकें।

(घ) महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 11150 आंगनवाड़ी

की केन्द्रों की स्वीकृति दिल्ली सरकार को प्रदान की गई है। जिसके अनुपालन में 10897 आंगनवाड़ी केन्द्र खोले जा चुके हैं। बाकी 253 आंगनवाड़ी केन्द्र को खोलने हेतु आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ताओं के चयन के संबंध में प्रस्ताव विचाराधीन है।

आंगनवाड़ी केन्द्रों में दिये जा रहे भोजन की गुणवत्ता को सुधारने हेतु विभाग द्वारा निम्न प्रयास किये जा रहे हैं:—

1. पर्यवेक्षक 7.00 बजे से 9.00 बजे तक स्वयं सहायता समूहों की रसोई जिसमें लाभान्वितों के वितरण हेतु भोजन तैयार किया जाता है, में ही रहती है जिससे वह सुबह स्वच्छता एवं निर्धारित मापदंडों के अनुसार खाना बनाने एवं वितरण की प्रक्रिया का निरीक्षण कर सकें।

2. खाने की गुणवत्ता को चैक कराने के लिये पहले सिर्फ एक प्रयोगशाला में सैम्पल भेजे जाते थे जिसे बढ़ाकर अब पांच कर दिये गये हैं।

3. आंगनवाड़ी से सैम्पल पहले परियोजना अधिकारी द्वारा प्रयोगशाला में भेजे जाते थे परंतु अब प्रयोगशाला के अधिकारियों द्वारा ही आंगनवाड़ी से सैम्पल उठाया जाता है।

4. हर परियोजना में पोषाहार के निर्धारित मापदंडों को सुनिश्चित कराने के लिये प्रत्येक माह में दो सैम्पल का प्रयोगशाला में भेजना आवश्यक कर दिया गया है।

5. इसके अतिरिक्त मुख्यालय के अधिकारियों द्वारा भी निरीक्षण के दौरान खाने के सैम्पल आंगनवाड़ी से प्रयोगशाला में टैस्ट कराने के लिये भेजे जाते हैं।

वित्त एवं योजना विभाग, दिल्ली सरकार को इस वित्तीय वर्ष में आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ताओं के मानदेय में 1000 रुपये प्रतिमाह की बढ़ोत्तरी अर्थात् 5000 रुपये प्रतिमाह से 6000 रुपये प्रतिमाह करने की साध्यता हेतु प्रस्तावित किया गया है। अनुमोदन के उपरांत मानदेय में बढ़ोत्तरी कर दी जायेगी।

सभी लाभार्थियों को समय पर पेंशन दिया जा रहा है। केवल 60-69 आयु वर्ग के पेंशनधारियों की जांच प्रक्रिया के दौरान जो लाभार्थी अपने दिये गये पते पर नहीं पाये गये अथवा जिन लाभार्थियों ने विभाग में निर्धारित समयावधि 30.06.2015 तक संपर्क नहीं किया केवल उन्हीं की पेंशन नहीं भेजी जा रही है। इसके लिये सरकार द्वारा विधान सभा क्षेत्रों में जनता के सहयोग से जांच शिविर का आयोजन किया गया जिससे कम समय में ज्यादा लाभार्थियों की जांच की जा सके। जिन लाभार्थियों की जांच प्रक्रिया पूर्ण होती जा रही है उनकी पेंशन बकाया राशि सहित तुरंत प्रेषित कर दी जा रही है।

अध्यक्ष महोदय : अलका लाम्बा जी, सप्लीमेंट्री पूछिये।

सुश्री अलका लाम्बा : अध्यक्ष जी, मैं एक बस पूछना चाहती हूं, मुझे यह जानकारी से खुशी हुई कि अभी तक 15 साल कांग्रेस की सरकार थी और सिर्फ दो वृद्धा आश्रम थे और दो वृद्धा आश्रम पूरी दिल्ली में सिर्फ 70 वृद्धों को रखने की व्यवस्था थी। मुझे आज खुशी है कि यहां पर आपने दस नये वृद्धा आश्रम बनाने का इस बजट में प्रावधान रखा है, बहुत बड़ी बात है कि जहां पन्द्रह साल में सिर्फ दो वृद्धा आश्रम और 70 लोगों को, पर मैं यह जानना चाहती हूं कि **...(व्यवधान)** हां बिल्कुल इसकी जो जमीनें हैं, अब यह प्रश्न पूछना चाहती हूं **...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : अलका जी, आप प्रश्न पूछिये।

सुश्री अलका लाम्बा : अध्यक्ष जी, मेरा प्रश्न यह है कि अभी रंगपुरी में 'अर्थ' फाउंडेशन जो भारत सरकार द्वारा रजिस्टर्ड थी, जिसने वृद्धाओं की पूरी जिम्मेदारी ली थी, जिसकी जानकारी दिल्ली सरकार के पास है, मैं जानना चाहती हूं कि ऐसे वृद्धा आश्रम जो सीधे केंद्र की जानकारी में चल रहे हैं उनकी जानकारियां आपके पास हैं या नहीं कि दिल्ली में ऐसे कितने हैं और अगर ऐसे हादसे होते हैं जैसे इस आश्रम में हुआ जो वृद्धा आश्रम रंगपुरी में केन्द्र की जानकारी के तहत् चल रहा था, उसमें दो महीनों में हमारे 30 बुजुर्गों की डेथ हो जाती है और वहां की जिम्मेदारी अगर कोई है तो आप लेंगे या केन्द्र लेगा? यह भी बतायें कृपा करके।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी।

महिला एवं बाल विकास मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय विधायिका ने बताया तो मैं बताना चाहता हूं कि ऐसे जो ये ओल्ड ऐज होम चला रहे हैं, रंगपुरी में इसको न तो दिल्ली सरकार ने कोई लाइसेंस दिया था, न दिल्ली सरकार की कोई जवाबदेही थी लेकिन फिर भी क्योंकि हमारे लिए लोग महत्वपूर्ण है, सिस्टम महत्वपूर्ण नहीं है। जब हमें शिकायत मिली तो हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता भी वहां पर पहुंचे और मैं भी सारे डिपोर्टमेंट के साथ वहां पर पहुंचा और वहां का जो विधायक है वहां पर भी मैंने देखा की सारी सुविधाएं जैसे पानी की शिकायतें आ रही थी, पानी के टैंकर भी वहां पर जा रहे थे लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं वो एक ऐसी जगह पर चल रहा है ओल्ड ऐज होम वहां वो टिन-शेड

है, जहां पर आप बैठे तो आप वहां पर बैठ नहीं सकते, डिहाइड्रेशन की इतनी ज्यादा शिकायतें हैं कि वहां इसलिए हुआ, क्योंकि तापमान बिल्कुल गड़बड़ होता है। एक और चीज मैं आपको बता दूं, वहां पर मेंटली चेलेंज लोगों को भी रखा गया है जबकि ऐसे नहीं रख सकते। अगर आपके पास डॉक्टर्स नहीं है और इस तरह की और यह सारी चीजें मैं विजेन्द्र गुप्ता जी को बताना चाहता हूं कि बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट और हमारे साथ मिलकर के चलाई जाती है, लेकिन वो खाली कागजों में ही है जब सहयोग की बात आती है तो फिर एलजी, का डंडा चलता है, पुलिस का डंडा चलता है। हमें सहयोग देने की बजाय हमारे पर आरोप लगाये जाते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, हमने वहां पर तुरंत उसी दिन जो भी सुविधाएं हो सकती हैं, वो सारी मुहैया करवाई। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं स्वास्थ्य मंत्री जी का, उन्होंने वहां पर मोबाइल वैन, दवाइयों के लिए डॉक्टर बैठाये और वहां के विधायक यहां पर मौजूद हैं उन्होंने भी वहां पर पानी के टैंकर भी खड़े करवाये और सारी तकनीकी सुविधायें जो भी हम दे सकते हैं, हमने वहां पर मुहैया करवाईं। धन्यवाद।

सुश्री अलका लाम्बा : अध्यक्ष जी, मैं बाल आयोग के बारे में पूछना चाहूंगी कि हमारा बाल आयोग सक्रिय है या नहीं और बाल आयोग का अध्यक्ष कौन है?

अध्यक्ष महोदय : अलका जी, अब नहीं। एक घटा पांच मिनट हो गये हैं। मोहिन्दर जी प्लीज। एक घंटे का समय तारांकित प्रश्न के लिए रहता है, मोहिन्दर जी, अब नहीं प्लीज। आप बैठिये प्लीज। सारी कार्रवाही रह जायेगी। एक घंटे का समय स्टार्ड क्वेश्चन के लिए होता है, कल 13 क्वेश्चन किए गए थे, लेकिन आज डिस्टर्बें के कारण केवल सात क्वेश्चन लिए जा सकें। सदस्य रह गए, यह सभी

तारांकित प्रश्न अतारांकित रूप में आज ट्रांसफर हो रहे हैं, सभी को लिखित उत्तर मिल जायेंगे। प्रश्न काल समाप्त हो गया है।

तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

28. श्री पवन शर्मा : क्या **कृषि विपणन निदेशालय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि भ्रष्टाचार के कारण आजादपुर कृषि विपणन समिति को राजस्व की अत्यधिक हानि हो रही है।

(ख) क्या यह भी सत्य है कि आजादपुर मंडी में बच्चों को नशे के कारोबार में धकेलकर उन्हें अपराध के लिए विवश किया जाता है।

(ग) क्या यह भी सत्य है कि आजादपुर मंडी में पार्किंग एवं सफाई की उचित व्यवस्था नहीं है।

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि विपणन निदेशालय मंत्री : (क) जी, यह सत्य नहीं, क्योंकि पिछले वित्तीय वर्षों के आकलन के अनुसार, प्रतिवर्ष राजस्व की बढ़ोत्तरी हो रही है। पिछले पांच वषो का विवरण अनुलग्नक "क" संलग्न है।

(ख) हमारे संज्ञान में नहीं है। आजादपुर मंडी परिसर में नशीली वस्तुओं की खरीद, बिक्री एवं सेवन अपना पूर्णतः प्रतिबंधित है।

(ग) आजादपुर मंडी परिसर में निजी वाहनों के पार्किंग की व्यवस्था की गई है किन्तु यह पर्याप्त नहीं है।

विभाग के द्वारा सफाई की उचित व्यवस्था की जाती है तथा इसमें और ज्यादा सुधार लाने के लिए नियंतर प्रयास किए जा रहे हैं।

(घ) व्यवस्था को सुधारने के लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं।

अनुलग्नक "क"

Revenue Statement in R/O APMC (MNI) Azadpur

Sl. No.	Years	Receipt In crore	Growth in %
1.	2010-2011	89.05	–
2.	2011-2012	103.86	16.64%
3.	2012-2013	119.69	15.23
4.	2013-2014	133.44	11.49
5.	2014-2015	134.36	0.69*

*Due to flood in Kashmir less arrival of fruits

29. श्री शिवचरण गोयल : क्या **विधि एवं न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली जल बोर्ड द्वारा मोती नगर विधान सभा क्षेत्र के वार्ड संख्या 97 एवं 98 में दूषित जल को आपूर्ति की जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जायेंगे।

विधि एवं न्याय मंत्री : (क) और (ख) जी, नहीं। इस क्षेत्र में स्वच्छ पानी की आपूर्ति, ख्याला, कीर्ति नगर व पंजाबी बाग जलाशयों द्वारा की जा रही है।

स्थानीय उपभोक्ता द्वारा की गई दूषित पानी की शिकायत प्राप्त होने पर उसके निवारण हेतु तुरंत कार्यवाही की जाती है।

30. श्री राजेन्द्र पाल गौतम : क्या **समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं विकलांग वित्त विकास निगम ने गत पांच वर्षों के दौरान कितने अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक तथा विकलांग व्यक्तियों को कितना-कितना ऋण प्रदान किया।

(ख) गत पांच वर्षों के दौरान उक्त निगम के स्टाफ के वेतन, कार्यालय सुविधाओं तथा वाहनों पर कितनी धनराशि व्यय की गई; और

(ग) क्या सरकार उच्च शिक्षा के लिए विद्यार्थियों को ऋण देने की तर्ज पर अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यकों को व्यक्तियों को ऋण देने की योजना बनाएगी?

समाज कल्याण मंत्री : (क) इस निगम द्वारा गत पांच वर्षों में अनुसूचित जाति के 847 लाभार्थियों को 1054.31, अन्य पिछड़ा वर्ग के 91 लाभार्थियों को 99.21, अल्पसंख्यक वर्ग के लिए 30 लाभार्थियों को 29.06 तथा नि:शक्त जन समुदाय के 24 लाभार्थियों को 28.08 लाख रुपये के ऋण वितरित किये गए।

(ख) इस निगम द्वारा वर्ष 2010-11 में 623.83 लाख, 2011-12 में 651.11 लाख, 2012-13 में 680.67 लाख, 2013-14 में 747.58 लाख, 2014-15 में 852.81 लाख रुपये स्टाफ के वेतन एवं अन्य सुविधाओं पर खर्च किए।

(ग) इस निगम के पास अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यकों के विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा ग्रहण करने हेतु शैक्षणिक ऋण योजना पूर्व से ही कार्यरत है। अतः इसी तर्ज पर कोई अन्य योजना बनाने का प्रस्ताव नहीं है।

31. श्री पंकज पुष्कर : क्या **उप मुख्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नजफगढ़ नाले के साथ गैंड़ सीवर लाइन चालू हालत में है;

(ख) सीवर व्यवस्था न होने के कारण किन-किन कॉलोनियों तथा औद्योगिक संस्थाओं का मलप्रवाह नजफगढ़ नाले में गिर रहा है;

(ग) क्या नजफगढ़ नाले में बढ़ते प्रदूषण से नाले के समीपवर्ती क्षेत्र में रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है;

(घ) क्या इसके बारे में कभी संबंधित विभाग द्वारा कोई सर्वेक्षण किया गया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उप मुख्य मंत्री : (क) नजफगढ़ नाला के साथ दिल्ली जल बोर्ड द्वारा इंटरसेप्टर सीवर डाला जा रहा है इंटरसेप्टर सीवर का 77 प्रतिशत काम पूरा हो गया है और सीवर आंशिक रूप से चालू है।

(ख) दिल्ली में 55 प्रतिशत क्षेत्रों में सीवर व्यवस्था है। बाकी 45 प्रतिशत क्षेत्र में अनियोजित एवं अनधिकृत कॉलोनियां है, जहां अभी सीवर व्यवस्था होना बाकी है। इन क्षेत्रों में सीवर व्यवस्था न होने के कारण गंदे पानी की निकासी नजफगढ़ नाले में हो रही है।

(ग) हाल ही में ऐसा कोई सर्वे नहीं कराया गया है यद्यपि ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है।

(घ) उपरोक्तानुसार।

(ङ) उपरोक्तानुसार।

32. श्री ओ.पी. शर्मा : क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री और मंत्रियों के साथ कितने कर्मचारी को-टर्मिनस, डाइवर्टेड कैपसिटी और कॉन्ट्रैक्ट एवं वालंटियर के रूप में किस-किस पद पर कार्य कर रहे हैं, इसका पूर्ण विवरण क्या है;

(ख) किसी मंत्री के पास कितने स्वीकृत पद है, इसका विवरण क्या है;

(ग) क्या विभाग द्वारा उपरोक्त कर्मचारियों की भर्ती नियमों में कोई छूट प्रदान की गई है, यदि हां, तो किन-किन व्यक्तियों को, किस-किस आधार पर उक्त छूट प्रदान की गई है, इसका विवरण क्या है;

(घ) इनमें से किन कर्मचारियों को मकान, गाड़ी, कार्यालय व अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है, इसका विवरण क्या है; वाहन की सुविधा:

(ङ) सेवानिवृत्ति के उपरांत छह माह के अनुबंध के आधार पर नियुक्त किए गए अधिकारियों को किस आधार पर क्या पारश्रमिक/वेतन दिया जाता है; और

(च) क्या उपरोक्त दिए जाने वाले पारश्रमिक/वेतन में महंगाई भत्ता की सम्मिलित है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

परिवहन मंत्री : (क) दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री और मंत्रियों के कार्यालय में तैनात कर्मचारियों का विवरण इस प्रकार है:—

(अ) को-टर्मिनसः-

नियमित	17
अनुबंधित	08
डेपुटेशन	02
एडवाइजर 1/- प्रति माह	02
कुल	28

उपरोक्त अधिकारियों/कर्मचारियों के नामों की सूची एवं विवरण संलग्न है। ***संलग्नकः 'क'***

(ब) डाइवर्टेड कैपसिटी (सेवाएं)/सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा

आई.ए.एस.	03
आई.आर.एस./दूसरे राज्य सेवाओं के अधिकारी	02
दानिक्स/एड-हॉक दानिक्स	23
दास ग्रेड (I)/अधीक्षक	06
दास ग्रेड (II)	11
दास गेड (III)/उच्च श्रेणी लिपिक	32
दास ग्रेड (IV)/निम्न श्रेणी लिपिक	25
आशुलिपिक कैडर	40

उपरोक्त अधिकारियों/कर्मचारियों के नामों की सूची एवं विवरण संलग्न है।

संलग्नक: 'ख'

डाइवर्टेड कैपसिटी (पीडब्ल्यूडी)/अन्य संस्थान

अधीक्षण अभियंता	01
कनिष्ठ अभियंता	01
अंशुलिपिक	01
चालक	14
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	40
कुल	199

संलग्नक: 'ग'

(ख) मुख्यमंत्री और मंत्रियों के कार्यालयों के लिए स्वीकृत पद निम्न है:–

1.	मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव	01
2.	को-टर्मिनस कर्मचारी	81
	कार्यालय	स्वीकृत पद
	मुख्यमंत्री	21
	मंत्री	10
		10×6=60

(ग) विभाग द्वारा निम्नलिखित कर्मचारियों को उनके सामने लिखित शर्त के साथ नियुक्त किया गया है:–

नाम, पद	छूट
महेश कुमार, चालक	लाइट मोटर व्हीकल कमर्शियल लाइसेंस एवं दसवीं कक्षा उत्तीर्ण, क्रमशः तीन माह एवं एक वर्ष में प्राप्त करने की शर्त के साथ
रोहित कुमार, चालक	लाइट मोटर व्हीकल कमर्शियल लाइसेंस, 6 माह में प्राप्त करने की शर्त के साथ
प्रभात कुमार, क्लर्क	निर्धारित टाइपिंग स्किल एक वर्ष में प्राप्त करने की शर्त के साथ
महेश कुमार, चालक	लाइट मोटर व्हीकल कमर्शियल लाइसेंस, दसवीं कक्षा उत्तीर्ण, एक वर्ष में प्राप्त करने की शर्त के साथ
श्री धनञ्जय कुमार, चपरासी	दसवीं कक्षा उत्तीर्ण, एक वर्ष में प्राप्त करने की शर्त के साथ
श्रीमती लक्ष्मी, चपरासी	दसवीं कक्षा उत्तीर्ण, एक वर्ष में प्राप्त करने की शर्त के साथ

(घ) वाहन की सुविधा:–

नाम, पद	सुविधा
1	2
बिभव कुमार, निजी सचिव, मुख्यमंत्री	मकान, कार्यालय, फोन

1	2
आशीष तलवार, राजनीतिक सलाहकार मुख्यमंत्री	गाड़ी कार्यालय
स्वाती मनीवाल, जन शिकायत सलाहकार, मुख्यमंत्री	गाड़ी कार्यालय
नागेन्द्र शर्मा, मीडिया सलाहकार, मुख्यमंत्री	गाड़ी कार्यालय
गोपाल मोहन, सलाहकार (एंटी करप्शन हेल्पलाइन)	गाड़ी कार्यालय
अस्वथी मुरलीधरन, संयुक्त सचिव, मुख्यमंत्री	मकान, कार्यालय, फोन
सुकेश कुमार जैन, ओएसडी, मुख्यमंत्री	मकान
कपिल सिंह, ओएसडी, उप मुख्यमंत्री	मकान
प्रवीण मिश्रा, ओएसडी, उप मुख्यमंत्री	मकान
विनोद कुमार, चालक	मकान

उपरोक्त के अलावा निम्न उप सचिवों (पीजीएमएस) को मोबाइल फोन की सुविधा दी गई है:—

पूनम, उप सचिव

मुकूल मनराय, उप सचिव

अनीता दयाल, उप सचिव

ए.एल. मदान, उप सचिव

राजेश मदान, उप सचिव

(ङ) वित्त विभाग, दिल्ली सरकार के अनुसार, जिन सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अनुबंध के आधार पर नियुक्त किया जाता है उन्हें अंतिम वेतन घटा मासिक पेंशन के आधार पर एक मुश्त (फिक्सड) मासिक राशि दी जाती है। अनुबंधित कर्मचारी किसी भी अन्य भत्ते के हकदार नहीं हैं।

(च) नहीं, वित्त विभाग दिल्ली सरकार द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार, अनुबंधित कर्मचारी किसी भी अन्य भत्ते के हकदार नहीं हैं।

संलग्नक 'क'

Details of Co-terminus Staff

I. Regular:

1. Sh. Bibhav Kumar as Pvt. Secretary to CM, appointed vide order dated 27.02.2015 in PB Rs. 37400-67000 + GP 8700/-.

2. Ms. Aswathi Muralidharan as Jt. Secretary to CM, appointed vide order dated 27.02.2015 in PB Rs.15600-39100 + GP 6600/-.

3. Sh. Mahesh Kumar as Driver in office of Dy. CM, was appointed vide order dated 20.03.2015 in PB Rs. 5200-20200 + GP 1900/- with the condition that he will acquire minimum qualification, i.e., matriculation or its equivalent from recognized Board/University within one year and

LMV commercial license within three months from the date of issue of order of appointment. Subsequently, time limit for submission of LMV commercial licence extended upto 19.07.2015.

4. Sh. Surender Jaglan as PS to Min. of Environment, Forest, F&S, Election, appointed vide order dated 13.03.15 in PB Rs. 9300-34800 + GP Rs. 4200/-

5. Sh. Rohit Kumar as Driver in the office of Minister of Transport in PB Rs. 5200-20200 + GP 1900/- was appointed vide order dated 23.04.2015 with the condition that he will acquire LMV commercial licence within six months from the date of appointment

6. Sh. Subodh Prasad as Farash-cum-Peon (MTS) in the office of Minister of Transport in PB Rs. 5200-20200 + GP 1800/- was appointed vide order dated 08.04.2015.

7. Sh. Prabhat Kumar as LDC, designated as PA in the office of Minister of Transport in PB Rs. 5200-20200 + GP 1900/- was appointed vide order dated 15.04.2015 with the condition that he will acquire the typing skill of 35 w.p.m. in English or 30 w.p.m. in Hindi on computer in 10 minutes and will produce certificate from the Government recognized Institute within twelve months from the date of appointment.

8. Sh. Aditya Rai as Farash-cum-Peon (designated as MTS) in the office of Minister of Transport in PB Rs. 5200-20200 + GP 1800/- was appointed vide order dated 08.04.2015.

9. Sh. Rajender Singh as UDC, in the office of Minister of Law, Home, Tourism, ACL in PB Rs. 5200-20200 + GP 2400/- was appointed vide order dated 16.04.2015. Appointment cancelled vide order dated 23.06.2016 with immediate effect.

10. Sh. Aniket Singh as Jamadar, in the office of Minister of Law, Home, Tourism, ACL in PB Rs. 5200-20200 + GP 1800/- was appointed vide order dated 16.04.2015. Appointment cancelled vide order dated 23.06.2016 with immediate effect.

11. Sh. Abhinav Rai against the post of UDC (designated as Asstt. Personal Secretary), in the office of Minister of Transport in PB Rs. 5200-20200 + GP 2400/- was appointed vide order dated 16.04.2015

12. Sh. Satpal Singh as Farash-cum-Peon in the office of Chief Minister in PB Rs. 5200-20200 + GP 1800/- was appointed vide order dated 16.04.2015.

13. Sh. Mahesh Kumar as Driver in the office of Chief Minister in PB Rs. 5200-20200 + GP 1900/- was

appointed vide order dated 23.04.2015 with the condition that he will acquire LMV commercial licencse and pass matriculation within twelve months from the date of appointment.

14. Sh. Dhananjay Singh as Farash-cum-Peon in the office of Chief Minister in PB Rs. 5200-20200 + GP 1800/- was appointed vide order dated 23.04.2015 with the condition that he will acquire matriculation within twelve months from the date of appointment.

15. Ms. Lakshmi as Farash-cum-Peon in the office of Chief Minister in PB Rs. 5200-20200 + GP 1800/- was appointed vide order dated 23.04.2015 with the condition that she will acquire matriculation within twelve months from the date of appointment.

16. Sh. Tejinder Pal Singh as PS to Min. of Tpt., Dvpt., Empl., Labour, appointed vide order dated 06.05.2015 in PB Rs. 9300-34800 + GP Rs. 4200/-.

17. Sh. Ashish Katyal, UDC in the office of Leader of Opposition, appointed vide order dated 12.05.2015 in PB Rs. 5200-20200 + GP Rs. 2400/-

II. Contratual :

1. Sh. Nagendar Sharma as Advisor (Media Affairs) was

appointed on contract on co-terminus basis in the office of CM vide order dated 28.02.2015 at consolidated remuneration of Rs. 1,15,881/- per month.

2. Ms. Swati Maliwal as Advisor (Grievances) was appointed on contract on co-terminus basis in the office of CM vide order dated 28.02.2015 at consolidated remuneration of Rs. 1,15,881/- per month.

3. Sh. Ashish Talwar as Advisor (Political) was appointed on contract on co-terminus basis in the office of CM vide order dated 28.02.2015 at consolidated remuneration of Rs. 1,15,881/- per month.

4. Sh. Amardeep Tiwari as Media Advisor to Minister of Law & Justice was appointed on contract on co-terminus basis vide order dated 17.03.2015 at consolidated remuneration of Rs. 60,000/- per month.

5. Sh. Rohit Pandey as Personal Assistant to CM was appointed on contract on co-terminus basis in the office of CM vide order dated 17.03.2015 at consolidated remuneration of Rs. 20,000/- per month.

6. Sh. Arunoday Prakash as Media Advisor was appointed on contract on co-terminus basis in the office of Dy. CM vide order dated 17.03.2015 at consolidated remuneration

of Rs. 60,000/- per month.

7. Sh. DC. Dhingra, Sr. Steno in the office of Leader of Opposition was appointed vide order dated 23.06.2015 on contract basis on a monthly consolidated remuneration of Rs. 11,275/- p.m. (fixed) on last pay minus pension basis.

8. Brig. Dinkar Adeeb (Retd.) as OSD (Home) in the office of Minister of Health, Power, PWD, Inds. & Home was appointed on contract basis on a monthly consolidated remuneration of Rs. 38135/- (fixed)) (on last pay minus pension basis) vide order dated 29.05.2015.

III. Deputation :

1. Sh. Sanjay Kumar, PA, M/O Commerce & Industries as PS in the office of Dy. CM in PB Rs. 9300-34800 + GP Rs. 4200/-. Appointed vide order dated 20.03.2015 w.e.f. 10.03.2015.

IV. Advisors @ Re. 1/- per month :

1. Sh. Gopal Mohan as Advisor to Chief Minister @ Re. 1/- per month appointed vide order dated 10.04.2015.

2. Ms. Nisha Singh as Advisor to Deputy Chief Minister @ Re. 1/- per month appointed vide order dated 05.05.2015.

संलग्नक 'ख'

वर्तमान समय में मुख्यमंत्री कार्यालय में सेवाएं विभाग द्वारा नियुक्त/ स्थानांतरित अधिकारियों/कर्मचारियों की संख्या

क्र. सं.	कैडर	अधिकारियों/कर्मचारियों की संख्या		
		कुल	डाईवर्टेड कैपिसिटी	सामान्य प्रशासन विभाग
1.	• आई.ए.एस.	3	1	2
	• आई.आर.एस./दूसरे राज्य सेवाओं के अधिकारी	2	1	1
	• दानिक्स/एड-हॉक दानिक्स	7	7	0
	• दास ग्रेड (I)/अधीक्षक	5	4	1
	कुल संख्या	17	13	4
2.	• दास ग्रेड (II)	10	7	3
	• दास ग्रेड (III)/उच्च श्रेणी लिपिक	14	12	2
	कुल संख्या	24	19	5
3.	• दास ग्रेड (IV)/निम्न श्रेणी लिपिक	12	4	8
	• आशुलिपिक कैडर	16	14	2
	कुल संख्या	28	18	10

वर्तमान समय में अन्य केबिनेट मंत्रियों के कार्यालयों में सेवाएं विभाग द्वारा नियुक्त/स्थानांतरित अधिकारियों/कमचारियों की संख्या

क्र. सं.	कैडर	अधिकारियों/कर्मचारियों की संख्या		
		कुल	डाईवर्टेड कैपिसिटी	सामान्य प्रशासन विभाग
1.	• आई.ए.एस.	0	0	0
	• दानिक्स/एड-हॉक दानिक्स	17	16	0 (01 अधिकारी ने अभी तक कार्यभार ग्रहण नहीं किया है)
	• दास ग्रेड (I)/अधीक्षक	1	1	0
	कुल संख्या	18	17	0
2.	• दास ग्रेड (II)	1	1	0
	• दास ग्रेड (III)/उच्च श्रेणी लिपिक	18	17	1
	कुल संख्या	19	18	1
3.	• दास ग्रेड (IV)/निम्न श्रेणी लिपिक	13	1	12
	• आशुलिपिक कैडर	24	12	12
	कुल संख्या	37	13	24

पूर्ववर्ती सरकार में मुख्यमंत्री कार्यालय में कार्यरत अधिकारियों/ कर्मचारियों की संख्या

कैडर	अधिकारियों/कर्मचारियों की संख्या
• आई.ए.एस.	• 3
• दानिक्स/एड–हॉक दानिक्स	• 7
• दास ग्रेड (I)/अधीक्षक	• 7
• दास ग्रेड (II)	• 12
• दास ग्रेड (III)/उच्च श्रेणी लिपिक	• 31
• दास ग्रेड (IV)/निम्न श्रेणी लिपिक	• 13
• आशुलिपिक कैडर	• 25

LIST OF OFFICERS POSTED IN CHIEF MINISTER'S OFFICE

Sl. No.	Name of Officer (S/Sh.)	Posted as	Order No. & Date	Remarks
1.	Rajendra Kumar, IAS	Secretary to Chief Minister	77 dated 16.02.15	Drawing salary against the post of Secretary to Chief Minister
2.	S.S. Yadav, IAS	Secretary to Chief Minister	185 dated 21.04.15	Drawing salary from GAD
3.	Dr. Vasantha Kumar N., IAS	Addl. Secretary to Chief Minister	77 dated 16.02.15	Drawing salary against the post of PD (CATS), H&FW Department
4.	Sukesh Kumar Jain, IRS (IT:92)	OSD to Chief Minister	127 dated 23.03.15	Drawing salary from GAD

LIST OF INTER-STATE PUBLIC COMMISSION OFFICERS POSTED IN MINISTER'S OFFICES

Sl. No.	Name of Officer (S/Sh.)	Posted as	Order No. & Date	Remarks
1.	Kapil Singh, UPPC5-2000	Jt. Labour Commissioner holding Additional Charge Of OSD to Dy. CM	135 dated 27-Mar-15	–

LIST OF DANICS/ADHOC DANICS OFFICERS POSTED IN MINISTER'S OFFICES

Sl. No.	Name of Officer (S/Sh.Ms.)	Posted as	Order No. & Date	Remarks
1	2	3	4	5
1.	Arun Mishra	Deputy General Manager, Delhi Transco Ltd. on deputation holding additional charge of Secretary to Minister (Women and Child, Social Welfare, Language, SC&ST)	160 dated 13.04.15	Drawing salary from Delhi Transco Ltd.
2.	G. Sudhakar	General Manager, DSIIDC Ltd. on deputation holding additional charge Secretary to Minister (Health, Ind., Gurudwara, I&FC, PWD and Power)	160 dated 13.04.15	Drawing salary from DSIIDC
3.	Ravi Dadhich	General Manager, DTTDC Ltd. on deputation holding additional charge of Secretary to Minister (Emp., Dev., Lab., Tpt, GAD)	160 dated 13.04.15	Drawing salary from DTTDC
4.	Gurpal Singh	Executive Director, Geospatial Delhi Ltd. on deputation holding additional charge of Secretary to Minister (Law & Justice, Tourism, Art & Culture, Home)	160 dated 13.04.15	Drawing salary from Geospatial Ltd.
5.	C. Arvind	Director, Delhi Jal Board on deputation holding additional charge of Secretary to	160 dated 13.04.15	Drawing salary from DJB

1	2	3	4	5
		Minister (Education, Finance, UD, L&B, Revenue, Vig, Services, AR, IT)		
6.	Deepak Virmani	General Manager, DSCSC Ltd. on deputation holding additional charge of Secretary to Ministry (F&S, Environment & For and Election)	160 dated 13.04.15	Drawing salary from DSCSC
7.	Sharma	Deputy Secretary (CM. Office)	83 dated 20-Feb-15	Drawing salary against the post of VATO, Trade & Taxes Department
8.	Bhupender Kumar	Deputy Secretary (CM. Office)	94 dated 27-Feb-15	Drawing salary against the post of VATO, Trade & Taxes Department
9.	Jai Prakash Kothari	Deputy Chief Minister Office	84 dated 20-Feb-15	Yet to join
10.	Srirangam Sai	Deputy Chief Minister Office	84 dated 20-Feb-15	Proposal regarding notional posting for drawal of salary is under submission
11.	Raj Kumar Pahuja	OSD To Min. (F&S, Env. & Forest and Election)	111 dated 16-Mar-15	Drawing salary against the post of Admn. Officer (Education), Dte of Education

1	2	3	4	5
12.	Sanjeev Kumar Sharma	O/O Min. (H&FW, Indh, PWD, Power & Gurudwara Election)	84 dated 20-Feb-15	Proposal regarding national posting for drawal of salary is under submission
13.	Rakesh Kumar Gaur	OSD to Minister of Employment, TPT, Deve., Lab & GAD	158 dated 10-Apr-15	Proposal regarding notional posting for drawal of salary is under submission
14.	Samir Kumar Sikdhar	OSD to Minister, W&CD, SW, SC, ST & Lang.	158 dated 10-Apr-15	Proposal regarding notional posting for drawal of salary is under submission
15.	Lalit Kumar Jain	OSD to Minister of F&S, Env., For & Election	158 dated 10-Apr-15	Proposal regarding notional posting for drawal of salary is under submission
16.	Piyush Kumar Dosi	OSD to Deputy Chief Minister	168 dated 16-Apr-15	Proposal regarding notional posting for drawal of salary is under submission
17.	Arun Kumar Rakshit	OSD to Minister (H&FW, Industries, PWD, Power & Gurudwara Election)	168 dated 16-Apr-15	Proposal regarding notional posting for drawal of salary is under submission

1	2	3	4	5
18.	Pankaj Bhatnagar	OSD to Minister (Law & Justice, Tourism, Art, Culture & Languages)	168 dated 16-Apr-15	Proposal regarding notional posting for drawal of salary is under submission
19.	Raj Kumar Saini	OSD to Minister (Law & Justice, Tourism, Art, Culture & Lanquaqes)	311 dated 15-June-15	Proposal regarding notional posting for drawal of salary is under submission
20.	Poonam	Deputy Secretary (Public Grievance Monitoring System), Chief Minister Office	95 dated 27.02.15	Diverted capacity from Education Department
21.	Mukul Manrai	Deputy Secretary (Public Grievance Monitoring System), Chief Minister Office	95 dated 27.02.15	Diverted capacity from Education Department
22.	Anita Daya!	Deputy Secretary (Public Grievance Monitoring System), Chief Minister Office	95 dated 27.02.15	Diverted capacity from Education Department
23.	A.L.Madan	Deputy Secretary (Public Grievance Monitoring System), Chief Minister Office	95 dated 27.02.15	Diverted capacity from Education Department
24.	Rajesh Madan	Deputy Secretary (Public Grievance Monitoring System), Chief Minister Office	95 dated 27.02.15	Diverted capacity from Education Department

LIST OF GRADE-I (DASS) OFFICERS/SUPERINTENDENT POSTED IN MINISTER'S OFFICES

Sl. No.	Name of Officer (S/Sh.)	Posted as	Order No. & Date	Remarks
1.	Amit Kumar (01.06.78)	Supdt., Chief Ministers Camp Office	116 dated 19.03.2015	On diverted capacity from Directorate of Education
2.	Ashwani Kumar (01.04.73)	Supdt., Chief Ministers Camp Office	116 dated 19.03.2015	On diverted capacity from Directorate of Education
3.	Gopal Krishna Madhav, (15.06.77)	Supdt., Dy. Chief Minister Office	84 dated 20.02.2015	
4.	Devender Sharma (01.12.78)	Supdt., Chief Minister Office	157 dated 09.04.2015	On diverted capacity from Directorate of Education
5.	Mahendra Kumar	Supdt., Chief Mininster Office	Working since 13.8.2011	On diverted capacity from Directorate of Education
6.	Amit Chhabaria	Supdt., Chief Minister Office	Working since 01.01.2013	Salary from GAD

DETAILS OF GRADE-II (DASS) OFFICIALS POSTED WITH COUNCIL OF MINISTERS

Sl. No.	Name of Hon'ble Minister	Name of the Official/ S./Sh./Ms.	Designation	Diverted From/ Salary Drawn from
1.	Sh. Arvind Kejriwal, Hon'ble Chief Minister	Anshu Garg	Grade-II (DASS)	UD
2.	-do-	Rajender Kumar	Grade-II (DASS)	EDN
0.	-do-	Kuldeep Kumar Nanda	Grade-II (DASS)	GAD
4.	-do-	Brij Mohan	Grade-II (DASS)	GAD
5.	-do-	P. Srinivasa Rao	Grade-II (DASS)	GAD
6.	-do-	N. Bhaskara Rao	Grade-II (DASS)	LNH
7,	-do-	Murali N.	Grade-II (DASS)	L&B
8.	-do- (Camp Office)	V.T. Gurnani	Grade-II (DASS)	EDN
9,	-do- (Camp Office)	Jagjit Singh Dahiya	Grade-II (DASS)	EDN
10.	-do- (Camp Office)	Shiv Kumar Paliwal	Grade-II (DASS)	DCO
11.	Other Cabinet Ministers	Dalbir Singh Rawat	Grade-II (DASS)	H&FW

NOTE:

1. GAD has been requested by O/o Hon'ble Chief Minister to place Services of Sh. Sushil Kumar Sood, Grade-II (DASS) posted in GAD.

DETAILS OF GRADE-III (DASS) OFFICIALS POSTED WITH COUNCIL OF MINISTERS

Sl. No.	Name of Hon'ble Minister	Name of the Official/ S./Sh./Ms.	Designation	Diverted From/ Salary Drawn from
1	2	3	4	5
1.	Sh. Arvind Kejriwal, Hon'ble Chief Minister	Sanjay Kumar Rawat	Grade-III (DASS)	EDN
2.	-do-	A. Sanjay Kumar	Grade-III (DASS)	PAO
3.	-do-	Mahabir	Grade-III (DASS)	EDN
4.	-do-	Ajay Kumar	Grade-III (DASS)	DHS
5.	-do-	Jagatpal	Grade-III (DASS)	TTE
6.	-do-	Pradeep Kumar	Grade-III (DASS)	DSW
7.	-do-	Yogender Singh	Grade-III (DASS)	GAD
8.	-do-	Sharad Jaiswal	Grade-III (DASS)	GAD
9.	-do-	Pradeep Popli	Grade-III (DASS)	DT&T
10.	-do-	Debabrata Mondal	Grade-III (DASS)	EDN
11.	-do-	Rajesh Kumar	Grade-III (DASS)	EDN
12.	-do- (Camp Office)	Vijay Kumar	Grade-III (DASS)	EDN

1	2	3	4	5
13.	Sh. Arvind Kejriwal, Hon'ble Chief Minister (Camp Office)	Bharat Bhushan	Grade-III (DASS)	PAO
14.	-do- (Camp Office)	Sumesh Lohchab	Grade-III (DASS)	PGC
15.	Other Cabinet Ministers	O.P. Tiwari	Grade-III (DASS)	EDN
16.	-do-	Ish Bajaj	Grade-III (DASS)	F&S
17.	-do-	Rajinder Singh Mehta	Grade-III (DASS)	H&FW
18.	-do-	Surender Kumar	Grade-III (DASS)	H&FW
19.	-do-	Sachin Kumar	Grade-III (DASS)	PAO
20.	-do-	Kuljeet Singh	Grade-III (DASS)	DHG
21.	-do-	Rajan Kumar	Grade-III (DASS)	EDN
22.	-do-	Anil Kumar	Grade-III (DASS)	TFT
23.	-do-	Sudarshan Kumar	Grade-III (DASS)	CFOR
24.	-do-	Brij Mohan Ramani	Grade-III (DASS)	SGMH
25.	-do	Raj Kumar Nirwan	Grade-III (DASS)	DEV
26.	-do-	Manoj Kumar	Grade-III (DASS)	GAD

1	2	3	4	5
27.	Sh. Arvind Kejriwal, Hon'ble Chief Minister (Camp Office)	Neeraj Kumar	Grade-III (DASS)	AUD
28.	-do-	Brij Kishore	Grade-III (DASS)	LAB
29.	-do-	Vijay Kumar	Grade-III (DASS)	DCO
30.	-do-	Manjeet Singh	Grade-III (DASS)	DHS
31.	-do-	Mahesh Kumar Sharma	Grade-III (DASS)	TPT
32.	-do-	Devinder Singh	Grade-III (DASS)	DSSSB

GRADE-IV (DASS)/LDC
STAFF POSTED IN THE OFFICE OF THE HON'BLE CHIEF MINISTER

1	Rakesh Thakur	Grade-IV (DASS)/LDC	17 dated 11.02.2015	GAD
2	Yogesh Kumar	Grade-IV (DASS)/LDC	17 dated 11.02.2015	GAD
3.	Manoj Kumar	Grade-IV (DASS)/LDC	50 dated 24.04.2015 (S.III)	GAD
4.	Mahendra Singh	Grade-IV (DASS)/LDC	57 dated 01.05.2015 (S.III)	GAD (Public Prosecutor)
5.	Satish Kumar	Grade-IV (DASS)/LDC		GAD

6.	Deepak Kumar	Grade-IV (DASS)/LDC		GAD
7	Roushan Kumar	Grade-IV (DASS)/LDC		GAD
8.	Ravi Shankar Kumar	Grade-IV (DASS)/LDC		GAD
9.	Jayant Kumar	Grade-IV (DASS)/LDC	85 dated 22.06.201S (S.III)	CEO
10.	Deepak	Grade-IV (DASS)/LDC	22 dated 19.02.2015 (S.III)	DDUH (Camp Office)
11.	Vinod Kumar	Grade-IV (DASS)/LDC	40 dated 09.04.2015 (S.III)	CEO (Camp Office)
12.	Rajbir Singh	Grade-IV (DASS)/LDC	40 dated 09.04.2015 (S.III)	I&FC (Camp Office)

OTHER CABINET MINISTERS

1.	Manoj Sagar	Grade-IV (DASS)/LDC	17 dated 11.02.2015 (S.III)	GAD
2.	Vinod Kumar (01.10.1978)	Grade-IV (DASS)/LDC	17 dated 11/02/2015 (S.III)	GAD
3.	Manoj Poswal	Grade-IV (DASS)/LDC	19 dated 13/02/2015 (S.III)	GAD

4.	Pradeep	Grade-IV (DASS)/LDC	17 dated 11.02.2015 (S.III)	GAD
5.	Vinod Kumar (20.12.1978)	Grade-1V (DASS)/LDC	17 dated 11.02.2015 (S.III)	GAD
6.	Sarvender Singh Rawat	Grade-IV (DASS)/LDC	22 dated 19.02.2015 (S.III)	GAD
7.	Rajesh	Grade-IV (DASS)/LDC	21 dated 18.02.2015 (S.III)	GAD
8.	Devender Kumar Saharawat	Grade-IV(DASS)/LDC	22 dated 19.02.2015 (S.III)	GAD
9.	Gopal Singh	Grade-IV (DASSl/LDC	18 dated 13.02.2015 (S.III)	GAD
10.	Satish Kumar	Grade-IV (DASS)/LDC	21 dated 18.02.2015 (S.III)	GAD
11.	Naveen Virodia	Grade-IV (DASS)/LDC	17 dated 11.02.2015 (S.III)	GAD
12.	Gaurav Kumar	Grade-IV (DASS)/LDC	43 dated 17.04.2015 (S.III)	GAD
13.	Mohan Singh	Grade-IV(DASS)/LDC	39 dated 07.04.15 (S.III)	SGMH

STENOGRAPHERS

LIST OF STENOS POSTED IN C.M. OFFICE (As on 23.06.2015)

Sl. No.	Name of official	Designation	Drawing Salary from	Deptartment where working on Diverted capacity
1	2	3	4	5
1.	Narender Rawat	Steno, Grade-II	COA	Camp office of CM
2.	Suresh Solanki	Steno, Grade-II	COA	
3.	Rashmi Saxena	Steno, Grade-II	DHS	Addl. Secy to CM
4.	Satyaveer Kundu	Steno, Grade-II	DSW	Camp office of CM
5.	Satish Sharma	Steno, Grade-II	EDN	
6.	Hans Raj	Steno, Grade-II	EDN	
7.	Tarun Kant	Steno, Grade-III	GAD	Pr. Branch of (Sh. Praveen Mishra) OSD to CM
8.	Dharmendra Kumar	Steno, Grade-III	GAD	O/o the Chief Minister
9.	Anish Kumar	Steno, Grade-III	IND	
10.	Sasi A.E.	Steno, Grade-II	L&B	Camp office of CM

1	2	3	4	5
11.	Mukuleshwar Prasad	Steno, Grade-III	PLG	
12.	Krishan Pandey	Steno, Grade-II	T&T	OSD to CM
13.	Kishori Lal	Steno, Grade-II	T&T	
14.	J.S. Rawat	Steno, Grade-II	T&T	
15.	Sunil Kumar	Steno, Grade-III	Tourism	Camp office of CM
16	Daljeet Kumar	Steno, Grade-II	TTE	Camp office of CM

LIST OF STENOS POSTED IN O/O SH. MANISH SISODIA HON'BLE DY. C.M.
(AS ON 23.06.2015)

1.	Govind Singh	PPS	GAD	Dy. Chief Minister,
2.	Parveen	Steno, Grade-I	GAD	Dy. Chief Minister,
3.	Prem Shiela	Steno, Grade-II	l&FC	Camp office of Dy. Chief Minister, Delhi

LIST OF STENOS POSTED IN O/O MINISTER OF TPT/LABOUR SH. GOPAL RAI
(As on 23.06.2015)

1.	Sanjay Kumar	Steno, Grade-II	Agri Mktg.	Minister of TPT & Labour

1	2	3	4	5
2.	Jagdish Chander Joshi	Steno, Grade-II	H. EDN	Minister of TPT & Labour
3.	Vikram Pandey	Steno, Grade-III	GAD	Minister of TPT & Labour
4.	APS Rawat	Steno, Grade-II	GAD	Minister of TPT & Labour

LIST OF STENOS POSTED IN O/O MINISTER OF H&FW/PWD/POWER
SH. SATYENDER JAIN (As on 23.06.2015)

1.	Rishi Raj Malik	Steno, Grade-II	GAD	Ministry of H&FW, Power, PWD, Ind & l&FC
2.	Sunil Kumar Singhal	Steno, Grade-II	L&B	Ministry of H&FW, Power, PWD, Ind & l&FC
3.	Sanjay Kumar	Steno, Grade-II	CDHG	Ministry of H&FW, Power, PWD, Ind & l&FC

LIST OF STENOS POSTED IN O/O MINISTER OF LAW & JUSTICE
SH. KAPIL MISHRA (As on 23/06/2015)

1.	Anil Kumar	Steno, Grade-II	EDN	Minister of Law, Home, Tourism, Art and Culture

1	2	3	4	5
2.	Nagendra Kumar	Steno, Grade-II	GAD	Minister of Law, Home, Tourism, Art and Culture
3.	Rajeev Madan	Steno Grade-II	GAD	Minister of Law, Home, Tourism, Art and Culture
4.	N.S. Bhoria	PPS	GAD	Minister of Law/Home/ACL

LIST OF STENOS POSTED IN O/O MINISTER OF F&S/ENV/FORESTS ELECTION
SH. ASIM AHMED KHAN (As on 23.06.2015)

1.	Anand Gautam	Steno, Grade-I	GAD	Ministry of F&S, Environment and Forest
2.	Jitender Kumar	Steno, Grade-II	CEO	Ministry of F&S, Environment and Forest
3.	Raju Sharma	Sr. PA	GAD	Ministry of F&S, Environment and Forest
4.	Anita Maithani	Steno, Grade-II	GAD	Ministry of F&S, Environment and Forest
5.	Anoop Sardana	Sr. PA	UD	Ministry of F&S, Election, Environment and Forest

1	2	3	4	5
	LIST OF STENOS POSTED IN O/O MINISTER OF W&CD/ SC & ST SH. SANDEEP KUMAR (AS on 23.06.2015)			
1	Daya Shankar	Sr. PA	DIPSAR	Ministry of WCD, SW, Language & SC/ST
2	Shailaja C.H.	Steno, Grade-II	CEO	Ministry of WCD, SW, Language & SC/ST
3.	T.R. Khatri	Steno, Grade-II	ENV	Ministry of WCD, DSW, & Language
4.	Ramesh Chand	Steno, Grade-I	GAD	Ministry of WCD, SW Language & SC/ST
5.	Ashok Kumar	Steno, Grade-II	L&B	Ministry of WCD, DSW, Language (vide order no. 61 dt. 07.5.15)

संलग्नक 'ग'

List of officials posted in the Office of Council of Ministers diverted from Public Works Department

1. Sh. D.C. Goyal, Superintending Engineer (M-32), OSD to PWD Minister.
2. Sh. Brijpal, Junior Engineer (Civil), working in the Office of PWD Minister.
3. Sh. Ajay Kumar, Steno. working in the Office of PWD Minister.

33. श्री गुलाब सिंह : क्या **रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वाटर बॉडी एजेंसिज द्वारा पिछले वर्षों के दौरान आवंटित फंड कहां-कहां तथा किस-किस मद/कार्य के लिए आवंटित किया गया;

(ख) कुल कितना फंड आवंटित किया गया तथा किन-किन मदों में कितना खर्च हुआ; और

(ग) इन कार्यों के सुधार के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं।

रोजगार मंत्रालय : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा पिछले दो वर्षों में कुल रुपये 495.03 लाख वाटर बॉडी के सुधार कार्य हेतु आवंटित किये गए।

विस्तृत विवरण सूची अनुलग्नक-'अ' में प्रस्तुत है।

सिचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग द्वारा दो वर्षों में कुल रुपये 1915.80 लाख वाटर बॉडीस के सुधार कार्य हेतु आवंटित किए गए।

विस्तृत विवरण सूची अनुलग्नक-'क' में प्रस्तुत है।

भारत पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा पिछले दो वर्षों में कुल रुपये 1518.52 लाख वाटर बॉडीस एवं बावलियों के सुधार कार्य हेतु आवंटित किये गए।

विस्तृत विवरण सूची अनुलग्नक-'ए' में प्रस्तुत है।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण रुपये 282.11 लाख जोहड़ों एवं तालाब के लिए सुधार एवं रख-रखाव कार्यों हेतु खर्च किए गए।

इनका विस्तृत विवरण सूची अनुलग्नक-'अ' में प्रस्तुत है।

सिचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग रुपये 1003.13 लाख जोहड़ों एवं तालाब के सुधार, दीवार बंदी, गहराई बढ़ाना एवं रख-रखाव कार्यों हेतु खर्च किए गए।

इनका विस्तृत विवरण सूची अनुलग्नक-'क' में प्रस्तुत है।

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण रुपये 1518.52 लाख जोहड़ों एवं बावलियों के सुधार एवं रख-रखाव कार्यों हेतु खर्च किए गए।

इनका विस्तृत विवरण सूची अनुलग्नक-'ए' में प्रस्तुत है।

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण के अंतर्गत आने वाली वाटर बॉडीस के रख-रखाव कार्य नियमित रूप से किए जा रहे हैं।

सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग जोहड़ों एवं तालाबों के सुधार के लिए निम्नलिखित कार्य किए जा रहे हैं:—

1. भूमि को अतिक्रमण से बचाना;
2. वाटर बॉडीस की उपलब्ध भूमि के इर्द-गिर्द चार दीवारी करना एवं तालाब की खुदाई कर, उसकी ग्रहण क्षमता को बढ़ाना;
3. लोगों के चलने के लिए पथ निर्माण करना;
4. तालाब के सौन्दर्यकरण का कार्य करना;
5. तालाबों का तल कच्चा रख कर भूजल के स्तर में सुधार;
6. जोहड़ों एवं तालाबों के चारों ओर वृक्षारोपण एवं रखरखाव।

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा केन्द्रीय संरक्षित स्मारक के अधीन अधिसूचित वाटर बॉडीस के मरम्मत तथा संरक्षण कार्य किए जा रहे हैं।

अनुलग्नक (अ)

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा वाटर बॉडीज के ऊपर किए गए खर्च का ब्यौरा

क्र. सं.	कार्य का नाम	आबंटित फंड (रु. लाख में)	खर्चा (रु. लाख में)	टिप्पणी
1.	संजय झील के आसपास चार दीवारी, पानी की लाइन एवं अन्य कार्य	213.25	175.33	कार्य प्रगति पर है
2.	गाजीपुर वाटर बॉडी	5.2	5.2	कार्य पूर्ण
3.	धीरपुर वाटर बॉडी-फुटपाथ एवं चार-दीवारी का निर्माण	18.14	18.14	-यथा-
4.	भलस्वा गांव की वाटर बॉडी-मिट्टी की भराई एवं फुटपाथ	80.00	80.00	-यथा-
5.	पालम गांव के पास वाटर बॉडी नं. 153 एवं 155 चार-दीवारी का निर्माण	3.44	3.44	-यथा-
6.	दक्षिणी क्षेत्र में विभिन्न वाटर बॉटी	175.00	शून्य	विकास मानचित्र तैयार किया जा रहा है।
	कुल	495.03	282.11	

ANNEXURE-A

Water Bodies information for last two years

Sl. No.	Name of District	Funds Allotted	Detail of Water Body including Village and Khasra No.	A/A & E/S Amount (Rs. in lacs)	A/A & E/S Date	Expenditure (Rs. in lacs) 2013-14	2014-15	Status
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	South West	PDRD	Development of Pond bearing Kh. No. 81 at Village Rewla Khanpur in N.G. Block.	22.88	20.10.08	17.56	0.00	Work completed.
2.	South West	PDRD	Development of Pond in Kh. No. 181 at Village Paprawat in N.G. Block.	50.92	28.04.10	2.47	0.00	Work completed.
3.	South West	PDRD	Construction of Nallah along Phirni of Village Raghopur in Kh. No. 13/9/2, 10/2 & 8/11 N.G. Block.	79.02	28.04.10	24.97	0.00	Work completed.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	South West	PDRD	Improvement of Pond in Kh. No. 168 at Village Bijwasan in N.G. Block.	43.93	07.09.12	20.50	2.96	Work completed.
5.	South West	PDRD	Improvement of Pond in Kh. No. 660 at Village Rangpuri in N.G. Block.	35.16	07.09.12	20.04	0.00	Work completed.
6.	South West	PDRD	Construction of boundary wall (Remaining) of Pond Kh. No. 446 at Village Rajokari in N.G. Block.	7.01	09.09.14	0.00	7.26	Work completed.
7.	South	PDRD	Village Jonapur Kh. No. 122	58.18	02.02.12	27.32	19.65	Work completed.
8.	South	PDRD	Village Aya Nagar Kh. No. 1575	44.54	23.08.12	34.16	0.00	Work completed.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9.	North	PDRD	Bakoli Khasra No. 13/6, 13/7, 13/8 & 13/14	30.04	17.09.14	0.00	25.00	Work completed.
10.	North West	PDRD	Improvement of Ram Sarovar Pond (Khasra No. 64/27) at Village Alipur in Alipur Block.	214.02	01.10.12	140.99	70.75	Work completed.
11.	North West	PDRD	Development of balance portion of pond at Kh. No. 212 at Village Ghewra in Kanjhawala Block.	17.22	18.02.13	0.23	17.83	Work completed.
12.	North West	PDRD	Construction of retaining Wall and Ghat of Dada Mandu Pond at Village Karala in Kanjhawala Block.	11.77	29.09.14	0.00	11.30	Work completed.
13.	West	PDRD	Development of Pond at Kh. No. 134 in Village Hirankudna in Distt. West	81.17	02.08.11	78.14	0.00	Work completed.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
14.	West	PDRD	Development of Pond at Kh. No. 38/1/2 in Village Qamruddin Nagarin Nangloi Jat in Distt. West	98.17	12.11.09	111.68	0.00	Work completed.
15.	South West	PDRD	Development of Pond in Kh. No, 83 at Village Kanganheri in N.G. Block.	37.72	18.09.12	85.54	4.96	Work in progress.
16.	South West	PDRD	Development of Pond in Kh. No. 16/15 at Village Salhapur in N.G. Block.	24.74	31.10.14	0.00	18.14	Work in progress.
17.	North	PDRD	Tajpur Kalan Kh. No. 42	11.26	24.09.14	0.00	0.00	Work in progress.
18.	West	PDRD	Development of existing water body at Kh. No. 59 in Kanwar Singh Nagar, Vikas Puri AC	52.24	01.10.2014	0.00	21.15	Work in progress. The progress is being delayed as the local Villagers are carrying their functions in the vacant land.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
19.	North	PDRD	Hiranki Khasara No. 534, 535	87.59	23.09.14	0.00	24.39	Work in progress. Work of beautification of water body by raising of Boundary Wall, Footpath, Stone wall for wall lining on slopes
20.	West	PDRD	Development of Pond at Kh. No. 92/2 in Village Bakkarwala in Distt. West	81.04	09.10.14	0.00	9.21	Work is in progress. Work started, but delayed due to reconfirmation of points given in the demarcation.
21.	North West	PDRD	Improvement and construction of Boundary wall (East-south-side) of pond bearing Kh. No. 37/26, 52/26 at Villaae Khera Kalan	130.26	31.10.14	0.00	34.89	Work is in progress in Kh. No. 37/26, 52/26 Improvement and Construction of boundary wall (East South side) of pond.
22.	North	PDRD	Nanglipoona Khasra No. 48	44.28	01.06.11	0.20	2.71	Work foreclosed due to land dispute

1	2	3	4	5	6	7	8	9
23.	North West	PDRD	Additional Development Works at existing Pond bearing Kh. No. 40/33 at Village Samaypur in Distt. North.	39.99	23.05.13	6.86	2.01	Work to be foreclosed due to public resistance.
24.	West	PDRD	Development of Pond at Kh. No. 23/17, 24, 25, 29/4 in Village Baprola in Distt. West	80.11	28.04.10	37.19	0.00	Due to resistance put up by the villagers over construction of bank/footpath on one side of pond, work was held up.
25.	West	PDRD	Development of Pond at Kh. No. 83 in Village Bakkarwala in Distt. West	84.80	28.02.11	18.39	0.00	Work started by the contractor but due to accumulation of rainwater in the pond, moreover, Villagers are also not allowing the
26.	West	PDRD	Development of water body at	191.90	07.10.14	0.00	11.44	Dewatering of standing water

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Kh. No.482 in Village Tikari Kalan in Distt. West					taken up and completed. Further work held up for want of arrangements for diverting household water coming in the pond.
27.	West	PDRD	Development of water body at Kh. No.86 in Village Neelwal in Distt. West	149.23	07.10.14	0.00	22.36	Some work executed, but there is some dispute among villagers regarding construction of diversion. Villagers resistance over providing diversion drain in remaining streets.
28.	Central	Panchayat Deptt.	Kamnlpur, Burari Khasra No. 151/1	33.40	07.04.14	0.00	31.87	Work completed.
29.	Central	Panchayat Deptt.	Burari Garhi Khasra No. 148	12.45	04.07.14	0.00	11.72	Work in progress.
30.	Central	Panchayat Deptt.	Mukandpur Khasra No. 175 & 179	15.40	04.07.14	0.00	0.00	Revised Scheme amounting to Rs. 38.35 Lacs,

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								submitted to Director Panchayat as per site condition.
31.	Central	Spl. Secty. (ADMN) through MLA (LAD) Fund	Burari Khasra No. 193/2	23.31	26.06.2013	0.00	26.29	Work completed.
32.	South West	DC (New Delhi) Cheque issued by BDO (S/W) Nagafgarh	Development of pond by construction of boundary wall in Kh. No. 1234/11 at Village Rajokari in N.G. Block.	22.05	11.12.14 cheque received on 23.04.15	0.00	0.00	Work completed.
			Total	1915.80 lacs	Total	626.24 lacs	376.89 lacs	
			Grand Total			1003.13		

ANNEXURE-A

Expenditure incurred (Consolidated) on Centrally Protected Water Bodies/Monuments under Archaeological Survey of India, Delhi Circle, Puratatva Bhawan, New Delhi

Sl. No.	Name of the monument with locality and District	State	Circle	Expenditure incurred/ fund spent	
				2013-14	2014-15
1.	Baoli near Palace Area of Tughlaqabad Complex	NCT of Delhi	Delhi Circle	462027	2786039
2.	Hauz-i-Samshi, Mehrauli	NCT of Delhi	Delhi Circle	1232387	989506
3.	Uggarsain ki Baoli, Hally Road	NCT of Delhi	Delhi Circle	0	254666
4.	Baoli Hindu Rao	NCT of Delhi	Delhi Circle	543536	201894
5.	Gandhak ki Baoli, Mehrauli	NCT of Delhi	Delhi Circle	69257	38588
6.	Rajon ki Bain, Mehrauli	NCT of Delhi	Delhi Circle	72942	47471
7.	Baoli Nizamuddin (Gyaspur)	NCT of Delhi	Delhi Circle	0	0
8.	Baoli at Purana Qila	NCT of Delhi	Delhi Circle	1950708	6307423
9.	Baoli at Wazirpur, Complex R.K. Puram	NCT of Delhi	Delhi Circle	1605200	1349258
10.	Baoli at Red Fort Complex	NCT of Delhi	Delhi Circle	41011448	67053415
11.	Baoli at Arab ki Sarai (Humayun's Tomb Complex)	NCT of Delhi	Delhi Circle	5724423	3897623
12.	Baoli at Kotla Feroz Shah Complex	NCT of Delhi	Delhi Circle	8031490	8223039

34. श्री जनरैल सिंह : क्या **उप मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुरुद्वारा चुनावों के लिये खर्च की सीमा कितनी निर्धारित की गई है;

(ख) क्या गुरुद्वारा प्रशासन में एंटी-डिफैकशन कानून लागू होता है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उप मुख्यमंत्री : (क) गुरुद्वारा चुनावों के लिये खर्च की कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

(ख) जी नहीं, गुरुद्वारा प्रशासन/दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन समिति में एंटी-डिफैक्शन कानून लागू नहीं होता है।

(ग) दिल्ली गुरुद्वारा एक्ट, 1971 एवं उसके अंतर्गत बने नियमों में एंटी-डिफैक्शन कानून का कोई उल्लेख नहीं है।

35. श्री एस.के. बग्गा : क्या **समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समाज कल्याण विभाग द्वारा वर्ष 2014-15 व 10.06.2015 तक कितने लोगों को वृद्धावस्था पेंशन जारी की गई है;

(ख) कितने आवेदन अब तक लंबित हैं;

(ग) इन लंबित आवेदनों का कब तक निपटान कर दिया जायेगा, इसका पूर्ण विवरण क्या है?

समाज कल्याण मंत्री : (क) समाज कल्याण विभाग द्वारा वर्ष 2014-15

में कुल 323729 एवं वर्ष 2015-16 में दिनांक 10.06.2015 तक कुल 358317 लोगों को वृद्धावस्था पेंशन जारी की गई है।

(ख) कुल 36420 आवेदन पत्र लंबित है।

(ग) जिन लाभार्थियों की जांच प्रक्रिया निर्धारित समयावधि में पूर्ण हो जायेगी उन सभी लाभार्थियों को बकाया राशि सहित पेंशन प्रेषित कर दी जायेगी।

36. श्री राजेन्द्र पाल गौतम : क्या **स्वास्थ्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (डीएसएसबी) ने दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा दिए गए स्टाफ नर्स के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु सन् 2013 में परीक्षा आयोजित की थी;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सत्य है कि डीएसएसएसबी ने चयनित उम्मीदवारों की सूची एवं डोजियर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को भेज दिये थे;

(ग) यदि हां, तो क्या यह भी सत्य है कि उक्त विभाग ने उन सभी योग्य उम्मीदवारों की सूची एवं डोजियर में से अब तक अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति श्रेणी के रिक्त पदों को छोड़कर अन्य सभी श्रेणियों के रिक्त पदों पर नियुक्ति कर दी है;

(घ) यदि हां, तो सूची एवं डोजियर के प्राप्ति के पश्चात् अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति श्रेणी के रिक्त पदों पर नियुक्ति क्यों नहीं हुई है, इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) अनुसूचित जाति एवं जनजाति श्रेणी के रिक्त पदों पर चयनित उम्मीदवारों की जल्द से जल्द नियुक्ति कब तक कर दी जाएगी?

स्वास्थ्य मंत्री : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) जी नहीं, दिल्ली अधिनस्थ सेवा चयन बोर्ड द्वारा घोषित (भाग चार) परिणामनुसार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के साथ तीन अन्य श्रेणी के उम्मीदवार भी विचाराधीन हैं।

(घ) और (ङ) हां, चूंकि दिल्ली अधिनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने 20 मार्च, 2015 को ही परिणाम घोषित किया था (पोट-4 एसी/एसटी) जिसमें अधिकतर उम्मीदवार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति से संबंधित हैं। उपरोक्त विषय पर प्रक्रिया जारी है एवं यथाशीघ्र निर्णय अपेक्षित है।

37. श्री ओ.पी. शर्मा : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सत्य है कि भारत सरकार द्वारा दिल्ली की विद्युत आपूर्ति प्रणाली को दुरुस्त करने के लिए 7791 करोड़ रुपये के बजट की कोई योजना बनाई गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सत्य है कि इस योजना के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक भूमि उपलब्ध नहीं करवाई जा रही है; और

(ग) दिल्ली सरकार इस संबंध में क्या कार्यवाही कर रही है?

ऊर्जा मंत्री : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) उपरोक्तानुसार लागू नहीं होता।

38. श्री गुलाब सिंह : क्या **विधि एवं न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली में पानी की अत्याधिक कमी है;

(ख) क्या यह भी सत्य है कि दिल्ली में सीवरेंज की निकासी का कोई उचित प्रबंध नहीं है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार इस संबंध में क्या कदम उठा रही है?

विधि एवं न्याय मंत्री : (क) जी, नहीं। बवाना एवं द्वारका जल शोधन संयंत्रों के चालू होने के उपरांत इस वर्ष पानी का उत्पादन पिछले वर्ष के 835 एम.जी.डी. से बढ़ कर 880 एम.जी.डी. हो गया, इससे दिल्ली की 25 से 30 लाख आबादी लाभान्वित हुई है इस कारण इस वर्ष गर्मियों के मौसम में दिल्ली की जनता को पीने के पानी की कम कमी महसूस हुई। दिल्ली के सभी निवासियों को पाइप लाइन नेटवर्क ट्यूबवैलों एवं नि:शुल्क पानी के टैंकरों द्वारा पीने का पानी उपलब्ध करवाया जाता है।

(ख) दिल्ली के लगभग 55% भाग में सीवर की व्यवस्था है जहां सीवेज की निकासी सीवेज नेटवर्क द्वारा की जाती है। जिन अनधिकृत कॉलोनियों में सीवर व्यवस्था नहीं है वहां पर सीवेज का विकास मुख्यत: नालों के द्वारा किया जाता है।

(ग) दिल्ली क्षेत्र के सभी सीवर रहित क्षेत्रों में सीवर सुविधा प्रदान करने हेतु दिल्ली जल बोर्ड ने सीवरेज मास्टर प्लान 2031 तैयार किया है। जिसका कार्य चरणबद्ध तरीके से पूर्ण किया जाने के लिए प्रगति पर है। इसके अलावा वे क्षेत्र जहां सीवर की उचित व्यवस्था है इन क्षेत्रों के अलावा इस व्यवस्था को दिल्ली

की 146 अनाधिकृत कॉलोनियों तक बढ़ाया गया है, तथा इसे 300 और अनाधिकृत कॉलोनियों में विस्तार करने की योजना है।

चूंकि संपूर्ण दिल्ली को सीवर नेटवर्क में जोड़ने में समय लगेगा, इसके लिए दिल्ली जल बार्ड द्वारा नजफगढ़, सप्लेंमेंटरी और शाहदरा नालों के साथ इंटरसेप्टर सीवर डालने की नवीन योजना है, जिसकी लम्बाई 59 किलोमीटर है जिसमें सीवर रहित क्षेत्रों से असंशोधित सीवेज को लेने का प्रयास किया जाएगा। यह अनुमानित है कि शहर में उत्पन्न होने वाले 'वेस्ट वाटर' का 70 प्रतिशत इन नालों में प्रवाहित होता है। वर्तमान में इसका 77 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है तथा अगले वर्ष 2016 तक इसके पूरा हो जाने का अनुमान है। इस परियोजना के पूर्ण हो जाने के बाद यमुना के पानी की गुणवत्ता और सामान्य स्वच्छता की स्थिति में सुधार होगा।

इसके साथ-साथ चरणबद्ध तरीके से पुरानी सीवर लाइन जिनकी मियाद पूरी हो चुकी है उनका या तो पूर्णोधार किया जाएगा अथवा उनके स्थान पर नई सीवर लाइन बिछाई जाएगी।

39. श्री गुलाब सिंह : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सत्य है कि राजधानी में गर्मी के मौसम के दौरान अनियंत्रित बिजली कटौती के कारण लोगों को अत्यधिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार क्या ठोस कदम उठा रही है?

ऊर्जा मंत्री : वितरण कम्पनियों से प्राप्त सूचना के अनुसार:—

(क) राजधानी में गर्मी के मौसम में कोई अनियंत्रित बिजली कटौती नहीं हुई

है। इसलिये लोगों को अत्याधिक परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा। हालांकि मौसम के बदलाव के दौरान, और कुछ तकनीकी कारणों से कभी-कभी बिजली आपूर्ति में व्यवधान होता है जो दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग द्वारा निर्धारित सीमा के अंदर रहा है।

(ख) उपरोक्तानुसार लागू नहीं होता। फिर भी दिल्ली सरकार ने तकनीकी व्यवधानों की अवधि को कम करने हेतु दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग को 12 जून, 2015 को विद्युत अधिनियम की धारा 108 के अंतर्गत निर्देश जारी किया है।

40. श्री एस.के. बग्गा : क्या **स्वास्थ्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि चाचा नेहरू अस्पताल में अत्यधिक संख्या में मरीज प्रतिदिन इलाज के लिए आते हैं;

(ख) उक्त अस्पताल में कुल कितने विस्तर हैं;

(ग) उक्त अस्पताल में कितने वैंटिलेटर तथा एक्सरे मशीनें हैं;

(घ) क्या उपरोक्त सुविधाएं मरीजों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए विभाग द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य मंत्री : (क) चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय में पूरी दिल्ली एवं पड़ोसी राज्यों के बहुत सारे बच्चे रोज इलाज के लिए आते हैं।

(ख) 221, विस्तर हैं।

(ग) यहां पर 13 वेंटिलेटर तथा दो स्थायी एवं 1 पोर्टेबल एक्सरे मशीन हैं।

(घ) समय के साथ मरीजों की संख्या उपलब्ध मानव संसाधनों, जगह एवं अन्य संसाधनों के अनुपात में बहुत अधिक हो गयी है।

(ङ) (क) विभिन्न विभागों में वरिष्ठ चिकित्सकों के लिए सितम्बर, 2014 में चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय प्रशासन ने साक्षात्कार किये थे। इनकी नियुक्ति की प्रक्रिया जल्द पूरी की जायेगी।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय में सुविधायें बढ़ाने के लिए हाल ही में 9480 वर्ग मीटर का भूखंड आवंटित किया है।

(ग) आवश्यक मशीन एवं उपकरण मरीजों की जरूरत एवं उपलब्ध जगह और मानव संसाधन के अनुपात में अस्पताल में समय-समय पर लिए जाते हैं।

अतारांकित प्रश्न का लिखित उत्तर

19. श्री गुलाब सिंह : क्या **खाद्य एवं संभरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में वन विभाग की कुल कितनी भूमि हैं एवं कहां-कहां पर स्थित है;

(ख) इन जमीनों के संरक्षण के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं;

(ग) क्या यह सत्य है कि फॉरैस्ट जमीन के सदुपयोग से सरकार को राजस्व का फायदा होगा; और

(घ) यदि हां, तो सरकार इस दिशा में क्या कार्रवाई कर रही है?

खाद्य एवं संभरण मंत्री : (क)

वन्य जीव अभ्यारण्य क्षेत्र	—	2200 (हैक्टेयर) (लगभग)
आरक्षित वन क्षेत्र	—	7784 (हैक्टेयर) (लगभग)
संरक्षित वन क्षेत्र	—	428.16 (हैक्टेयर) (लगभग)
शहरी वन क्षेत्र	—	1443.66 (हैक्टेयर) (लगभग)
अन्य वन क्षेत्र	—	808.70 (हैक्टेयर) (लगभग)
कुल योग	—	12664.52 (हैक्टेयर) (लगभग)

दिल्ली वन क्षेत्र का विवरण अनुबंध-I पर संलग्न है।

(ख) वन भूमि की संरक्षण हेतु पौधारोपण किया जाता है और मृदा एवं नमी को बनाए रखने के लिए सस्ते तकनीकी कार्य जैसे कंटूर ट्रैंचिंग, गली प्लगिंग, डिप्रेशंस को गहरा कर वर्षा जल के अधिकाधिक संचयन जैसे कार्य निष्पादित किये जाते हैं।

(ग) दिल्ली में वन भूमि पर गहन वृक्षारोपण से जलवायु एवं मृदा संरक्षण होता है। इस प्रकार का भूमिगत जल स्तर एवं पर्यावरण का सुधार सुनिश्चित किया जाता है। वनोपज द्वारा राजस्व प्राप्ति का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) आवश्यक नहीं।

अनुबंध-I

आरक्षित वन क्षेत्र

क्र. सं.	वन के प्रकार	अधिसूचना	बीघा-बिसवा	एकड़	अनुमानित क्षेत्र (हैक्टेयर)	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1.	उत्तरी रिज वन	1994	—	—	87	दिल्ली विकास प्राधिकरण-73.00 (है.) दि.न.नि. (हिन्दू राव हॉस्पिटल)-11.00 (है.) वन विभाग नर्सरी-3.00 (है.)
2.	मध्य रिज वन	1994	—	—	864	वन विभाग-423.00 (है.) आर्मी (सिग्नल रेजिमेंट)-202.00 (है.) दि.वि.प्रा. (पार्क)-85.00 (है.) के.लो.नि.वि. (पार्क)-37.00 (है.) नई दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल (तालकटोरा गार्डन)-25.00 (है.) एमएचए (वायरलेस स्टेशन)-6.00 (है.) दि.न.नि. नर्सरी-3.00 (है.) रेलवेज (सरदार पटेल)-11.00 (है.) परिया अलॉटैड (एल एंड डीओ)-70.00 (है.)

3.	दक्षिण-मध्य रिज	1994	—	—	626	दिल्ली विकास प्राधिकरण एवं संजय वन महरौली के पास जो कि दक्षिण-मध्य रिज वन में शामिल है।
	उप-योग 1-4		—	—	7777	
5.	नानकपुरा		—	—	7	
	योग 1-5		—	—	7784 (है.) (लगभग)	
1.	असोला	1986				
	(i) असोला गांव		7827-17	—	659.9	
	(ii) सहूरपुर गांव		2845-17	—	239.93	
	(iii) मैदानगढ़ी गांव		2186-18	—	184.37	
2.	भाटी वन्यजीव अभयारण्य	1991	—	2166.28	876.66	
3.	ओखला पक्षी अभयारण्य				201.47	
	कुल योग				2162.35 (है.) लगभग)	

संरक्षित वन क्षेत्र

क्र. सं.	संरक्षित वनों के नाम	क्षेत्र (एकड़ में)	अधिसूचना सं. एवं दिनांक
1.	मित्राव (वन क्षेत्र)	105	F.8(2)/48 (IX) P&D Dtd. 6.05.1948
2.	सुल्तानपुर (वन क्षेत्र)	120	F.8(2)/48 (I) P&D Dtd. 6.05.1948
3.	मुखमेलपुर (वन क्षेत्र)	133	F.11(38)/54 P&D Dtd. 2.3.1955
4.	राजोकरी (वन क्षेत्र)	600	EV-7/97/58(i) Dtd. 21.08.1959
5.	तुगलकाबाद (वन क्षेत्र)	100	F.8(2)/48 (V) P&D Dtd. 6.05.1948
	योग	1058 (एकड़ में)	
		428.16 (हैक्टेयर)	

शहरी वन क्षेत्र

क्र. सं.	शहरी वन क्षेत्र	क्षेत्र (हैक्टेयर में)	जिला
1	2	3	4
1.	नसीरपुर शहरी वन क्षेत्र	28.00	दक्षिणी-पश्चिमी
2.	अलीपुर शहरी वन क्षेत्र	16.80	उत्तर
3.	हौजरानी शहरी वन क्षेत्र	28.80	दक्षिण
4.	मित्रांव शहरी वन क्षेत्र	40.00	दक्षिणी-पश्चिमी
5.	सुल्तानपुर शहरी वन क्षेत्र	48.00	उत्तरी-पश्चिमी

1	2	3	4
6.	घोघा शहरी वन क्षेत्र	10.40	पूर्व
7.	शाहपुर गढ़ी शहरी वन क्षेत्र	8.00	उत्तरी-पूर्वी
8.	ममुरपुर शहरी वन क्षेत्र	56.00	उत्तरी-पूर्वी
9.	जींदपुर शहरी वन क्षेत्र	47.60	उत्तरी-पूर्वी
10.	मुखमेलपुर शहरी वन क्षेत्र	53.00	उत्तरी-पूर्वी
11.	बवाना शहरी वन क्षेत्र	32.00	उत्तरी-पूर्वी
12.	गढ़ी मांडू शहरी वन क्षेत्र	300.00	पूर्वी
	योग	668.60 (है.)	

क्र. सं.	गांव का नाम	क्षेत्र (हैक्टेयर में)	जिला
1	2	3	4
		2007-08	
1.	ईसापुर	66.25	दक्षिणी-पश्चिमी
2.	रेवला-खानपुर	22.85	दक्षिणी-पश्चिमी
3.	खड़खड़ी जटमल	50.00	दक्षिणी-पश्चिमी
4.	सुल्तानपुर डबास	24.76	उत्तरी-पश्चिम
5.	औचन्दी	00.50	उत्तरी-पश्चिम
6.	मुंगेशपुर	13.50	उत्तरी-पश्चिम

1	2	3	4
7.	कुतुबगढ़	27.77	उत्तरी–पश्चिम
8.	हिंडन कट गाजीपुर	05.00	पूर्व
9.	हरेवली	24.80	उत्तरी–पश्चिम
	योग	235.43 (है.)	
		2008–09	
1.	रेवला खानपुर	20.00	उत्तरी–पश्चिम
2.	शिकारपुर	109.00	दक्षिणी–पश्चिमी
3.	उत्तरी–पश्चिम	15.50	दक्षिणी–पश्चिमी
4.	नजफगढ़ ड्रेन	29.64	उत्तरी–पश्चिम
5.	कुतुबगढ़	20.00	उत्तरी–पश्चिम
6.	मुखमेलपुर	13.00	उत्तरी–पश्चिम
7.	राजविद्या केन्द्र शहूरपुर	37.00	पश्चिम
8.	आया नगर	25.00	पश्चिम
	योग	249.14 (है.)	
		2009–10	
1.	रेवला खानपुर–III	6.47	दक्षिणी–पश्चिमी
2.	खड़खड़ी जटमल–II	18.62	दक्षिणी–पश्चिमी
3.	दौराला	12.95	दक्षिणी–पश्चिमी

1	2	3	4
4.	मलिकपुर	12.95	दक्षिणी-पश्चिमी
5.	गोयला खुर्द	5.67	दक्षिणी-पश्चिमी
6.	पंडवाला खुर्द	16.19	दक्षिणी-पश्चिमी
7.	जौनापुर	12.14	दक्षिण
	योग	84.99 (है.)	
		2010-11	
1.	आई.टी.ओ. चुंगी	30	उत्तर
2.	जौनापुर	84	दक्षिण
3.	जैनपुर	70	पश्चिम
	योग	184 (है.)	
	कुल योग (2007-2011)	753.56 (है.)	
		2012	
1.	सलीगढ़ बाइपास	9.5	उत्तरी
2.	जाफरपुर	4	दक्षिणी-पश्चिमी
3.	कुतुबगढ़	8	उत्तरी-पश्चिम
	योग	21.5 (है.)	
	कुल योग (2007-12)	775.06 (है.)	
	कुल योग (2012)	1443.66 (है.)	

अन्य वन क्षेत्र

क्र. सं.	वन क्षेत्र का नाम	क्षेत्र (एककड में)
1	2	3
1.	सैदुलाजाब	58.12

2.	नेबसराय	102.4
3.	देवली	1164.99
4.	सरुरपुर	76.16
5.	सतबरी	263.14
6.	राजपुर खुर्द	12.59
7.	छत्तरपुर	122.63
8.	घुमनखेड़ा	32.00
9.	शास्त्री पार्क	130.00
10.	आनन्द विहार	32.00
11.	ताज इन्कलेव	04.32
	कुल योग	1998.35 (एकड में) 808.70 (है.)

नियम-280 के अंतर्गत विशेष उल्लेख

अध्यक्ष महोदय : अब नियम-280 में श्री देवेन्द्र सहरावत।

कर्नल देवेन्द्र सहरावत : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया उसके लिए मैं आपका सर्वप्रथम धन्यवाद करता हूं। मैं आपका और समस्त सदन के माननीय सदस्यों का ध्यान आज के अखबार दैनिक जागरण में छपी यह जो खबर है, उसकी तरफ आकर्षित करना चाहूंगा। 'शहर का रुख करने को मजबूर गांव के हीरे'। यह खबर है कि 'शहर का रुख करने को मजबूर गांव के हीरे।' इस खबर में लिखा है कि बापरोला गांव में ओलंपिक पद विजेता सुशील कुमार, नाहरी गांव के कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक विजेता अमित कुमार, रानी खेड़ा, निजामपुर के कबड्डी खिलाड़ियों, खुर्द कैर और अलीपुर के पहलवान और वॉलीबॉल के खिलाड़ियों को अपने इलाके में सुविधाएं न मिलने के कारण अन्य इलाकों में जाना पड़ता है, दूरदराज इलाकों में जाना पड़ता है और

उनको अपनी ट्रेनिंग के लिए स्थान ढूंढने पड़ते हैं। इस बात को इस पूरे लेख में लिखा गया। यह एक बड़ी गहरी विकट समस्या है, पूरी ग्रामीण दिल्ली की और यह ग्रामीण दिल्ली शुरू है बदरपुर बॉर्डर से लेकर नरेला तक जो पूरी बाहरी दिल्ली है, जिसे कभी आउटर दिल्ली और पूरे देश में सबसे बड़ी लोक सभा भी कहा जाता था, यह वो पूरा क्षेत्र है, विकास की ज्योति जो है, इस इलाके तक नहीं पहुंच पाई। मेरी विधान सभा बिजवासन है, मेरी विधान सभा में भी 11 गांव हैं। मेरी विधान सभा में रंगपुरी गांव के युवा भूपेंद्र को राष्ट्रीय स्कूल गेम्स में जूडो में स्वर्ण पदक मिला। मेरी विधान सभा में तीन बच्चे हैं – भानू, मयंक और दीपिका। तीनों budding swimmers है और तीनों राष्ट्रीय तैराकी में दो-तीन बार पदक जीत चुके हैं राष्ट्रीय स्तर पर। परंतु इन पूरी सुविधाओं के लिए इस पूरे क्षेत्र में कोई साधन नहीं है, कोई ऐसा स्थान नहीं है, जहां पर ये लोग तैराकी का प्रशिक्षण ले सकें या उसका अभ्यास कर सकें। गांव में शिक्षा, स्पोटर्स, पार्क जैसी सुविधाएं न के बराबर है। पानी, बिजली के मामले में भी बदहाली है। बिजवासन विधान सभा में 85 प्रतिशत इलाके में जल बोर्ड का पानी नहीं आता। हमारी आम आदमी पार्टी की सरकार आने के बाद आज राजनगर में लगभग सवा लाख लोगों को पानी मिला है और एक बहुत बड़ी उपलब्धि मिली है, परन्तु अभी भी बहुत काम करना बाकी है इस क्षेत्र में। मेरी विधान सभा में 16 स्कूल हैं और बहुत शर्म की बात है कि मात्र एक स्कूल में साइंस की शिक्षा है। बाकी 15 स्कूल के बच्चों को 11वीं क्लास में मजबूरन कहीं ओर जाकर दाखिला लेना पड़ता है जहां पर इनको साइंस की शिक्षा मिल सकें। देखिये, एक दिल्ली है, जिसमें हम बात करते हैं Digital India की, आईटी की और यहां पर बच्चों को साइंस सब्जेक्ट पढ़ने के लिए दिल्ली में चिराग तले अंधेरा है, उनको पढ़ने के लिए साइंस के सब्जेक्ट मुहैया नहीं हो पाते हैं। इसके अलावा मैं आपको कहना चाहूंगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी चंद्रावल गांव की ग्राम सभा

की जमीन पर बनी है। आईआईटी दिल्ली जियासराय की गांव की जमीन पर बनी है, जेएनयू मुनिरका गांव की ग्राम सभा की जमीन पर बनी है, आईजीआई यूनिवर्सिटी नेबसराय गांव की ग्राम सभा की जमीन पर बनी है और इन सब यूनिवर्सिटीज में से गांव के बच्चों को कोई लाभ नहीं मिल पाया। आज भी इतने सारे गांव हैं इसमें एक भी गजेटेड ऑफिसर नहीं, जो कि गांव के किसी कागज को अटेस्ट कर दे, यह हालत है गांव की। गांव में स्कूल, रेलवे रिजर्वेशन के काउंटर, केन्द्रीय विद्यालय के शिक्षा के स्कूल...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : देवेन्द्र जी, शॉर्ट कीजिए प्लीज़।

कर्नल देवेन्द्र सहरावत : अध्यक्ष जी, थोड़ा सा मामला देखिये पूरा पेज है। ...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : जो मेरे पास लिखकर आया है...**(व्यवधान)**

कर्नल देवेन्द्र सहरावत : मैं जल्दी करूंगा। थोड़ा सा जो है 307 गांव हैं, 1484 वर्ग किलोमीटर दिल्ली में से 70 प्रतिशत ये लोग उधर बसे हुए हैं और ये हालत है इनकी। जरा पीड़ा है थोड़ी सी बयान कर लेने दीजिए। केन्द्रीय विद्यालय, मदर डेयरी के बूथ, सफल के आउटलेट, रेलवे रिजर्वेशन के काउंटर, कॉलेज, अस्पताल कुछ भी इस इलाके को उपलब्ध नहीं है जिनको हम बेसिक फैसिलिटीज कहते हैं, वे ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कुछ नहीं है। उनको कुछ नही मिलता। मैं यह कहना चाहूंगा हर बजट में जो लैंग्वेज के नाम पर हर बजट में पैसे दिए जाते हैं, इस वाले बजट में भी नंबर 6 पर 67 करोड़ रुपये लैंग्वेज के लिए आबंटित है जिसमें उर्दू को तीन करोड़, उसके बाद जो है पंजाबी को 7.5 करोड़, संस्कृत को 1.5 करोड़ आवंटित किये गये। इस पूरे इलाके की भाषा कहीं नहीं आती। ये जो खड़ी बोली के लोग

हैं, इनकी भाषा, इनकी संस्कृति कहीं नहीं आती। मैं बचपन से ही इस इलाके में पढ़ा हूं और अशोका होटल के सामने से मैं जाता था पढ़ने के लिए तो वहां पर कत्थक के कत्थक कली के और जो है शास्त्रीय संगीत।

अध्यक्ष महोदय : देवेन्द्र जी कंक्लूड करिए। मेरी बात समझिये एक बार।

कर्नल देवेन्द्र सहरावत : कभी मैंने पुराने किले पर राग रागिनी होते नहीं देखा अध्यक्ष महोदय, क्या इन लोगों की भाषा को, इन लोगों की संस्कृति को सरकारी प्रोत्साहन की जरूरत नहीं है? मेरा मानना है कि जैसा शोषण अमेरिका में रैड इंडियन के साथ हुआ, जैसा शोषण ऑस्ट्रेलिया में, एवओर्जिनन्स के साथ हुआ, वैसा ही शोषण इन ग्रामीणों के साथ हो रहा है, ये मेरा मानना है। 70 पैसे गज में इनकी जमीन ले ली, जीएमआर ने 1.6 लाख करोड़ रुपये इसमें से पैसे बना लिये। क्योंकि वो लोग बाहर देखने जाते हैं कि भूमि अधिग्रहण का क्या नुकसान है, दिल्ली के गांवों में देख लीजिए, क्या नुकसान है। बच्चे जो ड्रग्स से पीड़ित हैं, शिक्षा के लिए कोई स्थान नहीं है और सारे के सारे बेरोजगार हो रखे हैं। मेरा इस हाउस से आग्रह है कि इस क्षेत्र की तरफ दयनीयता से देखें। इन क्षेत्रों के विकास के लिये इन विधान सभाओं को विशेष अनुदान हो, और वो जो 20 करोड़ रुपये 11 विधान सभाओं को आवंटित किए गए है उसमें इन विधान सभाओं को जो ग्रामीण क्षेत्र की हैं, बहुत अधिक ध्यान से दखा जाए। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सुखबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं इसका समर्थन करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : अवतार सिंह कालका जी। नहीं भई ये 280 है इसमें ऐसा नहीं-नहीं, ठीक है, आपने समर्थन कर दिया। नहीं, अब हो गया। अब बोलने की इजाजत नहीं है। आपने समर्थन कर दिया उसकी बात का विषय समाप्त। श्री अवतार सिंह कालका जी

श्री अवतार सिंह कालका जी : बहुत-बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी। वैसे मैन्यू अपनी समस्या रखने वास्ते समय दीत्ता। अध्यक्ष महोदय जी, पहले मैं गल्ल करन त पहला मैं गल्ल करनी चाहवांगा अज मैं ध्नवान करदा हां साडे विजेन्द्र गुप्ता जी दा नाल ओमप्रकाश जी दा जो ओहो पेपर देन दी कोशिश कर रहे सी पर अपने हाल विच खड़े रहे ओना नु कल दी असर होया सी गा और अगे आन वाले समय विच होये गा वी तो मैं माफी चावांगा जगदीश कोलो मैं गल कहंन लगा सी पर भी कुछ ओना ने अहों जेई गल कित्ती आवंदियां गल कित्ती तुसी गल्ल करनी चाही अपना सिस्टम नाल कम चलै मैं गल करदां हां पंजाबी विच इक कहावत है पुत्र अपने पापा जी नू कहन लग्गा पापा जी, अज मेरी शर्त लग गई है ते मैं शर्त जीतनी ते मैनूं 10 रुपये दे दो पापा जी कहंदा कैडी शर्त लगा दिती है?

अध्यक्ष महोदय : अवतार जी 280 पर आइये प्लीज।

श्री अवतार सिंह कालका जी : इक सैंकड दी गल्ल है।

अध्यक्ष महोदय : ये आज रह जायेंगे सारे मामले

श्री अवतार सिंह कालका जी : क्योंकि अप्पां ने एना नू बिल्कुल ठीक करना है, आन वाले समय विच साडे सारे कम अरामनाल होंणगे। काई बात नहीं वो पता लग जाएगा। ते ओहो पुत्र नुर कहन लग्गा कि बेटा दस की गल्ल है अच्छा गल्ल सुनो जी दस कैडी शर्त लगाई है कहण लग्गा की पापा जी मैं शर्त लगा लेई है अच्छा गल्ल सुनो जी दो ओर दो पंज होनदे हैं वो कहन दा पुत्र तु शर्त क्यों लगा लई है दो ओर दो पंज हो ही नहीं सकदे। पापाजी मैं शर्त लगाई है तुस्सी मैनू 10 रुपये दे दो कहन लगा क्यों पैसे खराब कर रहा है अपना कहंदा तेरे थपड पैंणा तेरे छित्तर भी पौंदे हैं जे तू मनदा नहीं मेरी गल्ल, कहण दा दो और दो पंज नहीं होन दे काहण दा दो और दो पंज ही होण दे है पापा जी अच्छा दस किदां होनदे

शर्त मैं जितनी है। कहणदा जद मैं मनना ही दो और दो चार होणदे है या पंज होणदे है एना दा ओ हिसाब है मणना ते है नहीं अपनी गल करण तो हटदे नहीं पर वो कहणदा मैं शर्त जीतनी है कहणदा मैनांगा ता र्श जीतांगा।

अध्यक्ष महोदय : आइये अपने 280 पर, संक्षेप में रखिए प्लीज।

श्री अवतार सिंह कालका जी : हां जी, हां जी। सर ते मैं कल वी गल्ल कित्ती सी की अपणा अध्यक्ष जी की मेरे इलाके विच साडडे उथ्थे एक इश्कोन टैंपल है, एक कमल दा मंदिर है, नेहरू पैलेस दा इलाका है और बहुत सोणा बहुत खूबसूरत एरिया है ओर अपणा विधान सभा कालका जी विच्च कालकाजी मंदिर भी है जिदे विच बहुत सारे लोग आणदे हैं पर साडडे इलाके विच ईदगिर्द लग्गे कोई हॉस्पिटल नहीं है ते मैनू पता है कि साडडी सरकार ने कम करना है और मंत्री जी ने साडडी गल मननी वी है और अह ततपर ने लोग नाल वचन कित्ते होए ने अ काम होना वी है पर मैं फिर वी अपनी विधान सभा दी गल्ल करना चाहंदा हां की जैडडा सौ बैड दा हॉस्पिटल है, साडडे पीछे जेडियां सरकारां संन एमसीडी दियां उन्होंने हॉस्पिटल बनाना शुरू कित्ता सीगा 2003 विच और ओडी डेडलाइन थी, 2001 दें विच और उसके दो तीन बार उद्घाटन हो चुके णे ते आज 2015 आ गया है और आज तक वो हॉस्पिटल तैयार नहीं हुआ तो मैं विनती करांगे ये सानू वो हॉस्पिटल झेती तैयार करके मिल जाए साडडी कालका विधान सभा नू बहोत जरा आराम मिल सकैगा ताकि उथ्थे लोग बारह भागनै दें बाहर स्टैट न बड़ी मुश्किल होंदी है। नजदीक कोई हॉस्पिटल होना चाहिए दैं तो मैं इतनी विनती करुंगा कि साडडी गल्ल नु आगैं रखकै हॉस्पिटल नू है जरा छैती छैती नू काम चल रया है उननै जरा ठीक करदैं तै साडै वास्ते बहुत बढिया हो जाएगा क्योंकि साडडे कोल झुग्गियां कोल रहने वाले ज्यादा लोग हैं, वे गरीब लोग हैं, तै गरीब लोग नै, तै उनैना ज्यादा एमसीडी यां नालियां साफ नहीं कर दी या होर बड़े पर्यावरण खराब किया ना सारा उनाण कारण इंफैक्शन

हो जादा है बच्चै नू या अपणा बुजुर्गा णु उणा वास्ते उनानु अपणा इलाज कराणा मुश्किल हो जाणदा उस्ते वास्ते जडा 100 बैड दा हॉस्पिटल है उनै जल्दी-जल्दी तैयार करके नवा कुछ कर सकदे तो नवा करीए पुराणे नू अगर छेती रेनोवेट करके उसते वास्ते उसकी प्रोब्लम है तो चैक कर दिया जाए। छेती हो सकदा है। बहुत-बहुत धन्यवाद करदा हूं तु हड्डा समय देण दा, जय हिंद जय भारत।

अध्यक्ष महोदया : राजेश ऋषि जी।

श्री राजेश ऋषि : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे नियम 280 के अंतर्गत बोलने का मौका दिया, उसके लिये आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष जी, मैं आपका और इस सदन का ध्यान गरीब जनता को जन वितरण प्रणाली के अंतर्गत मिल रहे घटिया अनाज की ओर ले जाना चाहता हूं।

अध्यक्ष जी हमारे देश में गेहूं की वितरण, खरीद और भंडारण का काम एफसीआई करती है। ये केंद्र की एजेंसी है। एफसीआई आज बिचौलियों के हाथ का खिलौना बन गई है। देश में करोड़ों रुपये का गेहूं एफसीआई के गोदामों में सड़ा दिया जाता है। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से इस सदन को यह बताना चाहता हूं कि एफसीआई द्वारा यह सड़ा हुआ अनाज शराब माफियाओं को बहुत सस्ते दामों में बेच दिया जाता है। आजकल जो गेहूं एफसीआई पीडीएस यानी जन वितरण प्रणाली को दे रही है, वह गेहूं इंसान तो क्या वह गेहूं जानवर तक के खाने लायक नहीं है।

अध्यक्ष जी, आपको याद होगा जब हमारे देश में 1960 में अकाल की स्थिति पैदा हुई थी, तब अमेरिका ने हमको पब्लिक लॉज 480 के अंतर्गत वैक्सीन गेहूं दिया था, जो लाल रंगा का होता था जिसे हिन्दुस्तान के अंदर हर इंसान ने खाया लेकिन अमेरिका के अंदर ये गेहूं जानवरों को खिलाया जाता था। अध्यक्ष जी, हद तो तब

पार हो जाती है जब केंद्र में बैठी सरकार की एजेंसी एफसीआई दिल्ली की भोली-भाली जनता को अमेरिका से भी घटिया गेहूं बदत्तर और खराब गेहूं इस पीडीएस के माध्यम से दे रही है। अध्यक्ष जी, मैं आपको दिखाना चाहता हूं एफसीआई सैंपल ये दिखाती है और माल सड़ा हुआ देती है, इसके अंदर बदबू आ रही है, सीलन है इसके अंदर, पत्थर भरे हुए हैं इसके अंदर, इसको खाके देश के नौनिहाल क्या करेंगे, अध्यक्ष जी, ये दिखाना चाहता हूं। आपको सैंपल दिखाना चाहता हूं। आप देखिए इसको। अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से केंद्र में बैठी बीजेपी की सरकार को ये बताना चाहता हूं ये सड़ा-गला गेहूं खिलाकर देश की गरीब जनता को, भोली-भाली जनता को बीमारी होगी न की मन की बात सुनेगी इनकी। हमारे देश का आम नागरिक जैसे-तैसे मेहनत करके अपने बच्चों को पालता है। एक तो गरीबी के चलते वो पूर्ण पोषण नहीं दे पाता। ऊपर से केंद्र की सरकार इस देश को इस दिल्ली को घटिया गेहूं खिलाकर इस देश का भविष्य उज्ज्वल बनाना चाहती है। प्रधानमंत्री जी चुनावों के दौरान अच्छे दिनों की बात कहकर बड़े-बड़े वायदे देश की जनता से करते थे। धीरे-धीरे गेहूं के माध्यम से ये स्लो प्वाइजन का काम कर रहे हैं। अध्यक्ष जी, क्या ये देश की जनता और दिल्ली की भोली-भाली जनता के साथ अन्याय और धोखा नहीं है? अध्यक्ष जी, मैं चाहता हूं कि आप एफसीआई के अधिकारियों को बुलाकर जन वितरण प्रणाली में दिये जाने वाले इस घटिया गेहूं की जांच करवायें और दिल्ली की भोली-भाली जनता को उत्तम श्रेणी का गेहूं दिलवाएं, धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : श्री सोमनाथ भारती जी।

श्री सोमनाथ भारती : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। उससे पहले कि मैं अपने मुद्दे पर आऊं, अगर आपकी इजाजत हो तो मेरा एक प्रस्ताव है। चाहे सदस्य सत्ता पक्ष का हो या विपक्ष का, अगर वो सदन में माइक

तोड़े, कुर्सी तोड़े या किसी और तरह का डैमेज करे, तो सदन उन पर उस सामान के बराबर की राशि का जुर्माना करें और वह राशि उनके तनख्वाह से डिडक्ट की जाए। मैं सदन में अपने साथी विधायकों, अब सदन की मर्जी है कि दस गुना कर दें तो दस गुना है। लेकिन मैं तो ये प्रस्ताव रख रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, क्योंकि ये हम सबके दिलों के बहुत ही करीब का मामला है और ये प्रस्ताव आज ही इस सदन में पास किया जाए जिससे कि सभी साथियों को इसका मेसेज उसी प्रोपोर्शन में समझ में आए कि ये कितना गहरा मामला है।

...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : 280 पर आइये सोमनाथ जी प्लीज।

श्री सोमनाथ भारती : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस पर एक बार वोटिंग कराके पास कर दिया जाए आज। ये चूंकि बड़ा सीरियस मामला है। हर बार इस कदर से आज इन्होंने किया है आज। ये सदन की भावना ऐसी है। **...(व्यवधान)...** सदन की भावना ऐसी है आज। सदन की भावना की इज्जत रख लीजिए आज।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : विषय सोमनाथ जी ने रख दिया है आज।

सुश्री भावना गौड़ : अध्यक्ष जी, हाउस चलाने का मामला हो या घर चलाने का मामला हो। जरूरी है, इसलिए मुझे लगता है कि अगर ये इस तरह का काम करते हैं।

अध्यक्ष महोदय : एक सेकेंड भावना जी, अब आप सुनिए। सुन लीजिए। दो मिनट बैठिए जगदीश जी प्लीज। माननीय सदस्यों की भावना को देखते हुए

सोमनाथ जी की इस बात को, इस विषय को मैं विधान सभा की अनुशासन समिति को सौंपता हूं। सोमनाथ जी।

श्री सोमनाथ भारती : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। एक गहरा विषय है सभी विधायक उससे परिचित होंगे। पुलिस स्टेशन के अंदर जब भी कोई विक्टिम अपना कम्प्लेन दर्ज कराता है तो अक्सर ये होता है कि जो प्रपिट्रेरर है जिसने वो क्राईम किया है, वो कुछ मिलीभगत करके जो विक्टिम है उसी के ऊपर एफआईआर दर्ज करवा देता है। इसे क्रास एफआईआर, हममें से अधिकतर विधायक इस बात से परिचित है कि दिल्ली के अंदर खूब धड़ल्ले से हो रहा है कि जैसे ही कम्प्लेनेंट ने, जैसे ही विक्टिम ने थाने में कम्प्लेन दर्ज करायी, उसके कम्प्लेन के ऊपर तो कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुआ लेकिन पुलिस, एसएचओ, आईओ या कोई भी कॉन्सटेबल, किसी साजिश के तहत या कुछ जानकारी जो उसको है कि दोस्ती है, यारी है या कुछ इस तरह क रिश्ते हैं उसके जो एक्यूज्ड है उसके साथ जो प्रपोज्ड एक्यूज्ड है उसके साथ। तो वो क्रास एफआईआर करके विक्टिम को दबाने का प्रयास करता है। आपने देखा कि हमारे विधायक श्री जरनैल सिंह जी साथ हुआ। ये वहां गये और इन्होंने जो लैंडलार्ड था जिसके मकान की डिमोलिशन थी, जिसने कम्प्लेन दिया उसके कम्प्लेन पर कोई एक्शन नहीं हुआ लेकिन रातों रात इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दिया गया तो मेरी ये गुजारिश है, मैं ये प्रस्ताव रखता हूं कि अगर कम्प्लेंड दाखिल है तो दूसरी पार्टी के कम्प्लेन पर एफआईआर दर्ज थाना न करे बल्कि डीसीपी फैसला ले क्योंकि अगर थानेदार को ही ये राईट हो जाएगा तो वो वहां पर क्रास एफआईआर की इतनी ज्यादा एक दहशत है कि जो असली में विक्टिम है, वो तो जा नहीं पाता। तो मेरा ये माननीय मुख्यमंत्री से, माननीय उप मुख्यमंत्री से ये गुजारिश रहेगी कि दिल्ली पुलिस को, कमिश्नर साहब

को बताया जाए कि क्रास एफआईआर जब भी हो, मैं अपने क्षेत्र का ही एक्जाम्पल भी रख देता हूं। 27 जून, 2015 को एफआईआर नम्बर 627 दर्ज की गयी। ये है जो पर्पिट्रेटर उसके खिलाफ, उसके द्वारा और जो विक्टिम है उसने 626 एफआईआर नम्बर 27 जून को सफदरजंग इन्क्लेव थाने में की। तो इस तरह के इमीडियेटली 626 एंड 627 तो आपनी की और आपको दबाने के लिए जो एक्यूज्ड है उसने कर दिया। अब ये निगोशियेशन की टेबल बैठ जाती है वहां पर कि भई, अब कितने ले दे के खत्म करोगे इसको? मैं तो आपके जरिए माननीय उप मुख्यमंत्री से गुजारिश करता हूं कि इस मामले को उठाएं कमिश्नर साहब के साथ और उनको कहें कि थाने के अंदर डीसीपी परमिशन के क्रास एफआईआर न हो बगैर। धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : श्री नितिन त्यागी जी।

श्री नितिन त्यागी : अध्यक्ष महोदय, नियम 280 के तहत मुझे बोलने की अनुमति देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं लक्ष्मी नगर विधान सभा से आता हूं और जब भी नियम 280 के तहत बोलता हूं तो अपनी जनता का रिप्रजेंटेशन ले के बोलता हूं। अध्यक्ष महोदय उन लोगों से बात करके, उन लोगों से पूछ के कि क्या बोलना चाहिए। क्या हमारे मसले हैं, जिसके बारे में चर्चा होनी चाहिए। आज एक चर्चा के ऊपर ध्यान देना चाहिए सर। ये अभी की नहीं है। काफी सालों से चली आ रही है। ये एमसीडी को लेकर है और पूरी की पूरी पूर्वी दिल्ली में ये दिखा जाता है कि एमसीडी, जैसे भी पूर्वी दिल्ली बनी है, हैपहेजर्ट तरीके से काफी हद तक बनी हुई है और एमसीडी का इसमें बहुत बड़ा रोल ऐसा रहा कि आज की तारीख में अगर हम सफाई देखें तो नालें की सफाई बिना हमारे फोन किये नहीं

होती, कूड़ा हमारे फोन के बिना नहीं उठता। ये काम करने में ही टोटल फेलियर नहीं है। ये वित्तीय रूप से भी इतने फेलियर हो चुके हैं कि ये बैंक्रप्ट हो चुके हैं। आज की तारीख में तनख्वाह न देने के बहाने पे स्ट्राइक होती है, कूड़ा फैंका जाता है सड़कों पर। सालों से लोगों की पेंशन नहीं आ रही है दो-दो, ढाई-ढाई साल से पेंशन नहीं आ रही है। इस इलेक्शन के बाद से तो ऐसा हो गया है कि कोई पूछने भी जाता है तो उसको कहा जाता है कि जाओ झाड़ू वाले के पास। किसी तरीके का कोई कम्प्लेन एमसीडी को ले के जाता है तो जाओ झाड़ू वाले के पास, उसको बोल दिया जाता है। आप हारे हो पर आप भी जो पार्षद हो, आज की तारीख में आप जनप्रतिनिधि हो। मैं जनप्रतिनिधि हूं। जब तक मैं इलेक्शन लड़ रहा था तब तक मैं आम आदमी पार्टी को रिप्रजेंट कर रहा था अब मैं जीत गया हूं तो आज मैं लक्ष्मी नगर की जनता को रिप्रजेंट करता हूं आम आदमी पार्टी को नहीं करता। यही भावना उन लोगों के अंदर भी होनी चाहिए। मैं ये बात करता हूं उनसे, पर ऐसी भावना जागती नहीं। सर रिसेंटली अभी ये उन्नीस तारीख के पेपर का है टाईम्स ऑफ इंडिया का। "No funds to pay staff after July – East Corporation." क्या ये अगली स्ट्राईक की तैयारी है क्या ये फिर से हम कूड़ा देखने वाले हैं क्या किसी भी प्रकार की कोई प्रोविजन ये लोग कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं कि जिससे कि ऐसी तनख्वाह दी जा सके कि लोगों को स्ट्राईक की वजह से जो परेशानियां होती हैं, उससे उनको दूर रखा जा सके। ऐसी कोई प्लानिंग है कि इसकी गारंटी कौन लेगा कि स्ट्राईक नहीं होगी। जब हमें आज से ही पता है कि हमारे पास इतने दिन का पैसा नहीं है, क्योंकि सर बजट आ चुका है, बजट में पांच हजार कुछ करोड़ रुपये दिये गये उस पर भी परेशानी थी कि जो है कि ये तो आलरेडी हमारे हिसाब से है, हम लें चाहे ये टैक्स न लें। ऐसा वक्तव्य था विजेन्द्र गुप्ता जी का कि हम

चाहें तो लें, चाहें तो नहीं लें। तो ये लेना चाहते हैं उस तरीके का टैक्स या नहीं लेना चाहते हैं। ये इकठ्ठा करेंगे वो पैसा या नहीं करेंगे क्या इनके पास सेलरी का फंड होगा या नहीं होगा, ये आज सदन में बता दें। सदन में सब लोगों को पता होना चाहिए कि हम अपने लोगों को बताएं कि भइया, एक महीने के अंदर फिर से स्ट्राइक होने वाली है, फिर से कूड़ा फैलने वाला है सड़कों पर। इस तरीके का कोई गारंटी देगा या नहीं देगा या इसी तरीके से इस गंदगी से डर से सब लोग जीते रहेंगे?

अध्यक्ष महोदय : जरनैल सिंह जी (राजौरी गार्डन)।

जरनैल सिंह (राजौरी गार्डन) **:** अध्यक्ष जी, आपने मुझे नियम 280 के तहत बोलने का मौका दिया आपका धन्यवाद। मैं विषय उठा रहा हूं सूचना एवं प्रसारण निदेशालय में जो कार्यरत अधिकारी और कर्मचारी है, उनकी कुछ वेतन की विसंगतियां चल रही है, पिछले तीस साल से चल रही है। एक अन्याय हो रहा है उनके साथ। यूपीएससी से चयनित होकर आते हैं और सूचना अधिकारियों का वेतनमान पहले हैड जो था प्रशासनिक अधिकारियों से भी अधिक था लेकिन अब जो ये हैड क्लर्क के बराबर भी नहीं रह गया, उनसे भी कम हो गया है और वेतन आयोग को इनके बारे में कोई भी सिफारिश नहीं भेजी जाती है। जबकि बाकियों के बारे में भेजी जाती है और इन लोगों में एक बहुत बड़ा रोष इकठ्ठा हो गया है कि हमारे साथ ये जो अन्याय हो रहा है दिन रात इनकी ड्यूटी रहती है। लेकिन न तो वेतन आयोग को इनकी संतुति की जाती है, इनका वेतनमान जो कभी अधिकारियों से अधिक होता था आज वो हैड क्लर्क से भी नीचे हो चुका है। तो अध्यक्ष महोदय मैं आपके द्वारा एक विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूं कि संबंधित विभाग

से कहा जाए सेवाएं विभाग एवं वित्त विभाग इनकी भी जो एक गुजारिश है, उसको ध्यान में रखकर इसको आगे संतुति की जाए।

अध्यक्ष महोदय : धन्यवाद, सुश्री सरिता सिंह जी।

सुश्री सरिता सिंह : अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि 280 में आपने बोलने का मौका दिया। आज मैं आपका ध्यान अपने क्षेत्र के ट्रैफिक जाम और पार्किंग की समस्याओं पर केन्द्रित करना चाहती हूं। शाहदरा चौक का जो ट्रैफिक जाम है उससे आप भी पीड़ित है, आपकी विधान सभा में भी आती है। यहां माननीय मंत्री गोपाल राय जी बैठे है, उनकी विधान सभा में भी यह बहुत बड़ी दिक्कत है। वहां पर एक रोड है जो दुर्गापुरी से शुरू होती हे और शाहदरा चौक, छोटे बाजार तक जाती है। वो जो रोड है पूरा दो किलोमीटर का स्ट्रैच है और अगर नार्मल रोड से उसको पास किया जाए तो 10 से 15 मिनट में वो रूट कवर हो जाना चाहिए। पर आमतौर में वहां पर अगर कोई आदमी जाता है तो मिनिमम कम-से-कम 30 से 35 मिनट तो लगते ही लगते हैं और अगर ज्यादा जाम पड़ गया तो एक से डेढ़ घंटे वो जाम लगा रहता है। कोई बीमार पड़ जाए या कोई इमरजेंसी आ जाए तो कोई दुर्घटना रास्ते में ही हो सकती है। अभी जाम का कारण क्या है? इस जाम का मुख्य कारण वहां पर एंक्रोचमेंट है लोनी रोड का जो एंक्रोचमेंट का मामला है आज तक का वहां का सबसे इम्पोर्टेंट राजनीतिक मुद्दा रहा। हर इलैक्शन से पहले वहां नपाई की गई कि लोनी रोड चौड़ा होगा। लेकिन आज तक लोनी रोड चौड़ा हुआ नहीं और वहां पूरी की पूरी तरह एंक्रोचमेंट किया हुआ है। इसमें वहां की लोकल पुलिस और एमसीडी का पूरी तरह वहां पर कमाई का एक जरिया बना हुआ है। ट्रैफिक पुलिस का काम क्या होता है? ट्रैफिक पुलिस

का काम वहां के ट्रैफिक की व्यवस्था को सही करें। पर हमारे क्षेत्र में शायद सबके यहां दिक्कत होगी। हमारे क्षेत्र में पुलिस का बस एक काम है कि 12 घंटे की नौकरी में वो 2 घंटे हाजिरी लगाने आते हैं और महीने की एक तारीख से 5 तारीख तक जितने भी कर्मशियल वाहन है, उनसे उगाही करने आते हैं बस ये काम है हमारे यहां ट्रैफिक पुलिस का। इसमें कई बार संज्ञान लिया जा चुका है, उनसे बात की जा चुकी है पर अभी तक उस पर कोई भी कार्यवाही नहीं की गयी।

मैं आपसे अनुरोध करना चाहती हूं कि सरकार ट्रैफिक पुलिस पर बहुत खर्चा करती है अगर इसमें हम कोई प्राइवेट एजेंसी इन्वॉल्व करें। मैंने अपनी विधान सभा में बाकायदा पूरा मुवायना किया गया है। 10 से 15 लोग चाहिए वहां के ट्रैफिक मेनेजमेंट के लिए और पूरी की पूरी ट्रैफिक व्यवस्था वहां पर सुचारू रूप से चलेगी। लेकिन उसके लिए हमें काम करना पड़ेगा। मैं आपको यह भी बताना चाहती हूं कि शाहदरा मंडी जो गाजीपुर ट्रांसफर हो गयी थी और अभी भी अवैध तरीके से एसएचओ शााहदरा वहां पर मंडी, चला रहे हैं और सुबह का जो 11 बजे तक पीक टाइम होता है वहां पर अभी भी मंडी लगती है और उसका पूरा का पूरा पैसा घूस के तौर पर एसएचओ, शाहदरा के पास जाता है। जो बहुत बड़ा जाम का कारण वहां पर बना हुआ है। मैं इसलिए बार-बार जाम बोल रही हूं क्योंकि वहां की बहुत बड़ी समस्या है। इसी संदर्भ में जो शाहदरा फ्लाईओवर है, उसके नीचे पार्किंग के लिए एक नक्शा बनवाया था पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के साथ बैठ कर क्योंकि वहां पर अवैध पार्किंग चल रही है और महीना उगाई चल रही है। मैं पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर से यह अनुरोध करूंगी कि उसको जल्द से जल्द अपने संज्ञान में लें। वहां ऑथोराइज्ड पार्किंग बनाई जाए ताकि वो रेवेन्यू सरकार के पास पहुंचे तो अभी वो पैसा जनता दे तो रही है पर पैसा सरकार के पास नहीं आ रहा है। कम-से-कम

वो पैसा सरकार के पास आए रेवेन्यू जेनरेट तो हो और वहां के व्यापारी और वहां के लोग टैक्स देने से पार्किंग चार्ज देने से पीछे नहीं हटते पर उनको कम से कम कुछ सुविधा तो मुहैया करायी जाए बस इतना अनुरोध है, धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : श्री विजेन्द्र गुप्ता जी।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में केबिनेट द्वारा 9 अप्रैल, 2015 को लिए गए फैसले की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। दिल्ली के शहरीकृत गांवों में जो आबादी बहुत बड़ी संख्या में रहती है और वहां पर गांवों का जो केन्द्र है, वहां पर सामान्य रूप से सार्वजनिक गतिविधियां होती है। लोग बैठते हैं, बताचीत करते हैं और घर के सुख दु:ख के फंक्शन वहां होते हैं और उनके रख रखाव की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार के पास है। इन चौपालों का बहुत महत्व है। शहरीकृत गावों की चौपालों के पुननिर्माण, रख रखाव और उनका रिकंस्ट्रक्शन का काम दिल्ली के अर्बन डवलपमेंट विभाग के पास है। परन्तु न जाने किस कारण से सरकार ने अर्बनाइज्ड विलेज की चौपालों के रख रखाव का काम बंद कर दिया है, पुन:निर्माण का कार्य बंद कर दिया है और यह जानकारी एक पत्र के माध्यम से डॉक्टर हर्षवर्धन जी को दी गयी जब उन्होंने मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा कि ऐसे ऐसे गांवों की चौपालों को ठीक करने के लिए सरकार कार्रवाई करें। इसमें लिखा गया है मेरे पास कॉपी भी है, वो साफ नहीं है व्हाटसप से इसको पढ़कर सुना रहा हूं कुछ प्रमुख लाइन I wish to inform that Departmental Intense Review Meeting taken by the Hon'ble Chief Minister, Delhi along with the Council of Ministers on 9th April, 2015 it has been decided that the Plan Scheme review

renovation/reconstruction and improvements of Chaupals in urbanized villages. It discontinues from the year 2015-2016.

अध्यक्ष जी, यह नहीं समझ में आया कि सरकार ने यह कदम क्यों उठाया है। लगभग दिल्ली में 296 शहीकृत गांव है। मुझे नहीं लगता कि एक भी असेम्बली क्षेत्र ऐसा होगा जहां पर कम-से-कम एक गांव और अधिक से अधिक तीन चार गांव से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो इन गांवों में, हम सब जानते हैं कि जो चौपाल है, उसका कितना बड़ा महत्व है। आखिर सरकार को ऐसी क्या दिक्कत है कि इन चौपालों के रख रखाव का रिकंस्ट्रक्शन, रेनोवेशन का काम सरकार ने बंद कर दिया है। हालात बहुत विकट होते जा रहे हैं। लोग हमारे पास आते हैं और कहते भी हैं कि इनका पुन:निर्माण करवाओ या इनको रेनोवेट कराइए या इनका रख रखाव करवाइए, तो हमारे पास कोई जवाब नहीं बन पा रहा है। सरकार के इस कदम से गांवों में रहने वाले लोगों के मन में निराशा रही है कि मुझे लग रहा है कि बदले की भावना से ये कार्रवाई सरकार कर रही है, भेदभावपूर्ण नीति सरकार अपना रही है। अध्यक्ष जी इसलिए मैं आपके माध्यम से उप मुख्यमंत्री जी से कहूंगा कि अपने इस फैसले पर विचार करें और आज जब बजट भाषण का समापन होगा, आपका वक्तव्य होगा, तो इस विषय पर निश्चित रूप से विचार-विमर्श करके अपने इस निर्णय को बतायें।

श्री मनीष सिसोदिया, उप मुख्यमंत्री : अगर अध्यक्ष जी इजाजत दे... तो मैं सभी स्थिति पर स्पष्टीकरण की आवश्यकता है कि आदरणीय हर्षवर्धन जी का पत्र मुझे भी मिला था। इसकी कॉपी भी मुझे दी थी। इसमें कुछ क्लीयरिटी की जरूरत है जैसे कि मैंने अपने बजट वक्तव्य में भी कहा था कि अभी किस एजेंसी

से, किससे क्या काम कराना है, इसको लेकर बहुत कन्फयुजन है और जो पंचायतों का रख रखाव का काम भी फल्ड रिलीफ डिपार्टमेंट से करवा रहे हैं, जैसा मैंने कहा कि उससे अनधिकृत कॉलोनी की 10 मीटर 10 इंच की नाली भी हम बनवा रहे हैं। फल्ड रिलीफ से ही हम नाले भी साफ कराना चाहते हैं। फिर हर बार जो कोई काम नहीं होता, तो रोते भी है कि बाढ़ आ गयी, पानी साफ नहीं हुआ, बाढ़ आ गयी माने पंचायत। अब वो हर डिपार्टमेंट का नार्मल क्लचर है सबको सब कुछ बांटने की कोशिश कर रखी है। मैं इससे संदर्भित नहीं हूं लेकिन सिर्फ समीक्षा में कह रहा हूं क्योंकि समीक्षा में और भी कई चीजें आती है। सरकार जो भी काम करती है, वो तरह तरह की एनजीओ में बांट देती है और उसकी वजह से जनता, मैं भी थोड़े से समय विधायक रह चुका हूं 4 महीने, इस बार और एक साल से ज्यादा पिछली बार तो ये लगता है कि विधायक भी कन्फयुज हैं, कौन सा काम अब नाली किससे बनावाऊं, पंचायत के लिए किससे बात करूं और मैं अपने अनुभव के आधार पर बता सकता हूं कि मैं अपने विधान सभा क्षेत्र में पंचायत बनवाने के लिए गया तो वहां स्थिति कन्फयूजन की यह थी कि जिस फंड की विजेन्द्र भाई बात कर रहे हैं कि किसी को क्लीयरिटी नहीं थी फंड विधायक के कहने पर कैसे रिलीज होगा। वो किसके कहने पर रिलीज होगा, वो भी नहीं पता था। तो अध्यक्ष जी अब सरकार में आने का मुझे मौका मिला तो इन सारी चीजों की समीक्षा करके बाकायदा और ये सब फंडस की क्लीयरिटी ला रहे हैं। इन फंडस का इस्तेमाल कैसे होगा, कौन सी एजेंसी करेगी, हमारा मानना है, सरकार का मानना है कि समुदाय भवन, पंचायत भवन ये सारी चीजें सरकार की, समाज की बहुत बड़ी जरूरतें हैं और इनको खासतौर से जो मध्यमवर्गीय गरीब लोग है, उनका बहुत शिद्दत से, तरह-तरह की चीजों में उनका इस्तेमाल करते हैं तो इनमें कोताही बरतने की सरकार

की न तो कोई मंशा है। मैंने आरदणीय हर्षवर्धन जी को भी इसके स्पष्टीकरण में एक पत्र लिखा है, उनका मुझे पत्र आया था इस पत्र के संज्ञान में, कि क्या ऐसा है कि उनको भी स्पष्ट किया है, यहां सदन को भी मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि गांवों में पंचायतों को लेकर सरकार का कत्तई यह नजरिया नहीं है कि यहां काम बंद कर दिया जाए। क्लीयरिटी रहे कौन सी एजेंसी कौन सी नहीं करेगी ताकि विधायक भी हर एजेंसी करेगी, से न पूछे। अगर एमएलए फंड का इस्तेमाल, एमपी फंड का इस्तेमाल हो सरकार के अपने जो हेड्स बने हुए हैं, उनके फंड्स का इस्तेमाल हो रूरल डवलपमेंट हो, अर्बन विलेज का डवलपमेंट हो। इन सारे फंड्स के इस्तेमाल से कौन सी एजेंसी काम करेगी, इस पर स्पष्टीकरण हम लोग हम ला रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : सौरभ भारद्वाज जी।

श्री सौरभ भारद्वाज : अध्यक्ष जी बहुत-बहुत धन्यवाद अपने मौका दिया नियम 280 में अपनी बात रखने का। मेरी विधान सभा ग्रेटर कैलाश विधान सभा है और हमारे यहां एक बीआरटी का मसला है जो काफी सालों से लोगों को परेशान करता है और ये मसला, हमारी चार पांच विधान सभायें हैं, जिनको इससे काफी परेशानी है। तो एक तो मेरी असेम्बली है ग्रेटर कैलाश की, उसके साथ लगी हुई कस्तूरबा गांधी नगर है। मदन लाल जी उसके विधायक हैं, दिनेश मोहनिया जी की असेम्बली है संगम विहार, प्रकाश जरवाल जी की देवली असेम्बली है और अजय दत्त जी की अम्बेडकर नगर है। तो इन पांचों ही विधान सभाओं की जनता इस बीआरटी से काफी परेशान है और हम लोग समय-समय पर ये बात सरकार के साथ उठाते रहे हैं और मुझे पता चला है कि मंत्री जी ने इस बारे में मीटिंग्स भी बुलाई हैं और इसके ऊपर

हमें आशा है कि कार्रवाई हो रही होगी। मगर जब-जब क्षेत्र में जाते हैं, जनता बार-बार इस बारे में सवाल करती है कि आप इस बीआरटी का क्या कर रहे हैं। तो सिर्फ अपने साथियों के लिए बताना चाहूंगा कि सन् 2008 में कांग्रेस की सरकार में इस बीआरटी का निर्माण हुआ था तो जो ओरिजनल प्लान था, वो ये था कि ये बीआरटी खानपुर का जो जंक्शन है, वहां से लेकर दिल्ली गेट तक इसको बनाना था। मगर ये खानपुर से तब तक लाजपत नगर तक ही बनी थी करीब 6 किलोमीटर का स्ट्रैच बनाया गया था। उसी वक्त बहुत ज्यादा अखबारों ने इसके खिलाफ लिखना शुरू किया और वहां की जानता भी इसके बहुत ज्यादा खिलाफ थी और बहुत ही अन-पापुलर डिसीजन था इस गर्वनमेंट का, और यही कारण है कि 2008 के बाद आज 2015 आ गया, सात साल बीत गये उस स्ट्रैच को भी पूरा नहीं किया गया। सिर्फ लाजपत नगर तक इस स्ट्रैच को बनाकर छोड़ दिया गया। अधिकारियों के साथ जब मीटिंग हुई, मंत्री जी भी थे तो अधिकारियों ने खुद ये बात मानी क्योंकि दिल्ली गेट तक अगर ये बीआरटी बनाई जायेगी तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट आ जाता है और वहां पर कुछ अखबारों के आफिस हैं। तो इस डर से कि वहां पर अगर आप बीआरटी बनायेंगे, तो उन लोगों का भी गुस्सा इनको झेलना पड़ेगा तो अधिकारियों ने और उस सरकार ने ये फैसला किया कि इस बीआरटी को दिल्ली गेट तक नहीं बनाया जायेगा और ट्रैफिक पुलिस ने भी अपने अधिकारिक लेटर में जो उन्होंने एलजी साहब को पिछले साल पेश किया था, उस में ट्रैफिक पुलिस ने अधिकारिक तौर पर ये कहा है कि ये जो बीआरटी है ये बहुत ज्यादा अनसेफ है, इसमें जान माल का बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका है और बीआरटी को स्क्रैप करना चाहिए। तो मैं सदन के माध्यम से अपनी सरकार से और हमारे परिवहन मंत्री जी से दोबारा से दरख्वास्त करना चाहूंगा कि कृपा इसको देखें, धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : श्री राजेन्द्र पाल गौतम जी।

श्री राजेन्द्र पाल गौतम : आदरणीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे नियम 280 के तहत बोलने का अवसर दिया। इससे पूर्व 2003 में शीला दीक्षित जी की सरकार के समय में अखबारों में एक विज्ञापन आया था जिसमें लिखा था।

अपने सपनों को साकार करें।

अनुसूचित जाति के लिए रोजगार के अवसर दिल्ली सरकार दिल्ली ने सीएनजी आरटीवी वैन को टैक्सी के रूप में चलाकर नये अध्याय की शुरुआत की। जिसमें तकरीबन 100 अनुसूचित जाति के बेरोजगारों ने लोन लिया। सरकार ने उसमें एक शर्त रखी थी कि आप आरटीवी खरीदिये, दिल्ली सरकार आपको परमिट देगी। दिल्ली सरकार ने लोन दे दिया। लोन से लगभग 100 लोगों ने आरटीवी खरीद ली, लेकिन दिल्ली सरकार ने बार-बार कहने के बावजूद परमिट नहीं दिया। परमिट न मिलने की वजह से वो आरटीवी रोड पर चल नहीं पाई और अगर किसी ने बिना परमिट के चलाई तो उनके इतने हैवी हैवी चालान कटे कि वो अलटीमेटली लाखों का कर्ज उनके सर पर हो गया और आरटीवी बिना परमिट के न चला पाने की वजह से उनके ऊपर इतना अधिक लोन हो गया कि वो चुकाने में सक्षम न हो पाये और अल्टीमेटली दिल्ली सरकार ने दिल्ली शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी माइनिरटीज हैंडीकेप्ड डवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने उनके खिलाफ कई-कई केस डाल दिये। आज उनमें से कई लोग 30 केस, कोई 40 केस, कोई 20 केस, अलग-अलग अदालतों में लड़ने के लिए मजबूर हैं और कुछ की तो हालत इतनी खराब हो गई है कि उन्होंने, उनमें से एक प्रवीण कुमार ने कर्ज के बोझ के तले दबे होने की वजह से बिजली का तार पकड़ कर अपनी जान दे दी। एक राजू नाम के व्यक्ति ने दरियागंज थाने में उसने जहर खाकर अपनी जान दे दी। एक भूप सिंह

नाम का व्यक्ति इस लोन की वजह से, अधिक केस डलने पर की वजह से पागल हो गया और जुगराज के खिलाफ लगभग 50 केस डिस-ओनर ऑफ चैकस के डल गये। ये तो वो आंकड़े हैं जो मेरे पास आये हैं लेकिन उन 100 में से ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो परमिट न मिलने की वजह से वो आरटीवी जो लोन लेकर खरीदी गई, वो न चला पाये और आज बहुत बड़ी-बड़ी रकम उनके खिलाफ लोन की बन गई है, कर्ज चुकाने में वो सक्षम नहीं हैं।

अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करूंगा कि ऐसे केसिज को कंसीडर करें। चूंकि लोन न चुका पाना। उनकी इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। क्योंकि ये लोन देते वक्त दिल्ली सरकार ने प्रामिस किया था कि उनको परमिट दिये जायेंगे लेकिन दिल्ली सरकार ने वो परमिट नहीं दिये जिस वजह से उनकी वो वैन रोड पर न चल पाई और वो लोन न चुका पाये।

मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि इस पर दिल्ली सरकार गंभीरता पूर्वक विचार करे और कोई रिबेट उनको दे सकती है तो दे। बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : नरेश यादव जी, बहुत संक्षेप में रखियेगा।

श्री नरेश यादव : माननीय अध्यक्ष जी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद जो आपने नियम 280 के तहत मुझे बोलने का मौका दिया। अध्यक्ष जी, मैं आज मोबाइल फोन के टावर से स्वास्थ्य पर पड़ने वाले विपरीत प्रभाव की तरफ सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। अध्यक्ष जी, मोबाइल फोन का प्रयोग पिछले कुछ वर्षों में काफी बढ़ गया है। इसके बिना जीवन की कल्पना करना भी कठिन है। हम सब लोग इसके लाभ से तो परिचित हैं लेकिन स्वास्थ्य पर पड़ने वाले विपरीत प्रभाव के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। अध्यक्ष जी मोबाइल फोन अपना कार्य इनके टावर

द्वारा मिलने वाले सिग्नल के माध्यम से करते हैं। सिग्नल, जो एक एनर्जी फार्म है, रेडियो फ्रिकवेंसी वेव्स कहलाते हैं और इलैक्ट्रो मैगनेटिक स्पेक्ट्रम में एफएम रेडियो वेव्स और माइक्रो वेव्स के बीच में ट्रेवल करते हें। अध्यक्ष जी, जब हम अपने सेल फोन से कोई कॉल करते हैं, इसके द्वारा सिग्नल टावर तक भेजे जाते हैं और ये टावर इन्हें डिजायर्ड फ्रिकवेंसी पर फारवर्ड कर देते हैं। जब ये रेडियो फ्रिकवेंसी एंवायरमेंट में रिलीज होती है। तो मनुष्य इन रेडियो वेव्स और इनसे निकलने वाले रेडियेशन के सम्पर्क में आता है। प्रतिदिन लगभग 30 मिनट के लगातार इस्तेमाल से व्यक्ति 10 वर्ष में ब्रेन कैंसर का शिकार हो सकता है। तो इस बात का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि जो व्यक्ति इनके आस पास रहते हैं, उनके जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ता होगा। प्रभाव पड़ता होगा। इंटरनैशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर – डब्ल्यूएचओ द्वारा कराई गई एक रिसर्च स्टडी ने इस बात को कंफर्म किया है कि मोबाइल फोन टॉवर से निकलने वाली रेडियशन से ब्रेन कैंसर और स्किन कैंसर होने की बहुत सम्भावना रहती है। भारत में लगभग 15 लाख टॉवरों की अभी जरूरत है जो काफी अधिक रेडियशन रिलीज करेंगे। अभी 4जी का चलन आ गया है। 4जी में अभी टावर लगने की प्रमीशन डीडीए ने दी है जो कि डीडीए के पार्कस के लिए प्रमीशन दी गई है। इसमें जो 4जी को टावर लगने हैं, उसमें लगभग 4 एंटीना लगते हैं जो कि 2जी में लगभग 2 एंटीना से काम चलता था और इसमें 40 वॉट की पॉवर रिलीज होती है जबकि 2जी में केवल 20 वॉट की पॉवर रिलीज होती थी पर एंटीना और यही पावर जो यूरोप में प्रति टॉवर 1 से 5 वॉट रिलीज होती है। कितना डिफरेंस है बाहर के देशों में और इंडिया में।

अध्यक्ष महोदय : कंक्लूड करिये, प्लीज।

श्री नरेश यादव : जी, अध्यक्ष महोदय, अधिकांश आपरेटर नए टावर पोस्ट बचाने के लिए इनकी पावर बढ़ा देते हैं और इन्हीं पुराने टावरों की वजह से इसका सारा का सारा उसी में ही उसका इस्तेमाल करते हैं। अध्यक्ष जी इसकी जांच होनी चाहिए। क्योंकि ये हमारे स्वास्थ्य पर बहुत ही विपरीत प्रभाव डालते हैं और हाल ही में अध्यक्ष जी, डीडीए ने डीडीए के पार्कस में जो परमीशन दी है, वो उसके बारे में मेरे क्षेत्र में महरौली विधान सभा में साकेत और वसंत कुंज में दो बड़े-बड़े पार्क हैं जिसमें कि सीनियर सिटीजंस वहां घूमते हैं। वो लोग काफी चिंतित हैं और उन लोगों ने मुझे बुलाया। मैं वहां मीटिंग के लिए गया उन लोगों ने ये माना कि आज के युग में आज के समय में वाई फाई, इंटरनैट और मोबाइल फोन की जरूरत है, लेकिन उनका ये भी मानना है, कि क्या हम ये सारी सुविधायें अपने स्वास्थ्य के कॉस्ट पर लेना चाहते हैं। तो मैं इसके बारे में अध्यक्ष जी, अपनी सरकार से भी ये निवेदन करूंगा कि इसके लिए एक कमेटी का गठन किया जाये कि जो मोबाइल टावर से स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ने के बारे में लोगों में जो भ्रांति है, उसको क्लीयर किया जाये। यहां पर बैठे मेरे माननीय सदस्यगण भी शायद इस बात से सहमत होंगे, कि कहीं न कहीं टावर जहां भी टावर है, वहां पर लोगों में इस तरह की बातें, इस तरह की भ्रांति है और ये वो लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, साकेत में वसंत कुंज में पढ़े लिखे लोग रहते हैं जब कि गांव में भी हर जगह टावर लग रहे हैं। लेकिन ज्यादा चिंता हमेशा जहां हमारा अरबन एरिया है, जो शहरी क्षेत्र है जैसे साकेत और वसंत कुंज है, उन लोगों को ज्यादा चिंता होती है, तो इसके बारे में अध्यक्ष जी कोई कमेटी का गठन हो और डीडीए ने जो परमीशन दी है, इसके बारे में भी मैं पूछना चाह रहा हूं कि ये परमीशन क्यों दी गई है? क्या इस परमीशन को देने से पहले इन्होंने इस तरह से स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में कोई

स्टडी की है या कोई जांच की है? तो इसके बारे में सदन का मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, धन्यवाद।

सदन पटल पर प्रस्तुत पत्र

अध्यक्ष महोदय : श्री मनीष सिसोदिया जी माननीय उप-मुख्यमंत्री जी कार्यसूची में दिए गए दस्तावेजों की प्रति सदन पटल पर रखेंगे।

उप मुख्यमंत्री (श्री मनीष सिसोदिया) : अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं वित्त वर्ष 2013-14 के लिए विनियोजन लेखे, वित्त लेखे और 31 मार्च, 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन सदन के पटल पर प्रस्तुत करता हूं:—*

1. वर्ष 2013-14 के लिए विनियोजन लेखे।
2. वर्ष 2013-14 के लिए वित्त लेखे।
3. 31 मार्च, 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन।

अध्यक्ष महोदय : श्री गोपाल राय जी, माननीय परिवहन मंत्री अपने विभाग से संबंधित दस्तावेजों की हिन्दी-अंग्रेजी प्रति सदन पटल पर रखेंगे।*

परिवहन मंत्री (श्री गोपाल राय) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्यसूची में मत संख्या 32 में दर्ज उल्लेखित कागजातों की प्रति सदन पटल पर प्रस्तुत करता हूं:—*

---

*पुस्तकालय में संदर्भ सं. (R-15165-69 एवं R-15163 पर)

1. राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली को दिल्ली में फ्लैशर वाली लाल बत्ती केवल तभी प्रयोग की जा सकेगी जब विनिर्दिष्ट उच्च पदाधिकारी ड्यूटी पर है अन्यथा नहीं इस संबंध में जारी अधिसूचना सं.फा.सचि./11/75/परि./1997/पार्ट–3/04 दिनांक 7 जनवरी, 2014;

2. राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली में राज्य परिवहन अधिकरण के पुनर्गठन के संबंध में जारी अधिसूचना सं.फा.21/60/सचि./सटीए/2009/16 दिनांक 30 जनवरी, 2014;

3. अधिसूचना सं.फा.19(95)टीपीटी/सचि./2010/54 दिनांक 04 मार्च, 2014;

4. अधिसूचना सं.फा.5/पीए/सचि./सीटीए/2013/197 दिनांक 22 मई, 2014;

5. अधिसूचना सं.फा.10(118)/एएस/सीटीए/टीपीटी/2013/106 दिनांक 28 मई, 2014;

6. अधिसूचना सं.फा.25(901)2007/टीपीटी/ओपीएस/103 दिनांक 02 जून, 2014;

7. अधिसूचना सं.फा.17(102)/पीएलजी/टीपीटी/2007/525 दिनांक 17 जून, 2014;

8. अधिसूचना सं.फा.सचि./11/75/टीपीटी/1997/पार्ट–1/175 दिनांक 28 अगस्त, 2014;

9. अधिसूचना सं.फा.19(38)टीपीटी/सचि./2011/176 दिनांक 28 अगस्त, 2014;

10. अधिसूचना सं.फा.डीसी/ओपीएस:टीपीटी/285/2014/232 दिनांक 25 मार्च, 2014;

11. अधिसूचना सं.फा.डीसी/एआरयु/टीपीटी/245/2014/पार्ट-2/269 दिनांक 11 दिसम्बर, 2014;

अध्यक्ष महोदय : श्री सतेन्द्र जैन जी। माननीय ऊर्जा मंत्री अपने विभाग से संबंधित दस्तावेजों की हिन्दी अंग्रेजी प्रति सदन पटल पर रखेंगे।

विधेयकों का पारण

ऊर्जा मंत्री (श्री सत्येन्द्र जैन) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्यसूची में संख्या 33 में दर्ज उल्लिखित कागजातों की प्रति सदन पटल पर रखता हूं:*

1. दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (सलाहकारों की नियुक्ति) (संशोधन) विनियम 2014 की प्रति।

2. दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (मांगों की व्यवस्था) विनियम 2014 की प्रति।

3. दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (परिवर्तनीय ऊर्जा के लिए सकल मीटरिंग) विनियम, 2014 की प्रति।

4. इन्द्रप्रस्थ पावर जनरेशन कम्पनी लि. का वर्ष 2013-14 का तेहरवां वार्षिक प्रतिवेदन।

---

*पुस्तकालय में संदर्भ R-15165-69

5. प्रगति पावर कॉरपोरेशन लि. का वर्ष 2013-14 का तेरहवां वार्षिक प्रतिवेदन।

अध्यक्ष महोदय : अब श्री मनीष सिसोदिया जी उप-मुख्यमंत्री प्रस्ताव करेंगे कि 29 जून, 2015 को सदन में पुर:स्थापित दिल्ली मूल्य संवंर्धित कर (द्वितीय) (संशोधन) विधेयक, 2015 विधयेक 2015 (2015 का विधेयक संख्या-8) पर विचार किया जाये।

उप मुख्यमंत्री (श्री मनीष सिसोदिया) : अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के सामने प्रस्ताव रखता हूं कि 29 जून, 2015 को सदन में पुर:स्थापित दिल्ली मूल्य संवंर्धित कर (द्वितीय) संशोधन विधेयक, 2015। विधेयक 2015 (2015 का विधेयक संख्या-8) पर विचार किया जाये।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रस्ताव सदन के सामने है:

जो इसके पक्ष में हैं वे हां कहें
जो इसके विरोध में हैं वे न कहें

...(व्यवधान)...

(भाजपा के सभी सदस्य वैल में आ गये)

अध्यक्ष महोदय : विजेन्द्र जी, आप ये बात वहां खड़े होकर भी कह सकते हो।

ये प्रस्ताव सदन के सामने है:

जो इसके पक्ष में हैं वे हां कहें
जो इसके विरोध में हैं वे न कहें

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता

प्रस्ताव पास हुआ।

अब उप-मुख्यमंत्री जी विधेयक के संबंध में संक्षिप्त वक्तव्य देंगे। सोमनाथ जी, प्लीज।

उप मुख्यमंत्री (श्री मनीष सिसोदिया) : अध्यक्ष महोदय, ये नाटक जो अभी किया गया, ये सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जिन सदस्यों ने यहां ये नाटक किया, उन्होंने या तो इसको समझने की कोशिश नहीं की या वो जानबूझकर भ्रम फैलाने के लिए जैसा कि वो अक्सर करते रहते हैं जुमलों के माध्यम से फोटो के माध्यम से वही कोशिश फिर से यहां की जा रही है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने इस पूरे विधेयक को, जो संशोधन विधेयक है, उसको पढ़ा ही नहीं है और मुझे अनुमति दें आप ये कहने के लिए आज मीडिया रिपोर्ट्स में भी कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में इसे बहुत अच्छे से पेश किया गया है लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसा प्रस्तुत किया गया है कि दिल्ली सरकार बहुत महंगाई बढ़ाने जा रही है। मुझे ऐसा लगता है कि उन मीडिया रिपोर्ट्स के लिखने वालों ने भी उसको शायद पढ़ा नहीं है। जिन टेलीविजन चैनल पर कल इसको प्रस्तुत करते ही ये खबरें दिखाई गईं। उत्सुकता में उन्होंने भी, मुझे ऐसा लगता है कि बिना सोचे, बिना समझे, बिना पढ़े बिना जाने और बिना तथ्यों की जांच किये खबरों का प्रसारण शुरू कर दिया है। यह बहुत गंभीर मामला है। सरकार बार-बार कह रही है कि हम दिल्ली में बहुत कम टैक्स, ताकि लोगों से ज्यादा संख्या में टैक्स दें, जो अभी

टैक्स के दायरे से बाहर हैं, टैक्स चोरी कर रहे हैं किसी कारणवश, उनको इस दायरे में ले आएं। उनसे टैक्स लिया जाए और टैक्स बिना बढ़ाये लिया जाये। उससे दिल्ली का विकास किया जाए ये सरकार का कमिटमेंट रहा है। सरकार का कमिटमेंट रहा है कि जो बजट में प्रस्ताव दिये हैं खाने-पीने की चीजों पर, तमाम बुनियादी, जरूरत की चीजों पर बहुत सारे प्रस्ताव थे, बहुत सारे सुझाव थे लोगों के। लेकिन हमने किसी पर वैट नहीं बढ़ाया। हमने पहले से कमिटमेंट किया था और हमनें नहीं बढ़ाया और हम आज भी हैं फिर ऐसा क्या हुआ, फिर ऐसे क्यों बताया जा रहा है कि बिना पढ़े उस कागज को फाड़कर फेंकना, बिना समझे कागज को फाड़कर फेंकना और बिना सोचे समझे मीडिया रिपोर्ट्स में अनाप-शनाप सरकार के विरुद्ध बोलते चले जाना। मुझे लगता है इन बातों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। अध्यक्ष महोदय मेरे पास डेटा है। मैं आपके समक्ष ये जो अमेंडमेंड बिल रखा है मैंने, ये ये कहता है कि यदि दिल्ली में static tax structure है। अगर किसी चीज पर 20 परसेंट कर दिया तो वो 20 परसेंट ही है। कल को सरकार उसको 18 परसेंट करना चाहे 19 परसेंट करना चाहे 21 परसेंट करना चाहे, सरकार के पास अधिकार नहीं है तो सरकार flexibility का structure लेकर आ रही है और ये तमाम राज्यों में है। ये कोई हिन्दुस्तान में पहली बार नहीं हो रहा है। ये पर्चाफाड़ पार्टी के लोग जो अभी यहां से चले गये, पर्चा फाड़ के तमाशा करते हुए इनको पता नहीं है कि इनकी जिन-जिन राज्यों में सरकारें हैं, वहां हम तो 30 परसेंट की बात कर हैं, वहां पर अनलिमिटेड है। कितना भी बढ़ाया जा सकता है। अनलिमिटेड है ये। मैं डेटा आपके सामने रखता हूं और मैं चाहूंगा कि मीडिया के जो साथी जो कल से बिना सोचे-समझे, कुछ साथी बहुत गंभीरता से रिपोर्ट कर रहे हैं लेकिन कुछ साथी बिना

सोचे समझे रिपोर्ट कर रहे हैं। वो भी रिसर्च कर लें और वो रिसर्च करके देश के सामने सच रखें और बताएं कि कल से जो उन्होंने कहा है वो कैसे झूठ बोला है। साफ-साफ है हरियाणा में, जहां अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सरकार वहां चाहे जितना टैक्स बढ़ा सकती है, अनलिमिटेड कर रखा है उन्होंने। कोई लिमिट नहीं लगा रखी हम तो 30 परसेंट लगा रहे हैं। हम तो कह रहे हैं हम 30 परसेंट पर रोक देंगे लेकिन वो लोग जो अनलिमिटेड लेकर चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, खाली कुर्सियां सरकार, खाली कुर्सी वाली पार्टी की सरकार। कहां चले गये हरियाणा के बारे में क्यों नहीं बोलते कि अनलिमिटेड है वहां। 20 परसेंट कर दो और उनसे कोई जाकर पूछता भी नहीं।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने कुछ और, राजस्थान में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां पर अनलिमिटेड है कोई लिमिट नहीं है, कितना भी बढ़ा सकते हैं और आपकी सूचना के लिए बता दूं कि राजस्थान में, राजस्थान सरकार में कुछ मदों में 65 परसेंट तक वैट लगा रखा है 65 परसेंट तक। हम तो 30 परसेंट पर कैप लगा रहे हैं और वहां फाड़कर देखें। वहां के पर्चे फाड़ें। ये देश उनका भी है। 65 परसेंट तक टैक्स लगा रखा है अनलिमिटेड, कोई लिमिट नहीं रखी। इसका कोई मतलब है। हम 30 परसेंट ला रहे हैं, क्यों ला रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि दिल्ली में कालाबाजारी बंद हो। दिल्ली में जो टैक्स के नाम पर बिलिंग होती है, फर्जी बिलिंग होती है, फर्जी रिफंड लिये जाते हैं इसकी वजह से दिल्ली की जनता का बहुत भारी नुकसान होता है ये सारी चीजें बंद हों इसके लिए हम flexibility चाहते हैं हम टैक्स स्ट्रक्चर को...और उत्तर भारत में पहली बार हुआ कि मैंने उत्तर भारत के राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ बातचीत करके यह पहल की कि भई, आपके यहां जिस चीज पर टैक्स कम है, वहां आपके यहां चोरी होती है, हमारे यहां

जिस चीज पर टैक्स कम है, उस पर हमारे यहां चोरी होती है, समान दर ले आते हैं। समान दर ले आयेंगे तो ये कालाबाजारी बंद हो जायेगी चीजों की फर्जी बिलिंग बंद हो जायेगी। आपके राज्य की जनता का भी फायदा होगा, हमारे राज्य की जनता का भी फायदा होगा। इन्हीं की पार्टी के मंत्रियों ने माना कि ये बहुत अच्छा प्रस्ताव है। वे आये यहां पर, दिल्ली सचिवालय में पहली बार उत्तर भारत के वित्त मंत्रियों की बैठक हुई, कभी नहीं हुई आज तक। कभी किसी वित्त मंत्री ने इस तरह का प्रयास नहीं किया। उसको उन्होंने न सिर्फ प्रस्ताव किया बल्कि बहुत भाई-चारे के साथ अच्छे वातावरण में सब लोगों के साथ बातचीत हुई। समझ थोड़े ही रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथी। उनको समझ नहीं है इस बात की कि टैक्स स्ट्रक्चर क्या होता है और यूनिफाइड टैक्स स्ट्रक्चर के फायदे क्या-क्या होते हैं। कुछ नहीं तो इतनी समझ अपने उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों से ले लें, उनके मंत्रियों से ले लें, वहां के नेताओं से ले लें अगर खुद की समझ नहीं है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं वे लोग।

अध्यक्ष महोदय, मैंने इसी के तहत ये प्रस्ताव सदन के समक्ष रखा है कि फ्लैक्सिबल स्ट्रक्चर रहेगा, तो सभी राज्यों के साथ मिलकर चला जा सकेगा। उत्तर भारत के राज्यों में दुनिया के देशों में...दुनिया के देश आजकज इस धारा पर चल रहे हैं। दक्षिण भारत के राज्यों में कई बार ये चीजें देखने को मिलती हैं। हम उत्तर भारत के राज्यों के साथ कदम से कदम मिलाकर, चाहे वह किसी भी पार्टी की सरकार के तहत चल रहे हों, उनके साथ कदम से कदम मिलाकर तमाम तरह की चोरियों को रोकने का अपने यहां प्रयास करते हुए और उनके यहां रोकने से उनका सहयोग करते हुए, इस दिशा में लेकर जाना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने कुछ और राज्यों का डेटा रखना चाहता हूं।

मैंने आपको बताया कि हरियाणा में अनलिमिटेड है, हरियाणा में कोई लिमिट नहीं रखी हुई है उन्होंने अनलिमिटेड बढ़ा सकते हैं और उन्होंने बढ़ाया भी हुआ है, बहुत सारी चीजों पर। उत्तर प्रदेश में ये सीलिंग 50 प्रतिशत रखी गयी है। उत्तर प्रदेश में ये सीलिंग 50 प्रतिशत है और उन्होंने 32 प्रतिशत तक टैक्स बढ़ा रखा है। उत्तराखंड में ये 50 प्रतिशत रखी गयी है। पंजाब में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी के सहयोगियों की सरकार है। वहां पर उस पंजाब में इन्होंने 50 प्रतिशत रखा है। जाकर पूछें विजेन्द्र गुप्ता जी। जाकर पूछें भारतीय जनता पार्टी के नेता। जाकर पूछें मीडिया के वे साथी जिनको कल से ये बात समझ में नहीं आ रही है कि पंजाब में कैसे हो गया? पंजाब में तो नहीं हो रहा इसका विरोध और फ्लेक्सिबिलिटी एक अलग चीज होती है, टैक्स बढ़ाना एक अलग चीज होती है। दोनों का जमीन आसमान का अंतर है। ये समझना पड़ेगा हमें। कुछ भी कहने से पहले, पर्चे फाड़ने से पहले और नये पर्चे लिखने से पहले। मैं बहुत गंभीरता के साथ कहना चाहता हूं कि राजस्थान में अनलिमिटेड कर रखा है और उसके तहत उन्होंने 65 प्रतिशत तक टैक्स बढ़ा रखा है। मैंने कहा कि हम तो 30 प्रतिशत बढ़ाने की बात कर रहे हैं। महाराष्ट्र में जहां फिर से इनकी पार्टी की सरकार है, 50 प्रतिशत इन्होंने कर रखा है। और इन्होंने 50 प्रतिशत तक बढ़ा भी रखा है वहां पर। वहां बात नहीं करेंगे। वहां नहीं फाड़ेंगे पर्चे जाकर। क्यों? क्योंकि वहां इनकी पार्टी की सरकार है और हम तो यूनिफाइड कर रहे हैं। हम तो 30 प्रतिशत तक कर रहे हैं। और 30 प्रतिशत तक लिमिट कर रहे हैं। 30 प्रतिशत वेट नहीं कर रहे हैं। 30 प्रतिशत तक कर रहे हैं। ये फ्लैक्सिबिलिटी सरकारों को...इन्हीं की पार्टी की सरकारें हैं, जहां अनलिमिटेड लेकर चल रह हैं इन्हीं की पार्टी की सरकार है, जहां 50 परसेंट लेकर चल रही हैं। अगर हम उस 20 परसेंट को, 12 परसेंट को एक फ्लैक्सिबल

लिमिट लाकर ताकि सभी राज्यों के साथ मिलकर चला जा सके, तो 30 परसेंट तक रखना चाहते हैं। हरियाणा में अनलिमिटेड लेकर चल रहे हैं वे लोग, गुजरात में जहां से प्रधानमंत्री जी करके आये हैं, वहां भी अनलिमिटेड है, वहां भी अनलिमिटेड है, और 38 परसेंट तक बढ़ाया हुआ है। 38 परसेंट तक इन्होंने टैक्स मैक्सिमम किया हुआ है किसी प्रोडक्ट पर। ये सब लिमिट हैं। इसको भी समझें थोड़ा सा। पर्चा फाड़ने से पहले, जायें, मोदी जी से बात करें, साहब आपने तो अनलिमिटेड कर रखा है। हमारे यहां तो सरकार 30 प्रतिशत कर रही है। ये 30 परसेंट का पर्चा फाड़ गये हैं। वे पर्चा क्या फाड़ गये हैं, नासमझी का पर्चा फाड़ गये हैं। उनको समझ में नहीं आया कि ये है क्या। तमिलनाडु में अनलिमिटेड है और वहां पर 270 प्रतिशत रखा हुआ है। इसीलिए हम चाहते हैं, कोई भी सरकार हो, हम हैं या हमारे बाद कोई और सरकार आये, ये 270 परसेंट के फार्म्युले पर न जायें। 50 परसेंट के फार्म्युले पर न जायें, 68 परसेंट के फार्म्युले पर न जायें। इसलिए हमने कहा कि ये 30 परसेंट का फैसला यहां हम करें और इसको हम तो चाहेंगे कि बाकी सरकारें भी इसको 30 परसेंट तक करें। ताकि अनलिमिटेड टैक्स कहीं न बढ़ सके। सरकारों को खुली छूट न मिल जाये। टैक्स लेने के लिए ये सारी चीजें हम करना चाहते हैं इसके तहत मैंने यह विधेयक सदन के समक्ष प्रस्तुत किया है। मैं सदन से अपेक्षा रखता हूं, सदन से विनम्र निवेदन करता हूं कि सरकार के इस काम में सहयोग दें। जो यूनिफाइड स्ट्रक्चर ऑफ टैक्सेज की हम बात कर रहे हैं ताकि लोगों को भी परेशानी न हो। व्यापारियों को भी परेशानी न हो, टैक्स पेयर को परेशानी न हो। टैक्स कलैक्शन करने वालों को परेशानी न हो। और भ्रष्टाचार का रास्ता बंद हो और इसके साथ मैं यह सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूं कि इसे पास किया जाये।

अध्यक्ष महोदय : अन्य सदस्य भी चाहें तो चर्चा में भाग ले सकते हैं। श्री सोमनाथ भारती जी।

श्री सोमनाथ भारती : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय उपमुख्यमंत्री जी ने जो विधेयक प्रस्तुत किया है और जो उन्होंने चेंज किया है कि दिल्ली के इर्द-गिर्द जितने भी राज्य हैं, चाहे हरियाणा हो, यूपी हो उनकी जो एक अद्भुत मीटिंग की और कालाबाजारी जो लोग कर रहे हैं, उसको रोकने के लिए जो उन्होंने प्रयास किया, उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, बड़े अद्भुत तरीके से मनीष भाई ने बात रखी कि जिनको बिल की समझ नहीं, वह बिल फाड़ गये और अभी मैंने जानकारी ली कि ये दस्तावेज फाड़ना तो एक पनिशेबल ऑफेन्स है हाउस के द्वारा; और माननीय अध्यक्ष महोदय की तरफ पीठ करना, ये तो पनिशेबल ऑफेन्स है सदन के द्वारा। मैं तो कहता हूं कि इसका संज्ञान लिया जाये। क्योंकि अगर इस पर चर्चा करते और अपने तथ्यों को रखते, अपने आर्ग्युमैन्टस को रखते तो सदन को समझ में आता। इनका दायित्व बढ़ जाता है। तीन की संख्या होने के बावजूद इनको अपोजिशन का दर्जा मिला, ये सदन में इतना समय लेते हैं तो कम से कम इतनी आशा तो सदन करता ही है इनसे कि भई, आप अपने तथ्यों को आर्ग्युमैन्टस के आधार पर रखें। तो जहां एक अद्भुत प्रयास किया जा रहा है कि कालाबाजारी रुकेगी। इससे उसका साथ न देते हुए इस तरह का व्यवहार जो कि सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाने के बराबर है, यह शोभा नहीं देता है। वो तो यहां है भी नहीं और फोन छोड़कर गए हैं, फोन भी बज रहा है। शायद उनके आकाओं से कोई मैसेज आ रहा हो कि तुमने गलत कर दिया कि टीवी पर चल रहा है। तो ये माननीय उप मुख्यमंत्री जी का तहेदिल

से धन्यवाद करता हूं कि बड़े अच्छे तरीके से पूरे सदन को समझाया कि इसमें कोई बढ़ोत्तरी नहीं की है। हमने अपर लिमिट इसकी बढ़ाई है। साथ-साथ बाकी राज्यों को भी एक मैसेज देने का प्रयास किया, बाकी राज्य है, वैट की जो अपर लिमिट है उसको 65 अनलिमिटेड से घटाकर 30 प्रतिशत कर दो। जिसमें कि अधिकतर राज्य भाजपा के हैं। तो मैं इस विधेयक का तहेदिल से समर्थन करता हूं और उनको मुबारकबाद भी देता हूं कि पहली बार उत्तर भारत के वित्त मंत्रियों की मीटिंग बुलाकर के दिल्ली के सचिवालय में उन्होंने ऐसा काम किया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : अब विधेयक पर खण्डवार विचार होगा।

प्रश्न है कि खण्ड-2 जिसमें मूल अधिनियम की धारा 4 का संशोधन है, विधेयक का अंग बने।

यह प्रस्ताव सदन के सामने है,

जो इसके पक्ष में हैं, वे हां कहें,

जो इसके विरोध में हैं, वे न कहें।

(सदस्यों के हां कहने पर)

हां पक्ष जीता हां पक्ष जीता,

प्रस्ताव पास हुआ।

खण्ड-2 जिसमें मूल अधिनियम की धारा 4 का संशोधन है, विधेयक का अंग बन गया।

अब प्रश्न है कि खण्ड-3 जिसमें मूल अधिनियम की धारा-8 का संशोधन है, विधेयक का अंग बने।

यह प्रस्ताव सदन के सामने है,

जो इसके पक्ष में हैं, वे हां कहें,

जो इसके विरोध में हैं, वे न कहें।

(सदस्यों के हां कहने पर)

हां पक्ष जीता हां पक्ष जीता,

प्रस्ताव पास हुआ।

खण्ड-3 जिसमें मूल अधिनियम की धारा-8 का संशोधन है, विधेयक का अंग बन गया।

प्रश्न है कि खण्ड-4 जिसमें मूल अधिनियम की धारा-10 का संशोधन है, विधेयक का अंग बने:

यह प्रस्ताव सदन के सामने है,

जो इसके पक्ष में हैं, वे हां कहें,

जो इसके विरोध में हैं, वे न कहें।

(सदस्यों के हां कहने पर)

हां पक्ष जीता हां पक्ष जीता,

प्रस्ताव पास हुआ।

खण्ड-4 जिसमें मूल अधिनियम की धारा-10 का संशोधन है, विधेयक का अंग बन गया।

प्रश्न है कि खण्ड-5 जिसमें मूल अधिनियम की धारा-22 का संशोधन है, विधेयक का अंग बने:

यह प्रस्ताव सदन के सामने है,

जो इसके पक्ष में हैं, वे हां कहें,

जो इसके विरोध में हैं, वे न कहें।

(सदस्यों के हां कहने पर)

हां पक्ष जीता हां पक्ष जीता,

प्रस्ताव पास हुआ।

खण्ड-6 जिसमें मूल अधिनियम की धारा-38 का संशोधन है, विधेयक का अंग बन गया।

अब प्रश्न है कि खण्ड-7, जिसमें मूल अधिनियम की धारा-51 का संशोधन है, विधेयक का अंग बने।

यह प्रस्ताव सदन के सामने है:

जो इसके पक्ष में हैं वे हां कहें

जो इसके विरोध में हैं वे ना कहें।

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता।

प्रस्ताव पास हुआ।

खण्ड-7 जिसमें मूल अधिनियम की धारा-51 का संशोधन है, विधेयक का अंग बन गया।

अब प्रश्न है कि खण्ड-7 जिसमें मूल अधिनियम की धारा-51 का संशोधन है, विधेयक का अंग बने।

यह प्रस्ताव सदन के सामने है:

जो इसके पक्ष में हैं वे हां कहें

जो इसके विरोध में हैं वे ना कहें।

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता।

प्रस्ताव पास हुआ।

खण्ड-7 जिसमें मूल अधिनियम की धारा-51 का संशोधन है, विधेयक का अंग बन गया।

अब प्रश्न है कि खण्ड-8 जिसमें मूल अधिनियम की धारा-86 का संशोधन है, विधेयक का अंग बने।

यह प्रस्ताव सदन के सामने है:

जो इसके पक्ष में हैं वे हां कहें

जो इसके विरोध में हैं वे ना कहें।

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता।

प्रस्ताव पास हुआ।

खण्ड-7 जिसमें मूल अधिनियम की धारा-86 का संशोधन है, विधेयक का अंग बन गया।

अब प्रश्न है कि खण्ड-9 जिसमें मूल अधिनियम की धारा-89 का संशोधन है, विधेयक का अंग बने।

यह प्रस्ताव सदन के सामने है:

जो इसके पक्ष में हैं वे हां कहें

जो इसके विरोध में हैं वे ना कहें।

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता।

प्रस्ताव पास हुआ।

खण्ड-9 जिसमें मूल अधिनियम की धारा-89 का संशोधन है, विधेयक का अंग बन गया।

अब प्रश्न है कि खण्ड-10 जिसमें मूल अधिनियम की चौथी अनुसूची का संशोधन है, विधेयक का अंग बने।

यह प्रस्ताव सदन के सामने है:

जो इसके पक्ष में हैं वे हां कहें

जो इसके विरोध में हैं वे ना कहें।

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता।

प्रस्ताव पास हुआ।

खण्ड-10 जिसमें मूल अधिनियम की चौथी अनुसूची का संशोधन है, विधेयक का अंग बन गया।

अब प्रश्न है कि खण्ड-1 प्रस्तावना, शीर्षक एवं अनुसूची विधेयक के अंग बने। यह प्रस्ताव सदन के सामने है:

जो इसके पक्ष में हैं वे हां कहें

जो इसके विरोध में हैं वे ना कहें।

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता।

प्रस्ताव पास हुआ।

खण्ड-1 प्रस्तावना, शीर्षक एवं अनुसूची विधेयक का अंग बन गए।

अब उप मुख्य मंत्री प्रस्ताव करें कि ''दिल्ली मूल्य संवर्द्धित कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्या-8) को पारित किया जाए।

उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय। दिल्ली मूल्य संवर्द्धित कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2015 को पारित करने के प्रस्ताव से पहले मैं दो चीजें क्योंकि वक्तव्य में छूट गई और मुझे लगा कि जो 30 परसेंट का इश्यू था, बहुत बड़ा हो गया था और उसी पर मैंने अपनी बात रखी लेकिन इसके साथ-साथ इसमें व्यापरियों को भी बहुत डायरेक्ट फायदा पहुंच रहा है। क्योंकि ऑन लाइन रिर्टन फाइल ऑन लाइन जो करते हैं, एप्लीकेशन, केन्सीलेशन के लिए या किसी और कार्य के लिए उसमें ऑन लाइन प्रोसेस को बहुत आसान बनाया जा रहा है। क्योंकि जब आप एक-एक करके इन प्रस्तावों पर आ रहे थे। मैं पढ़ रहा था उनको। दूसरा, अगर कोई डीलर अपना कोई व्यापारी अपना लाइसेंस cancel करना चाहता है, changes of business करता है। closure of business करता है, late filling of return वगैरह कुछ information देना चाहता है, तो सब पर पैनेल्टी लगती है। वे penalty बहुत heavy है। उन penalties को कम करने का प्रस्ताव भी हमने इसमें रखा है। ये बहुत व्यापारियों द्वारा मुझे लगता, है, ये व्यापारियों के लिए बहुत स्वागत योग्य कदम होगा। साथ ही में ये भी स्पष्ट कर दूं कि बजट प्रस्तावों में जो हमने रखा है कि टैक्स नहीं रखना है, टैक्स नहीं बढ़ाना है फिर कहा luxury tax करना है क्योंकि वो बार-बार बात उठती है। बजट की चर्चा आएगी तो मैं रखूंगा। लेकिन

हमारा कहीं न कहीं उद्देश्य यही है कि बजट के बाद भी सरकार जो भी कदम उठाए। बहुत well study करके उठाए। ऐसे हवा में न उठाए। 20 परेंसट था। अगली बार हम लगा के 25 परसेंट रख देते। फिर हम 30 परसेंट ला कर रख देते। नहीं 20 से 21 भी जाएं 19 भी जाए तो well research बहुत research करके पूरे मार्केट की research करके हर एक commodity का हर एक सेक्टर का research करके उसके बाद जाएं और हमने ये पाया कि व्यापारियों को बहुत दिक्कतें हो रही हैं। penalties की वजह से, प्रोसेस की वजह से। तो यहां penalties कम करने का भी प्रस्ताव है और इसकी मांग व्यापारी बहुत लम्बे समय से कर रहे हैं। मैं सदन के समक्ष यह प्रस्ताव रखता हूं कि इस संशोधन विधेयक को पास किया जाए।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रस्ताव अब सदन के सामने है:—

जो इसके पक्ष में है वे हां कहें

जो इसके विरोध में हैं वे ना कहें।

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता।

प्रस्ताव पास हुआ, विधेयक पारित हुआ।

सदन आधे घंटे चाय पान के लिए स्थगित हुआ।

(सदन की कार्यवाही चाय पान हेतु आधे घंटे के लिए स्थगित हुई)

नियम 107 के अंतर्गत प्रस्ताव

सदन अपराह्न 4.40 बजे पुनः समवेत हुआ
अध्यक्ष महोदय (श्री राम निवास गोयल) पीठासीन हुये।

अध्यक्ष महोदय : नियम 107 के अंतर्गत प्रस्ताव श्री जरनैल सिंह जी (राजौरी गार्डन)

श्री जरनैल सिंह (राजौरी गार्डन) **:** अध्यक्ष महोदय, नियम 107 में आपने मुझे एक गंभीर विषय उठाने का मौका दिया, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। ये मेरे लिये निजी तौर पर बहुत भावुक क्षण है और जिस दिल्ली के अंदर जो देश की राजधानी है, इसकी सड़कों पर जब सरकारी आंकड़ों के मुताबिक तीन हजार से अधिक लोगों को जिंदा जला दिया गया था तो दिल्ली की विधान सभा ने कभी इस पर चर्चा नहीं की। मुझे इस बात की खुशी भी है कि तीस साल बाद सही, एक रेजूलूशन इस दिल्ली की विधान सभा में आया और वह भी इस तरह से आया कि प्रकृति का न्याय देखिये कि जिस पार्टी के ऊपर यह दोष था उसका एक भी विधायक इस दिल्ली की जनता ने नहीं भेजा है यहां पर। ये एक प्रकृति का नियम है जो करता है वो भरता है। 1984 में मैं 11 वर्ष का था और मुझे याद है जिस स्कूल में मैं पढ़ता था, वह गुरुद्वारे प्रिमिसिज में था और उसको आग लगा दी गई थी। मैं छठी क्लास में था और मेरे स्कूल को भी आग लग गई थी। मुझे याद आता है क्योंकि विषय सिर्फ एक जगदीश टाईटलर का नहीं है मैं चाहता हूं कि कम-से-कम दिल्ली की विधान सभा को उन संवेदनाओं का, उस समय क्या बीता, उस पीड़ा का, जिसका एहसास आज भी दुनिया भर में बैठा हुआ सिख समुदाय करता है, उसका कहीं आज कुछ एहसास भी हो जाये तो काफी एक संतुष्टि का भाव

आयेगा। मेरे बड़े भाई थे गुरचरण सिंह, मुझे याद है उनका एक पांव पोलियो से खराब था तो चल नहीं सकते थे। तो वह तीन पहिये की साईकिल पर जा रहे थे उनको भी मारा गया। मुझे याद है फोन आया। हमारे मामा थे टैक्सी स्टैण्ड पर उनको इतना मारा गया, उनका बचना तकरीबन मुश्किल हो गया था। हालात ये थे कि सफदरजंग अस्पताल लेकर जा रहे थे तो डॉक्टरों ने इलाज करने से मना कर दिया। इस तरह के हालात बना दिए गए थे। मैं इस वक्त याद करना चाहता हूं गुरु नानक साहब को जिन्होंने कहा कि:—

अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे
एक नूर सब जग उपजिया कौन भले को मंधे
न को बेरी, नहीं बेगाना सगल संग हमको बनिहाई
न को मेरा दुश्मन रहेया, न हम किसी को बैराई।।

न मैं किसी का दुश्मन हूं, न मैं किसी का बैराई हूं, न मुझे किसी से कोई नफरत है, प्यार बांटा लेकिन 1746 में एक बार वह समय अफदालियों का था, समय उस समय फरुखशियर बादशाह का था, हुकम हुआ था कि सभी सिखों को खत्म कर दिया जाये। उसे छोटा धल्लुधारा करके याद करते हैं। फिर 1776 का समय आता है उसे दूसरा धल्लुधारा करके याद करते हैं और 1947 झेली, मेरा परिवार 1947 में भी जो पाकिस्तान का हिस्सा पड़ता है, उस तरफ से उजड़ कर आया और 1984 में वो हालात देखने पड़े कि जब यह हुकम हो गया था कि कोई भी सिख हो, उसको कत्ल कर दिया जाये।

माननीय महोदय, मैं जो भी बात कहूंगा, एक पत्रकार भी रहा हूं तथ्यों के आधार पर कहूंगा किसी न किसी रिपोर्ट को कोट करके कहूंगा। मैं नानावती कमीशन की

रिपोर्ट को कोट करता हूं, जो सज्जन कुमार के बारे में है और मोती सिंह का हल्फनामा है। मोती सिंह के दो पोते मारे गए थे और ये पार्लियामेंट के अंदर टेबल हुई रिपोर्ट है जिसमें मोती सिंह कहते हैं कि मैंने सज्जन कुमार को कहते हुए सुना और सज्जन कुमार कह रहे थे कि रोशन सिंह और भाग सिंह को जिसने मारा उसको पांच सौ रुपया, जो और किसी सिख का कत्ल करेगा उसको एक-एक हजार रुपया दूंगा। उस समय मारने के लिए उन्होंने पैसे बताये, पैसे लुटाये गए।

अध्यक्ष महोदय, ऐसे हालात हुए गुरु तेगबहादुर साहब जिन्होंने जब एक जबरन आंधी चल रही थी नफरत की, साम्प्रदायिकता की, जब कह दिया गया था कि सब का एक धर्म बना दिया जायेगा, उन्होंने इसी गुरुद्वारा शीशगंज साहब पर अपना शीश दिया।

धर्म हेत साका जिन किया, शीश दिया पर सर न दिया। आज तक याद किया जाता है।

तिलक जंजू राखा प्रभता का, कीनो बडो कलू मैं साका
धर्म हेत इति जिन करी, शीश दिया पर सी न उतरी।।

एक ऐसा इतिहास कि एक धर्म का मुखिया दूसरे धर्म को बचाने के लिए अपना बलिदान दे गया। ये हिन्दुस्तान के इतिहास में सेक्युलरिज्म की, धर्मनिरपेक्षता की एक ऐसी मिसाल थी, जो सदियों तक नहीं मिलेगी लेकिन अफसोस 1984 में एक ऐसा इतिहास बनाया गया कि वो गुरुद्वारा शीशगंज साहब पर भी हमला हुआ और गुरु तेगबहादुर साहब को, मैं फिर कहता हूं, बात यह नहीं है जो मारे गये, वो चले गये, बहुत दु:खदायी है लेकिन दु:ख इससे बड़ा यह है उस आस का मर जाना कि उनको

कभी न्याय भी मिलेगा। आज हम अपने अंदर झांक कर देखें तो हम लोग ये मान चुके हैं कि न्याय नहीं होगा। हजारों लोग इंसाफ की राह, वो विधवायें, जिनके लोग चले गये, आज भी जब बाते करते हैं तो रोने लगते हैं। वो गुरुद्वारा रकाबगंज साहब, पर हमला हुआ, कमलनाथ जैसे मिनिस्टर बाहर बैठे थे, मैं रिपोर्ट संजय सूरी की इंडियन एक्सप्रेस की बात रहा हूं, कमलनाथ, बसंत साठे, दिल्ली का पुलिस कमिश्नर एस.सी. टंडन वहां पर खड़ा हुआ था, लेकिन गुरुद्वारे पर गोलियां चलाई जा रही थीं। हल्फनामा है मुख्तियार सिंह का जो उस समय वहां सेवादार था और बाद में मैनेजर बन गया। उसने जो अपना हल्फनामा दिया उसने कहा कि जब हमला हो रहा था गुरुद्वारे पर तो एक बुजुर्ग ने बाहर आकर हाथ जोड़े और कहा गुरुतेग बहादुर हिंद की चादर, यहां हमला न करो। बच्चो उन्होंने उसको देखा और पकड़ कर उसको आग लगा दी। उसका एक 14-15 साल का बच्चा था उससे देखा नहीं गया, वो अपने पिता को बचाने के लिए आया। तो जब वो आया तो उन्होंने यह नहीं देखा कि पिता के प्रति अपना फर्ज पूरा कर रहा है, वो बोले एक और सिख मिल गया इसको भी आग लगा दो। वो बच्चा जलाया गया। 60 परसेंट जला था, बच सकता था लेकिन पुलिस ने उसको हॉस्पिटल नहीं ले जाने दिया। सेवादारों को उसको पानी नहीं पिलाने दिया। छह घंटे तड़फ-तड़फ कर वो बच्चा वहां दम तोड़ दिया। ये हालात हुए, दो-दो महीने के बच्चों को चूल्हों पर रखकर जला दिया उस नफरत की आग ने। अगर इस दिल्ली के अंदर जो कत्लेआम हुआ, जैसे अभी मनीष जी कह रहे थे ना, रिपोर्टिंग करते वक्त क्या करते हैं मनीष जी, उस समय मीडिया को सांप सूंघ गया था। उस वक्त जब तीन हजार लोग जिंदा जला दिए गए अखबारों में एक खबर तक नहीं आई। जैसिका लाल कांड हो जाता है तो दस-दस साल

तक खबर चलती हे। लेकिन एक खबर एक अखबार में नहीं आई कि इतने लोग मार दिए गए हैं।

अध्यक्ष महोदय, हम एक बहुत प्राउड कम्युनिटी से आते हैं, जब मैं डिफेंस कोरसपोंडेंट था, मुझे रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी के साथ, जब यह सुनामी आई थी तो जाने का मौका मिला, अंडमान और निकोबार में हमारा इंडियन एयरफोर्स का बेस, वहां मैं गया था, वापिस आते वक्त हम सैलुलर जेल देखने गये। मैं सैलुलर जेल देखने गया तो सैलुलर जेल में जो काल-कोठरियां हैं जहां हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की जिंदगियां गल गईं, मैंने जाकर देखा तो मैंने उन दीवारों पर उनके नाम पढ़ने शुरू किए जब नाम पढ़ने शुरू किए तो मेरा सीना गर्व से फूलने लगा कि उसमें कम-से-कम नहीं तो सिख और पंजाबियों के 50 प्रतिशत नाम थे। हमने कुर्बानियां दी हैं लेकिन में इसीलिए कहना चाहता हूं कि एक दर्द है, एक पीड़ा है, कहीं न कहीं वो बार-बार उठती है कभी कहते हैं ना पंजाब में यह हो जाएगा, कभी कहते हैं ये मसला क्यों उठा, यह दर्द है, उसको समझना पड़ेगा, हम इस पर बोलना भी नहीं चाहते, इंसाफ करने की बात तो बहुत दूर की बात है। 1965 की जंग हो, पाकिस्तान ने हमला किया, ऑपरेशन जिब्राल्टर था और वहां का पाकिस्तान का सेना का प्रमुख कहता था क्योंकि पेटन टैंक दिए थे अमेरिका ने उसको, बोले यह invincible है हिन्दुस्तान की जो फौज है उसको तोड़ नहीं पाएगी उसने कहा कि सुबह का नाश्ता मैं अमृतसर में करूंगा और रात का खाना मैं दिल्ली में खाऊंगा, मुझे कोई रोक नहीं सकता। जब यह बात आई, इतिहास गवाह है किताबें हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह की भी एक किताब है वो उनके ए.डी.सी. थे उस वक्त। उन्होंने कहा हमारे सेना के जो प्रमुख थे, उन्होंने कह दिया कि मोर्चा जो है थोड़ा व्यास के आगे

ले आइये, लेकिन लेफ्टिनेंट हरबख्स सिंह ने कहा 1947 में गुरु नानक का जन्म स्थान छूट गया, पंजा साहिब छूट गया, नानकाना साहिब छूट गया, अब क्या अमृतसर भी हमसे छूट जाये, नहीं हम पाकिस्तान की फौजों को यहीं जवाब देंगे और उन्होंने मोर्चा संभाला, उन्होंने छातियों पर एंटी टैंक माइंस बांधी और पाकिस्तान के टैंकों से टकरा गये और उनका परखच्चा उड़ाकर कब्रिस्तान बना दिया। बॉर्डर जैसी फिल्में बनीं।

अध्यक्ष महोदय : जरनैल सिंह जी, जरा शोर्ट करें प्लीज।

श्री जरनैल सिंह : देखिए सर, ये मामला जो है, बहुत...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं मानता हूं बहुत गंभीर विषय है।

श्री जरनैल सिंह : और तीस साल में पहली बार इस पर डिस्कशन हो रही है। मैं तो अभी अपने विषय पर आ ही नहीं पाया हूं। 1965 की जंग हुई, 1971 की जंग हुई लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा जिन्हें बांग्लादेश वार का हीरो कहा गया। अभी हमारे प्रधानमंत्री गये थे बांग्लादेश तो एक उनको तस्वीर दी गई जब 93 हजार पाकिस्तान के फौजियों ने सरेंडर किया था और बांग्लादेश की वार जीती थी तो वो लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा की थी लेकिन 1984 में उस लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के ऊपर हमला हुआ, उसने इंद्र कुमार गुजराल को फोन किया, उसने कहा मैं क्या करूं, मुझ पर भी हमला हो गया, क्या सोचा होगा उस जनरल ने? क्या सोचा होगा उस जनरल ने, तो इंद्र कुमार गुजराल ने कहा तुम पगड़ी उतरकर मेरी गाड़ी में छुप कर आ जाओ। लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा ने बाद में सिख फोरम का गठन किया। आर.एस. नरूला कमेटी बनाई, सरकार जांच नहीं कराना चाहती थी, सरकार कमीशन नहीं बनाना चाहती थी लेकिन

जब वो लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा इस दुनिया से गये, सरकार ने उसको सम्मान तक नहीं दिया। यह कांग्रेसी सरकारों का ऐसा व्यवहार था उस हीरो के लिए, मैं यह कहना चाहता हूं कि 1984 का कत्लेआम हुआ, यह दंगा नहीं था यह नरसंहार था, यह हिंदू और सिख नहीं लड़े थे, यह सरकारी कत्लेआम था और इस सरकारी कत्लेआम को नानावती कमीशन की रिपोर्ट ने भी माना। सर, सबसे पहले वेद मारवाह कमीशन बना और वेद मारवाह कमीशन ने क्या किया, बड़ी ईमानदारी से काम शुरू किया। उन्होंने सारे पुलिस थानों के रोजनामचे जब्त करा लिए की भई, क्या शिकायत आ रही थी लेकिन उस समय की पुलिस ने जब वो रिपोर्ट देने वाले थे, उनका कमीशन भंग कर दिया। रंगनाथ मिश्रा कमीशन बना दिया। रंगनाथ मिश्रा कमीशन ने सब को बचा दिया। जब सब को बचा दिया तो रंगनाथ मिश्रा को राज्य सभा भेज दिया गया। ऐसा इंसाफ के साथ किया गया, अमोद कंठ जैसे लोग जिन्होंने उस वक्त एक ग्रुप कैप्टन थे एयरफोर्स के वो अपने परिवार को बचाने के लिए बाहर आये, उसकी गिरफ्तारी की तो अमोद कंठ को राष्ट्रपति से वीरता पुरस्कार दिलवा दिया गया। जो अभी अदालत ने तीन साल पहले कहा कि शर्मनाक है। बात यह नहीं कि मारे गये, बात यह नहीं कि इंसाफ नहीं हुआ, बात यह है कि दोयम दर्जे का नागरिक होने का एहसास कराया गया। मुझे खुशी है, मैं राजनीति में नहीं आना चाहता था लेकिन अरविंद केजरीवाल जिन्होंने उस वक्त 1984 के मामले को लिया, जो हमारे साथ धरने पर बैठे, जो भूख हड़तालों पर बैठे, एसआईटी का गठन किया तब मैंने फैसला किया कि मैं इस राजनीति में आ सकता हूं अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में। सर, किशोर लाल एक कसाई था 32 लोगों का कत्ल किया। कत्ल करने के बाद एक ही मामला है सिर्फ जिसमें फांसी की सजा सुनाई गई थी लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको भी तोड़ कर उम्रकैद कर दिया और पिछली सरकार जो शीला

दीक्षित की थी उन्होंने यह लिखा कि किशोरी लाल का चाल-चलन ठीक है, इसको रिहा कर दिया जाये। कितने शर्म की बात है, कितने शर्म की बात है कि इस तरह से किया गया।

हमारी दामनी एक बच्ची उसके साथ क्या हुआ, पूरा देश आंदोलित हो गया नानावटी कमीशन की रिपोर्ट कहती है 30 लड़कियां उठाकर चिल्ला गांव ले जायी गई तीन दिन तक उनके साथ क्या हुआ, मैं बोल नहीं सकता मेरी जुबान नहीं बोल सकती, उन दामनियों के साथ इंसाफ कब होगा, कभी इंसाफ नहीं हो सका उनके साथ। भागीकौर जिसके परिवार के 10 लोग मार दिये गये और वो कहती है तीन दिन तक हमें कपड़े नहीं पहनने दिये गये और उन्होंने शराब पीकर उन्होंने हमारे साथ क्या किया बोलते हुए उनकी नजरें शर्म से झुक जाती हैं, लेकिन उनको शर्म नहीं आई मैं इसलिए कहना चाहता हूं दिल्ली के अंदर अपराध बढ़ रहा है क्योंकि 1984 के कत्लेआम के हजारों कातिल और हजारों लुटेरे आज भी हमारे अंदर कहीं न कहीं इस दिल्ली के अंदर घूम रहे हैं और कह रहे हैं कि कुछ भी भीड़ बनकर कर दो कोई कुछ नहीं कहेगा। अगर 84 के कातिलों को सजा दे दी गई होती तो शायद 2002 भी ना होता, शायद कंधमाल में भी ना होता लेकिन हमने कोई उनसे सीखा नहीं। दिल्ली पुलिस का मैं हाल बता देता हूं दिल्ली पुलिस 32 नम्बर ब्लॉक त्रिलोकपुरी का। अध्यक्ष महोदय 500 परिवार थे इकट्ठे उन्होंने अपने आपको बचाना शुरू किया दो-तीन बार भीड़ पीछे हटी तो उसके बाद शुरवीर त्यागी मैं आपके सामने कोट कर रहा हूं एक-एक बात सत्यापित कर सकता हूं वो थानेदार आये और बोले हमारी जिम्मेदारी है, हम बचाएंगे आपको आप पीछे हट जाइये उनसे डंडे-सोटे ले लिए और उनको उनके घरों में बंद कर दिया और उसके बाद भीड़ को लेके पुलिस

ने हमला किया 500 लोग उस एक ब्लॉक में मारे गये उस पूरे 32 ब्लॉक में एक लेडी ऐसी नहीं बची जो विधवा ना हुई हो एक बच्चा ऐसा ना बचा जो अनाथ ना हुआ हो और वो सब के सब आज तिलक विहार में जाकर जिसको विडो कॉलोनी कहते हैं, वहां जाने के लिए मजबूर हुए। इस देश के इतिहास में इतना बड़ा अन्याय हुआ है सोलादास जैसी डीएसपी जिन्होंने जब ये चिल्ला गांव में तीस लड़कियां ले जाई गई तो अपनी गाड़ी देने से इंकार कर दिया, 72 पुलिस अफसरों के खिलाफ कुसुम लता मित्तल कमेटी ने कहा कि ये पुलिस के नाम पर कलंक है। इनके खिलाफ कार्रवाई की जाये। लेकिन आज तक किसी पुलिस अफसर के खिलाफ कोई कारवाई नहीं हुई। हम किस तरह से रोकेंगे, मुझे विश्वास नहीं होता। अगर हम अकाउंटेबिलटी तय नहीं करेंगे हम किसी की जिम्मेदारी तय नहीं करेंगे हम एक कानून नहीं ला सकते हैं क्या? हम एक एंटी कम्युनल वायलंस लॉ नहीं ला सकते हैं कि कोई भी अधिकारी चाहे किसी के यहां दंगा-फसाद कुछ हो अगर 4 घंटे में नहीं रोकता है तो तुम्हारी नौकरी गई। वो रोकेगा, लेकिन आज तक इस देश में हम ये नहीं कर सके।

और तो और अध्यक्ष महोदय फौज में लड़ने वाले हमारे वो हैं जिनको हम याद कर रहे थे वन रैंक वन पेंशन की हम बात कर रहे थे 58 फौजियों को जो सरहद से अपने घर छुट्टी लेकर घर जा रहे थे जिंदा जला दिया गया ट्रेनों में जिसकी खबर आज तक किसी अखबार में नहीं आई उसमें से आठ अधिकारी थे। हम कह देते हैं कि सरहद पर हमारे एक अधिकारी का सर काट दिया तो हम छोड़ेंगे नहीं। तो वो भी तो 58 वो थे जिन्होंने 1965 और 71 की जंगें लड़ी थीं। अध्यक्ष महोदय,

ये बहुत बड़ा विषय है इतना बड़ा विषय कि ज्यादा बोलते हुए मैं खुद भावुक हो जाऊंगा कोशिश कर रहा हूं कि ना बोलूं who were the guilty? पहली रिपोर्ट आई उसके बाद वेद मारवाह कमीशन, रंगनाथ मिश्रा कमीशन, अतुल बैनर्जी कमेटी, कुसुम लता मित्तल कमेटी, पोटी वर्षा कमेटी, कमेटियों पर कमेटी बनती रही लेकिन इंसाफ कभी नहीं हुआ और आज दु:ख इस बात का होता है कि सोचा था कि शायद हम जगदीश टाइटलर को कोई सजा हो जाएगी। सोचा था कि शायद इस सज्जन कुमार को कोई सजा हो जाएगी लेकिन कोई सजा नही हो पा रही है और आप देखिए। मैं ये वो चार्ज सीट है, मैं ये वो दिखा रहा हूं ये जगदीश टाइटलर के मामले में सीबीआई ने दी है जिसमें वो कह रही है कि मैं इस मामले को और आगे नहीं ले जाना चाहती और no evidence emerge during investivation for its prosecution लेकिन खुद ही कह रही है कि इस मामले में अभिषेक वर्मा नाम के आदमी ने...

अध्यक्ष महोदय : ये चार्ज सीट किस डेट की है अनाउंस करें।

श्री जरनैल सिंह : सर ये आई 24.12.2014 और उसके बाद दुबारा डेट डाली है, अब इन्होंने क्लोजर रिपोर्ट करने की मांग की है। मैं वो एफिडेविट रख सकता हूं सदन के पटल पर जो अभिषेक वर्मा का है और मैं उसको सत्यापित कर सकता हूं। और इसके अंदर वो कह रहा है, अभिषेक वर्मा कह रहा है कि सुरेंद्र सिंह ग्रंथी का जो मामला है जगदीश टाइटलर का पुल बंगश का गुरुद्वारा था, तीन लोगों की हत्या की गई जिसमें एक सेवादार था बादल सिंह जिसकी वाइफ लखविंदर कौर

जिसके मामले को लेकर अभी भी लड़ने की कोशिश कर रही है और उस मामले में भीड़ की अगवाई कर रहा था जगदीश टाइटलर और उस मामले में सुरेंद्र सिंह ग्रंथी था। वो मेन विटनस था, उसने उसी वक्त 1984 में जब अपनी ये स्टेटमैंट दी थी कि ये जगदीश टाइटलर है तो जगदीश टाइटलर ने उसके बाद में बताया तो इसकी एक रिपोर्ट भी आई तो जो तहलका ने लिखी थी कि जब सुरेंद्र सिंह ग्रंथी के पास खाली कागज लेके एक हफ्ते के अंदर जगदीश टाइटलर पहुंच गये और बोले इसके ऊपर साइन करो नहीं तो मार दिये जाओगे, उसने मना कर दिया लेकिन बाद में लगातार दबाव बनाया गया और कहा गया कि तुम्हारे बेटे को कनाडा भेज देंगे और पैसा देंगे और ये अभिषेक वर्मा का एफिडेविट बताता है कि सुरेंद्र सिंह ग्रंथी के बेटे नरेंद्र सिंह को कनाडा भेजा गया और भेजने वाला अभिषेक वर्मा कहता है कि मेरी एटलस कम्पनी ने भेजा और मुझे जगदीश टाइटलर ने कहा था कि भेजो और 50 हजार डॉलर उसको दिये गये।

अध्यक्ष महोदय, ये इतने बड़े एविडैंस सामने आ रहे हैं। नरेंद्र सिंह को जांचें और सीबीआई कह रही है नहीं सुरेंद्र सिंह ग्रंथी तो अब रहे नहीं तो इस मामले में सत्यापित करना तो मुश्किल है तो हम इस मामले को आगे नहीं बढ़ा सकते। आप नरेंद्र सिंह को क्यों नहीं ढूंढते वो कनेडा में है। आप उस बैंक, एक और मामला है इसमें पांच करोड़ रुपये हवाला से भेजे जगदीश टाइटल ने किस बैंक को भेजे वो वहां पर फ्रीज कर दिये गये जब जगदीश टाइटलर के पांच करोड़ रुपये वहां पर फंस गये मैं फिर सत्यापित कर दूंगा। मैं जो भी कहूंगा, पूरे अधिकार के साथ और मैं जो भी सदन में कहूंगा पूरे तथ्यों के साथ कहूंगा। मैं इसको पूरे सबूतों के साथ कहूंगा तो जब फ्रीज कर दिये गये जब वो पैसा फ्रीज कर दिया गया तो उस समय ये अभिषेक वर्मा कहते हैं कि उन्होंने पहले उनसे कहा कि मुझसे छुड़ नहीं

रहा भई दुबई में एक आदमी था और अपनी बहन को भेजा कपूर फैमिली सैटलमैंट ये इनकी एनजीओ है, उसको भेजा गया। लेकिन जब नहीं बात बनी तो वो कहता है अभिषेक वर्मा मैंने दीपक रामपाल नाम के आदमी को कहकर वो पांच करोड़ रुपये डी फ्रिज कराने की कोशिश की तो पांच करोड़ हवाला में भेजते हैं हवाला के अंदर लेकिन सीबीआई कहती है कि कोई केस नहीं होगा वो गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कोई केस नहीं होगा यही एचकेएल भगत के केस में हुआ था। सतनामी बाई उसको साढ़े 12 लाख रुपये दिये गये थे कि तुम अपना बयान बदल लो, दर्शन कौर जो एक और गवाह थी उसको मारा पीटा गया, इस देश के अंदर न्याय की हत्या की गई है लगातार।

अध्यक्ष महोदय : जनरैल सिंह जी कंक्लूड करें प्लीज पूरे बीस मिनट हो गये हैं। कंक्लूड करिए।

श्री जरनैल सिंह : अध्यक्ष जी मैं बस इसको कंक्लूड करने की कोशिश करता हूं। इस देश के अदंर अगर कोई काले हिरण को मार देता है तो उसको सजा होती है Cruelty Against Animals Act है मैं कल एक स्टोरी देख रहा था एक नया चैनल आया है कि डोग फाइट को लेके एक घंटे की स्टोरी दिखाई गई है कि इसको रोका जाए और जो लोग मारे गये दिल्ली की सड़कों पर; क्या उनको छोड़ दिया जाएगा। मैं उस समय राज्य सभा कवर करता था उस समय नानावती कमेटी की रिपोर्ट आई और मुझे याद है प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने उस समय कहा था। bow my head in shame. हम इसके मामले में कार्रवाई करेंगे 2009 तक उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की बल्कि क्लीन चिट दे दी। मैं ये इसलिए कहना चाहता हूं मेरा इसमें

निजी तौर पर मामले से जुड़ा हुआ है 2009 में इसी सीबीआई ने इसी मामले में जगदीश टाइटलर को क्लीन चीट दी थी और क्लीन चीट देने के बाद उस समय के जो हमारे गृह मंत्री थे पी. चिदम्बरम उन्होंने कहा था I am very happy. My friend have been exonerated by CBI. मुझे बड़ी खुशी है कि वो छूट गये हैं तब मैंने उनको प्रैस कान्फ्रैंस में पूछा था कि आप तो गृह मंत्री हैं इंटरनल सिक्योरिटी के इंचार्ज हैं, आप कैसे खुश हो सकते हैं? उन्होंने कहा था You are using this petition for your own agenda. मैं तुम्हारी बातों में नहीं आना चाहता तुम गलत कर रहे हो तो एक प्रोटैस्ट करना पड़ा।

अध्यक्ष महोदय आज 2009 के बाद आज फिर 2015 आ गया फिर क्लीन चिट। इनको क्लीन चिट कैसे मिल जाती है एक आम आदमी को पकड़ के पुलिस बंद कर देती है कभी कहती है कि ये नशे का सौदागर है कभी क्या कहा जाता है और ये चलता आ रहा है। लगातार हो रहा है हमारी आपसे यही गुजारिश है, हमें लगा था कि कांग्रेस की सरकारें चली गयी तो भाजपा की सरकार तो इन्होंने वादा किया था, अब मैं कंक्लूड कर रहा हूं। अरविन्द जी की जब पिछली बार सरकार आयी थी तो कैबिनेट में फैसला किया था कि हम एसआईटी का गठन करेंगे और कैबिनेट ने वो फैसला किया भी था और वो संजीदा भी था। इस दौरान सरकार चली गयी और सरकार के जाने के बाद वादा किया था कि हम फिर आएंगे तो एसआईटी का गठन करेंगे। लेकिन इस दौरान मोदी जी की सरकार ने कहा कि एसआईटी का गठन हम करेंगे। हमने कहा ठीक है, आप कर लीजिए। हम इस पर टकराव की राजनीति नहीं करना चाहते और वैसे भी दिल्ली पुलिस और सीबीआई सीधे केन्द्र के हवाले है। क्योंकि केन्द्र के हवाले हैं और जांच एजेंसियां यही दोनों हैं। इन्होंने करना है लेकिन फरवरी में एसआईटी का गठन हुआ और आज चार महीने

से ऊपर हो चुके हैं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। 6 महीने में रिपोर्ट देनी थी तो क्या ये कोर कमेटी वो भी कार्रवाई नहीं करेगी। वो भी कोई मामला नहीं लेगी। कम-से-कम वो एसआईटी ये वाला मामला तो ले ले। उस कमेटी को यही देखना है टर्मस ऑफ रेफ्रेंस नहीं है कि कौन-कौन से केसेज रि-ओपेन किया जा सकते हैं। लेकिन उन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं किया। हमें बहुत दु:ख होता है जब यही सीबीआई जिसको कहा जाता था कि कांग्रेस का तोता बन गया है अब किसका तोता बन गया है विजेन्द्र जी, किसका तोता गया है? ये सीबीआई क्यों क्लीनचिट दे रही है इनको क्यों मामले जब ये सामने हैं, सबूत हैं तो हवाला का मामला भी दर्ज कीजिए। इन पर गवाहों को प्रभावित करने का मामला भी दर्ज कीजिए और सैकडों ऐसे केस हैं जो दिल्ली पुलिस ने दबा दिए। जिस दिल्ली पुलिस के अधिकारियों को कुसुम लता मित्तल कमेटी ने कहा कि ये कलंक हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी तो दिल्ली पुलिस से हम आस नहीं कर सकते, हम सीबीआई से आस नहीं कर पा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट खुद मॉनिटरिंग करे, निष्पक्ष एजेंसी हो, किसी दूसरी पुलिस जिस तरह अरविन्द जी ने कहा कि एसीबी में अधिकारी नहीं लगाने हैं तो किसी दूसरे राज्य से ले आइए। मैं कहता हूं कि दूसरे राज्यों के कुछ अधिकारी लगाकर इंसाफ करने की कोई कोशिश कीजिए, रह जाएगा दिल में। कहते हैं भूल जाओ, भूला नहीं जाता। हिन्दुस्तान की संस्कृति में कभी रावण ने क्या किया था, आज तक उसके पुतले जलाये जाते हैं। भूला नहीं जाता। मैं दो तीन बातें कहके खत्म करूंगा। सिर्फ मैं दो मिनट लूंगा उससे ज्यादा नहीं लूंगा। जब मैंने किताब लिखी अपनी उस घटना के बाद तो सतपाल को, उससे मिलने गया। उसकी तीन बहनें थीं, एक भाई था। वो खुद चौदह साल की थी और एक आठ साल की, एक छह साल की और एक दो साल की और एक भाई था। वो कहती मेरे भाई को, उसके पिता मारे गये, उसकी मां को मार दिया गया, उसके ताया को मार दिया गया। कहती मेरे भाई को पुलिस ने मेरे सामने गोली मारी, तीन बहनों को कैसे पाता, मैं नहीं बता

सकती। भागी को, दर्शन को किस-किस का नाम लूं। अब हद हो चुकी है। तीस साल हो चुके हैं। कब तक इंतजार करेंगे हम लोग। ये मामला आंकड़ों का नहीं, ये मामला हमारे इज्जत से जुड़ा है। ये मामला हमारे इस देश में हरने के हक से जुड़ा है। मुद्दतें हो चुकी हैं, इंसाफ की बॉट जोहते-जोहते। मजाक बना के रख दिया है वो 2002 का नाम ले लेता है, वो 1983 का नाम ले लेता है। कोई किसी और का नाम ले लेता है। इंतजार वो लोग कर रहे हैं जिनके साथ ये हुआ है। हमें जब बच्चे पूछते हैं, मैं फिर कह रहा हूं हमसे वो लोग पूछते हैं अध्यक्ष जी, जो 1984 के बाद पैदा हुए हैं। वो नौजवान पूछते हैं कि हमारे साथ इंसाफ क्यों नहीं हुआ, तो क्या जवाब दें हम उन्हें? क्या जवाब देंगे? मैं आज भी कहता हूं कि ये कोई आनरेबल डिस्क्लोजर होना चाहिए। मामले ऐसे हैं गुरुबचन सिंह का नांगलोई में चार लोग मारे गये। तेईस साल हो गये एफआई आर दर्ज हुए। तेईस साल से चार्ज शीट तक दर्ज नहीं हुई हैं अभी तक। क्या तेईस साल लग जाते हैं एफआईआर से चार्ज शीट में। किसी सरकार से हमें कोई उम्मीद नहीं रह गयी है। बहु उम्मीदों के साथ हमें अरविन्द जी से उम्मीद है कि वो मामले को लेकर आएंगे और हम ये मांग करते हैं कि इस मामले के अंदर केसेज को रि-ओपन किया जाए। इसके अंदर जो मामला दबा दिए गए, उनको लेके आया जाए। फास्ट ट्रैक कोर्ट आप बना सकते हैं फास्ट ट्रैक कोर्ट आप बनाइए। मैं चाहूंगा अरविन्द जी एनाउंस करिए कोई वकील चाहिए वो हम देने को तैयार हैं। हम इस मामलें को उठाने के लिए तैयार हैं। सजाएं होनी चाहिए। अगर सज्जन कुमार के मामले में पांच लोगों को 2010 में सजा हो सकती है तो 2016 में क्यों नहीं हो सकती है? एक साल के अंदर फास्ट ट्रैक कोर्ट से इस मामले को खत्म किया जाना चाहिए और ये जो मामला है इसके अंदर होम मिनिस्ट्री को लिखिए। मैं चाहता हूं प्राईम मिनिस्टर को लिखा जाए। ये आम आदमी

पार्टी वादा करके आयी है कि 1984 के कत्लेआम के मामले को लेके पूरा संजीदा है। समय इतना नहीं है आपने बताया नहीं तो बातें बहुत हैं जिनको मैं करना चाहता था लेकिन आपने मुझे बोलने का वक्त दिया। मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं। लेकिन एक ही बात कहूंगा-

मुद्दतें गुजरी हैं, रंजोगम सहते हुए।

और मैं ये कहना नहीं चाह रहा हूं, शर्म सी आती है इस वतन को वतन कहते हुए लेकिन मैं इनता कहूंगा कि-

शर्म सी आती है, इन सरकारों को जो ये गुजरी हैं सरकारें कहते हुए।

ये कहते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : श्री अमानतुल्ला जी।

श्री अमानतुल्ला खां : शुक्रिया अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे 1983 फसाद के बारे में बोलने की इजाजत दी। देखिए 1984 के फसाद को फसाद कहा जाता है, 1992 के, 2002 के फसाद को फसाद कहा जाता है। मुजफ्फरनगर को फसाद कहा जाता है लेकिन असल में ये फसाद नहीं है ये सोची समझी साजिश का एक नतीजा है। अगर 1984 में इंसाफ हुआ होता, 1984 में जगदीश टाइटलर, सज्जन कुमार को अगर सजा हुई होती, 1984 में सड़कों पर खुलेआम कत्लेआम करने वालों को अगर सजा हुई होती तो 2002 के दंगे नहीं होते। 2002 में जो गुजरात के अंदर हुआ, करने वाले कौन लोग थे, आज वो कहां बैठे हैं, किन पदों पर बैठे हैं, ये हम सब जानते हैं। लेकिन अगर उस वक्त इंसाफ मिला होता, उस वक्त में कोई ऐसा कानून बना होता कि जो जुर्म करने वाले हैं, उनको सजा हुई होती तो 2002 का दंगा नहीं

हुआ होता। और 2002 के दंगे में अगर इंसाफ हुआ होता तो मुजफ्फरनगर नहीं होता और मुजफ्फरनगर में इंसाफ हुआ होता तो त्रिलोकपुरी नहीं होता और अभी पंद्रह दिन पहले एक अटाली गांव में बल्लभगढ़ में हरियाणा के अंदर है, वहां एक फसाद हुआ, वो नहीं हुआ होता। तो हमारी तो ये दरख्वास्त है, उम्मीद है कि वो लोग हिन्दुस्तान में जब से मुल्क आजाद हुआ है, तकरीबन चालीस हजार से ज्यादा फसाद हुए हैं। उसमें जिन्दा लोगों को जला दिया गया, मांओं के अंदर से पेटों को चीरकर के बच्चों को निकालकर जला दिया गया, उन्हें मार दिया गया। वो लोग आज भी खुलेआम घूम रहे हैं। गुजरात फसाद 2002 में हुआ। सबने देखा, मीडिया के जरिए देखा। जिन्दा जलाया गया। बाप के सामने बेटी की इज्जत लूटी गयी। भाई के सामने बहन की इज्जत लूटी गयी। मां को कत्ल किया गया और आज वो लोग किन पदों पर बैठे हैं। अगर उस वक्त में कानून बना होता। अभी तक पार्लियामेंट के अंदर ये बात चल रही है। यूपीए ने इस कानून को बनाने की बात की लेकिन उसके ऊपर अभी तक न तो कोई बहस हुई और न ही उस पर कोई कानून बना। हम तो ये कहते हैं कि आप, हम ये नहीं कहते कोई न मुसलमान झगड़ा चाहता, न हिन्दू झगड़ा चाहता, न सिक्ख झगड़ा चाहता, न ईसाई झगड़ा चाहता। झगड़ा कौन लोग चाहते हैं जो सत्ता के लालची लोग हैं। जो सत्ता का दुरुपयोग करके, जो स्टेट को अपने हिसाब से चालकर के फसाद कराते हैं और फिर सत्ता पर आकर बैठ जाते हैं। तो हम ये कहते हैं कि एक ओपेन डिसकशन होना चाहिए। लोगों से पूछना चाहिए कोई नहीं चाहता और जिस तरह से लोगों की राय लेनी चाहिए मुहल्ला सभा के जरिए, लोगों से पूछकर के जलसे करके पूछा जाए। और अगर लोग कहते हैं, चाहते हैं कि ऐसा कानून बने जिससे फसाद रोका जा सके। फसाद से किसी का भला नहीं होता, फसाद से मुल्क टूटता है, दिल टूटते हैं। हम लोग आम आदमी पार्टी के

लोग हैं। हम लोग दिलों को जोड़ने की राजनीति करते हैं। हम भाजपा के लोग नहीं है कि दिलों को तोड़ने की राजनीति करते हैं। इन लोगों ने हमेशा दिलों को तोड़ा। हिन्दू-मुस्लिम का झगड़ा कराया। हिन्दू सिक्ख का झगड़ा कराया। सिक्ख ईसाई का झगड़ा कराया। ये लोग झगड़ा करा करके, फसाद करा करके लोगों के दिलों को तोड़ करके राजनीति करते हैं। हम चाहते हैं कोई भी इस मुल्क की, हुकूमत की ये जिम्मेदारी हो, मुल्क के आखिर हिस्से पर रहने वाला आदमी अगर एक भी है, तो उसको वो इंसाफ मिलना चाहिए। वो इस मुल्क के अंदर अपने आप को महफूज समझे। गुजरात इंसाफ अगर आज हुआ होता तो नरेन्द्र मोदी जी आज प्रधानमंत्री नहीं होते। अगर उसमें इंसाफ हुआ होता तो वो आज जेल के अंदर होते, अमित शाह जी जेल के अंदर होते। हम तो यही कहेंगे कि एक मिसाल पेश की जाए, एक आम आदमी पार्टी की सरकार के जरिए। एक मिसाल पेश की जाए कि हां, हम इंसाफ चाहते हैं, ऐसा कानून आए आपकी ओर से एक मिसाल कायम हो और साथ ही एक साल के अंदर, दो साल के अंदर सजा हो नाइंसाफी किसी के साथ न हो इन्हीं बातों को कहते हुए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं और चाहता हैं कि एक ऐसा कानून आए और एक मिसाल हम लोग कायम करें और दूसरे स्टेट को भी ये मिसाल दें कि देखा, हम लोग चाहते हैं कि इंसाफ हो।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मेरे पास इस चर्चा में भाग लेने वालों कई सदस्यों के नाम आए है, समयाभाव के कारण, नहीं प्लीज़ बहुत गंभीर। बोलिए।

श्री जगदीप सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ छोटी सी दो बातें आपको बताना चाहता हूं। 13 साल का बच्चा था जो, जोकि दर-दर थानों में अपनी मां के साथ-साथ चक्कर काटता रहा। हर थाने में जाकर लाश के चेहरे उठा उठाकर देखता

रहा कि कौन सा उसमें उसका पिता है। हर थाने का चक्कर काटा और वो बेटा आपके सामने खड़ा हुआ है। ये 13 साल का बेटा आज 43 साल का हो गया लेकिन इंसाफ आज तक नहीं मिला। आप आज मेरी 72 साल की मांग से जाकर पूछिए कि कैसे हर थाने में जाकर एक-एक लाश का चेहरा उठाकर देखा था कितनी मुश्किल कितना दर्द सहा। ये दर्द अगर जरनैल के सीने में बस रहा है तो यहां तो हमने सहा है खुद सहा है इसको। इन सरकारों से बिल्कुल नाउम्मीदी हो गयी थी कि इंसाफ मिलेगा। सोच लिया था कि किसी तरह से कमाकर यहां से निकल जाएंगे, लेकिन सिर्फ बिजनेस की तरफ ध्यान था लेकिन आम आदमी पार्टी का आंदोलन जब से शुरू हुआ। वहां एक विश्वास पैदा हुआ जब अरविन्द ने वहां पर निरप्रीत कौर के आंदोलन में खड़े होकर कहा कि मैं उनको इंसाफ दिलवाऊंगा। विजेन्द्र गुप्ता जी वहां थे, गुप्ता जी मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ? आप भी आए थे वहां पर। तो बस मैं यहां पर छोटी सी बात कहना चाहूंगा कि साढ़े तीन हजार लोग दिल्ली में मारे गए हुमन राइट्स वालों ने लिखा कि 10 हजार लोग पूरे हिन्दुस्तान में कहीं न कहीं कत्लेआम हुआ। पुलिस ने भी कुछ नहीं किया, कांग्रेस के नेता जिनका नाम है जगदीश टाइटलर, सज्जन कुमार, धर्म दास शास्त्री, एचकेएल भगत कुछ तो अपनी मौत खुद मर गए और कुछ जिनको सलाखों के पीछे भेजा जा सकता था या फांसी पर चढ़ाया जा सकता था, उनको बिल्कुल क्लीन चिट दी गयी ये एक तरह से इंसाफ का कत्लेआम है। ये इंसाफ का हमने साथ में कत्लेआम किया कहीं न कहीं कांग्रेस और बीजेपी दोनों मिलके किसी न किसी तरह हाथ मिलाके 2002 में तुम हमें छोड़ दो 1984 में हम तुम्हें छोड़ दें। तो कहीं न कहीं इस तरीके से हाथ मिलाया जा रहा है। एसआईटी अरविन्द केजरीवाल जी ने बनाई हमने इनका इतना शुक्राना किया। लेकिन देखते-देखते मोदी जी ने भी बनाई लेकिन इसमें आज तक एक कागज लिखा

गया तीन आदमियों की नियुक्ति की हुई है वो भी अपने घर बैठे हुए हैं। आज तक कोई प्रोएक्टीव अप्रोच नहीं है हृर्दिक मैसेज के सिवाय

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अनिल जी, ये विषय बहुत गंभीर है इस पर टिप्पणी मत करिए प्लीज़।

श्री जगदीप सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा जरनैल भाई ने सारी बातें रखीं। बस मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहूंगा कि अगर इनके सीने में भी दिल है। ये जो तीन मेरे भाई है विपक्ष में बैठे हैं इनके सीने में अगर दिल धड़कता है तो हमारे साथ चलकर 70 के 70 मोदी जी के पास जाकर बात करते हैं कि आपने बोला था कि मेंडेट आएगा, बीजेपी ने अपने मेनिफेस्टो में लिखा हुआ है कि 1984 के दंगों के हम इंसाफ दिवाइएंगे हम 70 के 70 चलते हैं कि एक साल बीत गया अब तो कुछ कर दो इसमें। आज अगर ये स्टैप कहीं हो जाता है तो हिन्दुस्तान की ये आवाम जिस तरह कि हमारे भाई ने बताया कि 40 हजार दंगे फेस किए उन्होंने उनमें एक को भी इंसाफ मिल जाएगा तो कहीं न कहीं हमारा विश्वास पैदा होगा इस सरकारी तंत्र और जो हमारी जुडिश्यरी है, कहीं न कहीं हमें इंसाफ दिलवा सकती है। मेरी आपसे यही गुजारिश है कि हम 70 के 70 आज यहां पर तय करें कि हम लोग मोदी जी के पास चलें अगर इनके दिल में कोई दर्द है 1984 के कत्लेआम के लिए तो वो कहीं न कहीं इस पर प्रोएक्टीव अप्रोच और एक कांक्रीट कुछ न कुछ करके दिखाएंगे धन्यवाद।

सुश्री अलका लांबा : आप समझ लीजिएगा कि क्योंकि आपने राष्ट्रपति जी से समझ लिया था और हम सभी को वहां पर लेकर गए थे। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, अरविन्द जी को समय नहीं मिला पर आपको उन्हीं में मिल जाएगा क्योंकि

आपका जो ये मांग है समय की राजनीति से उठकर होगी। आप मांगिए हमें खुशी होगी कि अगर प्रधानमंत्री बुलाएंगे वैसे एसआईटी की इस जांच को तेजी से आगे बढ़ा पाए तो।

अध्यक्ष महोदय : ये विषय प्लीज़-प्लीज़ सहरावत जी।

कर्नल देवेन्द्र सहरावत : एक और बात जो कि पूरे देश में जरनैल सिंह जी ने जो बात उठाई थी वो बात दूसरी है कि 60 शहरों में हमारे पूर्व सैनिक जिनके बारे में रेजुलेशन पास किया है कि जो इस मुद्दे को उठाए हम प्रधानमंत्री को लिखे। पूरी दिल्ली में एक लाख पैसठ हजार जो सैनिक है और अध्यक्ष जी पूरे देश में 2 करोड़ सैनिक है और अगर सैनिक भूख हड़ताल पर बैठे हैं और पूरे देश को रिवाड़ी की रैली में भी यह बात कही गयी थी। ये बात मैं आपके माध्यम से आप सबके सामने रखना चाहता हूं...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : सहरावत जी विषय को डायवर्ट मत करिए प्लीज आज बैठिए। देवेन्द्र जी आप बैठिए। ये बात रख चुके हैं? आप सदन में। मैं बार-बार प्रार्थना कर रहा हूं बैठिए प्लीज। जरनैल सिंह जी ने जो विषय रखा है ये वास्तविकता में बहुत गंभीर विषय है। लेकिन इस सदन के हाथ बंधे हुए हैं। मुझे कहते हुए बड़ी पीड़ा हो रही है। आज 31 साल बाद भी न्याय नहीं हो सका। स्वतंत्र भारत में इससे बड़ा अभिशाप इस देश के नागरिकों के लिए नहीं हो सकता। अलका जी ने जो बात कही है, मैं भी पहले एक बार पत्र लिख चुका हूं समय नहीं मिला, दोबारा भी पत्र लिखूंगा। मैं देखता हूं समय मिलने पर प्रयास करता हूं जिन सदस्यों ने मुझे बोलने के लिए कहा है, विषय बहुत गंभीर है, मैं उनसे इस कुर्सी पर बैठकर हाथ जोड़कर माफी चाहता हूं। समय का अभाव है व्यक्तिगत रूप से अवतार जी प्लीज

मेरी भावना को समझिए। मैं खुद आपसे बहुत सहमत हूं इन सब चीजों से। मैं अल्पकालिक चर्चा करूं सुबह मेरे ध्यान से उतर गया था आज साहब सिंह वर्मा जी की, जो इस सदन में दूसरे मुख्यमंत्री रहे हैं 1993 के बाद आज उनकी पुण्यतिथि है। मैं अध्यक्ष की कुर्सी से सदन की ओर से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके परिवार के प्रति संवेदना प्रकट करता हूं। हां, मैंने स्वीकार किया है मैंने कहा कि लिखकर भेजूंगा। चर्चा पूरी होनी है, मैंने कहा न कि मैं हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं। दो मिनट। वो कर दिया मैंने जो अलका जी ने रखा है वो मैंने कहा, अभी मैं आ रहा हूं उस पर।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : अध्यक्ष जी, मैं जरनैल जी की भावनाओं से पूरी तरह से सहमत ही नहीं हूं, बल्कि पूरी तरह से उनकी भावनाओं से पूरी तरह से अपने आपको जोड़ता हूं। मुझे याद है 1983 में जब मैं दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ का अध्यक्ष था और किस तरह से दिल्ली के अंदर हाहाकार मचा हुआ था। मैं सिक्ख समुदाय से तो नहीं आता हूं। लेकिन आज भी इस देश के लिए इतिहास गवाह है जो गुरूओं ने कुर्बानी दी है जिसके कारण आज हमारा हिन्दुस्तान सुरक्षित है। ये इतिहास, उन गुरूओं ने कुर्बानी न दी होती तो आज हिन्दुस्तान सुरक्षित नहीं रहता। जो जगदीप जी ने अपनी बात कही और जिस बात का खुलासा इस सदन के समक्ष किया है वो हम सब के लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारे एक साथी के साथ 1984 में ऐसा सब कुछ घटित हुआ था। लेकिन कई बार अफसोस होता है कि दिन बीतते जा रहे हैं, 31 वर्ष हो गए, इंसाफ की लौ धूमिल होती जा रही है। आज सिर्फ चर्चा रह गयी है कमीशन पर कमीशन बने हैं। मेरी कई बार फुल्का जी से इस बारे में चर्चा हुई है। फुल्का जी अब आपकी पार्टी से जुड़े हुए हैं जबकि आपकी

पार्टी से जुड़े न होते तो तब भी इस विषय पर आप उनसे बात करें। तब मैं पार्टी का अध्यक्ष था। जहां जब आपको लगता है। इसमें जरा सी भी चिंगारी बाकी है तो इसको आग न बनाने में शोला बनाने में जो कुछ भी करना पड़े, हम करेंगे। अध्यक्ष जी, अगर इससे राजनीति से दूर मेरे साथी लोग, मैं माफी चाहूंगा कि उस समय आपको टोका कि राजनीतिक विषय नहीं है। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हमें इस चिंगारी की जो बुझी हुई आग है, समय के साथ सब कुछ खत्म हो रहा है, इंसाफ नहीं मिल रहा है। यह बात सही है जो उस कत्लेआम के दोषी हैं, हत्यारे हैं, आज भी कॉलर ऊंचा करके घूम रहे हैं और कानून के शिकंजे से बाहर है। जो भी हम सबको करना पड़े, हम करने के लिए तैयार है और इन भावनाओं को पूरी तरह से स्वीकार करते हैं। और इसमें अपने आपको जोडते हैं, धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : अल्पकालिक चर्चा...**(व्यवधान)**

श्री अवतार सिंह कालका : अध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा ते नहीं कहां गा, दो मिंट लायांगा क्योंकि...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : चलिये, बोलिये अवतार जी बोलिये।

श्री अवतार सिंह कालका : ऐसा है, जो अपने जगदीश टाइटलर जी हैं और सज्जन कुमार जी हैं, हम उनकी लम्बी आयु की मांग करते हैं कि उनको भगवान और लम्बी आयु दे ताकि जो हिन्दुस्तान का इंसाफ है, हम भी देखना चाहते हैं कि कब तक ये, इनको इंसाफ नहीं मिलता, कितना लम्बा समय से चलता है और जरनैल सिंह जी ने जो कहा, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं दुबई में था, जब इंदिरा गांधी जी का कत्ल हुआ। जब किसी के कोई धार्मिक स्थान को चोट पहुंचाता है, ये

मैं ही नहीं, किसी के भी हो, तो उस वक्त बंदे के मन को खुशी भी होती है और लड्डू भी बांटे गये होंगे और बांटे गये भी होंगे क्योंकि ये इतिहास है। जब-जब इस दरबार साहब पर किसी ने एटेक किया, चाहे वो अफगानी था चाहे कोई भी साम्राज्य आया। उसमें जुल्म किया तो उसका उन्होंने बदला लिया। ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे जो प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। उन्होंने श्रीमती इंदिरा गांधी जी को उकसाया कि दरबार साहब पर अटेक करो। जो आडवाणी जी ने अपनी बुक में भी लिखा हुआ है कि मैंने उसको कहा था कि अटेक करो जो जड़ ही यहां से शुरू होती है सारी। अगर वो सही ढंग से इसको इस्तेमाल करते, बात करके खत्म कर लेते तो मेरे ख्याल से देश में आज ऐसे हालात न होते। सिख धर्म की बात नहीं है, ये भारतीय होने की बात है। हम भारतीय हैं सारे। जब कत्लेआम हुआ, मैं दुबई में था। तो मेरे फैमिली पूरी वहां पर थी। तो मैंने कहा कि आज से आज के बाद मैंने दुबई में नहीं रहना। मैं अपने देश में जाना चाहता हूं। अपने देश में मरना चाहता हूं। यहां हमारे गुरूओं की धरती है। यहां हमारे ऋषि मुनियों की धरती हैं। ऐसे देश में जाके मरना चाहता हूं। मैं अपनी फैमिली को छोड़कर अपनी दिल्ली में आ गया और आज मैं अरविन्द जी का थैंकस करता हूं उनकी बदोलत मैं आज यहां आपकी विधान सभा में बैठा हुआ हूं और मैं कुछ क्षण दोहराना चाहता हूं जो दिल्ली में हुआ। क्योंकि हमारे सारे नये विधायक आये हैं तो थोड़ा सा मैं जरूर इसको बताना चाहूंगा ताकि सबके मन को एहसास हो कि 31 साल पहले क्या हुआ था। जब इंदिरा गांधी जी का कत्ल हुआ वैसे तो कत्ल अपना महात्मा गांधी जी का भी हुआ था वो उस वक्त के हालात नहीं बिगड़े थे क्योंकि एक समुदाय के ऊपर था क्योंकि भारतीयों का कत्ल हुआ था। लोग भारतीय कहते है, हम भारतीय हैं तो हम उसी हिसाब से बात करते हैं क्योंकि देश के लिए जो गुरूओं ने कुर्बानी दी हमारा इसमें कंटरीब्यूशन

बहुत है, पर हम चाहते हैं कि हमारे देश में हमारे को पूरा सम्मान मिले। पर सम्मान नहीं मिलता। मैं मीडिया की भी बात करता हूं। अगर मोदी जी आये। जब नतमस्तक हुए अपनी संसद में, तो हमें लगा कि हमारे को इंसाफ मिलेगा, क्योंकि मोदी जी आये हैं पर वो तो पहले से ही गुजरात में सिखों को उजाड़ने के लिए लगे हुए थे। वहां से उनको भगाने के लिए लगे हुए थे। बड़ी शर्म की बात है कि फिर हमारे को लगा कि चलो शायद आये हैं, सीट पर बैठेंगे तो ये हमारा हल करेंगे कोई, पर उनको कोई ऐसा एहसास नहीं हुआ कि आज भी 170 दिन हो गये हैं, जो न्याय नहीं मिल रहा, जो जेलों में कैदी हैं उनको न्याय दिलाने के लिए अपना भूख हड़ताल पर बैठे हैं, 170 दिन हो गये हैं इनको। जो आपको सूरत सिंह जी हैं, उसके ऊपर भी उनकी निगाह नहीं गई। मैं कहना चाहता हूं कि अगर ऐसे ही देश में चलेगा तो कैसे ये अपना इंसाफ मिलेगा लोगों को। हमारी आंखें तनी होनी चाहिए अर्जुन की तरह, आपको जहां कहें निशाना लगाना है। उनको देखना चाहिए कि देश में कहां-कहां किसी को दु:ख हो रहा है। महाराजा रणजीत सिंह अपने राज में जगह-जगह जाकर घूमकर देखते थे अपनी प्रजा को। उसको पूरा ज्ञान होता था। क्या इनको ध्यान नहीं है, 170 दिन हो गये हैं भूख हड़ताल पर बैठे हुये हैं लुधियाना के...

अध्यक्ष महोदय : अवतार सिंह जी, कंक्लूड करिये प्लीज।

श्री अवतार सिंह कालका : मैं थोड़ा सा उस वक्त की बात बताना चाहूंगा क्योंकि मैं तो था नहीं यहां पर। पर जैसे जरनैल सिंह जी बता रहे थे तो मैं भी भावुक हो गया। क्योंकि उस वक्त के जो हालात थे। ये सुनने को आये मारो, मारो, सरदारों को जला दो, खाक में मिला दो सरदारों को, एक भी बचने न पाये, बच्चों को कुचल

दो, लूट लो लूट लो, सरदारों को, सालों ने इंदिरा गांधी को मार दिया है। हमारी मां को मार दिया है। हमारी प्रधानमंत्री को मार दिया है। हमारी नेता को मार दिया है। इनका बच्चा-बच्चा खत्म कर दो। जला दो इनकी पगड़ियां भी, जला दो। जब तक सूरज चांद रहेगा, इंदिरा तेरा नमा रहेगा। ये नारे लगते रहे तो हमारा जो संविधान, जो हमारा कानून, इसमें एक भी न्याय नहीं और ऐसा पाउडर यूज किया गया, जो गर्वनमेंट साथ में लगी हुई थी, जो हमारे सिर्फ फौजियों के पास यूज किया जाता है। पाउडर डाल डाल कर लोगों को जलाया गया। ये कहां का इंसाफ है। हमारा दिल आज तक, जब भी कोई बात हुई है, इतना कुछ होने के बावजूद भी, आप ये महसूस नहीं करेंगे कि हमने कभी अपने मन में कोई फर्क रखा हुआ है। मैं एक सिख होने के नाते भी कहता हूं, मैं भारतीय होने के नाते भी कहता हूं कि हमारे मन में कोई फर्क ही नहीं है इतना कुछ होने के बाद, आज हम फिर वैसे ही घूम रहे हैं। वैसे ही रह रहे हैं। उतना ही प्यार करते हैं, आपस में हमारा भाईचारा है, नये एमएलए आये हैं इनको...

अध्यक्ष महोदय : अवतार जी अब कंक्लूड करिये प्लीज कंक्लूड करिये।

श्री अवतार सिंह कालका जी : हम चाहेंगे कि हमारे अरविन्द जी आये हैं और इन्होंने जो 'हां' का नारा मारा था और उसका मैं थोड़ा सा एक दृष्टान्त देना चाहूंगा जब गुरू गोविंद जी के शाहजादों को शहीद किया जा रहा था, दीवारों में चुना जा रहा था तो उस वक्त जो हाकिम था उसके भाई ने कहा कि अपना तू इनको दीवारों में मत चुन। ये बात ठीक नहीं है। ये इंसाफ के खिलाफ है। कितने छोटे बच्चे हैं। तो 'हां' का नारा लगाया था उन्होंने। तो आज वो 'हां' का नारा लगाया हुआ आज भी वो गांव बसता है पंजाब के अंदर 'मलेर कोटला'। अरविन्द जी, मैं

आपको बताना चाहता हूं कि आपने 'हां' का नारा लगाया था। आपका राज टाइम आने वाला है। हमारे को उम्मीद नहीं है कि मोदी जी हमारे को इंसाफ देंगे। पर हम इंतजार करेंगे उनकी लम्बी आयु की भी मांग करेंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि टाइटलर को और अपना सज्जन कुमार को लम्बी आयु दे ताकि हम इंतजार करें हमारी सरकार आयेगी आम आदमी पार्टी की अब आज नहीं मिलेगा तो आने वाली सरकार जब हमारी सरकार आयेगी तब हम इंसाफ लेंगे। मैं अरविन्द जी को कहना चाहता हूँ कि जो सच की बात करता है, वही राज करता है और सच हमेशा सच होता है और सच ही हमेशा आगे आता है, जय हिंद जय भारत।

अध्यक्ष महोदय : माननीय मुख्यमंत्री जी, चर्चा का उत्तर देंगे।

मुख्यमंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जो विषय है बहुत ही गंभीर विषय है अभी तक इस देश के अंदर धर्म के नाम पर राजनीति होती आई है। हमारे देश की कई राजनैतिक पार्टियों ने धर्म के नाम पर अलग-अलग धर्मों के बीच में जहर बोया। हिन्दुओं को मुसलमानों से लड़ाया, हिन्दुओं को सिखों से लड़ाया, क्रिश्चियन से लड़ाया, आपस में धर्मों को लड़ाया और उन्हें अपने वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करते आये। मैं हमेशा यही कहता हूं इस देश में इतने दंगे हुए लेकिन मेरा ये मानना है कि कोई भी दंगा धर्मों के बीच में नहीं हुआ। दंगे हुए नहीं दंगे करवाये गये। और अगर एक भी दंगे के दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दे दी जाती तो मेरा ये मानना है कि इस देश के अंदर दंगे होने बंद हो जाते। आज तक एक भी दंगे के दोषी को सजा नहीं दी गई। केवल राजनीति की गई। केवल दिखावा किया गया। कमीशन पे कमीशन बिठाये गये। सब लोगों ने देखा कि कौन दोषी हैं, लेकिन गवाहों को खरीद लिया गया। केसिज बंद कर दिये गये। डरा दिया गया, धमका दिया गया,

मार दिया गया। अमानातुल्ला जी ने अभी कहा बिल्कुल सही कहा कि अगर 1984 के दंगों को इतनी सख्त सजा, दंगा कराने वालों को इतनी सख्त से सख्त सजा दे दी जाती तो मुझे नहीं लगता 2002 के अंदर किसी की हिम्मत होती दंगा दोबारा कराने की इस देश के अंदर। आम आदमी पार्टी इस जहर की राजनीति को खत्म करके इस देश के अंदर प्यार और मोहब्बत की राजनीति कायम करना चाहती है। पिछली बार जब हमारी सरकार बनी थी 49 दिन के अंदर हमने आते ही 49 दिन के अंदर एसआईटी का गठन किया था। पिछले 30 सालों के अंदर पूरे सिख समुदाय की मांग रही थी कि एसआईटी का गठन किया जाये एसआईटी का गठन किया जाये। पिछले 30 सालों के अंदर पूरे सिख समुदाय की मांग रही थी कि एसआईटी का गठन किया जाए, एसआईटी का गठन किया जाए। सर, जितनी पार्टियों की सरकार बनी, बीच-बीच में सभी पार्टियां मांग करती रही एसआईटी का गठन किया जाए। किसी ने ये नहीं किया। आम आदमी पार्टी की सरकार ने 49 दिन के अंदर एसआईटी का गठन कर दिया और हमारी पूरी ईमानदारी के साथ हमारी मंशा थी कि उसमें चुन-चुनकर ईमानदार लोगों को एसआईटी में रखेंगे। सख्त लोगों को रखेंगे अच्छे ऑफिसर्स को रखेंगे ताकि वह तह तक जाके दोषियों को सजा दिला सकें लेकिन हमने एसआईटी का गठन तो कर दिया इससे पहले ही हम उसको चालू कर पाते, हमारी सरकार नहीं रही लेकिन अब जैसे ही हमारी दोबारा सरकार बनी हमारी सरकार बनने के चंद दिन पहले यूनियन होम मिनिस्ट्री ने अपनी एक एसआईटी का गठन कर दिया। एक बार तो ऐसे लगा जैसे शायद उन्हें लग रहा था हमारी सरकार बनने वाली है। हमारी सरकार को एसआईटी बनाने से रोकने के लिए ऐसा किया गया हो लेकिन मैं उसमें नहीं जाना चाहता। अब एमएचए ने एसआईटी का गठन कर दिया है, हम उनका पूरा सहयोग करना चाहते हैं। जो हम कर सकते हैं हम करने के लिए तैयार हैं। लेकिन कुछ नतीजे तो निकलें, कुछ जांच तो हो। कुछ भी

होता हुआ नजर नहीं आ रहा और जो ये प्रस्ताव जरनैल सिंह जी लेकर आये हैं इस particular case में श्री जगदीश टाइटलर वाले केस में ये सब कुछ सामने है। सीबीआई की रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि किस तरह से उन्होंने witnesses को influence करने की कोशिश की और उस सबके बावजूद भी अगर क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दी जाती है और उसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा तो फिर तो इस देश का न्याय व्यवस्था से विश्वास उठ जाएगा तो मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और मैं ये भी कहता हूं कि हमारी सरकार की तरफ से 1984 के जितने हैं, उनके rehabilitation के लिए जो कुछ भी करने की जरूरत है, हमारी सरकार कर भी रही है और करती रहेगी और victims को जब-जब किसी भी वकील की जरूरत पड़ेगी, हम वो वकील उनको फ्री में मुहैया कराएंगे।

अध्यक्ष महोदय : अब सदन के सामने यह प्रस्ताव प्रस्तुत है:-

जो इसके पक्ष में हैं वे हां कहें
जो इसके विरोध में हैं वे न कहें
हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता

प्रस्ताव पास हुआ।

अल्पकालिक चर्चा पर नियम के अनुसार तीन प्रस्ताव आये हुए हैं। मैं सदन के सामने एक बात रख रहा हूं। आज बजट पर चर्चा होनी है और उसमें कम-से-कम दो घंटे लगने हैं अगर अगले सदन तक इन तीनों को पहले दिन रख लिया जाए। सदन सहमत है तो मैं इन तीनों को अगले सदन में पहले दिन रखने के लिए आपकी मंजूरी चाहता हूं। अगर सदन सहमत है तो। (समवेत स्वर हां) बहुत-बहुत धन्यवाद सदन का। ये अगली बार जब भी सदन आरंभ होगा जो पहला दिना चर्चा का होगा चाहे भले वो तीन दिन पहले का है पहले दिन ही रख लिये जायंगे। धन्यवाद।

श्री मोहेन्दर गोयल : क्योंकि ये कर दिया था की दिल्ली के अंदर झुग्गियॉ नहीं तोड़ी जाएंगी और मेरी विधानसभा के अंदर आज झुग्गियां तोड़ी जा रही है जो कि बहुत ही निदंनीय है। मैं इसके ऊपर ध्यान दिलाना चाहूंगा कि झुग्गियों की जो राजनीति चल रही है, आज एमसीडी वहां पर झुग्गियां तोड़ रही है तो ये झुग्गियों की राजनीति ऐसी नहीं होनी चाहिए कि उनके आशियाने आज तोड़े जाएं। बारिश का टाइम है। वो कहाँ रहेंगे, इस ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है।

कर्नल देवेन्द्र सहरावत : एक बार फिर से आपकी अनुमति से जो हमने इस विधान सभा से प्रस्ताव पारित किया है उसको एक कदम आगे ले जाने के लिए आपसे आग्रह करूंगा। हमने पूरे देश के सामने एक मिसाल रखी है और पूरे देश के...

अध्यक्ष महोदय : देवेन्द्र जी।

कर्नल देवेन्द्र सहरावत : बस बीस मिनट।

अध्यक्ष महोदय : एक सेकेंड, मैं इस बात पर चर्चा कर रहा हूं आपने सदन में प्रस्ताव पारित किया है। आज सत्र का आखिरी दिन है, इसके बाद इस बात पर चर्चा करके हम कदम उठाएंगे।

कर्नल देवेन्द्र सहरावत : मैं मात्र एक जानकारी और इस सदन को देना चाहता हूं कि फरवरी 17 को देश के डिफेन्स मिनिस्टर ने one rank one pension के प्रस्ताव को पारित करके...

अध्यक्ष महोदय : देवेन्द्र जी, इस विषय पर आप...

कर्नल देवेन्द्र सहरावत : फाईनेंस मिनिस्ट्री को दे दिया। मैं बस एक जानकारी देना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : देवेन्द्र जी देखिये व्यवस्था में मुझे अच्छी नहीं लग रही ये बात। उस दिन बहुत अच्छे ढंग से आपने प्रस्ताव रखा, इतना अच्छा विषय रखा था और सदन के संज्ञान में सारा विषय बहुत गंभीरता से आपने रखा था और मैंने उस दिन प्रशंसा की थी आपकी उस दिन अब इसको दोबारा न उठाएं, प्लीज। बहुत-बहुत धन्यवाद।

बजट पर आगे चर्चा

अध्यक्ष महोदय : बजट पर चर्चा के लिए श्री विशेष रवि जी।

श्री विशेष रवि : आदरणीय अध्यक्ष जी दिल्ली सरकार द्वारा लाये गये इस असाधारण, अद्भूत और ऐतिहासिक बजट के आ जाने के बाद से जन-जन में, हर धर्म हर जाति हर समाज के लोगों के अंदर एक खुशी की लहर दौड़ गई है। हर चौक पर, हर चौराहे पर इस बजट से मिलने वाले लाभ को अपने-अपने क्षेत्र से जोड़कर लोगों में खुशी है। लोगों के मन में यह विश्वास, इस बजट को देखने के बाद, आम आदमी पार्टी के प्रति और मजबूत हो गया है। उनको ये लगता है कि जिस काम के लिए, जिस कार्य के लिए और जिस उद्देश्य से दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को अपना मैन्डेट दिया था, अपना वोट दिया था, अपना प्यार स्नेह अपना आर्शीवाद दिया था, उस काम को दिल्ली सरकार ने अपने पहले बजट में बहुत अच्छे से किया है लेकिन कल हमारे एक माननीय सदस्य ने अपनी चर्चा के दौरान कुछ बातें रखीं। ये माननीय सदस्य, मैं ये बताना चाहता हूं कि बहुत ही गुर्णी हैं, बहुत ज्ञान हैं, बहुत ही सौम्य हैं, सहनशील हैं, धैर्य रखने वाले हमारे एक

माननीय सदस्य हैं लेकिन जिस तरह से कल उन्होंने एससी, एसटी और उससे जुड़े हुए फंड को लेकर कि जिस तरह दिल्ली सरकार ने एससी, एसटी और उससे जुड़े हुए लोगों को अतिरिक्त फंड नहीं दिया और न सिर्फ फंड दिया बल्कि यहां उपस्थित सदन के अंदर इन जातियों से आने वाले सदस्यों को अपमानित किया ये कहते हुए, ये बार-बार कहते हुए कि मुझे नहीं पता की क्या उनकी मजबूरी है, मुझे नहीं पता ये क्या वो कारण हैं कि वो इस बात को नहीं उठा रहे हैं, इस बात को नहीं कह रहे हैं, यह बहुत शर्मनाक है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि अगर वो सच में उनके मन में एससी, एसटी और इन जातियों के प्रति संवेदनशीलता होती, गंभीरता होती, चिंता होती और सच में अगर वो चाहते कि इन लोगों का भला होता तो वो इस बात को इस तरह से दूसरे सदस्यों को लज्जित करते हुए सदन में नहीं उठाते। इन्होंने ये बात कही और एक नहीं बार-बार इस बात को दोहराया कि जो सदस्य इन सुरक्षित सीटों से चुनकर आये हैं, वो यहां बैठकर सरकार के द्वारा बनाये गये इस बजट पर अपनी सहमति दे रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं, ये कहना चाहता हूं कि अगर दिल्ली के अंदर शिक्षा के अंदर 9,836 करोड़ रुपये का बजट आया है। दिल्ली के अंदर अगर 500 नये सकूल खुलेंगे। दिल्ली के अंदर अगर 20 हजार नये अध्यापक आएंगे तो मैं जानना चाहता हूं आपको बताना चाहता हूं साथ-साथ साहब, कि इन सरकारी स्कूलों के अंदर किस वर्ग के बच्चे पढ़ते हैं। सरकारी स्कूलों में किस जाति के लोग जाते हैं? वहां कौन शिक्षा लेता है? अगर इन स्कूलों में शिक्षा का स्तर अच्छा होता है, सुधरता है तो किस जाति के लोगों का सबसे पहले लाभ होगा? अगर दिल्ली के अंदर, अस्पतालों के अंदर इलाज अच्छा होता है, सुविधाएं अच्छी मिलती हैं,

दवाइयां मिलती हैं और नये-नये उपकरणों से सभी बीमारियों का इलाज होता है तो ये भी इसी तरह से जानने का विषय है कि उन सरकारी अस्पतालों में सबसे ज्यादा कहां से लोग जाते हैं? इन सरकारी अस्पतालों का सबसे ज्यादा लाभ कौन उठाता है? अगर दिल्ली के अंदर परिवहन विभाग द्वारा नई बसों का आबंटन होता है, नई बसें आती हैं और अच्छी बसें आती हैं और सुरक्षा होती है सरकार के द्वारा, तब भी सीधा-सीधा सबसे पहले लाभ, सबसे पहले फायदा इन्हीं जाति अर्थात् एससीएसटी जाति के लोगों का होता है। ये सब कुछ देखते हुए, ये सब कुछ जानते हुए इस तरह से सदन के अंदर इस विषय को उठाना यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर आप चाहते, अगर आप ये साबित करना चाहते हैं कि आप हमसे ज्यादा हमारे हितैषी हैं, तो आप इस तरह से इस बात को सदन में न उठाते। आप चाहते तो मुख्यमंत्री जी को अलग से मिलकर यह बात कह सकते थे। आप चाहते तो हम सभी लोगों को मिलकर कह सकते थे। आप चाहते तो लिखित रूप से मुख्यमंत्री जी को बात दे सकते थे कि ये मेरी प्रार्थना है इस पर आप इस पर विचार करें। लेकिन आप ने ये सब कुछ नहीं किया। आपने सीधा-सीधा राजनीति करते हुए, टोटली राजनीति करते हुए इस प्रश्न को यहां सदन में उठाया और न सिर्फ सरकार की कार्यशैली पर प्रश्न उठाया, साथ-साथ हम सब यहां बैठे हुए सदस्यों पर ये प्रहार किया है तो बताइये, ये समझते हुए कि इससे मैं अपनी कोई राजनीति पर पाऊंगा। तो मेरी आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय उप मुख्यमंत्री जी को मैं इस बात के लिए बधाई देता हूं कि उन्होंने हमें अलग से नहीं रखा है। जिस तरह से सुबह आज हमारे साथी माननीय विधायक ने बता रखी कि मुझे बहुत खुशी है कि आपने हाथ की दस की दस उंगलियों को इकट्ठा रखा है, उनको अलग नहीं बांटा है। उसी तरह से मैं भी इस बात का समर्थन करते हुए अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से और उप

मुख्यमंत्री जी से और सारे माननीय मंत्रियों का धन्यवाद करता हूं और ये बताना चाहता हूं, ये कहना चाहता हूं कि न सिर्फ यहां पर जिस तरह से सरकार ये काम कर रही है, ये सरकार यहां नहीं रुकने वाली, बहुत जल्दी बहुत कम समय में ये देश को संभालने वाली है और मुझे ये कहते हुए गर्व होता है कि हम सभी लोग पूरे गर्व के साथ, पूरे स्वाभिमान के साथ माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविन्द केजरीवाल जी के सानिध्य में उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे, जहां तक वे हमें साथ लेकर जायेंगे। आपने बोलने का मौका दिया। इसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया, धन्यवाद अध्यक्ष महोदय।

अध्यक्ष महोदय : श्री सोमनाथ भारती।

श्री सोमनाथ भारती : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका तहेदिल से धन्यवाद करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, सारे बजट के अंदर जो भावना है, माननीय उप मुख्यमंत्री साहब जो हमारे वित्त मंत्री भी हैं, जिन शब्दों में और जिस भावना के साथ ये बजट बना है, जो ये बजट उजागर करना चाहता है, ये वो भावना है जिस भावना से ये पार्टी बनी थी। जिन कारणों से ये पार्टी बनी, वह भावना इस बजट में पूरा-पूरा दिखता है। मैं बहुत-बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं माननीय उप मुख्यमंत्री साहब को कि जिस तरह से उन्होंने एजुकेशन और हेल्थ केयर पर जो स्ट्रेस दिया है, यह अद्भुत है। 106 परसेंट की बढ़ोत्तरी, पूरे देश में, जहां तक मेरा रिसर्च गया है, वहां तक पूरे देश के अंदर किसी भी सरकार ने आज तक इस कद्र बढ़ोत्तरी नहीं की है, इसके लिए मैं उनको तहेदिल से धन्यवाद करता हूं। अध्यक्ष महोदय, ये बजट वह डाक्यूमैंट

है, जैसे कहा जाता है, सरकार की पूरी मंशा और दिल्ली को किस दिशा में ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, वह दर्शाता है। जो वेस्टफुल एक्सपेंडीचर हैं और जो करप्ट प्रैक्टिसेज हैं, जिसके कारण बजट का पिछले समय में एक बड़ा हिस्सा उन लोगों के हाथ लगता था, जो करप्ट प्रैक्टिसेज से इन्वाल्व हैं, इस बार के बजट में साफ-साफ दिखता है कि भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारी दोनों की खैर नहीं है, इस बजट के कारण। कहते हैं, a rupee saved is a rupee earned. इस बजट के अंदर एक-एक पैसे की जो उपयोगिता दिखाई गयी है, और जिस तरह से वे सारी प्रैक्टिसेज जिन कारणों से भ्रष्टाचार बढ़ता है और भ्रष्टाचारी के हाथ मजबूत होते थे, माननीय उप मुख्यमंत्री ने स्वराज पंच और जो डूडा डीयूडीए का प्रयोजन इसमें दिखायी है, मुझे पूरा भरोसा है, और मुझे अति हर्ष भी है कि दोनों बड़े काम ये दोनों बड़ी स्कीम्स आने वाले समय में भ्रष्टाचारियों को दिल्ली से भगाने का पूरा प्रयास करेंगे। प्राइवेट स्कूल्स और प्राइवेट अस्पताल, जितनी मेरी नजर जाती है और जो मेरा ख्याल भी है कि स्कूल्स और अस्पताल ये दोनों मामलों में पॉलिटिकल पार्टीज और पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स की ओनरशिप नहीं होनी चाहिए। और मुझे भरोसा है, कि माननीय उपमुख्यमंत्री साहब इस बात को संज्ञान में लेंगे कि दिल्ली में, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई भाजपा या कांग्रेस का नेता होगा, और होगा तो बड़ी अच्छी बात है, जिनके कोई प्राइवेट स्कूल या प्राइवेट हॉस्पिटल में स्टेक न हो। ये कंफिलिक्ट ऑफ इन्ट्रेस्ट है। अगर कोई एमएलए या किसी एमपी का प्राइवेट स्कूल होता है या प्रावइेट हॉस्पिटल होता है, तो उसमें naturally conflict of interest that is he will not be able to do any good to government school and government hospitals. ट्रांसपेरेंसी स्वराज फंड से निकलकर आयेगा, उसमें इस बात पर भी मुझे भरोसा है कि इस बात का भी कोई संज्ञान लेते हुए, इस पर भी कोई कार्रवाई होगी।

जैसे कहते हैं कि a budget must maximize source of income and its bascially a tool a budget of worrying on house of the expenditure of optimize. इस बजट में जैसे मेरा साथियों ने भी कहा, कल कुछ साथियों ने इस बात को उठाने का प्रयास किया था, वह चलता है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इस बात को बड़ी गहराई से रखा कि धर्म, जाति और क्षेत्र का जो डिविजन है, इसके आधार पर राजनैतिक पार्टियां अपनी रोटी सेंकती हैं, मैं बड़ा फख्र करता हूं अपने साथी श्री विशेष रवि जी पर, जिन्होंने बड़े साफ शब्दों में कहा कि ये बजट सबका है, इस बजट में किसी स्पेशल जाति, किसी क्षेत्र का ख्याल उस तरह से नहीं रखा, जिस तरह से भाजपा और कांग्रेस करती रही है। मैं उसके लिए अपने साथ मनीष जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। अध्यक्ष महोदय, कल से मैं, जब से ये सैशन शुरू हुआ है, अपने साथी विधायकों की बातों को बड़ी गहराई से सुन रहा हूं और जिस खूबी और जिस तरह मेरे साथी विधायक अपने विचार रख रहे हैं, नैचुरली भाजपा और कांग्रेस जैसी पार्टियों के लिए चिन्ता का विषय है। क्योंकि ये जो साथी विधायक बोल रहे हैं, ये एक से एक वो नायाब हीरे हैं और आने वाले समय में और पार्टियों के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकते हैं। मैं इनके लिए मुबारकबाद देता हूं। कहते हैं कि no power can stop an idea whose time has come अब ये जो transparency और optimize use of money का इसमें उदाहरण पेश किया है मनीष जी ने, हमारी सरकार ने, ये बहुत ही उम्दा है। चाहे वो स्वराज फंड की बात हो, पहली बार आजाद भारत में नागरिक सरकारी पैसे को अपनी तरह, अपना मान करके डायरेक्ट फैसला कर पाएंगे कि यह कहां खर्च हो सकता है। इसके लिए मैं बहुत तहे दिल से direct participation in the democracy का जो उदाहरण पेश किया गया है इस पर उसका शब्दों में वर्णन

नहीं कर सकता यह बहुत ही बड़ा कदम है। देश का नागरिक दिल्ली का नागरिक जब ये फैसला करेगा कि मेरे मोहल्ले में क्या बनाना चाहिए और उसका डायरेक्ट कंट्रोल होगा और जो हमारे 11 विधान सभा में हुआ है ये बहुत ही बड़ी बात है। मुझे याद है मेरे क्षेत्र में जहां से मैं आता हूं मालवीय नगर से, वहां पर जगह-जगह fountain head बना दिया है। वो fountain head जिसमें कि मुझे बताया गया कि 25 से 30 लाख रुपये खर्च हुए। पानी है नहीं fountain head बना दिया। और करीब-करीब वो 30, 35 fountain head बने हुए हैं। कोई साढ़े सात करोड़ रुपया खर्च कर दिया। जनता को चाहिए था रोड, जनता को चाहिए था सीवर, जनता को चाहिए था स्कूल, बना दिया fountain head। तो ये बहुत बड़ा कदम है स्वराज फंड। ये जब पूरे full form में implement होगा दिल्ली में तो पूरा देश में मुझे लगता है पूरे विश्व में उन सारे देशों में भी यह खबर जाएगी कि किसी कद्र से जनता सरकारी पैसा का अपनी नियति के लिए खुद फैसला ले रही है। 106 परसेंट का increase सीसीटीवी कैमरे का हर स्कूल के हर क्लास रूप में होना और स्टूडेंट्स को, मुझे याद है काफी सारे लोग अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाते क्योंकि उनके पास हायर एजुकेशन के लिए पैसे नहीं है। 10 लाख रुपये का लोन की गारंटी जो सरकार दे रही है, एक ऐसा कदम है जो कि गरीब की गरीबी जो अभी तक इसलिए संजोई जा रही थी कि वो वोट बैंक बनी रहे एक गरीब को गरीबी को खत्म करने का नायाब तरीका है इसके लिए मैं मुबारकबाद देता हूं। इस कद्र से मोहल्ला क्लीनिक्स, जिस कद्र से हॉस्पिटल्स में बैड्स का तिगुना करना, जिस कद्र से 100 नए हॉस्पिटल्स का होना, ये सब मुझे नहीं लगता कि कोई आदमी जो कि पोलिटिकल न हो, इस बजट की निंदा कर सकता है। अगर सिर्फ आपको राजनीति करनी है तो करिये लेकिन ये बजट एक नायाब तरीका पूरे देश को दिशा दे सकता है कि बजट का

मतलब क्या होता है। अध्यक्ष महादेय, मुझे जब मैं पहले देखा करता था कि चुनाव जीतने के बाद कभी भी इस कद्र से काम नहीं होता, ये सारे काम individually Political Parties कराती है towards the end of the five years but ये हमारी सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सारे कामों पर इस कद्र से हल्ला बोल दिया है कि भाजापा लाख प्रयास कर रही है कि हम काम न कर पाएं उसके बावजूद शिक्षा के क्षेत्र में इस ऐड को बार-बार गुप्ता जी लेकर लाते आते हैं।

अध्यक्ष महोदय : कंक्लूड करिये प्लीज।

श्री सोमनाथ भारती : बहुत ही अच्छे तरीके से मुख्य मंत्री महोदय ने पूरी दिल्ली को जताया है कि शिक्षा के प्रति हम कितने serious हैं। गांधी जी कहा करते थे कि जिओ ऐसे कि आपका अगला क्षण कि आप अगले क्षण में नहीं है, और सीखो ऐसे कि सारे क्षण आपके हैं। तो ये जो बजट, चाहे DUDA हो, चाहे स्वराज फंड हो या एजुकेशन हो इन तीनों के जरिये माननीय उप-मुख्यमंत्री महोदय ने पूरी दिल्ली को बताने का प्रयास किया कि ये सरकार वो हर सम्भव प्रयास करेगी जिसके कारण दिल्ली वासियों की जिन्दगी जीने की चाह और प्रबल हो सके। एक बहुत बड़ा कदम माननीय उप-मुख्यमंत्री जी ने लिया है।

अध्यक्ष महोदय : कंक्लूड कीजिए सोमनाथ जी प्लीज।

श्री सोमनाथ भारती : बस दो मिनट। two more mintues वेल्यू एजूकेशन जिसके बारे में बड़े प्यारे तरीके से कहा है उन्होंने अपने भाषण में। वेल्यू एजुकेशन एंड वेल्यू इन एजूकेशन शिक्षा स्कूलिंग एंड एजूकेशन ये दो भिन्न-भिन्न चीजें

हैं। पिछले सरकारों ने या अब की केन्द्र सरकार ये स्कूलिंग को ही एजुकेशन मानती है। तो माननीय उप-मुख्य मंत्री महोदय ने वेल्यू एजूकेशन और वेल्यू इन एजूकेशन को डाल के जो गांधी जी सपना था कि स्कूलों में skills प्रदान किये जाएं जिससे कि स्टूडेंट्स जब बाहर निकले तो self dependent हों और जो 10+2 के बाद जब दो डिग्रियां दी जाएंगी 2 certificates दिये जाएंगे one for skill and one for education. ये बहुत बड़ा कदम है। ये वो कदम हैं कि जब इतिहास लिखा जाएगा तो आने वाले generations याद रखेंगी कि कभी ऐसी सरकार दिल्ली में हुई थी जिसने गांधी जी का वो सपना जो 67 साल तक कोई सरकार न पूरा कर सकी, आम आदमी पार्टी सरकार ने किया है। ये स्वराज फंड के ऊपर जो 250 करोड़ 11 विधान सभाओं में जो मॉडल इस बार प्रस्तुत किया गया ये एक ऐसा कदम है जो 40 हजार करोड़ का बजट है दिल्ली का, जो विपक्ष के साथी ये कहते रहते हैं कि वैट बढ़ा दिया, ये कर दिया। कैसे होगा महंगाई बढ़ जाएगी। जब हर तल पे भ्रष्टाचार खत्म होगा तो दिल्ली का विकास कैसे होगा, उसकी कल्पना जब आप करें तो आपका मन हर्ष से भर उठता है और ये डूडा क्योंकि जितनी भी एजेंसियां हैं multiplicity of agencies का एक बहुत बड़ी मुसीबत रही दिल्ली में। सड़क बनती है फिर कोई खोद देता है। फिर सड़क बनती है फिर कोई खोद देता है, तो इसका जो निराकरण था कि Delhi Urban Development Agency बनाकर और एक नोडल एजेंसी बन गई है अब। जब ये जो करोड़ों खरबों रुपए का जो वेस्टेज होता था, वो बच जाएगा। इसके लिए मैं माननीय उप-मुख्यमंत्री महोदय का बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं। क्योंकि इन्होंने लाखों करोड़ों रुपए बचा दिए।

अध्यक्ष महोदय : अब कंक्लूड कर दे बस, प्लीज सोमनाथ जी। 15 मिनट हो गए पूरे, प्लीज।

श्री सोमनाथ भारती : अध्यक्ष महोदय, इसको जो मैं एक लाइन में अगर कहना चाहूं कि एजुकेशन के ऊपर जो विजन है हमारे शिक्षा मंत्री महोदय का उसको प्लूटो ने बड़े प्यारे तरीके से कहा है–

Do not train a child to learn by force or by harshness; but direct them to it by what amuses their minds, so that you may be better able to discover with accuracy the peculiar bent of genius of mind.

इसका बेसिक मतलब है कि जो बच्चा पैदा होता है उसकी naturality को identify करते हुए एजुकेशन इस कदर से उनको दी जाए कि उनकी naturality disturbed ना हो और जो Value Education, Value and Education का प्रावधान किया है उसकी तरफ एक बहुत बड़ा कदम है, इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं और इस बजट को मैं तहे दिल से समर्थन देता हूं, धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : श्री जगदीश प्रधान जी।

श्री जगदीश प्रधान : माननीय अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद आपका जो मुझे बजट पर बोलने का आपने वक्त दिया। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं अपने मन की बात और अपने दु:खी लोगों की बात आपके सामने रखना चाहता हूं। मेरे मन के अंदर जो पीड़ा है, इस बात को लेकर मैं सदन में कई बार बोल भी चुका हूं। सिसौदिया साहब जब मैं सातवीं क्लास में पढ़ता था। मेरे यहां गांव में स्कूल था पांचवीं क्लास तक। उसके बाद एक डालपुर स्कूल था आठवीं तक का। मैं पांचवीं के बाद वहां चला गया। जब छठी क्लास में पहुंचा तो वहां जो टीचर बैठते थे हमारे, मैं नाम नहीं लेना चाहता उनका, पैर मेज के ऊपर और कुर्सी पीछे और सिगरेट पीते रहते थे। मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने वहां से नाम कटवाकर क्योंकि और स्कूल था नहीं

पास में, एक स्कूल होता था आपके घर के पास शायद आप शाहदरा में रहते हैं, बाबूराम स्कूल। वहां जाने के लिए कोई साधन नहीं थे। लोनी नजदीक पड़ता था 11 किलोमीटर, वहां सातवीं में एडमिशन ले लिया। फीस देने के लिए पैसे नहीं होते थे, सत्य बता रहा हूं आपको। साढ़े छह रुपए महीने की फीस थी। साढ़े तीन रुपए आधी फीस माफ करवाई। एक टीचर थे वहां मनीराम जी, इंगलिश के टीचर। तो छठी में तो इंगलिश वहां मास्टर जी ने पढ़ाई नहीं वो मेज पर पैर रखते थे, मनीराम जी ने पढ़ाना शुरू किया और मुझे उनकी पढ़ाई बड़ी अच्छी लगी। उस समय मैं थोड़ी बहुत इंगलिश बोल लेता था, समझ लेता था। उसके बाद उनका वहां से ट्रांसफर हो गया और क्योंकि मैं किसान कहूं या मजदूर कहूं उस परिवार में मैंने जन्म लिया। जब फसल कटी और एक मटर जानते होंगे आप सभी क्योंकि किसान परिवारों से यहां हैं और पैर में जब दाया चलाता था मैं भी अपने दादा के साथ, एक लाला जी आ गए वहां। उनसे ब्याज पर पैसे ले रखे थे 200 रुपए, उस मटर को उठाकर वहां से वो ले गए। तो उस सुखी लाला की मुझे आज कहानी याद आ रही है मदर इंडिया वाले। फिर मैंने बिरजू की तरह पढ़ने लिखने में ध्यान छोड़ दिया। आज भी मेरे जैसे मेरे क्षेत्र में क्या दिल्ली में लाखों बिरजू है जो सुखी लालाओं से परेशान हैं। चाहे वो सरकारी विद्यालय में मास्टर ना पढ़ाते हों या लोगों को ब्याज पे रुपए देकर शोषण करते हों या किसी गरीब ने ब्याह शादी करने के लिए किसी से कर्ज ले लिया हो तो 5-5, 10-10 परसेंट का ब्याज वसूल किया जाता हैं और मैं हमेशा मांग करता रहा हूं विधान सभा में आपके समक्ष कि मेरे क्षेत्र में या जहां गरीब लोग रहते हैं। वहां शिक्षा की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं। अभी परसो लोग कह भी रहे थे कि प्रधान जी आप हाथ किससे जोड़ रहे थे, मैंने कहा मैं सिसौदिया साहब से और आदरणीय हमारे परिवहन मंत्री से जोड़

रहा था कि मेरे क्षेत्र में बसें चल जाएं ताकि जो बच्चे वहां स्कूल नहीं है, कम-से-कम दूसरी जगह बस में बैठकर जा सकें। मैं आपको एक घटना बता रहा हूं छोटी सी कि अभी डेढ़ महीने पहले जब छुट्टी नहीं हुई थी बच्चों की मेरे क्षेत्र? में एक ब्रिजपुर कॉलोनी पड़ती है। मैं अपने ऑफिस से वहां एक मीटिंग में जा रहा था रास्ते में जमा लगा पड़ा था, पैदल चलने लायक वहां जगह नहीं थी। मैं अपनी गाड़ी वहीं छोड़कर झुग्गियों में पैदल-पैदल चल दिया और मैंने ब्रिजपुरी फोन किया कि भैया, जरा एक मोटर साइकिल मिल जाए तो आ जाना। एक मां अपनी दो बच्चियों के साथ, विद्यालय से उन बच्चों को लेकर आ रही थी छुट्टी होने के बाद। वहां दो-तीन असामाजिक तत्व कहूं मैं जो शब्द उन्होंने उन बच्चियों से कहा मैं उसको सुनकर हैरान हो गया। मैंने वो लड़के रोके मोटर साइकिल पर थे। यानि इतने अपशब्द उन्होंने इस्तेमाल किए कि अम्मा, इन भाभियों को हम छोड़ देंगे। उस अम्मा की मजबूरी थी क्योंकि बसें वहां चलती नहीं, आटो से कोई जा नहीं सकता। मैंने उन बच्चों को रोका, उनको धमकाया, उन्होंने सॉरी की, मैंने उनको जाने दिया। मुझे पीड़ा होती है कि जब दिल्ली में आज आजादी के 67 साल बाद भी, दिल्ली देश की राजधानी है वहां बच्चों के लिए स्कूल ना हों, स्कूल ना बनाए जाएं तो बहुत शर्म और दु:ख की बात है। अध्यक्ष जी मैं आज फिर हाथ जोड़ रहा हूं, मैं तो कहूंगा मैं पैर भी पकड़ लूगा कि जैसे आज दिल्ली में आपकी सरकार ने 500 विद्यालय खोलने की बात कही है। मैं उसका तहे दिल से शुक्रिया करता हूं और साथ में अभी जो 236 स्कूल खोलने की बात कही गई। मुझे भी बड़ी खुशी हुई और मैंने उस दिन सिसौदिया साहब का धन्यवाद भी किया कि बहुत अच्छा बजट में प्रावधान किया है। मगर आज कहते हुए बहुत दु:ख हो रहा है कि उन 236 स्कूल के अंदर जो दिल्ली में

बनने जा रहे हैं, मेरे भाई बैठे हैं फतेह सिंह जी, मेरे बराबर में विधान सभा है। कपिल मिश्रा जी शायद अंदर कम बाहर ज्यादा रहते हैं, उनके यहां मैंने सोचा शायद वहां स्कूल बन रहे होंगे तो मेरे बच्चें शायद वहां पढ़ लें या गोकुल पुरी में जाकर पढ़ लें। मगर जब मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि मेरे यहां तो एक भी स्कूल का प्रावधान नहीं है और मुझे लगता है कि मेरी विधान सभा में भी एक विद्यालय खोलने का प्रावधान नहीं है तो मैं माननीय उप-मुख्यमंत्री जी से चाहता हूं कि यदि जगह का अभाव है तो जैसे डिस्पेंसरियां किराए की जगह लेकर खोली गई हैं, पिछली सरकारों ने भी खोली हैं तो कम-से-कम जहां विद्यालय नहीं है, 236 की अगर बात की जाए तो मेरी विधान सभा में कम-से-कम 7 स्कूल इसमें आते हैं तो 7 स्कूल खोल दें। आपका धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय, रही परिवहन की बात, 10,000 बसें चलाने की बात कही गई हैं। बहुत अच्छी बात है दिल्ली में बसें चलेंगी। मगर मुझे नहीं लगता कि 10,000 बसें तो बहुत दूर की बात है, 1,000 बसें चलाने के लिए भी दिल्ली में सड़कों का इंतजाम हो। यदि आपको बसें चलानी है तो पहले सड़कों को चौड़ा करना होगा। उसका कहीं बजट में जिक्र तक नहीं है। मैं चाहता हूं कि जो इस तरह के क्षेत्र है मेरे विधान सभा में केवल एक बस आती है तो मैं परिवहन मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि कम-से-कम जो इस तरह की विधान सभा है जहां आटो की भरमार रहती है हमेशा, वहां कम-से-कम 5-7 मिनी बसों का इंतजाम कर दें ताकि हमारी लड़कियां कहीं पढ़ने जाती है तो उन बसों में जा सकें। ये मैं आग्रह करना चाहता हूं।

दूसरा अध्यक्ष महोदय, स्वराज निधि की बात कही गई। उसमें डीयूडीए नाम की संस्था से काम कराने की बात कही गई। उस बात का मैं स्वागत करता हूं कि

दिल्ली में एक एजेंसी काम करे। जगह-जगह हमको ना भटकना पड़े। मगर मुझे इसमें संशय है कि ये चल पाएगी या काम हो पाएगा। चाहे यहां बैठे हुए 67 आदमी इस बात का समर्थन करते रहें, यदि आप उन्हें अलग बुलाकर पूछेंगे कि क्या यह सही है तो समझता हूं कि शायद वो इसको सही नहीं बताएंगे। इसका मैं उदाहरण दे रहा हूं कि हमें बजट में प्रावधान करना चाहिए कि डूडा के जो अधिकारी होंगे उनकी जिम्मेवारी फिक्स होनी चाहिए। यदि काम में कोई भी गड़बड़ पाई जाएगी तो उसको तुरंत प्रभाव से टरमिनेट किया जाएगा। इसमें जिक्र किया गया है कि मोहल्ला सभाओं से पूछकर उनकी पेमेंट होगी। मैं ये कहना चाहूंगा और मेरी बात को बड़े ध्यान से लिख लें या सुन लें कि कुछ दिन बाद या तो कोई एजेंसी काम नहीं करेगी और यदि काम करेगी तो उसमें कहीं न कहीं भ्रष्टाचार पाया जाएगा। ज्यादा भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा। क्योंकि जब एक परिवार के सात आदमियों की राय एक नहीं हो सकती तो एक मौहल्ले के अंदर 10 हजार लोगों की शायद उसमें सहमति नहीं दे पाएंगे कि ठेकेदार की पेमेंट कब की जाए। ठेकेदार को प्रताड़ित किया जाएगा और ठेकेदार वहां काम नहीं करेंगे और बहुत सारी बातें कहने के लिए हैं।

स्कूलों की बात मैं ज्यादा नहीं कह सका क्योंकि बजट में, मेरे यहां की स्थिति हो, करावल नगर विधान सभा की हो क्योंकि मेरे घर भी करावल नगर विधान सभा में आता है। पानी के ऊपर मैं कल बोल चुका हूं। पानी की स्थिति बिल्कुल दयनीय है हमारे यहां, फतेह सिंह जी बैठे हैं और बड़े दु:ख के साथ कहना पड़ रहा है मेरे साथी यहां तो कहते हैं प्रधान जी आप बहुत अच्छा बोलते हो, बाहर भी कहते हैं अच्छा बोलते हो पर यहां शिक्षा के ऊपर किसी ने चर्चा आज तक नहीं की है और ना किसी ने ये कहा कि यहां प्रधान जी रोज चिल्ला रहे हैं कम-से-कम इनके यहां

विद्यालय खोल दो। मैं फिर हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि कृपया इन बातों पर ध्यान दिया जाए, धन्यवाद जय हिंद।

अध्यक्ष महोदय : भावना गौड़ जी।

सुश्री भावना गौड़ : अध्यक्ष महोदय जी, सबसे पहले तो मैं इस बात पर गर्व और प्रसन्नता महसूस करती हूं कि मैं इस सदन का एक अंग हूं, एक हिस्सा हूं। क्योंकि इस सदन में पेश होने वाला पहला बजट जो पूरी तरह से मानवीय संवेदनाओं के ऊपर आधारित है और जिस बजट को बजट व्यय न कहकर के मानवीय व्यय के रूप में हम सब लोगों ने इसको देखा है।

दूसरा, अध्यक्ष महोदय, जब भी हम कुछ अच्छा काम करते हैं तो अपनी पीठ को थपथपाते हैं। लेकिन गर्व का विषय यह है कि शायद हमारे सभी मेम्बरान की उनकी अपनी विधान सभाओं के अंदर हमारी पीठ को उन लोगों ने भी थपथपाया जिन लोगों ने किसी कारण से या किसी विचारधारा से जुड़ करके हमें वोट नहीं दिया, उन्होंने भी प्रशंसा की है हमारे बजट की। अध्यक्ष महोदय भारतीय लोकतंत्र में बजट दो प्रकार का होता है। पहला, जिसको हम उपजाऊ बजट कहते हैं जो बंजर जमीन के ऊपर भी सोने को उपजाता है और रेगिस्तान में भी हरियाली पैदा कर देता है और दूसरा, वो बजट होता है जो जोंक की भांति राज्य से चिपक जाता है, उसकी शक्तियों के साथ चिपक जाता है। विश्वास को खत्म कर देता है और हमारे राज्य की उद्यम जो शक्तियां होती हैं, उनका कहीं न कहीं गला वो घोट देता है। तो मैं बधाई दूंगी अरविन्द जी को, मैं बधाई दूंगी मनीष जी को एक इतना संवेदनशील बजट उन्होंने हमारे सामने प्रस्तुत किया है। मुझे लगता है कि अध्यक्ष महोदय कि अर्थशास्त्री कोई चमत्कार नहीं करते, सिद्धांतों को लाते हैं, उनको सही मायने में लागू करते हैं। और उनका जो मीठा फल होता है, वो क्षेत्र में रहने वाले

सारे निवासी उसको चखते हैं। मुझे जर्मनी का और जापान का उदहारण देना पड़ेगा आपके सामने। जर्मनी और जापान का आर्थिक चमत्कार अपने आप में क्या है। वह केवल उनकी सरकारों की दूरदर्शिता और जन अनुशासन का ही केवल परिणाम है। अध्यक्ष महोदय, दिल्ली का वार्षिक बजट जो हैं, मैं तो यही कहूंगी कि वो विपदा वाला बजट नहीं है जिस तरह से हमारे विपक्ष के सभी साथी शोर मचा रहे हैं। यह एक ऐसा मंच है जहां सरकार और जनता के उद्यम की साझेदारी का वार्षिक लेखा-जोखा हम एक स्थान पर बैठकर के उसको प्रस्तुत कर सकते हैं, और उस पर चर्चा कर सकते हैं। आम आदमी पार्टी के पास में एक सशक्त नेतृत्व है, उसके पास उसकी ठोस नीतियां हैं और मुझे लगता है कि ठोस नीतियां और सशक्त नेतृत्व उन दोनों के बल के ऊपर किसी भी आर्थिक समस्या का हल बहुत आसानी से निकाला जा सकता है। हमारे वित्त मंत्री आदरणीय मनीष जी इस बात के लिये बधाई के पात्र हैं उन्होंने बड़े सधे हुए शब्दों के अंदर अपने इस बजट को प्रस्तुत किया है और मुझे लगता है अध्यक्ष महोदय कि बजट का शुभ लक्षण भी केवल यही होता है कि उसके बारे में तर्क-संगत आधार पर विचार-विमर्श किया जा सके।

अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से विपक्ष में बैठे हुए अपने साथियों से एक बात जरूर कहूंगी। आम आदमी पार्टी का बजट नारों, विचारधाराओं और महत्वाकांक्षाओं को, मैं एक बार फिर से कहूंगी कि आम आदमी पार्टी का बजट नारों, विचारधाओं और महत्वाकांक्षाओं को केवल और केवल विश्राम करने की सलाह देता है। अध्यक्ष महोदय, हमारा बजट उन व्यावहारिक उद्देश्यों को लेकर के आगे बढ़ेगा, जो दिल्ली को अल्प वृद्धि के दलदल से निकालेगा, समाज के विभिन्न वर्गों को साथ में लेकर चलेगा और नैतिक मूल्यों और उच्च सिद्धांतों की दृढ़ आस्था को बनाये रखेगा। इस तरह का बजट हमारा है। ये अभी इस बार आम आदमी पार्टी का पहला बजट है।

मुझे लगता है कि इसके परिणाम अगर देखने होंगे तो पूरे 5 साल के कार्यकाल के बाद में हमारी पार्टी के बजट के परिणामों को देखने के लिये मिलेगा। अध्यक्ष महोदय बहुत सारे बजट आये। पिछली सरकारों ने हर साल अपना बजट पेश किया। लेकिन मुझे लगता है कि पिछले बजट भाषण आशाओं और आकांक्षाओं के केवल और केवल सपने दिखाते थे। वो कभी पूरे नहीं हुए। ऐसे लक्ष्य उन्होंने निर्धारित किये जो हमेशा ही अधूरे रहे और अतीत में मानवीय विकास को लेकर के किसी भी प्रकार के न तो किसी विषय को लेकर उन्होंने रखा और न ही उसकी कभी पूर्ति हुई। मैं एक बात जरूर जानती हूं कि कौन नहीं जानता कि हमारे एक पलड़े के अंदर नपे तुले हमारे पास अधिकार होते हैं। लेकिन आवश्यकतायें होती हैं, वो हमेशा असीमित होती हैं। असीमित आवश्यकताओं को पूरा करना अपने आप में कोई बहुत आसान काम नहीं होता। इसलिये मैं मनीष जी द्वारा पेश किये गये इस बजट को सूझ बूझ वाला बजट कहूंगी क्योंकि यही बजट आर्थिक लक्ष्य को भी प्राप्त करेगा और हमारा बजट जनता को कुछ देने वाला बजट है, कुछ लेने वाला बजट नहीं है। अध्यक्ष महोदय, बहुत सारी बातें हमारे साथियों ने अपने भाषण में रखी। इस बजट के अंदर किन-किन चीजों का प्रावधान किया गया है। सार्वजनिक वितरण की पारदर्शिता को बनाये रखा गया है। रिश्वत को समाप्त करने का प्रयास, दिल्ली को देश का प्रथम भ्रष्टाचार मुक्त राज्य बनाने के लिये यह सरकार प्रतिबद्ध है। बिजली के बिलों में कमी, 20,000 लीटर पानी नि:शुल्क जिसके लिये 1690 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया। शिक्षा के क्षेत्र में प्राथमिकता दी गई है। 50 स्कूलों को मॉडल स्कूल बनाया जायेगा, इस पर चिन्ता व्यक्त की गई है। 236 नये स्कूल खोले जाने की योजना, कलासरूम में सीसीटीवी कैमरे लगाये जायेंगे। छात्राओं विद्यार्थियों

के लिये क्योंकि मैं स्वयं भी एक महिला हूं इसलिये मैं बड़े गर्व के साथ इस बात को कहती हैं कि शिक्षा ऋण पर ब्याज की दर को जो कम किया गया है, उसके लिये आदरणीय मनीष जी बधाई के पात्र हैं। खेल गतिविधियों को बढ़ावा दिया गया है। तीन नये आईआईटी खोलने का प्रावधान है। 500 मौहल्ला क्लीनिक, ई-रिक्शा की खरीद पर 15000 रुपये की सबसिडी, बसों में मार्शल और सीसीटीवी कैमरे लगाना, कामकाजी महिलाओं के लिए 6 नये होस्टल, ड्यूटी के समय बलिदान देने वाले हमारे सैनिक और अर्धसैनिक बल के जितने भी जवान होंगे, उनको एक करोड़ रुपये का मुआवजा और वॉटर टेंकरों पर सार्वजनिक निगरानी रखने जैसे मुद्दे इस बजट के अंदर शामिल किये गये हैं। मैं मनीष जी एक बात जरूर आपको कहना चाहूंगी कि अभी हमारे विपक्ष के साथी शोर मचा रहे थे, मुझे लगता है कि बजट चाहे वो केन्द्र का बजट हो, चाहे वो किसी राज्य का बजट हो, चाहे वो दिल्ली राज्य का बजट हो, टैक्स लगाना और सभी लोगों को प्रसन्न करना मुझे नहीं लगता कि मनुष्य के बस की बात होगी और उसको हां, एक बात जरूर हमारे बस में होती है कि हम जो भी टैक्स लगायेंगे उसका युक्तिसंगत होना यह हमारे अपने बस की बात है। जो मनीष जी के माध्यम से कर दिखाया, इस बजट में। बड़ी खूबसूरती से उन्होंने अपनी बातों को इस बजट में रखा है।

अध्यक्ष महोदय मैं एक महिला होने के नाते इस बजट में कुछ महिलाओं से जुड़े मुद्दे पेश करूंगी। हम और हमारी सरकार महिलाओं की सुरक्षा के प्रति वचनबद्ध हैं। यूं तो बजट में महिलाओं की सुरक्षा के लिये बहुत सारे प्रावधान हैं। योजना नीति के अंतर्गत 160 करोड़ रुपये का भी प्रावधान किया गया है। अध्यक्ष महोदय, महिलाओं के पूर्ण विकास के लिये उनका शिक्षित होना जरूरी है क्योंकि शिक्षित नारी ही सशक्त बन सकती है। आपने शिक्षा पर जो बजट पेश किया है, उसके

लिए आप बधाई के पात्र हैं। आर्थिक तौर पर महिलायें सक्षम हों, इस पर विशेष ध्यान दिये जाने की जरूरत है। जो महिलायें छोटा-मोटा व्यवसाय करके खुद को सक्षम बनाने की पहल करती हैं उनके लिये विशेष तौर पर कुछ आर्थिक पैकेज, कुछ आर्थिक सहायता सरकार की तरफ से पेश की जानी चाहिये और इसके लिये बजट की राशि आपने जो दी है उसमें कहीं न कहीं इस राशि को आपकी तरफ से बढ़ाया जाये। अध्यक्ष महोदय, क्योंकि दिल्ली के अंदर उन आबादी का 48 परसेंट महिलाओं की आबादी है, मैं आपको बताना चाहूंगी कि विश्व स्तर पर महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिये एक जैंडर बजट की अवधारणा जो तेजी से आजकल उभर कर आ रही है, इस तरह का बजट लगभग 62 देशों में लागू किया जा चुका है और सबसे पहले इसकी शुरुआत आस्ट्रेलिया नाम के देश से हुई थी। सीधा-सीधा महिलाओं के लिये बजट का आवबंटन यह जैंडर बजट के अंदर आता है। अब आपमें से कई लोगों के दिमाग में यह प्रश्न आयेगा कि ये जैंडर बजट क्या है। वार्षिक बजट में महिलाओं और बालिकाओं के विकास पर होने वाला बजट और उसका प्रावधान और उसपर होने वाला खर्च उसकी समीक्षा की जाये। नई योजनायें बनाई गईं। खर्च किया गया उसकी एक आडिट रिपोर्ट पेश होनी चाहिये। इसको हम अपने बजट के अंदर शामिल करते हैं।

अध्यक्ष महोदय, एक मुद्दा मैं और रखना चाहूंगी आपके बीच में, बहुत-बहुत बधाई देना चाहूंगी, हृदय से प्रसन्नता व्यक्त करती हूं कि एक लाख जॉब्स जो एससी और एसटी लोगों के लिये हमारे बजट में विशेष तौर पर प्रावधान है और मैं विशेष तौर पर अपने साथियों से इस बात का अनुरोध करूंगी, कि कम-से-कम ये प्रशंसा का विषय है तो एक बार जोरदार मेजें थपथपा के हमारी इस बात का स्वागत करेंगे।

मैं मनीष जी के माध्यम से एक प्रार्थना और करना चाहूंगी, 70 विधानसभायें हैं। 70 विधानसभाओं के अंदर 14 जिला विकास समितियों का गठन किया गया है। एक जिला विकास समिति में पांच विधानसभायें होंगी। उस पर एक जिला विकास समिति का अध्यक्ष होगा, जिसको हम चैयरमैन कहते हैं, उसका गठन हुआ है। हममें से बहुत सारे मेम्बर्स जिला विकास समिति के अध्यक्ष हैं। जिला विकास समिति के जो दफ्तर हैं वहां पर हमें बकायदा सरकारी कमरा मिला है। वहां पर अधिकारी हमारे आदेश पर आते हैं, वहां सुनवाई होती है और अधिकतर मामले वहां पर Grievances से संबंधित आते हैं लेकिन मैं बताना चाहूंगी इस सदन के माध्यम से जिला विकास समिति को चलाने के लिये किसी भी प्रकार का कोई भी बजट ना तो वह पहले होता था और ना ही वो अब है। तो मेरा निवेदन है कि अगर कहीं गुंजाइश है तो इस बजट में संशोधन करते हुये जिला विकास समितियों को कुछ इस तरह के बजट का प्रावधान आप अपने इस बजट में करें ताकि Grievances से जुड़े मामले हम जिला विकास समिति के अध्यक्ष अपने-अपने जिलों के अंदर इस काम को आसानी से करवा सकें। आपने मेरी बात को बहुत ध्यान से सुना, बहुत-बहुत धन्यवाद। जय भारत।

अध्यक्ष महोदय : श्री सही राम जी।

श्री सही राम : धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय, मुझे आज इस विधान सभा में बजट में बोलने का मौका मिला। इसको मैं ही नहीं, दिल्ली का हर आदमी, दिल्ली का हर नागरिक एक ऐतिहासिक बजट बनाने में अपने आपको गौरवान्वित महसूस कर रहा है और क्यों ना करे, जब ऐतिहासिक बजट की बात हो रही है तो जब से दिल्ली विधान सभा के चुनाव हुए हैं तब से अध्यक्ष महोदय दिल्ली में इतिहास ही तो लिखा जा रहा है। यह बजट हर वर्ग को ध्यान में रखकर बनाया गया है जिसमें हर गरीब से गरीब आदमी तक पहुंचने की कोशिश की गई है जैसा कि आज इसी सदन में

श्रम मंत्री जी ने अपनी बात रखी। उन्होंने घोषणा की, उन्होंने कहा कि ये बजट आम आदमी का है, मजदूर का है। मजदूर के ईलाज के लिये दो गुणा बजट कर दिया। मजदूर की पेंशन तीन गुणा कर दी। मजदूर को एक्सीडेंटल केस में एक लाख से तीन लाख कर दिये तो अध्यक्ष महोदय, ये तो इतिहास ही है। इससे आगे बिजेन्द्र गुप्ता जी थोड़ा ध्यान से सुनेंगे क्योंकि बड़ी टॉन्टिंग करते रहते हैं। अध्यक्ष महोदय, दिल्ली विधान सभा में 70 में से 67 सीट जीतना इतिहास ही है। बिजली हाफ, पानी माफ, शर्मा जी सुनने का थोड़ा दिल रखें, बिजली हाफ, पानी माफ, बीजेपी साफ। अध्यक्ष जी, ये इतिहास ही तो है। अध्यक्ष महोदय, कुछ दिन पहले मैं टीवी पर उन किसानों को चैक बंटते हुए देख रहा था। यूपी में पंजाब में, हरियाणा में जहां इनकी सरकार है। बड़ा दु:ख हुआ उन गरीब किसानों के साथ कितना भद्दा मजाक इनकी सरकारों ने किया। किसी को 400 रुपये के चैक दे रहे थे, किसी को 250 रुपये का, किसी को 175 रुपये का। अध्यक्ष महोदय, वैसे तो ये कहते हैं किसान परिवार से हैं। किसानों के हितैषी हैं लेकिन इन्होंने एक बार भी ये नहीं सोचा कि उस गरीब किसान के ऊपर क्या बीत रही होगी। जिसको ये ढाई-ढाई सौ रुपये के चैक बांट रहे थे। मैं धन्यवाद करूंगा दिल्ली सरकार का कि इन्होंने इतना बड़ा दिल किया कि दिल्ली में पहली बार 50 हजार रुपये प्रति हैक्टेयर किसानों को मुआवजा देने का काम किया। मैं धन्यवाद करता हूं अध्यक्ष महोदय, दिल्ली सरकार का। इससे एक कदम आगे हमारी दिल्ली सरकार और बढ़ी। देहात के लिये किसानों के लिये, जहां पिछली सरकारें किसानों को सर्किल रेट 53 लाख रुपया देती थी। अध्यक्ष महोदय, वहां तीन करोड़ पचास लाख रुपया देने का दिल्ली सरकार ने काम किया। पर विजेन्द्र जी, खास कर के मैं आपसे कहना चाहूंगा विधान सभा में भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की पर्याप्त संख्या ना होने पर भी आपको

विपक्ष का नेता बनाया। ये एक इतिहास है क्योंकि शर्मा जी सुन लें। क्योंकि लोक सभा में जो कहते थे ना 56 इंच का सीना, उन्होंने भी यह काम करने का साहस नहीं किया, इसलिये मैं कहूंगा कि ये भी एक एतिहासक है।

अध्यक्ष महोदय, हेल्थ के बारे में अगर मैं कहूं तो सरकार ने सभी निर्माणाधीन नई अस्पताल परियोजनाओं को दिल्ली की आबादी के हिसाब से जैसे कि द्वारका हॉस्पिटल जिसकी कि पिछली सरकारों ने 700 बिस्तरों की क्षमता थी उसे आम आदमी की सरकार ने आते ही 1500 बिस्तर का हॉस्पिटल बनाने का काम किया है। बुराड़ी में नये अस्पतालों की क्षमता पहले 200 बिस्तरों की थी अब उसे 800 बिस्तर का बनाने का काम किया है। इसी प्रकार अंबेडकर नगर में जहां 200 बिस्तरों का हॉस्पिटल बनना था अध्यक्ष महोदय वहां 600 बिस्तर बनाने का काम किया है। गुप्ता जी, ये इतिहास ही है। अध्यक्ष महोदय, गुप्ता जी ने जब बजट पर चर्चा की तो इन्होंने बड़ा जोर दिया कि आम आदमी पार्टी सरकार ने पहले भी और अब भी जो पुरानी योजनायें थी उनको रोक दिया लेकिन यहां जो योजनाएं पूरी और दोगुनी है, उससे भी ज्यादा है आम आदमी सरकार ले के आई है। हां, एक चीज तो जरूर रोकी है अध्यक्ष महोदय, उसके लिये मैं दिल्ली के मुख्य मंत्री श्री अरविन्द केजरी वाल जी को बधाई देता हूं और उनका तहे दिल से धन्यवाद भी करूंगा कि उन्होंने देश के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का अश्वमेघ घोड़ा जो चला था विजय रथ जो इनका चला था उसको दिल्ली में धराशायी कर दिया। और शाइनिंग इंडिया की तरह से उसकी हवा निकाल दी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं गांव की पृष्ठभूमि से हूं और जैसे पहले विजेन्द्र गुप्ता जी भी कहते रहे हैं, पहलवान भी हूं।...(व्यवधान) बताऊंगा गुप्ता जी ओमप्रकाश जी को भी बताऊंगा और चुनाव के दौरान डिबेट में विजेन्द्र गुप्ता जी बार-बार कहते थे कि सही राम तो बाहुबली है। गुप्ता जी पहले बाहुबली की परिभाषा समझ लो। बाहुबली कोई गुण्डा नहीं होता, कोई बदमाश नहीं होता।

पहलवानों को ही बाहुबली कहते हैं। जिनकी बाजुओं में दम होता है, उन्हें बाहुबली कहते हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं एक और बात कहना चाहूंगा कि दिल्ली में पिछली तीन योजनाओं में जब से भारतीय जनता पार्टी जमी बैठी है, तब से इन्होंने कसम खा ली है, भाई ध्यान से सुनना क्योंकि आपने चर्चा की थी वीरेन्द्र सहवाग की, सुशील कुमार पहलवान की और मैं आपसे कहूंगा इनसे पूछना कि तीन योजनाओं से इन्होंने दिल्ली में गाय, भैंस पालने में पाबंदी लगा रखी है। अगर इनकी ये पाबंदी जारी रही तो दिल्ली में कहां से पहलवान पैदा होंगे कहां से प्लेयर पैदा होंगे आने वाला समय वो होगा, जब एक मां इंजेक्शन में दूध ले के आयेगी। इंजेक्शन में दूध लेकर आयेगी और अपने बेटे और बेटी को लाकर कहेगी बेटा जा ओलंपिक से पदक ले आ। अध्यक्ष महोदय, मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि निगम को आदेश दिया जाये कि जो शहरीकृत गांव हैं उनमें, जो गांव है उनमें एक-एक गाय-भैंस पालने की अनुमति दी जाये। अध्यक्ष जी, यह तो आम आदमी का एक ऐतिहासिक बजट है जिसमें आम आदमी पार्टी की सरकार ने इतिहास बनाया है लेकिन मैं दूसरी तरफ भी जाना चाहूंगा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग भी इसी की तर्ज पर कुछ इतिहास बनाने की चेष्टा कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह का इतिहास, अध्यक्ष महोदय, मैंने एक दिन पहले भी कहा था दिल्ली में ही नहीं, हिन्दुस्तान में यह पहली बार हुआ है कि दिल्ली की झुग्गी-झोंपड़ियों के ऊपर हाउस टैक्स, प्रोपर्टी टैक्स लगाया गया है। यह काला कानून है 01.06.2015 के ये ऑर्डर मेरे हाथ में है। इससे आगे बीजेपी एक कदम और बढ़ी। विजेन्द्र जी गवाह हैं इस बात के कि जब मैं इनके साथ हाउस में था तो बजट पर इन्होंने चर्चा की थी और प्रस्ताव लेकर आये थे कि दिल्ली के गांवों पर हाउस टैक्स लगाया जाये, हमने पुरजोर विरोध करके उसको वापस कराया था और इन्होंने कहा था कि हां जिस प्रोपर्टी में गांव का आदमी

खुद रहता हो, कमर्शियल न हो उसको टैक्स से फ्री किया जाता है लेकिन गुप्ता जी यह आपका फिर दूसरा काला कानून है, यह मेरे हाथ में कॉपी है 02.06.2015 की मेरे गांव में इस गांव का आदमी खुद रहता है, कोई दुकान नहीं, कोई किरायेदारी नहीं उस पर भी प्रोपर्टी टैक्स लगाकर आपने भेज दिया। अध्यक्ष महोदय, इससे दो कदम और आगे बढ़ गई इतिहास बनाने के चक्कर में, मुझे जो पता चला है, मैं कॉपी लेकर नहीं आया, कल आपको कॉपी दे दूंगा गुप्ता जी, इससे भी आगे बढ़कर इन्होंने साकेत की कोर्ट में जो वकीलों का चैम्बर है, उन पर भी हाउस टैक्स लगाने का काम कर दिया है। अध्यक्ष महोदय, मैंने कुछ छोड़ दिया गुप्ता जी के लिए, इससे आगे एक कदम और बढ़े झुग्गी-झोंपड़ियों के बीच में जो एनजीओ गरीब बच्चों को फ्री में एजुकेशन देते हैं, फ्री में पढ़ाते हैं, उनके ऊपर भी इन्होंने प्रोपर्टी टैक्स लगाने का काम किया है। यह इतिहास ये रचना चाहते हैं।

अध्यक्ष जी, मेरे छोटे-छोटे दो सुझाव हैं, मैं माननीय उप-मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि उन पर भी थोड़ा ध्यान देंगे। आज तक दिल्ली के गांवों के साथ जो शहरीकृत हो गए हैं, उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के लोग और कांग्रेस के लोग हमेशा से वोट की राजनीति करते आये हैं कि तुम्हारा जो लालडोरा है, उसे बढ़ा देंगे। उसे एक्सटेंड कर देंगे तो मेरा निवेदन है मुख्यमंत्री जी और उप-मुख्यमंत्री जी से कि जो गांव के साथ लगी हुई आबादी है, उसे बगैर किसी शर्त के ऐसी अप्रोच दे दे तो इनकी मनमानी बंद हो जाएगी।

अध्यक्ष महोदय : सही राम जी, कंक्लूड कीजिए जरा।

श्री सही राम : अध्यक्ष जी, एक मिनट और लूंगा जी। अध्यक्ष जी, मेरा आपसे निवेदन है कि गांवों की बढ़ी आबादी को नियमित कर दें और जो भी बच्चे किसी

भी खेल-कूद में एशियाड या कॉमनवेल्थ गेम्स या ओलंपिक में पदक दिलाये, उसे धनराशि देकर सम्मान देने का काम करें। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी।

अध्यक्ष महोदय : श्री राजेश ऋषि जी।

श्री राजेश ऋषि : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बजट की चर्चा में भाग लेने के लिए कहा, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं सबसे पहले हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को नमन करता हूं, जिन्होंने स्वराज का सपना देखा था। दूसरा नमन आपके कहने पर नहीं, मैं वैसे ही उनका नमन करता हूं, जिन्होंने इसको लागू करने की शुरुआत की। गांधी जी चाहते थे कि इस देश के अंदर लोकशाही आये, इस देश के अंदर जो मतदाता अपना वोट देता है उसको पूरी ताकत मिले, उसे पूरी आजादी मिले। अपने हिसाब से अपने देश को चलाने के लिए, अपने विचारों को रखने की। यह पहली बार हो रहा है इतिहास में कि इसकी शुरुआत इसी विधान सभा से हो रही है और हमारे माननीय वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया जी ने जो बजट रखा, यह बजट एक ऐतिहासिक बजट है, यह बजट उस स्वराज की शुरुआत है, जो दिल्ली में होने जा रहा है। इसमें बड़ी मेहनत लगी, इसमें हमारे वित्त मंत्री जी की बहुत मेहनत लगी। इन्होंने जगह-जगह जाकर हर आरडब्ल्यूए से और 11 विधान सभाओं के अंदर जगह-जगह मीटिंग करके लोगों से विचार लिए, लोगों से पूछा कि वो क्या चाहते हैं, दिल्ली में वो क्या विकास चाहते हैं, उसी के हिसाब से इस बजट को बनाया गया। इसलिए यह बजट ऐतिहासिक बजट है। आने वाले पांच सालों में इससे भी बड़े-बड़े इतिहास लिखे जायेंगे, इसकी यह शुरुआत हुई है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि इन्होंने शिक्षा में 106 परसेंट की वृद्धि

की। लोगों के अंदर एक विश्वास पैदा हुआ, आज गरीब इंसान उसका बच्चा जो बेचारा पढ़ नहीं सकता था पैसे के अभाव से, आज वो एक बड़ी उम्मीद के साथ जागा है। मैं आपको कल की बात बताऊं। कल मेरे ऑफिस में दो बच्चे आये। एक बच्चे ने आकर मुझसे बोला कि मेरे को लोन चाहिए पढ़ने के लिए तो मैंने उस बच्चे से पूछा क्या तुमने एडमिशन ले लिया, बोला हां, मेरा इंजीनियरिंग में एडमिशन हो गया। मेरे को फीस देने के लिए पैसे नहीं हैं, मैंने कहा आपके पिताजी क्या करते हैं तो बोला कि मेरे पिताजी रिक्शा चलाते हैं मेरी मां बर्तन मांजती है। मुझे बड़ा दु:ख हुआ और खुशी भी इस बात की हुई कि आज कम-से-कम देश का एक गरीब इंसान जिसका बच्चा पढ़ना चाहता है वो बच्चा जो अपने मां-बाप का भविष्य बनाना चाहता है आज वो जागा है, उसको एक उम्मीद जागी है। इस सरकार से जागी है, इस वित्त मंत्री से जागी है जिसने ऐसा प्रावधान किया जिसमें 30 करोड़ रुपये की राशि रखी है। मैं इसलिए मनीष सिसोदिया जी को धन्यवाद देता हूं कि गरीब जनता आज एक विश्वास के साथ आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ी थी और आज उनका विश्वास पूरा हो रहा है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने स्वास्थ्य सेवाओं में 45 परसेंट की वृद्धि की। हमारी दिल्ली के अंदर बहुत दूर-दूर से लोग आते हैं इलाज कराने, उनका बड़ा विश्वास है कि हमारा दिल्ली के अंदर इलाज हो जाएगा। हमें खुशी है कि बाहर से लोग आते हैं, उनको विश्वास है दिल्ली के डॉक्टरों पर, दिल्ली की सरकार पर, अब तो और ज्यादा विश्वास है उन्हें और जो 45 परसेंट की वृद्धि हुई है इससे हमारे अस्पतालों की और स्थिति सुधरेगी, नये अस्पताल खुलेंगे। जिस तरीके से अब हमारे मंत्री जी ने बताया है कि दो वर्षों के अंदर हम चार हजार नये बेड लाने जा रहे हैं। हम चार हजार नये बेड

यानी हम नये अस्पतालों का निर्माण कर रहे हैं, उसमें चार हजार नये बेड बढ़ा रहे हैं। अभी तक 67 सालों में लगभग 11 हजार बेड ही केवल बने थे। बड़े शर्म की बात है कि किसी भी सरकार ने इसके बारे में नहीं सोचा। आज तक की सरकारें गरीबों से वोट लेती रहीं और अमीरों के लिए बजट बनाती रही। यह पहली बार हुआ कि आम आदमी ने वोट दिया आम आदमी पार्टी को और आम आदमी का बजट, स्वराज बजट जो हर जनता से पूछ कर बनाया गया। चिकित्सा के लिए मौहल्ला क्लीनिक खोले जायेंगे। इस वित्त वर्ष में 500 मौहल्ला क्लीनिक खोले जायेंगे। वैसे मैं आपको बताना चाहता हूं कि दिल्ली के अंदर जितनी भी डिस्पेंसरियां दिल्ली सरकार चला रही हैं, उनकी स्थिति बहुत अच्छी है और जो एमसीडी चला रही है, उनकी स्थिति बहुत बदतर है। हमें तो समझ में नहीं आता कि एमसीडी को पैसा ही क्यों दिया जाता है डिस्पेंसरी चलाने के लिए क्योंकि डिस्पेंसरियों के अंदर पांच-पांच डॉक्ट्र्स बैठते हैं और वो 80 मरीज भी नहीं देखते। यह स्थिति है वहां की। एक बहुत अच्छा काम हमारे वित्त मंत्री जी ने किया है स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा कि आज हर घर के अंदर शुगर की बीमारी है। शुगर बहुत तेजी से बढ़ रही है इसके कारण डायलिसिस की बहुत जरूरत पड़ती है और गरीब आदमी के पास पैसा नहीं है कि वो डायलिसिस करा सकें। उसको हमेशा सरकारी अस्पतालों का मुंह देखना पड़ता है। मेरे पास बहुत से लोग आते हैं डायलिसिस के लिए, अस्पतालों में फोन करते हैं बोलते हैं जी पूरा बुक है, बड़ा मुश्किल होगा तो यह जो 45 परसेंट आपने बढ़ाया है यह उन गरीब लोगों के लिए बढ़ाया है। जो बेचारे डायलिसिस के अभाव में इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। डायलिसिस की सुविधाएं आपने बढ़ाई, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। सौ नई कैट्स एम्बुलेंस आ रही हैं इसके लिए भी आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने बजट में स्वास्थ्य के लिए जो प्रावधान

किया है, वह वाकई काबिले-तारीफ है और जनता इसकी बहुत तारीफ कर रही है कि हां, यह बजट बहुत अच्छा आया है। केवल बुराई कर रहे हैं तो विपक्ष वाले, क्योंकि उनका काम है विरोध करना। जब वो मीडिया के सामने होते हैं तो विरोध करते हैं लेकिन पीछे होते हैं तो कहते हैं हां, बजट तो बहुत बढ़िया है लेकिन हमारी मजबूरी है हम क्या करें। हमें तो सामने बोलना ही पड़ेगा। सर, आप ही विपक्ष नहीं है और भी है जो जीत कर नहीं आये वो भी विपक्ष में ही खड़े हैं। हो सकता है आप ही हो, मैं नाम नहीं लेना चाहता।

अध्यक्ष महोदय : राजेश जी, आप अपना जारी रखिये प्लीज।

श्री राजेश ऋषि : ऊर्जा के क्षेत्र में आपने जो विकास की बात की, बहुत अच्छी बात है क्योंकि दिल्ली के अंदर ऊर्जा की खपत सबसे ज्यादा है और गर्मियों में ये बहुत ज्यादा पीक तक पहुंच जाती है इसके लिए आपने 645 करोड़ रुपया जो 2015 में ऊर्जा के क्षेत्र के लिए प्रस्तावित योजनाओं में दिया है उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि अध्यक्ष जी मुझे रोकें इससे पहले ही, आपने जो यह बजट पेश किया यह स्वराज बजट, गरीब जनता का बजट है, आपने इसके अंदर हर वर्ग का ध्यान दिया है, आपने पिछड़ों का, अल्पसंख्यकों का और पैसों वालों का भी दिया है और गरीबों का भी दिया है आम जनता का भी दिया है। मैं यह नहीं कहूंगा कि पैसे वालों का नहीं दिया है क्योंकि जो लोग बिजली में 400 यूनिट से कम यूज कर रहे हैं, उनको भी फायदा मिल रहा है और जो आपने वायदा किया था, उसको पूरा किया। मैं इस बजट का समर्थन करता हूं और मैं आपको धन्यवाद देता हूं अपनी जनकपुरी की जनता की तरफ से। जयहिंद।

अध्यक्ष महोदय : अमानतुल्लाह जी।

मो. अमानतुल्लाह खान : शुक्रिया अध्यक्ष जी सबसे पहले मैं वजीरे आला और नायब वजीरे आला दोनों मुबारकवाद के मुस्तिफिक हैं वो 20 हजार सरकारी टीचरों की भर्ती करने जा रहे हैं। मैं आपके माध्यम से उनसे कहना चाहूंगा कि दिल्ली के अंदर 1995 से दिल्ली के सरकारी स्कूलों में एक भी उर्दू टीचर की भर्ती नहीं हुई है। 21 उर्दू मीडियम स्कूल हैं, जिनके अंदर सब्जेक्ट टीचर और लैंग्वेज टीचर की जरूरत है। 338 ऐसे स्कूल हैं जिनके अंदर ऑप्शन है थर्ड लैंग्वेज का, मुसलमान बच्चे वहां जाते हैं लेकिन वहां टीचर ना होने की वजह से वो लैंग्वेज नहीं पढ़ पाते और उनको संस्कृत लेना पड़ता है, मजबूरी में लेना पड़ता है, क्योंकि उर्दू मुसलमानों के लिए इसलिए जरूरी है, क्योंकि इस्लाम की जितनी भी किताबें हैं वो सारी की सारी उर्दू में छपी हैं, तो उनके लिए उर्दू जरूरी है, उनकी मादरे जबान है तो पिछली सरकारों ने, कांग्रेस यहां 15 साल रही, पांच साल ये जनाब भी रहे इनसे तो कोई उम्मीद नहीं की जा सकती थी लेकिन कांग्रेस जहां वो हमदर्द अपने आपको बताती थी, वहां उसने एक भी उर्दू टीचर भर्ती नहीं किया और इसके अलावा एजुकेशन विभाग के अंदर एक माइनोरटी सैल होता है उसके अंदर एक नोडल ऑफिसर होता है उसकी जिम्मेदारी होती है कि जो भाषाएं होती हैं उनको बढ़ावा मिले लेकिन बहुत दिन से वो भी रद्द पड़ा हुआ है, उसको भी बहाल किया जाये और उर्दू टीचरों को जितना जल्द हो सके भर्ती किया जाए मैं जामिया नगर, ओखला से हूं, सीलमपुर एक विधान सभा, दूसरी मटीया महल है तीसरी बल्लीमारान है, बाबरपुर है और मुस्तफाबाद है यहां पर जहां तक मेरी जानकारी है, बीस साल से एक भी सरकारी स्कूल कायम नहीं हुआ। आज हम तालीम भी हासिल करना चाहते हैं, तो हमारे पास ऑप्शन नहीं है स्कूल नहीं है, तो स्कूलों का भी जहां 500 स्कूल हमारी सरकार बनाने जा रही है, तो मैं अनुरोध करूंगा 500 स्कूलों में कुछ स्कूल हमारे यहां भी

दे दिये जायें ताकि हमारे बच्चे भी दूसरों के हिसाब से हमारे बच्चे भी पढ़ सकें। मैं ओखला विधान सभा से हूं, और ओखला विधान सभा उन 11 विधान सभाओं में है, जहां पर स्वराज बजट का 253 करोड़ रुपये दिया गया। ओखला विधान सभा में तमाम तबके के लोग रहते हैं, ओखला विधान सभा में डिफैंस कॉलोनी भी है, ठीक उसी के बराबर में झुग्गी बस्ती भी है जो इंद्रा कॉलोनी के नाम से जानी जाती है। अब से पहले मैंने 39 सभाएं वहां पर की लोगों से पूछा, वहां बजट बनाया अब से पहले लोग तसव्वुर करते थे, तो हम लोगों से कहते थे अगर हम सरकार में आएंगे तो हम लोग आपसे पूछकर बजट बनाएंगे और अगर आपको जरूरत है सड़क की तो सड़क बनाएंगे, जरूरत है, सीवर की तो सीवर बनाएंगे, जरूरत है पानी की तो पानी देंगे, जरूरत है स्कूल की तो स्कूल देंगे, तो लोग हैरत करते थे कि यार! ऐसा हो सकता है जहां नेता झुग्गी वाले से मिलने के लिए नहीं आता वहां वो झुग्गी वाले ये पूछने आएगा कि बताओ भई, तुम्हें क्या काम कराना है, बताओ तुम्हें शौचालय बनवाना या नहीं बनवाना है, तो ये जब हमारी सरकार ने कर दिखाया तो लोग इस पर हैरत कर रहे हैं और लोग इस बात को सराह रहे हैं कि अब हमसे पूछकर हमारा बजट तैयार होगा। मेरी विधान सभा में 39 मोहल्ले हैं और जहां 50 लाख रुपये डिफैंस कॉलोनी को दिया जा रहा है वहीं पर उसकी बराबर में तैमूरलंग को भी 50 लाख दिया जा रहा है, उसकी बराबर में इंद्रा कॉलोनी है उसको भी 50 लाख रुपये दिये जो रहे हैं तो एक अजीब सी बात है तो जब हम डिफैंस कॉलोनी वालों के पास जाते थे। उनसे पूछा तो कहा कि हमारा इलैक्ट्रीक पोल टूट गया है, उसे बनवा देना। वहां हम जाते हैं तो कहते हैं हमारे यहां लाइट ही नहीं है, लाइट बनवा देना और मेरी सारी विधान सभाओं में मैं यह बताना चाहता हूं हर एक विधान सभा में एक बात निकलकर आई। हर किसी ने ये कहा हमें सफाई कर्मचारी चाहिए। मेरी

विधान सभा में 750 सफाई कर्मचारी हैं, लेकिन कहीं एक भी मोहल्ले वाले ये नहीं कहा कि हमारे यहां सफाई होती है, सफाई की जिम्मेदारी किसकी है एमसीडी की। यहां से बीजेपी के लोग खड़े होते हैं, हमारे ये बजट की मुखालफत करते हैं, यहां ये पर्चे फाड़ते हैं, वहां ये एक मर्तबा जाकर एक बार कहें एमसीडी वालों से कि हमें वहां विधान सभा में बड़ी जलालत उठानी पड़ती है विधान सभा के अंदर, आप अपनी नहीं तो हमारी इज्जत की खातिर काम कर लो, कहीं तो सफाई कर लो। 2002 के दंगों की बात आती है तो इनको सांप सूंघ जाता है, जवाब ही नहीं देते वैसे इनसे बुलवाते रहिए, यहां हम 67 लोग इतना नहीं बोलते जितने ये 3 लोग बोलते हैं। 67 लोग नहीं बोलते हैं लेकिन जब काम की बात आती है जहां जवाबदेही की इनकी बात आती है तो, 2002 के दंगों पर कहते हैं राजनीति नहीं करते, इनसे ज्यादा तो कोई राजनीति ही नहीं करता। ये हर उस बात पर बोलते हैं, जहां इनकी जरूरत है, लेकिन ये वहां भी बोलते हैं जहां इनकी जरूरत नहीं है, वहां भी ये बोलते हैं। तो अब मेरी विधान सभा में कुछ लोगों ने कहा इसमें माइनोरटी के लिए कुछ नहीं है, कुछ लोगों ने कहा इसमें दलित के लिए कुछ नहीं है। मैं जहां से आता हूं, वहां माइनोरटी भी बहुत तादाद में है और उस विधान सभा में दलित भी बड़ी तादाद में है। माइनोरटी को हम पैसा दे रहे हैं तो जेजे कॉलोनी को भी हम पैसा दे रहे हैं। जेजे कॉलोनी में जब मैंने मोहल्ला सभा की, तो वहां की महिलाओं ने मुझसे आकर कहा की भईया, बेटा, हमको तो सीसीटीवी चाहिए, मैंने कहा जी आपको क्यों सीसीटीवी चाहिए, कहने लगी जब हमारी बच्चियां, बहुएं रात को दो बजे शौचालय जाती हैं तो कहीं हमें डर होता है कोई गलत आदमी उनको परेशान न करे, इसलिए उनकी देखरेख के लिए हमें सीसीटीवी कैमरा चाहिए तो उन लोगों ने सीसीटीवी कैमरा मांगा। मेरे यहां एक ऐसा तबका भी है जिसके पास पानी नहीं पहुंचता और जेजे

कॉलोनी में 15 साल उस कॉलोनी को आबाद हुए हो गये आज तक जल बोर्ड के जरिए वहां एक भी टैंकर नहीं पहुंचा था लेकिन जब हम आए तो हमने वहां पर पानी देना शुरू किया। दूसरी बात सर मैं ये कहना चाहूंगा कि डूडा का जो प्रयोग है डूडा की एजेंसी है, इससे बहुत लाभ मिलेगा। मेरी विधान सभा में जल बोर्ड के जरिए काम हो रहा है। जहां जल बोर्ड ने काम कर दिया सड़क बनाने की जिम्मेदारी जहाँ एमसीडी की थी, एक साल हो गए पैसे लिये, 16 करोड़ एमसीडी को औखला में दे दिया लेकिन अभी तक एक भी सड़क नहीं बनाई है, अगर ये काम डूडा के पास होता, तो सीवर डालने का काम भी डूडा करती और सड़क बनाने काम भी डूडा करती। आज हम विधायक हैं, फिर भी हमें मालूम नहीं होता कौन सा काम किसको करना है। जल बोर्ड के पास जाते हैं तो कहते हैं साहब ये तो मैंटेनेंस का काम है, मैंटेनेंस वालों को पकड़ते हैं तो कहते हैं बजट बोर्ड वालों का काम है, बजट वालों को पकड़ते हैं तो कहते हैं साहब ये तो फ्लड कंट्रोल करेगा, तो ये हम इन बातों से परेशान रहते हैं और काम हम सही से नहीं करा पाते। सारी पावर उनके पास होने के बावजूद भी वो हमको टरकाते रहते हैं, बेवकूफ बनाते रहते हैं, लेकिन डूडा, अनओथराइज कॉलोनी में डूडा काम करेगी, एमएलए लैड फंड डूडा लगाएगी तो उससे हमको बड़ी राहत मिलेगी और इलाके के अंदर हम जो काम करना चाहेंगे वो आसानी से कर पाऐगे, शुक्रिया मैं अपनी बात को खत्म करता हूं और तहे दिल से वजीरेआला और नायब वजीरेआला दोनों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उनके इस बजट से सब लोगों को राहत मिली है और सबको सुकुन चैन मिला है।

अध्यक्ष महोदय : श्रीमती बन्दना कुमारी जी।

श्रीमती बन्दना कुमारी : धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, जो कि आपने हमें बोलने

का समय दिया। मैं सबसे पहले अपने क्षेत्र की जनता की ओर से वित्त मंत्री, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहती हूं। ये बजट जनता की भावनाओं से जुड़ा हुआ है। हमने अब तक बहुत सारे बजट देखे हैं लेकिन इस तरह की जो बजट अभी आया। इस बजट से हमारे क्षेत्र में बहुत सारे व्यापारी वर्ग भी रहते हैं और स्लम के भी बहुत सारे साथी रहते हैं, गांव के भी लोग रहते हैं। सभी लोगों ने खुशी जतायी। जिस दिन बजट पास हुआ, हमारे गुप्ता जी जानते हैं हमारे एरिया में बहुत सारे व्यापारी वर्ग रहते हैं और बहुत सारे व्यापारी उस दिन आये उसको लेके और उन्होंने बहुत सराहना की और बड़े फूलों का गुलदस्ता भी लेकर के आये थे और उन्होंने कहा कि जो इस तरह का बजट बना है और ये भी उन्होंने कहा जो हमने आज तक वोट आपको नहीं दिया लेकिन इस बजट से हम सब खुश हैं। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूं आपको हमने दिल्ली विधान सभा के माननीय मुख्यमंत्री द्वारा 25.06.2015 को पेश किया गया जो बजट है अपने आप में अद्‌भुत, अनोखा एवं अतुलनीय है। यह ऐसा पहला बजट है जिसमें आम जनता के, आम जनता ने भाग लिया और उनके द्वारा ही महत्वपूर्ण विषयों पर उनके विचारों को स्थान दिया गया। यह दिल्ली सचिवालय में बंद वातानुकूलित कमरे में डिसीजन नहीं लिया गया बल्कि मोहल्ला सभा में, हर गांव में, हर मोहल्ले में, हर स्लम में जा के ये बजट बनाया गया है। हर व्यापारी वर्ग से, हर गांव वालों से, हर स्लम वालों से मिलकर ये बजट बनाया गया है उनके साथ मिलके, उनकी आवश्यकताओं की, उनकी जरूरतों को लेके ये जो बजट बनाया गया। ये बहुत ही सराहनीय है और सभी लोग गली, मोहल्ले में इसकी सराहना कर रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा में अभी बहुत चमत्कार 106 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हमारे वित्त मंत्री ने इस शिक्षा के माध्यम में जो अद्‌भुत चमत्कार जो अभी भी शिक्षा का उद्देश्य विद्या के रूप में

विद्या विनय देती है, विनय से पात्रता आती है, पात्रता से धन मिलता है एवं धन से सुख प्राप्त होता है।

अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं बताना चाहूंगी कि 2008 से लगातार मैं स्लम के बच्चों को पढ़ाने का काम कर रही हूं और स्लम के बच्चों को पढ़ाने के लिए जिनकी मां काम करने चली जाती हैं, उनके छोटे-छोटे बच्चे इधर-उधर घूमते रहते हैं उस समय 2008 से मैं पेड़ के नीचे एक स्लम बस्तियों में मैं 117 बच्चों को एक जगह पर पढ़ा रही थी और उस स्थिति में जो राजनीतिकरण की वजह से वहां पर लगभग तीन चार महीने मैंने खुले में बच्चों को नीचे दरी बिछा के पढ़ाया क्योंकि मुझे लगता कि था जब वो मांएं काम करने चली जाती थी, उनके घर में कोई नहीं रहता था और छोटी-छोटी बच्चियां जब गली में घूमती थीं, नालियों में हाथ डालके, वहां के कीड़े-मकोड़े जो भी हैं, एकदम घूमती रहती थीं तो उन बच्चों के लिए जब हमने काम किया तो 2008 से लेके 2011 तक हर दफ्तरों के चक्कर काटे, जो इन बच्चों को पढ़ाने के लिए, इन बच्चों की व्यवस्था के लिए कोई भी उपाय किए जाएं। जो एक से लेके पांच साल तक के जो बच्चे होते हैं उनके बैठाने के लिए जगह की कहीं भी व्यवस्था ऐसे सरकार के तरफ से नहीं थी। अगर आंगनवाड़ी केन्द्र खुले हुए थे, लेकिन उनका जो रेंट का रकम था वो बहुत ही कम था जिसकी वजह से उनको कहीं भी स्लम में जगह नहीं मिलती उस रकम में। तो हमारी सरकार ने पांच हजार की रकम शिक्षा के क्षेत्र में की जो आंगनवाड़ी एक से पांच साल के बच्चे होते हैं जिनकी उस समय मौलिक शिक्षा देने की जरूरत होती हैं। उनके स्वास्थ्य की देखभाल उस समय करने की जरूरत होती है। उस स्थिति में हमारी सरकार ने एक बहुत बड़ा कदम जो आंगनवाड़ी के माध्यम से उठाया। और मैं इस बारे में जो कपिल सिब्बल जी थे। उनके पास में मैं गयी थी तो उन्होंने कहा था

कि सभी बच्चों को आप पढ़ा दोगे तो हमारी कौन सुनेगा। उस समय ये बात हमें कही गयी थी क्योंकि जब तक अनपढ़ होते हैं। अभी जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र की बात होती है जब तक हमारे पास शिक्षा का अभाव होता है तो हम इसी में घिरे होते हैं। कभी जाति में हमें कोई लड़ा देता है, कभी भाषा के क्षेत्र में हमें कोई लड़ने को मजबूर करता है, कभी धर्म के नाम पर, कभी जाति के नाम पर, कभी क्षेत्र के नाम पर, भाषा और धर्म के नाम पर। सर, हमेशा हमें लड़वाया जाता है। तो इसी क्षेत्र में जो बहुत बड़ा कदम शिक्षा के क्षेत्र में जो इतनी बड़ी रकम लगायी गयी है, इसके लिए मैं अपनी सरकार की सराहना करती हूं। अपने क्षेत्र की जनता की ओर से बार-बार बधाई देना चाहती हूं अध्यक्ष महोदय, एक स्लम की महिला आके हमें ये कहती है कि जो इस तरह का जो शिक्षा में पहल हुआ है, शिक्षा के ऊपर जो बजट बना है वो हम सबके लिए बहुत ही सराहनीय है।

अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से हेल्थ में जो हमारे मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ने मिलके जो हेल्थ के नाम पे ये मौहल्ला क्लीनिक की बात कही है, अभी जहां-जहां भी छोटी-छोटी बीमारियों से ग्रसित एक साधारण अभी प्राइवेट क्लीनिक में जाने पे हम सबको एक से दो हजार रुपया तो साधारण बीमारियों में लग जाती है। जिसमें मोहल्ला क्लीनिक बनाके इस तरह की सरकार की पहल ये बहुत ही बहुत अनोखा पहल है। मैं वूमेन इम्पावरमेंट पर, महिला सशक्तिकरण पर और महिलाओं की सुरक्षा पर जो बात हमारी सरकार ने कही हैं। सीसी टीवी, हर बस में सीसी टीवी लगाकर और महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो मार्शल की व्यवस्था हर बस में की गयी हैं उसकी भी हम अपनी सरकार को बहुत बधाई देना चाहते हैं जो इस तरह की सभी डीटीसी बसों, कलस्टर बसों में, बस यात्री विशेषकर महिलाओं के लिए जो होम गार्ड की तैनाती डीटीसी की लगभग दो सौ बसों में सीसी

टीवी कैमरा, सरकार ने टैक्सी एवं ऑटो सहित सभी सार्वजनिक वाहनों में जीपीएस लगाने लगाने का अनिवार्य कार्य किया है उसके लिए 160 करोड़ का प्रस्ताव, कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल, क्रेच की सुविधाएं जो क्रेच की ये हमारी भावनाओं से जुड़ा हुआ है। क्रेच की बात हम लोग बार-बार सिर्फ सुनते थे। सरकार की पॉलिसी में थी। पहले पालना घर जो बच्चे इधर-उधर भटकते रहते थे लेकिन कभी भी, कहीं भी इम्प्लीमेंट नहीं हुई। कभी भी वो अपने धरातल पर नहीं दिखी जो क्रेच की बात आज हमारी सरकार कर रही है और उस समय बहुत दु:ख होता है जब क्योंकि जब भी मैं स्लम में जाती हूं तो वो सारी महिलाएं छोटे-छोटे बच्चे को छोड़कर, चाहे वो मजदूर हो। हमारे एरिया में शालीमार बाग में पार्क है, पार्क में छोटे-छोटे बच्चे-बच्चियां खेलती रहती हैं और मां उनकी काम करती है। उसके लिए क्रेच जो खोला गया है ये हमारा बहुत बड़ा पहल है। मोहल्ला सभा के माध्यम से स्वराज की जो निधि उसमें मैं भाग्यशाली हूं जो हमारे क्षेत्र में मोहल्ला सभा का फंड, स्वराज का फंड सबसे अनोखा पहल किया गया और उस स्वराज के माध्यम से हम अपने, अपने विधान सभा में देखा जो मोहल्ला सभा में साथ नहीं आ पाए वो बाद में आके अपनी लेटर दे रहे हैं, अपनी कह रहे हैं। अभी तक लगातार जब तक 1 जुलाई का इनको इंतजार है। आज सुबह में हमारे ऑफिस में भीड़ लगी हुई थी। इस बात के लिए लगी हुई थी कि जो हम दे रहे हैं तीस तारीख तक, कल से स्वराज का फंड लागू हो जाएगा और वो स्वराज का फंड आपके क्षेत्र में यूज होगा।

अध्यक्ष महोदय : कंक्लूड करिए।

श्रीमती बन्दना कुमारी : इस तरह से स्वराज को लेके काफी उत्साह और हमारी जो सरकार की पहल मोहल्ला सभा के माध्यम से ये फंड पचास-पचास लाख

रुपया एक मोहल्ला को दिया गया, ये बहुत ही अनोखा साबित होगा। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से बार-बार सदन को गुमराह करने की जो बात आ रही है। मैं दो मिनट आपका समय लूंगी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से कहना चाहती हूं कि प्रतिपक्ष के माननीय नेता श्री विजेन्द्र गुप्ता जी ने बजट चर्चा के दौरान इसे सदन को गुमराह करने वाला बजट बताया है। गुमराह उसे कहा जाता है जिसकी राह गुम हो गयी हो। यानी जिसे अपनी राह का पता न हो। अध्यक्ष जी, सभी गुमराह हो जाएं तो कोई बात नहीं परन्तु दिल्ली की जनता को गुमराह नहीं होनी चाहिए क्योंकि उन्हें पता है कि राह पर चलने का असली हकदार कौन है और मंजिल की बागडोर किसके हाथ में सौंपनी है। यही कारण है कि उन्हें गुमराह करने की तो बहुत कोशिश की गयी परन्तु उसने किसी को 28 से 67 तक पहुंचा दी और किसी को 32 से 3 पर समेट दिया है। अब पता नहीं गुमराह है क्या। उसके बावजूद भी मैं इस गुमराह शब्द का स्पष्टीकरण अपनी सरकार की तरफ से देने का प्रयास कर रही हूं। अब तक इतिहास में शायद ही कोई ऐसा मौका आया है जिसमें किसी भी प्रांत की सरकार ने शिक्षा पर 106 फीसदी बढ़ोत्तरी की हो। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं ताकि हमारे, हमारी आने वाली पीढ़ी शिक्षा की रोशनी से दुनिया को राह दिखाए ताकि कोई गुमराह न हो और ये हमारे बजट को गुमराह करने वाला बता रहे हैं तो हम गुमराह ही सही। ये कुछ भी बोलते रहे लेकिन हम अपना काम करते रहेंगे। अध्यक्ष जी, महिला की सुरक्षा पर बात करने के लिए पता नहीं कितने लोग आ जाते हैं और न जाने क्या-क्या बातें करते रहते हैं। परन्तु उनकी सुरक्षा पर हमारी सरकार ने दिल्ली परिवहन निगम की बसों में होम गार्ड की तैनाती, सीसीटीवी कैमरे लगवाकर इस...

अध्यक्ष महोदय : बंदना जी कंक्लूड करें प्लीज।

श्रीमती बन्दना कुमारी : इनकी सुरक्षा की कोई समझौता नहीं करने जा रहा है। पता नहीं विजेन्द्र गुप्ता जी को क्यों लगता है कि हम जनता को गुमराह कर रहे हैं। स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से यह भी बताना चाहूंगी कि माननीय वित्त मंत्री जी ने बजट के भाषण में यह कहा कि ये दिल्ली का पहला स्वराज बजट है। गांधी जी ने स्वराज का जो सपना संपूर्ण भारत को दिखाया था उसे अमल करने में यदि किसी ने पहला कदम उठाया है तो वो आप की सरकार है। पहली बार स्वतंत्र भारत में ऐतिहासिक बजट बनाने की प्रक्रिया में जनता की प्रत्यक्ष रूप से भागीदारी रही है। ये हमारी सरकार का बहुत ही सराहनीय कदम है और अपने सरकार को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहती हूं कि इस तरह का बजट, जो जनता का बजट अभी भी कहा जाता है और आगे भी जनता इसके लिए सरकार की सराहना करेगी।

अध्यक्ष महोदय : धन्यवाद बन्दना जी। माननीय मंत्री जी श्री गोपाल राय जी।

श्री गोपाल राय : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपने बजट चर्चा पर हमें बात रखने का मौका दिया। अध्यक्ष जी, काफी साथियों ने अपनी-अपनी बात पक्ष और विपक्ष की तरफ से रखी है। पक्ष के साथियों ने इस बजट को लेकर के सराहना करते हुए अपने संवाद को आपके सामने प्रस्तुत किया। विपक्ष को इस बजट में कुछ नजर नहीं आया, लेकिन आज दिल्ली का जो बजट रखा गया है, ये बजट न तो पक्ष के लिए रखा गया और न विपक्ष के लिए रखा गया है। हिन्दुस्तान के अंदर जब आजादी की लड़ाई लड़ी गयी, उस आजादी की लड़ाई से एक संविधान पैदा हुआ। भारत के स्वतंत्र लोगों ने विकास के संचालन के लिए जब संविधान बना, संविधान के निर्माताओं ने आगामी आने वाली भारत की पीढ़ी विकास के लिए सपना देखा था। लेकिन जब उस विकास के सपने को लेकर के चलने वाले धीरे धीरे

... कम होने लगे और भारत के अंदर भ्रष्टाचार का भस्मासुर एक लाख छयासी हजार करोड़ के आंकड़े को पार करने लगा, तब भारत की इस सरजमीं से एक आंदोलन पैदा हुआ भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने को लेकर। एक सपना देखा था हमारे पुरखों ने, अंग्रेजों से भारत को मुक्त करने के लिए और वो सपना किस बात के लिए था क्या अंग्रेजों से हमारी व्यक्तिगत दुश्मनी थी, क्या अंग्रेजी से व्यक्तिगत कोई नफरत थी, नहीं। भारत वो देश है जो वसुधैव कुटुम्बकम का सपना देखता है। हमारी लड़ाई थी अंग्रेजों के साथ, वो इस बात की लड़ाई थी कि अंग्रेज हिन्दुस्तान में आकर के हमारी आर्थिक संरचना को तहत नहस करके ब्रिटेन में लूट करके ले जाते थे और हम लोग धीरे-धीरे गरीब होने लगे। हम लोगों के बच्चे पढ़ाई से धीरे-धीरे मरहूम होने लगे थे, हमारी मां बहनों को कपड़े की कमी होनी लगी थी इसलिए हिन्दुस्तान के अंदर आजादी की लड़ाई लड़ी गयी। लेकिन इस देश के अंदर आने वाले लोगों ने जब धीरे धीरे... इस देश को आर्थिक तौर पर गुलाम बना लिया। भ्रष्टाचार के आंकड़े जब आसमान को छूने लगे, माननीय अन्ना हजारे के नेतृत्व में इस दिल्ली की सरजमीं से भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन पैदा हुआ। सपना क्या था कि अगर हिन्दुस्तान के अंदर पैसे की कमी नहीं है, हिन्दुस्तान वो सरजमीं है जिसमें दुनिया में सबसे ज्यादा नदियां बहती है। हिन्दुस्तान वो सरजमीं है, जहां पर सबसे ज्यादा बेहतर फसल उगती है। हिन्दुस्तान वो सरजमीं है, जहां पर सबसे ज्यादा खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। हिन्दुस्तान वो सरजमीं है, जहां के बेटे बेटियां जाकर के दुनिया के अंदर 23 मुल्कों में जाकर वहां की अर्थव्यवस्था को चलाते हैं। हिन्दुस्तान वो सरजमीं है, जहां के बेटे बेटियां जाकर के दुनिया के अंदर ज्ञान विज्ञान का विकास करते हैं और हिन्दुस्तान के बेटे बेटियां कहां है प्रधान जी, अभी कह रहे थे कि मुस्तफाबाद की चर्चा कर रहे थे, मुस्तफाबाद अकेली विधान सभा नहीं है, इस दिल्ली के अंदर

ऐसी दर्जनों विधान सभाएं हैं, जहां के मांएं अपने बेटे को नाले के किनारे बलबलाते हुए कीड़े के पास में बैठकर दूध पिलाती है और वह नहीं जानती है कि इंसान में क्या फर्क होता है और जानवर में क्या फर्क होता है। ये हिन्दुस्तान आज है। ये भी हिन्दुस्तान का सच है और हिन्दुस्तान की बात छोड़ दो, छत्तीसगढ़ की बात छोड़ दो, गुजरात के किनारे की बात को छोड़ दो, असम की बात छोड़ दो। इस दिल्ली के अंदर, देश की राजधानी के अंदर ऐसी बस्तियां है। इसलिए एक सपना देखा दिल्ली प्रदेश के लोगों ने कि अगर भ्रष्टाचार को रोक दिया जाए तो देश के विकास का नया रास्ता खुल सकता है। जो शहीदों ने सपना देखा था, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलनकारियों ने जो सपना देखा था, जो दिल्ली के लोगों ने सपना देखा था, उस सपने को पूरा करने के लिए ये बजट आया है और उन सपनों को पूरा करने के लिए शुरुआत हुई।

माननीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को इस बात के लिए जरूर बधाई देना चाहता हूं कि जिस सपने को, अधूरे सपने को शहीदों ने फांसी के फंदे को चूमते हुए सपने को देखा था, उस सपने की एक छोटी सी किरण इस बजट के माध्यम से सामने आयी। इस बजट के माध्यम से एक छोटी सी किरण सामने आयी है। भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार बनने के बाद ही हमने पहल शुरू कर दी थी। भ्रष्टाचार के खिलाफ भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो के माध्यम से, एसीबी के माध्यम से कार्रवाई शुरू कर दी थी। लेकिन आप सबको पता है कि इस दिल्ली के अंदर एसीबी को लेकर के 49 दिन के अंदर भी काम किया था। 49 दिन के अंदर जब हमने कार्रवाई की थी, उसके बाद लोगों के सीने में दर्द पैदा हुआ था। आज लोग व्याख्या कर रहे हैं। कहते हैं एसीबी तो एक थाना था, तो सो कहां रहे थे आज तक? एसीबी को बने हुए कितने साल गुजर गए थाने का पता ठिकाना नहीं था। जब इस दिल्ली

की 49 दिन की सरकार ने इस थाने के माध्यम से अंबानी जैसे बेइमानों पर निशाना साध दिया तो एसीबी थाना बन गया तो आज थाना बन गया, तो आज कानून पढ़ा रहे हो। हमारी सरकार बनने के बाद एस.एस. यादव जैसे बहादुर सिपाही को जब उसका मुख्या बनाया गया, क्या जरूरत पड़ी मीणा साहब की, क्या एस.एस. यादव बेइमान आदमी है क्या एस.एस. यादव ने बेइमानी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की? क्या एस.एस. यादव ने पर्दा घोटाला किया था? क्या एस.एस. यादव ने चारा घोटाला किया था? क्या एस.एस. यादव ने कोयला घोटाला किया था? क्या एस.एस. यादव ने हवाला में काम किया था? नहीं। एस.एस. यादव ने दिल्ली के अंदर बैठे हुए बेइमानों के ऊपर शिकंजा कसके जेल में भेजने का काम किया था और इसलिए उसके ऊपर लाकर बिठा दिया। क्या गुनाह किया था कि एस.एस. यादव ने क्या गुनाह किया था कानून की पट्टियां पढ़ा रहे हो, संविधान की धाराएं बता रहे हो, डरा रहे हो धमका रहे हो। अरे उन अंग्रेजों का राज भी खत्म हो गया जिनके राज में सूरज नहीं डूबता था किसके दम पर सरकार चलाना चाहते हो इस दिल्ली के अंदर लड़ाई चल रही है, युद्ध चल रहा है। ये वही युद्ध है, जिसको भगत सिंह ने छोड़ दिया था फांसी का फंदा चूमने के बाद। ये वही युद्ध है, जिसको महात्मा गांधी ने छोड़ दिया था इस देश के अंदर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अपनी बात रखी थी। इस देश के अंदर दलितों की लड़ाई लड़ते हुए उन्होंने कहा था जब तक दलित शिक्षित नहीं होगा उसका स्वाभिमान नहीं जागेगा, उसकी समझदारी नहीं बढ़ेगी, उसको मुक्ति नहीं मिलेगी। हिन्दुस्तान के अंदर छात्र आंदोलन में लंबे समय तक हम लोगों ने संघर्ष किया। अध्यक्ष जी, हम लोग मांग किया करते थे। शिक्षा के बजट को आठ परसेंट कर दिया। कितनी बार जेल गए हम लोग, कितनी बार लाठियां खायी हैं, इस दिल्ली की सड़कों पर और लखनऊ विधान सभा के सामने सिर्फ एक मांग

को लेकर कि दिल्ली का देश का, बजट 8 परसेंट कर दो। सोच नहीं सकता था कोई। आपको सच बताऊं। बहुत सारे हमारे मित्र है, मजाक उड़ाते थे कि बजट सत्र तो आप लोगों का आने वाला है बजट कैसे बनाओगे? लोगों को भरोसा नहीं था। बहुत सारे बड़े-बड़े विद्वान है इस हिन्दुस्तान के अंदर, बहुत बड़े-बड़े विद्वान है जो-ज्ञान विज्ञान की व्याख्या करते हैं। उनको भी भरोसा नहीं था। वो भी यही जानते थे जो मीडिया में चल रहा था। इनको गवर्नेंस करना नहीं आता है। ये तो धरना कुमार है, ये तो भगौड़ा है भगौड़ों का जब बजट आया है तो बड़े-बड़े ज्ञानियों को सांप सूंघ गया। उनको समझ में नहीं आ रहा ये विद्या कहां से सीखी इन सबों ने। जंतर मंतर पे पढ़ाई नहीं जाती, रामलीला में पढ़ाई नहीं जाती, बिहार जेल में तो पढ़ाई नहीं जाती। अरे! ये विद्या उन गलियों कूचों में पढ़ाई जाती है जिसके दम पर हिन्दुस्तान इतिहास में जिंदा है और इतिहास में जिंदा रहेगा। पैसा किसका है, पीएम साहब का है या हमारे सीएम साहब का है जो ये डीएम साहब घूमते हैं अंग्रेजों ने बना दिया उनको। पैसा उस मजदूर का है जो एक-एक रुपया टैक्स देकर के हिन्दुस्तान और राज्य के खजानों में जमा करता है। काम किसका है उस गरीब का है, उस बहन का है, उस भाई का है जो एक-एक पैसा अपनी मेहनत की कमाई का हमारे खजाने में लाकर के बिठाता है और देता है जिससे सीएम की तनख्वाह भी मिलती है पीएम की भी तनख्वाह मिलती है और उस डीएम की तनख्वाह मिलती है। यहां बैठे हुए सारे लोगों की तनख्वाह मिलती है। काम उसका है, पैसा उसका है इस बजट ने यही काम किया है। उसका पैसा उसके नाम कर दिया, यही स्वराज का काम और यही है आम आदमी पार्टी का पैगाम। ये बजट विधान सभाओं में रूटीन बजट पास करने वाला मसला नहीं है। ये खिड़की खुली है। पहली बार खिड़की खुली है, लेकिन इस खिड़की से जो रोशनी गई है, उससे देश के दिल

में तसल्ली हुई है। केवल दिल्ली का मसला नहीं, दिल्ली का मसला नहीं है। कर्नाटका के गांव में बैठा हुआ किसान भी इस बात पर चर्चा कर रहा है कि काश! हमारे भी राज्य के अंदर अगर आम आदमी पार्टी की सरकार होती तो हमारी बरबाद फसल का मुआवजा भी 50 हजार हैक्टेयर होता और पंजाब का किसान तो दिन गिन रहा है, कब चुनाव हों, कब चुनाव हों, कब चुनाव हों और दिल्ली की झाड़ू पंजाब में भी चलाई जाये। इतना ही नहीं, बिहार में नम्बर लगने वाला है क्योंकि दिल्ली की सफलता के अंदर, अध्यक्ष जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि किसी जाति, मजहब और सम्प्रदाय और भाषा की बात नहीं है, दिल्ली के अंदर जो इतिहास रचा गया है, इस इतिहास के अंदर पूर्वांचल के बेटे बेटियों का ऐतिहासिक योगदान है। उन बेटे बेटियों का योगदान है, जिसके बारे में कहा जाता था कि दिल्ली में आकर के ये बोझ बन गये। कई लोगों ने कहा बिहार के लोगों को तुम एसीबी में क्यों बुला रहे हो बिहार के लोगों से दर्द क्यों पैदा होता है, हिन्दुस्तान की आजादी की लड़ाई के इतिहास के पन्नों को देखो। जिस तरह से इस आजादी की लड़ाई में इन क्षेत्रों का पंजाब का, महाराष्ट्र का और पूर्व का जो योगदान है, उसको मिटा नहीं सकते हो। मंगल पाण्डे पैदा होता है, 1857 की जंगे आजादी को लहू देने वाला, वो पूर्वांचल की धरती पर पैदा हुआ। आज दिल्ली के अंदर जो ये बदलाव की इस बजट के माध्यम से जो आगे बढ़ी है, जो बात बढ़ी है, उसमें एक समग्र रूप से देखा। इस बजट में देखा है कि अगर एक प्राइमरी स्कूल बनाना जरूरी है दिल्ली के एक आम परिवार के बेटे को पढ़ाने के लिए, बेटी को पढ़ाने के लिए, तो दिल्ली के अंदर स्किल डेवलपमैन्ट के लिए नेता जी सुभाष विश्व विद्यालय भी बनाना जरूरी है। नीचे से लेकर के ऊपर तक.... अगर इस बजट ने देखा है कि मोहल्ला क्लीनिक बनाना है तो इस बजट ने ये भी सपना देखा है कि दुनिया के अंदर जो भी सुविधायें

हैं, वो सुविधायें दिल्ली के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में होनी चाहिए। हमारे किसी बेटे बेटी को अमेरिका और इंग्लैंड इलाज कराने के लिए न जाना पड़े। हमने जमीन पर नीचे से लेकर के ऊपर तक प्लानिंग की। हमने देखा है कि अगर इस दिल्ली के अंदर मेट्रो में लोग सवारी में चलें, अगर दिल्नी के अंदर 10 हजार बसों में लोग चलें तो हमने देखा है कि गलियों के अंदर आज एक इंसान मजबूर होकर के अपने पेट चलाने के लिए अपने स्वयं से अपने पैरों से रिक्शा खींच करके एक इंसान को दूसरे इंसान की जगह तक पहुंचाता है। हमने ये भी सपना देखा है कि उन सारे लोगों को एक दिन हम बाईक, ई-रिक्शा देकर हम उनको भी उस मजबूरी से मुक्त कर सकें। हमने बजट में वो सपना देखा है इस बजट में वो सपना देखा है कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर दिल्ली के अंदर जो सपना और जो विश्वास पैदा हुआ, ये सच है कि आज यहां जो 67 लोग आम आदमी पार्टी के बैठे हैं, ये यहां नहीं बैठे होते अगर भाजपा के भी परिवार की बहनों ने भी झाड़ू पर मोहर नहीं दबाई होती।.... हमारी जिम्मेदारी है और जवाबदेही है और हम ने स्वीकार किया है। दिल्ली की महिलाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी बसों से लेकर के घरों तक की, इसके लिए हम इस बजट के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री और माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने इस बात को रखा और इसको लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। हम इस बात को भी करना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय दिल्ली के अंदर प्रदूषण एक सबसे बड़ी चुनौती बनकर खड़ा हो चुका है। लोग कह रहे हैं, अखबार लिख रहा है, मीडिया कह रहा है। हम सब महसूस करते हैं कि दिल्ली के अंदर और अभी अखबार की रिपोर्ट है जिस सिविल लाइन में विधान सभा, सबसे ज्यादा हाई प्रदूषण का एरिया है ये सिविल लाइन। सबको चिंता है और ये प्रदूषण किसी को नहीं छोड़ता। न पक्ष को छोड़ता न विपक्ष को, न भाजपा को छोड़ता न कांग्रेस को छोड़ता, न अमीर को छोड़ता न गरीब को

छोड़ता, पूरे दिल्ली के सांसें इस प्रदूषण से जिस तरह से ग्रस्त हैं, उसकी मुक्ति के लिए जिस तरह की प्लानिंग माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे सामने रखा है, इस सदन के सामने रखा है और कई बातें तो बजट में आई हैं, ये मत सोचना कि इतना ही केवल काम कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। इतना ही केवल काम हो रहा है, ऐसा नहीं है। बजट तो उसका एक छोटा सा हिस्सा है। जैसे मैंने सुबह ही बताया मजदूरों के लिए जो तमाम योजनाओं का जिक्र मैंने आपके सामने रखा था वो बजट में उसका जिक्र नहीं किया गया विस्तार से। अगर दिल्ली के अंदर प्रदूषण को लेकर के पूरी दिल्ली के लोगों को साथ मिलकर के माननीय मुख्यमंत्री जी ने संकल्प लिया है, आगामी महीने के अंदर पूरी दिल्ली के अंदर एक महान अभियान हम चलायेंगे और जैस भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली बनाने का सपना रखा है, करप्शन फ्री दिल्ली बनाने का सपना रखा है, वैसे ही प्रदूषण मुक्त दिल्ली बनाने का भी सपना लेकर आगे बढ़ेंगे और इसका भी ताना बाना बुना जा रहा है।

इतना ही नहीं, अभी हम ने चर्चा की 20 हजार शिक्षकों की भर्ती की वो तो सामने है लेकिन इतना ही नहीं है और भी बहुत सारे हैं। आपके सामने सदन में आया 10 हजार नई बसें आयेंगी। 10 हजार जब नई बसें आयेंगी तो 30 हजार ड्राइवरों की भी भर्ती होगी और 30 हजार कंडक्टरों की भी भर्ती होगी। 60 हजार और भर्तियां खुलेंगी तभी तो बस सड़क पर चलेंगी। हमारे प्रधान जी ने एक बात रखी थी और मैं उसको स्वीकार करता हूं। करावल नगर के अंदर जिस तरह की संकरी गलियां हैं वैसी दिल्ली के अंदर तमाम जगहों पर गलियां हैं। इसलिए हमने 500 मिनी बसों को लाने का प्रावधान किया है और मैं आपके ये जरूर आश्वासन देना चाहता हूं, एश्योर करना चाहता हूं, जिस दिन मिनी बस आयेगी, पहली बार हम आपकी तरफ लगायेंगे। आखिरी बात कहना चाहता हूं। जब भी सदन में चर्चा होती है। मैं प्रतिपक्ष

के नेता माननीय विजेन्द्र जी को सुनता हूं, ओम प्रकाश शर्मा जी को सुनता हूं, मैं कभी-कभी भ्रम में आ जाता हूं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वे एमसीडी के नेता के रूप में यहां बोल रहे हों। विधान सभा के प्रतिनिधि है बार-बार भूल जाते हैं या तो वे केन्द्र के प्रतिनिधि होते हैं या एमसीडी के प्रतिनिधि होते हैं। विधायक हैं, विधान सभा में आये हैं। विधान सभा की सामूहिक जिम्मेदारी है, इस बात को भूल जाते हैं। लेकिन मैं आप सबसे कहना चाहता हूं दोस्तों और आप से भी कहना चाहता हूं कि एमसीडी आज किसी के भी पास हो, दिल्ली को साफ सुथरा रखना और दिल्ली के विकास की समग्र जिम्मेदारी हमारी है और इस सरकार ने अपने प्रावधान में इसके लिए आबंटन किया है और इस बात का भी संकल्प लो कि दिल्ली को अगर मॉडल दिल्ली बनना है, तो जैसे विधान सभा के अंदर बदलाव हुआ है। आगामी सालों में एमसीडी को बदलो और दिल्ली को साफ करने का संकल्प अपने कंधों पर उठाओ। बदलेगी दिल्ली और कितनी दिन तक ये प्रावधान चलेंगे और उसके बाद बचता है केन्द्र तो इसका गृह मंत्रालय का नोटिफिकेशन आता जाता रहता है एलजी के माध्यम से। ऐसा किसी संविधान में नहीं लिखा कि हर समय सरकार बीजेपी की सेंटर में रहेगी। ऐसा तो संविधान में कोई प्रावधान नहीं है। अरे! जिस का बहुमत होगा, उस की सरकार होगी। दिल्ली के अंदर ऐसा काम करो। अगले लोक सभा चुनाव में केन्द्र में आम आदमी पार्टी की सरकार बनायेंगे। अगले लोक सभा में पूर्ण बहुमत की सरकार बनायेंगे और दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलायेंगे और दिल्ली के विकास का रास्ता....जो संविधान ने अधिकार दिया है। अहंकार कांग्रेस को भी बहुत हो गया था। कहां गई, कहां गई तो आपको समझ में नहीं आयेगी। दोस्तों बजट में हमने क्या बोला, समझ में नहीं आया। एक आखिरी बात करके अपनी बात खत्म करूंगा।

अध्यक्ष महोदय, जैसे अभी समझ में नहीं आया विजेन्द्र जी को, वैसे ही हमारे उप मुख्यमंत्री जी ने जब वैट का प्रस्ताव आया तब भी समझ में नहीं आया, उठ कर चले गये। मैं चेलेंज देकर कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के समग्र नेताओं से दिल्ली की सरकार ने अधिकतम 30 परसेंट वैट का निर्धारण किया है अगर हिम्मत है जहां-जहां आपकी सरकार है, वहां न्यूनतम 30 परसेंट वैट लगाकर दिखा दो। बदलो वहां का संविधान, वहां का पन्ना उठा लो, वहां के पन्ने को पलट लो, समझ में आ जायेगा और आज समझ में बात नहीं आई। कांग्रेसियों को ठीक से समझ में आ गई। आपको अगर नहीं आ रही है। समझाई थी। लेकिन नहीं समझ में आई। अब आपको समझा नहीं रहे। वो तो जनता समझा देगी। इसलिए साथियों आपसे कहना चाहता हूं। बजट में प्रावधान किया है। हकीकत में बनाने की जिम्मेदारी हमारी है। हमें उसको जमीन पर उतारना है और जब भी बजट में आज जो प्रावधान आया है, उस शिक्षा को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के, परिवहन को लेकर के, महिलाओं को लेकर के, प्रदूषण को लेकर के तमाम जो योजनायें आई हैं, उन योजनाओं को जमीन पर पहुंचाने में एक बाधा आ कर खड़ी हुई है। मैं आपसे कहना चाहता हूं वो बाधा ये है, अब तक पम्परा रही है, बजट बना सौ करोड़ का उसमें से अधिकारी और ठेकेदार कितना ले जाते हैं, इसका पता नहीं चलता। इसलिए यहां उपस्थित सारे लोगों की ये जिम्मेदारी है। बजट में यह प्रावधान किया गया है कि जब तक सही काम की मंजूरी वहां के लोग नहीं देते तब तक वो पास नहीं होना चाहिए। यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। अपनी-अपनी विधान सभाओं में आपको सक्रियता बढ़नी पड़ेगी तभी जाकर 41,129 करोड़ रुपया उस आम आदमी की जेब से आया था और उस आम आदमी की जेब तक उसकी सुख-सुविधा तक पहुंच पायेगा ये निगरानी का काम करने के लिए दिल्ली की जनता ने हमें भेजा है और इस निगरानी

के काम को जिम्मेदारी से हमें पूरा करना है और अगर हम इसको पूरा करेंगे तो यकीन मानो जिस मकसद के लिए, जिस सपने के लिए आपको लोगों ने भेजा है वो सपना पूरा होगा। आखिर में दो लाइनों के साथ अपनी बात खत्म करूंगा।

तू जिन्दा है, तू जिन्दा है तू जिन्दगी की जीत पर यकीन कर,

तू जिन्दा है तू जिन्दगी की जीत पर यकीन कर
अगर कहीं है स्वर्ग तो
उतार ला जमीन पर,
अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर।

शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : प्लीज-प्लीज, अब, नहीं-नहीं देखिये जरनैल सिंह जी प्लीज बैठिये, प्लीज जरनैल सिंह जी प्लीज बैठिये। मैं आग्रह कर रहा हूं कि, नहीं प्लीज। प्लीज बैठ जाइये आप। श्री सतेन्द्र जैन जी माननीय स्वास्थ्य मंत्री।

स्वास्थ्य मंत्री महोदय : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बजट पर चर्चा में भाग लेने का अवसर देने के लिए धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी को बोल लेने दीजिए, फिर बाद में।

स्वास्थ्य मंत्री महोदय : 25 जून को जब मनीष जी ने बजट रखा तो बाहर निकलने के बाद मुझसे मीडिया वालों ने पूछा कि बजट कैसा लगा। क्या बजट अच्छा था? मैंने अच्छा नहीं कहा, बहुत अच्छा कहा। हुआ यूं था जब अरविन्द जी ने मुझे स्वास्थ्य मंत्रालय दिया था तो उन्होंने दो कंडीशन लगाई थीं। पहली कंडीशन ये थी कि दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाओं को, दिल्ली की सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं को प्राइवेट से अच्छा बनाना है और साथ में ये भी कहा था कि बजट जो भी मिलेगा, जो बजट पहले से है, वही मिलेगा तो मैंने पिछले जब हमारी सरकार पिछली बार बनी थी तब

से लगातार काम चल रहा है लगभग सवा साल के अंदर बहुत सारी टीमें बनाई। उप–मुख्यमंत्री जी के पास भी लेकर गये उन्होंने योजनाओं की तो सबको स्वीकृति दे दी पर कभी मुझे ये नहीं कहा कि जो बजट भी दे रहे हैं। तो उस दिन मुझे पता लगा कि मैंने जितने पैसे मांगे थे, उसमें एक पैसे की भी कटौती नहीं की गई है और इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मनीष जी का। कोई बात नहीं आपका भी जवाब दे रहा हूं। दूसरा प्रश्न पूछा जो वहां होंगे जिन्होंने मुझसे पूछा मीडिया वालों ने 'कहते हैं आप तो सपने दिखा रहे हैं' मैंने कहा, हां जी, बिल्कुल सपने दिखा रहे हैं परन्तु हमें सपनों को हकीकत में बदलना भी आता है। हम सपने जरूर दिखा रहे हैं। बुराड़ी के अंदर एक हॉस्पिटल है। 200 बैड का हॉस्पिटल बन रहा है। 200 बैड बनाने का खर्चा 200 करोड़ रुपये है और उसी हॉस्पिटल को हमने 800 बैड में कनवर्ट किया। जो एडीशनल बैड बनाये उसका खर्चा आयेगा 12 लाख रुपये। तो सपने भी देखने आते हैं और सपनों को पूरा करना भी आता है। मैं अपने, आप सुन लीजिए पहले, बाद में बात कीजिएगा। दोबारा सुन लीजिए थोड़ा समझ नहीं आया होगा। बुराड़ी के अंदर एक हॉस्पिटल बन रहा है 200 बैड का अस्पताल। जब हमारी सरकार सत्ता में आई तो बनना स्टार्ट हो चुका था। 200 बैड का हॉस्पिटल था, 200 करोड़ का इस्टीमेट था हमने उसको 800 बैड में कन्वर्ट किया, जो एडीशनल 600 बैड थे तो एक बैड का खर्चा 12 लाख रुपये है। जो काम एक करोड़ में होता था उसको हम 12 लाख में कर रहे हैं। जो नये अस्पताल बनाये जा रहे हैं उसको बहुत सारे लोगों ने चैलेंज किया कि जो अपनी मैनीफेस्टों के अंदर कहा है कि आप इतने सारे बैड बना देंगे, पहली बात तो इतने सारे बैड बनाने की जरूरत क्या है। जरूरत ये है कि डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि एक हजार की जनसंख्या के ऊपर 5 बैड होने चाहिए और दिल्ली के अंदर है 2.7 अगर हमारे से

पहले की सरकारों ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया तो क्या हम भी न दें हम इसकी तरफ ध्यान देंगे और हमारी पूरी कोशिश है कि अपने 5 साल के कार्यकाल में इस टारगेट को पूरा किया जाए। सपने दिखाने की बात जहां तक है, एक डिस्पेंसरी बनाने का खर्चा 4 से 5 करोड़ रुपये आता है और आज तक 65 वर्षों के अंदर दिल्ली के अंदर दो सौ-ढाई सौ डिस्पेंसरियां दिल्ली सरकार ने बनाई हैं। हमने सपना देखा है कि आने वाले एक वर्ष के अन्दर एक हजार डिस्पेंसरियां बनाएंगे और उस एक हजार में से पांच सौ डिस्पेंसरी इसी वित्त वर्ष में पूरी करेंगे मोहल्ला सभा लेवल पर, मोहल्ला क्लीनिक के नाम से इनको तैयार किया जाएगा और जो 4 से 5 करोड़ में एक डिस्पेंसरी बनती थी उसको बनाने का खर्चा 15 लाख रुपये और मैं चेलेंज करता हूं अपने सारे साथियों को, मीडिया वालों को भी आज कि जो हमारी डिस्पेंसरीज हैं उनको भी चैक कीजिएगा जो हम बनाने जा रहे हैं उनकी facilities को भी चैक कीजिएगा कौन सी better है, बताइयेगा। जो हम डिस्पेंसरी बना रहे हैं, देखियेगा, उनकी सुविधाएं कैसी हैं उनसे better हैं या नहीं है दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़ी समस्या आ रही है, जब कोई भी इलाज कराने के लिए कहीं जाता है अस्पताल जैसा कि अक्सर ऐसे केस आते हैं, बहुत दु:ख भी होता है, कहते हैं जी घर बिक गया है इलाज कराने के चक्कर में, दुकान बिक गई है, खेत बिक गया है, ट्रैक्टर बिक गया है इलाज के पैसे नहीं हैं। हमारा सापना है कि फिर से ऐसा न हो। किसी को अपना घर न बेचना पड़े, मकान न बेचना पड़े अपना इलाज कराने के लिए, ये सपना हम पूरा करके दिखाएंगे कैसे पूरा होता है हम दिखाना चाहेंगे कि दिल्ली के अंदर हमने वादा किया है कि जो काम 65 साल के अंदर दिल्ली में लगभग 10 हजार बैड बनाये गये हैं 65 साल के अंदर। जो काम 65 वर्ष में किया गया है उतना ही काम लगभग 10 हजार बैड हम अगले आने वाले

ढाई साल में बनाकर दिखाएंगे और उसको हम पूरा करेंगे। और जो बनने वाले 10 हजार बैड हैं उनमें से 3 हजार बैड इमरजेंसी और आईसीयू में होंगे ताकि लोगों को इमरजेंसी केस के अंदर प्राइवेट हॉस्पिटल के धक्के न खाने पड़ें, जहां पर आज की डेट में 50 हजार 60 हजार रुपये रोज से लेकर एक लाख रुपये रोज का लिया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय, एक छोटी सी बात और कहना चाहूंगा। मुझसे ये भी कहा गया कि आप नये फ्लाईओवर बताइये कितने बना रहे हैं? मैंने कहा नये तो बनाएंगे पर उससे पहले जो पहले चल रहे थे उनको पहले कम्प्लीट करेंगे। एक एलीवेटेड रोड है विकासपुरी से वजीराबाद तक बन रही है। बनते हुए तो काफी समय हो गया है। मैं सदन को बताना चाहूंगा आपके माध्यम से कि वो एलीवेटेड रोड इस साल में खत्म की जाएगी और इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मुख्यमंत्री जी को और उप-मुख्यमंत्री जी को जिन्होंने बजट में प्रावधान किया है, पैसे की कोई कटौती नहीं की जाएगी। और बहुत सारी चीजें हैं, सारी उप-मुख्यमंत्री जी बताएंगे परन्तु मैं बहुत खुश हूं कि सरकार ने स्वास्थ्य को इतना महत्व दिया और पहली बारी 50 परसेंट करीब लगभग बजट बढ़ाया गया है जो कि 50 परसेंट नहीं है मेरे हिसाब से कम-से-कम वो 300 परसेंट है क्योंकि जो काम पहले एक करोड़ में होता था हम तो 10-15 लाख में कर लेंगे इसलिए पैसे की बढ़ोत्तरी काफी की गई है और मैं सभी को विश्वास दिलाना चाहूंगा कि सबके सहयोग से दिल्ली के स्वास्थ्य वायदे को पूरा किया जाएगा। धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : Honorable Deputy Chief Minister श्री मनीष सिसोदिया जी।

उप-मुख्यमंत्री : धन्यवाद अध्यक्ष जी...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : ओम प्रकाश जी कल आपका समय था उस वक्त आप यहां मौजूद नहीं थे। विजेन्द्र जी ने मुझे नाम**...(व्यवधान)** तीनों को बुलवाना भी जरूरी नहीं है कम्पेरेटिवली। अब हो गया।

उप-मुख्यमंत्री : कोई बात नहीं, अब काफी बातें हो गई है। कंक्लूड करते हैं।

...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय, सदन में काफी चर्चा हुई बजट पर और जैसे सदन में चर्चा हुई वैसे ही देश भर में चर्चा हुई। कई जगह से यह निकलकर आ रहा है कि तमाम कोशिशों के बावजूद भ्रष्टाचारियों की तमाम कोशिशों के बावजूद केजरीवाल सरकार ने कमाल कर दिया। तमाम जगह ये कहा जा रहा है...पिछले 4 महीने में हम सब कह रहे हैं, हमारे तमाम दिल्ली के लोग कह रहे हैं कि वे परेशान करते रहे, और हम 4 महीने लगातार काम करते रहे। यह बजट इस चार महीने की मेहनत का नतीजा है।

...(व्यवधान)...

(माननीय सदस्य श्री ओमप्रकाश द्वारा सदन से बहिर्गमन)

उप-मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, अभी हमारे साथी सत्येन्द्र जैन जी बता रहे थे कि कई मीडिया वाले उनसे कह रहे थे कि बजट एक सपना है। मैं कहता हूं कि हां, ये सपना है और होना भी चाहिए। हमें कलाम साहब ने सपने देखना सिखाया। सही सपने देखना सिखाया। कलाम साहब ने कहा है ''सपने वे नहीं होते, जो रात को सोते हुए देखे जाते हैं। सपने वे होते हैं, जो रात को हमारी नींद उड़ा

देते हैं।'' और ये बजट हम दिल्ली के लोगों का ऐसा ही सपना है और हम सरकार में बैठे हुए लोगों का, तमाम विधायकों का, हम सबका यही सपना है। इस सपने की वजह से नींद आज से नहीं, वर्षों से उड़ी हुई है। जन्तर मन्तर से उड़ी हुई है। तब से बैठे थे। इन सपनों की वजह से। तो ये बिल्कुल सपना है। और सपनो के लिए किसेने कहा था:

सबसे खतरनाक होता है,
हमारे सपनों का मर जाना।
न होना तड़प का,
मुर्दा शान्ति से मर जाना।
सबसे खतरनाक होता है,
हमारे सपनों का मर जाना।।

तो ये बजट एक तड़प है। हमारे सपनों की तड़प है। और उसी तड़प का नतीजा है कि पूरे देश में, विदेश में चर्चा हो रही है इसकी कि विकास की परिभाषा इस बजट ने बदल दी है। अभी तक विकास का मतलब होता था कि कितने खेत उजड़ गए। कितनी बस्तियां उजड़ गई। वहां चमचमाता हुआ क्या बन गया। आज तक विकास का मतलब हुआ है और विकासशील बजट का मतलब होता था कि कितने खेत उजाड़ने का इस कार्यक्रम में अगले एक साल कार्यक्रम है, कितनी बस्तियां उजाड़ने का एक साल में कार्यक्रम है। कितने बाजार जो घरेलू बाजार है हमारे, उनको उजाड़ने का कितना कार्यक्रम है। कितने बाजार बंद होकर माल्स में शिफ्ट हो जायेंगे, उसका कार्यक्रम है। ये बजट कह रहा है कि विकास का मतलब है स्कूल, विकास का मतलब है अस्पताल, विकास का मतलब है सार्वजनिक परिवहन प्रणाली, विकास का मतलब है प्रदूषण मुक्त दिल्ली, विकास का मतलब है भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली,

विकास का मतलब है किसानों की जमीन के सात गुने रेट। यह बजट कहलाता है। अध्यक्ष महोदय, जब मैं ये बजट बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई थी। बहुत गंभीर जिम्मेदारी थी और अपने विभाग के तमाम अधिकारियों के साथ मिलकर, दिल्ली सरकार के तमाम विभागों से चर्चा हुई। हर एक विभाग की मांग थी। हर विभाग आता था कि साहब, हमारा इतना था, इतना कर दीजिए। इतना था, इतना कर दीजिए। तब हम जनता के बीच में गए। जनता के बीच से और मांगें आती थी कि साहब, यहां ये, यहां वो, वहां वो। मुझे लगा कि बजट बनाना बड़ा कठिन काम है। मैं तो अर्थशास्त्री नही हूं। मुझे सरकार के रूप में बजट बनाने की कोई बहुत बड़ी समझ भी नहीं। मैंने पत्रकार के रूप में भी बजट को ऐसे कवर नहीं किया। मुझे लगता था कि बहुत चुनौती भरा काम है और अपने उप सचिव और तमाम जो दोस्त हैं, उनको देखता था, तो मुझे लगता था कि इनको इतनी सारी बजट की नॉलेज है, इतना इनको अर्थशास्त्र की सारी नॉलेज है, मुझे अपनी नॉलेज हमेशा छोटी लगी। फिर मैं जनता के बीच गया, इन सब के साथ बैठता था। दिल्ली सरकार के अन्य विभागों के अधिकारियों के साथ बैठा। तो मैंने नोट्स बनाये। और रोजाना नोट्स को रात को घर पर जाकर मैं एक बार देखता था। आज क्या नोट्स बने, आज क्या नोट्स बने। आज क्या नोट्स में आया और एक बार आंख बंद करके सोचता था कि मैं ये अपने घर का ही तो बजट बना रहा हूं। मुझे हमेशा ये एहसास हुआ रात को सोते हुए सोचते हुए और आखिर में जब बजट को अंतिम रूप दे रहे थे, तब भी सोचते हुए कि ये तो ऐसा ही है, जैसे मेरे घर का बजट बन रहा हो। एक तरफ बच्चे हैं। जिनके सपने हैं, जिनकी पढ़ाई के सपने हैं, जिनको लेकर मेरे कुछ सपने हैं। उनकी अच्छी पढ़ाई की व्यवस्था करनी है। एक तरफ बूढ़े मां-बाप हैं जिनकी बीमारी में अस्पताल की व्यवस्था करनी है, इलाज की व्यवस्था करनी है। एक तरफ

घर है, जिसका रंग रोगन थोड़ा फीका पड़ गया है। हो सकता है, पंखे कुछ घिस गये हों। हो सकता है, चौखट थोड़ी घिस गई हो। उसकी व्यवस्था करनी है। कुछ सपने हैं, कुछ घूमने की इच्छाएं हैं, कुछ देखने की इच्छाएं हैं। कुछ नई चीजें बाजार में आई हैं, उनको घर में लाने की इच्छाएं हैं। मुझे लगा ये सब घर के हिसाब से फैसला लेना है। बहुत दु:ख होता...मुझे बड़ी दिक्कत होती थी कि कैसे करूं, हर अधिकारी आकर, हर जनता का हर व्यक्ति आकर, हर प्रतिनिधि आकर, हर विधायक आकर मुझे अपनी बातें ऐसे बता कर जाता था कि मुझे लगा कि इसकी बात नहीं सुनी तो अन्याय हो जाएगा। दिल से लगता था। फिर मुझे लगा कि यही तो बात घर में भी होती है। फिर सोचा, चलो ठीक है। जैसे घर में फैसला लेते हैं, वैसे ही फैसला लेते हैं। और हर हिन्दुस्तानी आज की तारीख में, मैं झुग्गी-झुग्गी जाता था, बस्ती-बस्ती जाता था चुनाव प्रचार के दौरान भी और वैसे भी। वहां भी देखता था कि आदमी झुग्गी में रह लेगा। आदमी खुद टूटी हुई साइकिल पर चला जायेगा 20 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर अपनी फैक्ट्री। लेकिन अपने बच्चे को सुबह 7 बजे जब मैं चुनाव प्रचार के दौरान जाता था, तो देखता था कि एक अच्छे स्कूल में लेकर जा रहा होता था। मुझे लगा, यही चाहिए इसको। सबसे पहले हमने तय किया कि शिक्षा पर पैसा खर्च किया जाये। क्योंकि वह बच्चा पढ़ गया तो फिर उसको झुग्गी से भी निकाल लेगा और अपने पिता के लिए बढ़िया कार भी खरीद कर ले आयेगा। अगर वह बच्चा नहीं पढ़ा तो उसकी अगली पीढ़ी भी उन्हीं झुग्गियों में गुजरेगी और उसका जो बच्चा पैदा होगा, वह भी उन्हीं झुग्गियों में पढ़ेगा। इसलिए यह तय किया गया कि पहले शिक्षा पर खर्च हो, स्वास्थ्य पर खर्च हो, पर्यावरण पर खर्च हो, ट्रांसपोर्ट पर खर्च हो, अध्यापकों पर खर्च हो, सीसीटीवी शिक्षा के

लिए, सुरक्षा के लिए जरूरी हों। उन पर खर्च हो। किसानों की जमीन के लिए खर्च हो। और ये बजट बनाते-बनाते जितने लोगों से चर्चा हुई। बहुत हौसला बढ़ता था बार-बार। बहुत लोग बहुत अच्छी-अच्छी सलाह भी देते थे। कहते थे,

एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तो,
इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है।

आज ये बजट पर चर्चा के अंतिम सोपान पर खड़ा होकर मैं कह सकता हूं कि हम एक चिंगारी ढूंढकर लाये हैं, हम कुछ नया थोड़े ही कर रहे हैं। तेल से भीगी हुई बाती है। अभी तो और तेल डालेंगे, और मेहनत करेंगे, और पसीना बहायेंगे। इस दिए को तेल भी भरेंगे और इससे रोशनी भी करेंगे। मैं उन तमाम लोगों का, अपने तमाम साथियों का धन्यवाद देता हूं जिन्होंने बजट की सराहना की। अपने तमाम साथियों का धन्यवाद देता हूं जिन्होंने बजट को बहुत क्रिटिकल नजरिए से देखकर चीजों को मेरे सामने रखा। विजेन्द्र जी, अपने साथी हैं, विधान सभा में उन्होंने कहा है कि नगर निगम के मामले में मैंने बहुत बड़ा गुमराह करने वाला बयान दिया है। एक बार तो मुझे भी लगा कि कहां गड़बड़ हो गई। मैंने भी पन्ने पलटे फिर से। फिर मुझे लगा कि अरे! विजेन्द्र जी तो 22 नम्बर प्वाइंट पढ़कर बोल रहे हैं। विजेन्द्र जी ने जो बात कही। मैंने 23 नम्बर पर पहले से कर रखी है। वे बजट का भी हिस्सा थी। बजट दस्तावेज का भी हिस्सा है। फिर मुझे लगा कि कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने कहा, अपने साथियों ने कहा और बाहर भी कुछ लोगों ने सवाल उठाए कि रेवेन्यू फीगर बहुत इंफ्लेटिड है। पैसा आयेगा कहां से। बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है। मुझे लगता है कि विजेन्द्र जी का डर ठीक है। क्योंकि जब इनकी पार्टी की सरकार थी पिछले एक साल दिल्ली में। दिल्ली के लोग तो इतनी मेहनत कर

रहे थे। ऐसा नहीं है कि दिल्ली के लोगों ने मेहनत करनी कम की हो। दिल्ली के लोगों ने टैक्स भी, जब मेहनत की है तो ऐसा नहीं है कि अचानक लोगों ने टैक्स देना बंद कर दिया था। लेकिन जब पिछले साल उनकी पार्टी की सरकार थी तो उनकी पार्टी की सरकार कुल मिलाकर पिछले साल 2.64 ही वेट बढ़ा पाई। 2.64 परसेंट ही वैट बढ़ा पायी। तो उनका अनुभव ठीक है। उनका डर वाजिब है। और उनका अनुभव इस चीज में नहीं है कि जब व्यापारियों को प्यार से गले लगाया जाता है, और रेड राज बंद किया जाता है और ईमानदारी की सरकार चलाई जाती है, और कमीशन खोरी बंद की जाती है और अधिकारियों को कहा जाता है कि जो काम सौ करोड़ में हो सकता था, अब वह 80 करोड़ में करके दिखाओ। ये नहीं कहा जाता कि सौ करोड़ का काम 120 करोड़ का बजट बनाकर लाओ। जब ये कहा जाता है तो फिर ये काम होता है। इसीलिए हम कोई हवा में बात नहीं कर रहे हैं। प्रमाण हैं। अप्रैल और मई का जो कर संग्रह है, वैट का संग्रह है, वह अपने आप में डेटा बता रहा है पहले दो महीने का इस फाइनेंशियल इयर का कि 37 प्रतिशत बढ़ोत्तरी थी। पिछले एक साल में 2.64 परसेंट बढ़ोत्तरी थी जब केंद्र वाली, बीजेपी की सरकार थी दिल्ली में और जब आम आदमी पार्टी की सरकार आई है तो इस फाइनेंशियल इयर के पहले दो महीनों में 37 परसेंट की बढ़ोत्तरी हुई है। तो उनका डरना वाजिब है और हमारा हौसला वाजिब है। हमारा सपना देखना भी वाजिब है और उनका डरना भी वाजिब है। उनका डरना उनके अनुभव से और हमारा सपना, हमारा हौसला हमारे अनुभव से। अध्यक्ष महोदय, हम उम्मीद में जीते हैं, वहम में नहीं जीते।

...(व्यवधान)

माननीय उप-मुख्यमंत्री : वहम नहीं है हमको। हमें पूरा भरोसा है। एक टर्म होती है। fiscal deficit, उसका मतलब होता है कि अपने expenditure को पूरा करने के लिए, अपने expenditure को meet करने के लिए आप कितना borrow कर रहे हो। मैं सभी के सूचनार्थ बता दूं, मैंने उस दिन भी बताया था कि 41 हजार 500 करोड़ के बजट में केवल 1 हजार 38 करोड़ रुपये का लोन है, केवल। और fiscal deficit की उसमें देखें तो जीएसडीपी की तुलना में एक तो जो की fiscal deficit की दर है वो पूरे देश में सारी स्टेट्स में lowest है दिल्ली का और पूरे जीएसडीपी की तुलना में दिल्ली में 0.08 परसेंट है। तो डेटा भी कह रहा है। उम्मीदें भी कह रही हैं, सपने भी कह रहे हैं, दो महीने का अनुभव भी कह रहा है। इसलिए हम पूरे आश्वस्त हैं कि जो कह है रहे अब तक जो कहा था वो करके दिखाया और अब जो कह रहे हैं वो करके दिखाएंगे। सवाल उठा, मैं संक्षेप में कुछ सवालों के जवाब दे दूं, फिर आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय को अपनी बात रखनी है और कई साथियों ने कई सवालों के जवाब दिये हैं। जो इस बजट को लेकर उठे हैं, इसलिए मैं उनको बहुत ज्यादा दोहराना नहीं चाहूंगा। entry fees पर टैक्स का मसला उठा। उसको कई लोगों ने सदन में और सदन के बाहर भी और कुछ हद तक मीडिया में भी उठाया। ये दुष्प्रचार करने की कोशिश की गई कि डीजल वाहनों पर टैक्स लगा दिया गया दिल्ली में। दिल्ली में डीजल वाहनों की एंट्री में टैक्स लगा दिया गया है। मैं उन तमाम लोगों से जो भ्रमित है इस चीज को लेकर या भ्रमित कर रहे हैं, उन से request करना चाहता हूं ठीक से पढ़ें ये प्रपोजल है कि जो माल वाहक गाड़ियां दिल्ली से बाहर की बाहर से दिल्ली में आएगी उन पर ये एक्सट्रा चार्ज लगाया जा रहा है और वो 100 रुपये से 1500 रुपये तक का है, प्रति एंट्री। तो मुझे एक ट्रांसपोर्टर ने बड़े अच्छे शब्दों में कहा कि साहब सौ रुपये से डेढ़ हजार

रुपये तो छोड़ो, जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, कम-से-कम रोजाना 3-4 हजार रुपये रिश्वत के देने पड़ते थे वो तो वैसे ही बच चुके हैं। नाके पर जो वसूली होती थी वो जो रिश्वत के जो नं. दो के पैसे की वसूली होती थी वो तो वैसे ही रुक गई। हम तो पहले ही प्रोफिट में चल रहे थे। तो ये वसूली बंद होने का मैथमैटिक्स लोगों को समझ में आ रहा है। जनता को समझ में आ रहा है। पर जनता इस दुष्प्रचार के बहकावे में नहीं आनी चाहिए। डीटीएच के कनेक्शन के लिए पिछले 15 साल से 2000 से 20/- रुपये की per connection की फीस चली आ रही थी। अब आज की तारीख में केवल कनेक्शन कंपनी, केबल कंपनी 250 से 500 रुपये कम-से-कम वसूलती है एवरेज। ऊपर 600-800 रुपये तक के पैकेज मैंने देखे हैं। उसमें अगर वो 20/- रुपये जनता के और ऐड कर ले और वहां से कुछ पैसा आकर स्कूल में लग जाए, पोलूशन को ठीक करने में लग जाए तो क्या दिक्कत है और 15 साल से नहीं बढ़ा था। 15 साल से। और अगर इस 20 रुपये को देखें तो महीने में 67 पैसे रोजना का आ रहा है। इतना कमा रहे हैं केबल कंपनी में। अगर 67 पैसे रोजना के हिसाब से 20/- रुपये और सरकार को टैक्स दे देंगे, 20/- रुपये की जगह 40/- रुपये दे देंगे तो कोई ऐसी भारी भरकम रकम नहीं है उस 250 से 600/- रुपये के पैकेज में। बहुत सी बातें कहीं हैं कि भई, बहुत से बातें तो इस बजट में वैसी है जो अर्से से कही जा रही थी। बिल्कुल है। बिल्कुल है जी। ये कुर्सियां भी वहीं है, ये विधान सभा भी वही है। लोगों की उम्मीदें भी वही हैं, बस लोगों की जरूरतें भी वही है, तो बातें तो लोगों की जरूरतों की है। जरूरतों की बातें है, तो करी जाएंगी। ऐसा थोड़े ही है कि उन जरूरतों की बातों को छोड़ देंगे। बिल्कुल करी जाएंगी। लेकिन इरादे बदल गए हैं, नीयत बदल गई है। वर्षों से कहा जा रहा था। अभी विजेन्द्र भाई ने कहा लिया सुपर स्पेशलिटी

होस्पिटल बनाके बिल्डिंग खड़ी कर दी गई, चलाए नहीं गए कई-कई साल से पड़े हुए हैं। जंग लग गया उन बिल्डिंग्स को। पानी के प्लांट खत्म हो गए। बेचारे इंजीनियर्स रोते थे, साहब कब प्लांट बनाया था। भावुक हो गए इंजीनियर्स उस दिन जिस दिन हम 13 साल के पुराने प्लांट का हम और मुख्यमंत्री साहब उद्घाटन करने गए। वहां इंजीनियर्स की आंखों में आंसू आ गए, बोले जी, आज सपना पूरा हुआ। एक इंजीनियर की मेहनत तब पूरा होती है, जब वहां से पानी निकलने लगे। बिल्डिंग बना के खड़ी कर दे उस पे जंग लग जाए उससे इंजीनियर की मेहनत सफल नहीं होती।

विजेन्द्र जी **...(व्यवधान)....**

अध्यक्ष महोदय : आ रहे हैं आ रहे हैं।**...(व्यवधान)...**

उप-मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय। कई प्लाट छह साल से, कामकाजी महिलाओं के लिए होस्टल बनाने के लिए लेके रखे हुए हैं। हर साल उन पर चर्चा होती रही। हमने कहा जी क्यूं बोले जी नीयत ही नहीं थी। कोई पोलिटिकल विल ही नहीं दिखती थी। हमने कहा चलो कसम खाते हैं एक साल में बना के दिखाएंगे। छह के छह को बना के दिखाएंगे। बजट में तो अब आ रहा है, उस पर काम होना शुरू हो गया। उसका पूरा मॉडल बनाया जा रहा है कि कैसे वो चलेगा, कैसे वो बनाया। अब जुमलों की सरकार नहीं है। काम की सरकार है, नीयत की सरकार है। हम ये नहीं कहेंगे कि अगले साल वो जी एक जमुला भर था वो जो फिसल गया था। नहीं जी, दिल से निकली हुई आवाज है, पूरी होगी, जनता की आवाज है पूरी जरूर होगी। हम तो बनाएंगे और इसीलिए हमने बजट में रखा है, कभी उसके बजट में चीजें नहीं रखी गई।

मैंने सुबह भी कहा फिर से कह रहा हूं कि बजट पर जवाब है कि आईपी यूनिवर्सिटी के पूर्वी दिल्ली का सपना बहुत दिनों पहले देखा गया था और मात्र छह करोड़ रुपये उसकी जमीन के एवज में अभी तक डीडीए को भुगतान किया गया है उसके अलावा उसको कोई भुगतान नहीं हुआ। बार-बार आता रहा। पिछले साल भी बजट में 285 करोड़ का उसमें प्रावधान किया गया था। लेकिन हकीकत ये है कि उसके बाद दिया एक रुपया नहीं गया। आप उठा के देख लीजिए। आंकड़े गवाह है इस चीज के कि यहां भाषण नहीं है। ये कोई चुनाव में वोट मांगने के भाषण नहीं है कि जो कुछ भी कह दो और निकल के चलते बनो। बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि जब बजट पेश किया गया था उसमें 285 करोड़ रुपये की बात कही गई थी। लेकिन आज आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए कि केन्द्र सरकार से या उस बजट की राशि में से विश्वविद्यालय को गर एक रुपया भी दिया गया हो। वहां ईस्ट दिल्ली में काम्पलेक्स के नाम पे। जीरो पेमेंट हुआ है। पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। तो आज हम कह रहे हैं कि ये पैसा दिया जाएगा, तो दिया जाएगा और उस पर काम शुरू किया जाएगा। सिर्फ फोटो खिचवाने के लिए नहीं दिया जाएगा। फोटो खिंचाने का काम तो हो चुका। अब तो वहां बिल्डिग बनाने के लिए, परिसर शुरू करने के लिए और वहां पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए काम शुरू किया जाएगा। एजुकेशन लोन स्कीम पर भी बात हुई। एक साथी ने कहा कि साहब 30 करोड़ रुपया तो बड़ा कम है। मुझे लगता है विजेन्द्र भाई थोड़ा सा समझ लेते इस स्कीम को। लोन स्कीम है कि लोन गारंटी स्कीम है। गारंटी स्कीम है। क्योंकि हुआ क्या, मैं आपको समझा देता हूं। मैंने उस दिन भी समझा था। हुआ यह कि दिल्ली में किसी साथी ने अभी जिक्र किया था शायद गरीब बच्चे का, रिक्शे वाले का जिक्र किया था राजेश भाई ने। गरीब का बच्चा जब हायर एजुकेशन के

लिए जाता है तो उसके सामने सबसे बड़ी समस्या आती है कि वो फीस कैसे भरेगा। अब वो फीस नहीं भर पाएगा तो माता-पिता कहेंगे कि तू छोड़ दे भई। सरकारों ने, बैंकों ने लोन चला रखे हैं, स्टूडेंट लोन, एजुकेशन लोन। वो लोन लेने जाता है तो पता चलता है कि भई, गारंटी में क्या लाए हो। जमीन है, मां-बाप के पास कुछ है, घर है, कुछ है। अब मां-बाप का बहुत सारे लोगों के पास घर नहीं है, बहुत सारे लोगों के पास जमीन नहीं है। अन-ऑथोराइज कॉलोनी, रेगूलर कॉलोनी में मकानों पे। वैसे लोन नहीं मिलता। रजिस्ट्री होनी शुरू होंगी तो लोन मिलेगा। तो गारंटी कौन लेगा। तो सरकार क्योंकि जनता की सरकार है आम आदमी की सरकार है। हमने कहा आम आदमी के बच्चे की गारंटी उसकी सरकार लेगी। जमीन हो न हो, घर गिरवी रखने के लिए हो न हो, एक दिल्ली का आम बच्चा अपनी सरकार को गिरवी रख के लोन ले सकता है। कहेगा ये मेरी सरकार है, ये मेरी गारंटी है। मैंने गिरवी रखा है, इसपे लोन दो। मैं पढ़ूंगा और चुकाऊंगा। ये मैथमेटिक्स है इसका। इसमें 30 करोड़ की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इस देश में बच्चे बहुत ईमानदार है। मेहनत करेंगे। टीचर रेशियो जिसका दु:ख जगदीश भाई से ज्यादा कौन जान सकता है। इस पूरे सदन में मैं अलग-अलग विधान सभाओं के विद्यालयों में गया हूं और मैं बहुत दावे के साथ कह सकता हूं कि जगदीश भाई जिस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं स्टूडेंट-टीचर रेशियो की सबसे ज्यादा पीड़ा झेल रही विधान सभा वो है, विधान सभा क्षेत्र वो है वहां के स्कूल हैं, उनसे ज्यादा उस पीड़ा को कोई नहीं समझ सकता है और उन्होंने कई बार इस सदन में रखा है और मैं एकदम 100 परसेंट सहमति रखते हुए कहता हूं कि वहां काम करेंगे, हम सब मिलकर काम करेंगे, जगदीश भाई

के साथ मिलकर काम करेंगे, पूरे सदस्य काम करेंगे। इसलिए 20 हजार टीचर्स की भर्ती की जा रही है क्योंकि वो रेशियो...**(व्यवधान)**...वो भी एक एस्टीम है भावना जी, वे भी एक एस्टीम है और वो भी दिल्ली है, कल मैं एफएम पर इंटरव्यू दे रहा था, वहां से रोहिणी के साथी ने फोन करके पूछा, देखो जी हमारे यहां से लोगों ने गलती कर दी आपकी पार्टी का विधायक नहीं चुना, मैंने कहा, कोई बात नहीं, दिल्ली के तमाम लोगों ने उसकी भरपाई की है। रोहिणी की एक-एक गली की जिम्मेदारी हमारी है। विजेन्द्र भाई के साथ मिलकर और मैंने कहा एफएम चैनल पर इंटरव्यू में कहा उस साथी को भी भरोसा दिलाया, मैंने कहा आपको मैं भरोसा दिलाता हूं आप जाकर अपने विजेन्द्र भाई जो एमएलए हैं उनको बताइये, वो मुझे बतायेंगे और मैं उनकी बात सुनूंगा, कोई मतभेद नहीं है और यह जो टीचर रेशियो की बात कही गई है विजेन्द्र भाई कल आपने सारे स्कूलों को जो रजिस्टर्ड, अन-रजिस्टर्ड चल रहे हैं वो, जो नहीं चल रहे वो, उनकी संख्या और उसके हिसाब से कोई काल्पनिक संख्या के हिसाब से टीचर रेशियो निकाला, दिल्ली के सरकारी स्कूलों का रेशियो. ..**(व्यवधान)**...दिल्ली का रेशियो तो वास्तव में, दिल्ली के सरकारी स्कूलों में बहुत खराब है और उसको ठीक करने के लिए हमारी सरकार कटिबद्ध है कि 20 हजार टीचर्स की भर्ती जितना जल्दी से जल्दी हो सके, हम करके उनको उसमें लगाना चाहते हैं। भावना जी कह रही थी मेरे बारे में तो बात ही नहीं की, आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात छोड़ दी, पीछे बंदना जी भी बोली, यह जेंडर बजट है। मैं सब साथियों से आग्रह करता हूं एक बार, अलग-अलग राज्यों के और यहां हमारी विधान सभा की लाइब्रेरी में बजट की पुरानी स्पीच रखी हुई है एक बार उठाकर के देखियेगा। दिल्ली विधान सभा में और शायद देश में पहली बार इस तरह से किसी बजट में महिलाओं का सैक्शन अलग से रखा गया, पूरा सैक्शन अलग से है, पूरा डिस्क्रिपशन अलग से

है बजट में, महिलाओं का पूरा चैप्टर है उसमें और जैसा मैंने उस दिन कहा कि स्वराज बजट है, मैं उतने ही गर्व के साथ कह सकता हूं कि यह जेंडर बजट भी है क्योंकि इसमें 2779 करोड़ रुपये की राशि बच्चों के नाम पर और महिलाओं के नाम पर अलग से खर्च करने की पूरी व्यवस्था की गई है। अध्यक्ष महोदय, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजों के जवाब आये हैं मैं बार-बार उनको दोहराना नहीं चाहता। बस गांवों की किसी ने बात कही, गांव तो आम आदमी पार्टी की सरकार की priority में है। क्योंकि जब हमने वाई-फाई की बात की तो हमने कहा कि सबसे पहले गांवों को जोड़ो। गांव जुड़ेंगे तो सरकार और जो आम आदमी के बीच की दूरियां हैं जब एम-गवर्नेंस से, ई-गवर्नेंस से जुड़ेंगे तो वो खत्म होगीं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म करना चाहता हूं और एक बार उन तमाम लोगों को जिन्होंने इस बजट को तैयार करने में सहयोग दिया, पूरी दिल्ली में, देश भर से ई-मेल भेज-भेज कर, दुनिया भर से ई-मेल भेज-भेज कर हमारे भारतीय साथियों ने और तमाम अधिकारियों ने बहुत सारे एक्सपटर्स साथियों ने जिन्होंने पीछे रहते हुए, गुमनाम रहते हुए इस बजट को बनाने में सहयोग दिया, मैं उन सभी साथियों का धन्यवाद करना चाहता हूं, एक बार फिर से आभार करना चाहता हूं और अंतिम इस बात के साथ जो गोपाल भाई ने कहा यह तो एक शुरुआत है, यह जो बजट है अगर देखे बजट की भाषा में तो यह तो महज प्रावधान है लेकिन जैसा मैंने कहा कि यह उम्मीद है और मिला है मंजिल का निशां, मंजिल अभी कुछ दूर है। मेहनत करनी पड़ेगी जब लोगों को। एक साल पूरी मेहनत करेंगे और इन सपनों को सच करके दिखायेंगे। बहुत-बहुत आभार, बहुत-बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय।

अध्यक्ष महोदय : माननीय मुख्यमंत्री जी श्री अरविन्द केजरीवाल।

मुख्यमंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, जब ये यह बजट विधान सभा में प्रस्तुत किया गया है, केवल दिल्ली के लोग नहीं, पूरे देश के लोग बहुत उत्साहित है। चारों तफर से बधाई, संदेश आ रहे हैं। लोगों का मानना है कि इस तरह का बजट उन्होंने कभी नहीं देखा था। जिस उम्मीद के साथ आम आदमी पार्टी बनाई गई थी, जिस आशा के साथ लोगों ने आम आदमी पार्टी को वोट दिया, उन्हें पूरी उम्मीद, अब पूरा विश्वास होता जा रहा है इस बजट के बाद कि उनकी आशाएं जरूर पूरी होंगीं। मैं एक अंदर की बात आप सब लोगों से शेयर करना चाहता हूं जिस दिन बजट प्रस्तुत हुआ उस दिन शाम को डिनर था हम सब लोग सेक्रेटरिएट में डिनर में गए थे। डिनर के वक्त हमारे साथी विजेन्द्र गुप्ता जी और ओम प्रकाश जी मेरे पास आए और उन्होंने कहा जी यह बहुत बढ़िया बजट है बधाई हो**...(व्यवधान)....** यह अंदर की बात है, तो मैंने उनसे निवेदन किया कि आप बाहर जाकर मीडिया को बताइये तो उन्होंने कहा कि हमारी राजनीतिक मजबूरी है, हम बता नहीं सकते। मैं मनीष जी को बधाई देना चाहता हूं कि जिस बजट की तारीफ अपोजिशन वाले भी करे, चाहे प्राइवेट में करे, अगर जिस बजट की तारीफ करे तो बजट वाकई काबिले-तारीफ है। पिछले कुछ दिनों से, कुछ हफ्तों से कई लोग कह रहे थे हम सारे लोग नये-नये आए हैं, नौसिखिये हैं, अपने को राजनीति नहीं आती, हमारे में से ज्यादातर लोग पहली बार चुनाव लड़े हैं, पहली बार सरकार में आये हैं आम आदमी है, नेता तो है नहीं। कई लोग कहते थे कि बजट बना पायेंगे क्या ये और कई दिनों से एक माहौल तो यह बनाया ही जा रहा था, इनको सरकार चलानी नहीं आती, इनको सरकार चलानी नहीं आती। लेकिन अब इस बजट को देखने के बाद लोगों को लग रहा है सरकार तो शायद इन्हीं को चलानी आती है, अभी तक जो कुछ चल रहा था वो तो लूट चल रही थी**...(व्यवधान)...**मैं अपने साथी विजेन्द्र गुप्ता जी

की बात से बिल्कुल सहमत हूं राजनीति हमें ही करनी आती है, अब राजनीति भी सिखायेंगे और सरकार चलानी भी सिखायेंगे। बहुत अच्छा बजट बना है, अब चेलेंज है इसको इम्प्लिमेंट करने का। हम सब लोगों को मिलकर इम्प्लिमेंट करना है और जनता के साथ मिलकर इम्प्लिमेंट करना है क्योंकि यह स्वराज का बजट है, इसमें जनता का रोल बहुत ज्यादा है, लेकिन मुझे यह कहते हुए बहुत गर्व हो रहा है कि बजट में जितनी बातें कही गई हैं, उसमें 90 परसेंट से ज्यादा बातों पर अमल चालू हो चुका है। जैसे आज मैं पढ़ रहा था अखबार में कि नमामि गंगे नाम का एक प्रोजेक्ट है जिसमें चार हजार करोड़ रुपये खर्च किए गए और पहले तीन महीने में उसमें से एक भी पैसा खर्च नहीं किया गया तो कुछ लोगों ने कहा कि हां जी, बजट तो बन जाता है फिर होता थोड़े ही है। हम बीजेपी नहीं है, हम आम आदमी पार्टी है हमारे यहां बजट प्रेजेंट होने के पहले उस पर काम शुरू हो जाता है। सबसे बड़ी बात है कि हमने जनता से जो वायदे किए थे चार महीने के अंदर उसमें से मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि आधे से ज्यादा वायदों के ऊपर काम शुरू हो चुका है और कई वायदे तो पूरे हो चुके हैं और इस बजट के अंदर उन सब चीजों की झलक है। हमारा स्लोगन है और उस स्लोगन पर हम करते हैं काम 'जो कहा, सो किया', 'जो कहा, सो किया'। जैसे चुनाव के पहले जो लोक सभा के चुनाव हुए थे उसके पहले बीजेपी ने कहा था काला धन लेकर आयेंगे और चुनाव जीतने के बाद बोले योगा करायेंगे। काला धन भूल गये, बोले योगा करायेंगे। सारे अपनी-अपनी चटाई ले आओ। चुनाव के पहले बोले...**(व्यवधान)**...अच्छी चीज है योगा, मैं मना थोड़े ही कर रहा हूं, चुनाव के पहले कह देते कि योगा करायेंगे तो पता नहीं जनता वोट देती कि ना देती। दूसरा, चुनाव के पहले बोले कि महंगाई दूर करेंगे और चुनावों के बाद कहते हैं कि स्वच्छ भारत अभियान करेंगे अच्छी बात

है, स्वच्छ भारत अभियान करना चाहिए लेकिन चुनावों के पहले स्वच्छ भारत अभियान और योगा के नाम पे वोट मांग के देखते तो देखते कितने लोग वोट देते, लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार ने जो कहा वो करके दिखाया। शिक्षा के ऊपर हमें गर्व है शिक्षा के ऊपर सबसे ज्यादा जोर दिया गया, हमें अपने लोगों पे गर्व है हमारे देश के लोग बहुत अच्छे हैं हमारे देश के लोग बहुत इंटेलिजैंट हैं और हमें पूरा यकीन है अगर हमारे देश के लोग पढ़-लिख गये, हमारे बच्चे पढ़-लिख गये और अगर हमारे देश के बच्चे स्वस्थ्य हो गये तो हमारे देश के लोग और बच्चे देश को कहीं का कहीं ले जाएंगे। विकास सरकारें नहीं करती, विकास देश के लोग करते हैं सरकारें तो विकास के लिए माहौल तैयार करती हैं। शिक्षा पे दोगुणा बजट किया गया, कुछ लोगों ने यहां पे वही पुरानी घिसी-पीटी राजनीति शुरू की, दलितों के लिए कुछ नहीं किया जी, फलानों के लिए कुछ नहीं किया, माइनोरटीज के लिए कुछ नहीं किया जी मैं ये कहना चाहता हूं ये राजनीति करते-करते 3 सीट रह गई हैं अभी, ये तीन सीट भी नहीं बचेंगी, अब आप लोग अपना पैराडाइम बदलिए थोड़ा। अगर शिक्षा पे बजट बढ़ा है, अगर सरकारी स्कूल अच्छे होंगे। मैं दिल्ली में खूब घूमता हूं खूब लोगों से मिलता हूं सबसे ज्यादा खुश शिक्षा पे बजट बढ़ने से कौन लोग खुश हुए हैं, दलित, हुए हैं गरीब लोग हुए हैं क्योंकि उनको लगने लगा है, अभी तक क्या होता था सफाई कर्मचारी का बेटा, सफाई कर्मचारी बनता था क्योंकि वो अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में भेजता था, सरकारी स्कूल पढ़ाई के नाम पर जीरो है, अब वो सफाई कर्मचारी का बच्चा अच्छी से अच्छी शिक्षा लेगा और सफाई कर्मचारी का बच्चा बड़ा होके सफाई कर्मचारी नहीं बनेगा, डॉक्टर बनेगा, एडवोकेट बनेगा, इंजीनियर बनेगा सफाई कर्मचारी नहीं बनेगा। अस्पतालों के अंदर बजट बढ़ाया गया, इंडस्ट्रीज के अंदर, 29 इंडस्ट्रीयल एरिया हैं जहां पर 7 तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर

फैस्लिटी मुहैया कराई जाएंगी, सिंगल विंडो सिस्टम लागू किया जाएगा, लाइसेंस राज दिल्ली में खत्म किया जाएगा, महिलाओं की सुरक्षा के लिए खूब कदम उठाए जा रहे हैं। 10 हजार बसें नई ली जाएंगी। एक लाख रोजगार, कम-से-कम एक लाख रोजगार इस बजट से तैयार होंगे। एक चीज जो मीडिया ने गलत तरीके से प्रोजेक्ट की उसको मैं कलीयर करना चाहता हूं। उस दिन शाम को खूब चलाया महंगाई हो गई। महंगाई हो गई क्यों हो गई भई महंगाई कहने लगे एंट्री टैक्स लगा दिया, कितना लगाया है एंट्री टैक्स बोले की टैंपू पे 100 रुपये, टैंपू पे 100 रुपये का मतलब है टैंपू कम-से-कम एक टैंपू में एक टन माल आ जाता है तो 100 रुपये को हजार से डिवाईड कर लो तो पर केजी 10 पैसे बना, जो कुछ नहीं होता जी और ये तो ज्यादा से ज्यादा क्योंकि टैंपू ले रहा हूं मैं। अगर आप 10 पहियों के व्हीकल को देखें तो उसमें तो पता नहीं कितने टन माल आता है उसमें तो शायद एक पैसा बन रहा था मैंने कैलकूलेट किया तो। एक पैसा पर केजी के हिसाब से, ये तो कुछ भी नहीं है पर जैसा मनीष ने कहा ये वाकई सच्चाई है जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई है जितने ट्रक और टैंपू दिल्ली में एंटर किया करते थे उनके हर रैड लाइट पर उनके पैसे बंधे होते थे, उनके रैड लाइट के सारे पैसे बंद हो गये भाई साहब, तो अगर उनके रैड लाइट पे सारे पैसे बंद हो गये तो जो उनकी बचत हुई है 100 रुपये 150 रुपये तो उसके आगे कुछ भी नहीं है तो महंगाई कुछ नहीं होने वाली, ये गलत-फैहमी तैयार की जा रही है और ये कोई महंगाई नहीं होने वाली। दूसरा कहा जा रहा है वैट बढ़ा दिया, वैट बढ़ा दिया, वैट कानून में अमेंडमेंट किया गया है कोई वैट नहीं बढ़ाया, कुछ नहीं बढ़ाया तो कोई महंगाई नहीं की है। इतना खूबसूरत बजट है, कि बिना महंगाई करे, बिना टैक्स बढ़ाए और आपको शिक्षा में, हैल्थ में, ट्रांसपोर्ट में, इंडस्ट्रीज में, ट्रेड में इतनी सारी चीजें मिल रही हैं, क्यों मिल

रही है भाई क्योंकि चोरी बंद कर दी है। जैसे अभी सतेंद्र जैन ने बताया जो बेड एक करोड़ का बनता था वो इन्होंने 12 लाख रुपये का बनाना चालू कर दिया तो वो सारा पैसा बच गया तो उससे हमने इतना सारा काम करना चालू कर दिया। लेकिन जब से हमारी सरकार बनी है केंद्र सरकार लगातार हमारी ऐसी-तैसी करने में लगी हुई है। एक के बाद रोज एक कभी कहेंगे हम ऑर्डर पास करते हैं वो कहते हैं your order is null and void दिल्ली के अंदर ऐसा भी टाईम था जब बीजेपी की सरकार थी मदनलाल खुराना जी की सरकार थी, और केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, इतना तंग तो कांग्रेसियों ने भी बीजेपी वालों को नहीं किया। ऐसा टाईम था जब दिल्ली में शीला दीक्षित जी की सरकार थी और वहां पे अटल जी और आडवाणी जी की सरकार थी। इतना तंग तो उन्होंने भी नहीं किया। जितना आज मोदी सरकार ने कर रखा है। रोज कुछ न कुछ, कुछ न कुछ, कुछ न कुछ...**(व्यवधान)**...मैंने प्रधानमंत्री जी से मिलने की कोशिश की पिछले 10-15 दिन से टाइम मांगने की कोशिश कर रहा हूं मेरी किस्मत खराब है वो बहुत ज्यादा बिजी हैं। मैं उनसे मिल नहीं पाया। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं आज जिस तरह से उन्होंने माहौल बना दिया दिल्ली सरकार के अंदर आज दो होम सैक्रेटरी हैं जो, एक नरेंद्र मोदी जी के होम सैक्रेटरी हैं एक दिल्ली सरकार के होम सैक्रेटरी है, आज दिल्ली सरकार के अंदर दो एंटी क्रप्शन ब्रांच के चीफ हैं, एक नरेंद्र मोदी जी के एंटी क्रप्शन ब्रांच के चीफ हैं एक दिल्ली सरकार के एंटी क्रप्शन ब्रांच के चीफ है, आज एंटी क्रप्शन ब्रांच थाने में दो एसएचओ हैं एक नरेंद्र मोदी जी के एसएचओ हैं एक दिल्ली सरकार के एसएचओ है। आज तक दुनिया के इतिहास में ऐसा कहीं नहीं हुआ कि कोई पार्टी बुरी तरह से हार जाये जिसकी 70 में से 3 सीट आये फिर भी होम सैक्रेटरी भी उनका और एंटी क्रप्शन का चीफ भी उनका, इतनी गुंडा गर्दी तो किसी ने कहीं नहीं देखी। तो अगर आडवाणी जो कहते हैं एमरजैंसी की बात, तो क्या गलत कहते

हैं, बताओ ठीक ही कहते हैं फिर वो। देश के लोग नैगेटिव राजनीति पसंद नहीं करते इस किस्म की नैगेटिव राजनीति पसंद नहीं करते। आज केवल दिल्ली-दिल्ली में नहीं सारा देश देख रहा है और चारों तरफ यही चर्चा हो रही है कि नरेंद्र मोदी जी केजरीवाल को काम नहीं करने दे रहे, नरेद्र मोदी केजरीवाल को काम नहीं करने दे रहे। दिल्ली में, दिल्ली चुनावों से पहले आपको याद होगा किस तरह से पूरा बीजेपी का कैंपेन नैगेटिव कैंपेन था आम आदमी पार्टी का कैंपेन क्या था, हमने 49 दिन में क्या किया हमारा पोजिटिव कैंपेन था और उनका नैगेटिव कैंपेन था और उसका खामियाजा बीजेपी ने भुगता। तीन सीटें आईं, अगर अब ये लोग नहीं सुधरे। हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो सरकार अच्छी चला रहे हैं जी, अगर यही इनका वो रहा तो बिहार में कहीं इनकी तीन सीट ना रह जायें। खैर इनकी मर्जी ये किस तरह की राजनीति करना चाहते हैं हम नैगेटिव राजनीति नहीं करना चाहते, हम अपने काम की राजनीति करना चाहते हैं। अब बजट आया है, बजट के ऊपर हम सबको मिलके काम करना है, जनता ने खूब सराहा है बजट को अंत में यही कहूंगा रमजान का महीना है, रमजान के महीने की आप सब लोगों को बहुत-बहुत बधाई, शुभकामनाएं और आप सभी लोगों से मैं अपील करूंगा कि जो बजट वित्त मंत्री जी ने रखा है उसको सफल बनाने के लिए हम सब लोगों को अपनी कमर कसनी है और उसके लिए तैयार होना है, बहुत-बहुत धन्यवाद।

अनुदान मांगों का प्रस्तुतीकरण एवं पारण

अध्यक्ष महोदय : बहुत-बहुत धन्यवाद। अब माननीय उप मुख्यमंत्री 2015-16 के लिए Demands for Grants पेश करेंगे।

Dy. Chief Minister – Hon'ble Speaker, Sir, I present the Demands for Grants for the Financial year 2015-16.

अध्यक्ष महोदय : अब सदन Demands पर Demand-wise विचार करेगा:-

Demand No. 1 (Legislative Assembly)

जिसमें Revenue में 17 करोड़ 20 लाख रुपये है सदन के सामने है:-

जो इसके पक्ष में हैं, वे हां कहें,
जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें,

...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : नहीं विजेन्द्र जी, ऑफिस में प्यून चाहिएगा तो जरूर कर दीजिए।

विजेन्द्र गुप्ता : मतलब ऑफिस में प्यून दे दो हमें। प्यून भी नहीं है। **...(व्यवधान)...**प्यून नहीं है हमारे ऑफिस में।

अध्यक्ष महोदय : हां, मैं इसीलिए तो कह रहा हूं। आपने मेरे चेहरे की खुशी नहीं देखी।

विजेन्द्र गुप्ता : डेमोक्रेसी में थोड़ा तो ध्यान रखो। मुख्यमंत्री जी, प्यून भी नहीं है हमारे पास, एक भी।

अध्यक्ष महोदय : विधान सभा को सत्रह करोड़ बीस लाख रुपये मिल रहे हैं। सत्रह करोड़ बीस लाख मिल रहे हैं तो प्यून भी मिलेंगे। चिन्ता न करिए।

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता

Demand No. 1 पास हुई।

Demand No. 2 (General Administration)

जिसमें Revenue में 7 अरब 89 करोड़ 78 लाख 83 हजार रुपये हैं सदन के सामने है:—

जो इसके पक्ष में हैं, वे हां कहें,
जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें,

(सदस्यों के हां कहने पर)

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता

Demand No. 2 पास हुई।

Demand No. 3 (Administration of Justice)

जिसमें Revenue में 6 अरब 68 करोड़ 71 लाख 50 हजार रुपये और Capital में 1 करोड़ रुपये हैं।

सदन के सामने है:—

जो इसके पक्ष में हैं, वे हां कहें,
जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें,

(सदस्यों के हां कहने पर)

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता

Demand No. 3 पास हुई।

Demand No. 4 (Finance)

जिसमें Revenue में 2 अरब 92 करोड़ 91 लाख 50 हजार रुपये और Capital में 12 करोड़ 85 लाख रुपये हैं।

सदन के सामने है–

जो इसके पक्ष में हैं, वे हां कहें,
जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें,

(सदस्यों के हां कहने पर)

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता

Demand No. 4 पास हुई।

Demand No. 5 (Home)

जिसमें Revenue में 4 अरब 35 करोड़ 98 लाख 11 हजार रुपये और Capital में 24 करोड़ 33 लाख रुपये हैं।

सदन के सामने है–

जो इसके पक्ष में हैं, वे हां कहें,
जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें,

(सदस्यों के हां कहने पर)

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता

Demand No. 5 पास हुई।

Demand No. 6 (Education)

जिसमें Revenue में 68 अरब 2 करोड़ 87 लाख रुपये और Capital में 7 अरब 22 करोड़ 95 लाख 50 हजार रुपये हैं।

सदन के सामने है:—

जो इसके पक्ष में हैं, वे हां कहें,
जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें,

(सदस्यों के हां कहने पर)

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता

Demand No. 6 पास हुई।

Demand No. 7 (Medical and Public Health)

जिसमें Revenue में 37 अरब 68 करोड़ 76 लाख 70 हजार रुपये और Capital में 1 अरब 64 करोड़ 16 लाख 80 हजार रुपये हैं।

सदन के सामने है:—

जो इसके पक्ष में हैं, वे हां कहें,
जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें,

(सदस्यों के हां कहने पर)

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता

Demand No. 7 पास हुई।

Demand No. 8 (Social Welfare)

जिसमें Revenue में 37 अरब 67 करोड़ 96 लाख रुपये और Capital में 14 अरब 93 करोड़ 93 लाख रुपये हैं।

सदन के सामने है:—

जो इसके पक्ष में हैं, वे हां कहें,
जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें,

(सदस्यों के हां कहने पर)

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता

Demand No. 8 पास हुई।

Demand No. 9 (Industries)

जिसमें Revenue में 2 अरब 49 करोड़ 2 लाख रुपये और Capital में 36 करोड़ 27 लाख रुपये हैं।

सदन के सामने है:—

जो इसके पक्ष में हैं, वे हां कहें,
जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें,

(सदस्यों के हां कहने पर)

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता

Demand No. 9 पास हुई।

Demand No. 10 (Development)

जिसमें Revenue में 19 अरब 55 करोड़ 65 लाख 66 हजार रुपये और Capital में 5 अरब 68 करोड़ 46 लाख रुपये हैं।

सदन के सामने है:—

जो इसके पक्ष में हैं, वे हां कहें,
जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें,

(सदस्यों के हां कहने पर)

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता

Demand No. 10 पास हुई।

Demand No. 11 (Urban Development and Public Works)

जिसमें Revenue में 80 अरब 92 करोड़ 54 लाख रुपये और Capital में 59 अरब 35 करोड़ 22 लाख रुपये हैं।

सदन के सामने है:—

जो इसके पक्ष में हैं, वे हां कहें,
जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें,

(सदस्यों के हां कहने पर)

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता

Demand No. 11 पास हुई।

Demand No. 12 (Loans)

जिसमें Capital में 2 करोड़ 50 लाख रुपये हैं।

सदन के सामने है:—

जो इसके पक्ष में हैं, वे हां कहें,
जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें,

(सदस्यों के हां कहने पर)

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता

Demand No. 12 पास हुई।

Demand No. 13 (Pensions)

जिसमें Revenue में 1 अरब 25 करोड़ रुपये हैं।

सदन के सामने है:—

जो इसके पक्ष में हैं, वे हां कहें,
जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें,

(सदस्यों के हां कहने पर)

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता

Demand No. 13 पास हुई।

विनियोजन (सं. 2) विधेयक का पुर:स्थापन एवं पारण

अध्यक्ष महोदय : हाउस ने Revenue में 269 अरब 66 करोड़ 41 लाख 30 हजार रुपये और Capital में 89 अरब 61 करोड़ 68 लाख 30 हजार रुपये की Demand को मंजूरी दे दी है।

Appropriation (No. 2) Bill, 2015

अध्यक्ष महोदय : अब उप मुख्यमंत्री Appropriation (No. 2) Bill, 2015 को House में Introduce करने की Permission मागेंगे।

DY. CHIEF MINISTER/FINANCE MINISTER: Hon'ble Speaker, Sir, I seek permission of the House to introduce Appropriation (No. 2) Bill, 2015 to authorize payment and appropriation of certain sums from and out of the consolidated fund of the NCT of Delhi for the financial year 2015-16.

अध्यक्ष महोदय : उप मुख्यमंत्री जी का प्रस्ताव सदन के सामने है:–

जो इसके पक्ष में हैं, वे हां कहें,
जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें,

(सदस्यों के हां कहने पर)

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता

प्रस्ताव पास हुआ।

अध्यक्ष महोदय : अब उप मुख्यमंत्री Bill को सदन में Introduce करेंगे।

DY. CHIEF MINISTER/FINANCE MINISTER: Hon'ble Speaker, Sir, I introduce Appropriation (No. 2) Bill, 2015 to the House.

अध्यक्ष महोदय : अब Bill पर Clause-wise विचार होगा।

प्रश्न है कि खंड-2, खंड-3 व Schedule बिल का अंग बनें–

जो इसके पक्ष में हैं, वे हां कहें,
जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें,

(सदस्यों के हां कहने पर)

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता

खंड-2, खंड-3 एवं Schedule बिल का अंग बन गये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न है कि खंड-1, Preamble और Titble Bill का अंग बनें–

जो इसके पक्ष में हैं, वे हां कहें,
जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें,

(सदस्यों के हां कहने पर)

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता

खंड-1, Preamble और Title Bill का अंग बन गये।

अब उप मुख्यमंत्री प्रस्ताव करेंगे कि Appripriation (No. 2) Bill 2015 को पास किया जाये।

DY. CHIEF MINISTER/FINANCE MINISTER: Hon'ble Speaker, Sir, the House may now please pass the Appropriation (No. 2) Bill, 2015.

अध्यक्ष महोदय : उप मुख्यमंत्री जी का प्रस्ताव सदन के सामने है–

जो इसके पक्ष में हैं, वे हां कहें,
जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें,

(सदस्यों के हां कहने पर)

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता

Appropriation (No. 2) Bill, 2015 पास हुआ।

2015-2016 के लिए वार्षिक बजट पास हुआ।

माननीय अध्यक्ष द्वारा घोषणा

इससे पहले कि मैं सदन को अनिश्चित काल तक के लिये स्थगित करूं, स्वस्थ संसदीय परम्पराओं का निर्वाह करते हुए सदन के नेता एवं मुख्यमंत्री, श्री अरविन्द केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री श्री मनीष सिसोदिया, सभी मंत्रीगण, श्री विजेन्द्र गुप्ता, नेता प्रतिपक्ष तथा सदन के सभी माननीय सदस्यों का हार्दिक आभार प्रकट करता हूं। इसके अलावा विधान सभा सचिव तथा सचिवालय के समस्त अधिकारियों एवं

कर्मचारियों के साथ-साथ दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव व उनके समस्त अधिकारियों, दिल्ली पुलिस, खुफिया एजेंसियों, सी.आर.पी.एफ. बटालियन-55 तथा लोक निर्माण विभाग के, Civil, Electrical व Horticultural Division, अग्निशमन विभाग, आदि द्वारा किये गये सराहनीय कार्य के लिये भी उनका धन्यवाद करता हूं।

विधान सभा की कार्यवाही को मीडिया व समाचार पत्रों के माध्यम से जन-जन तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाने वाले सभी पत्रकार साथियों का भी मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूं।

अब सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल तक के लिये स्थगित की जाती है।

राष्ट्र गान — जन-गण-मन